लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[सातवाँ सत्र
Seventh Session]

18-8-92

[खंड 24 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXVI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची CONTENTS

अंक 18, बुधवार, 14 मार्च, 1973/23 फाल्गुन, 1894 (शक)

No. 18, Wednesday, March 14, 1973/Phalguna 23, 1894 (Saka)

ता० प्र० संख्या S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
321	भारत फ्रांस अन्तरिक्ष आयोग	Indo French Space Commission . .	1
322	विदेशी सहयोग समझौतों का अनुमोदन	Approval of Foreign Collaboration Agreements	3
323	अन्य देशों को अपनी तकनीकी जानकारी देना	Extending our Technical knowhow to other Foreign Countries . .	5
324	मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत कारखानों की स्थापना	Setting up of Factories in Madhya Pradesh under Public Sector . .	5
325	1973-74 की वार्षिक योजना	Annual Plan for 1973-74	7
327	आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम के अधीन निरुद्ध व्यक्तियों के लिये मार्गदर्शी नियमों के बारे में गृह मंत्रालय की राज्यों को हिदायतें	Issue of Instruction by Home Ministry to States in regard to the Guiding Rules for Detainees under MISA .	9
328	उग्रपंथियों को चीन द्वारा सहायता	Financial Assistance to Extremists by China	14
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
326	पांचवीं योजना के दौरान सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज के विकास के सम्बन्ध में समिति	Committee on Community Development and Development of Panchayati Raj during Fifth Plan . . .	15
329	आंध्र प्रदेश से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का हटाया जाना	Withdrawal of CRP from Andhra Pradesh	16
330	मैसर्ज यूनियन कार्बाइड द्वारा निर्मित वस्तुएं	Items manufactured by M/s. Union Carbide	17
331	केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी स्टोरों में काम करने वाले कर्मचारी	Employees working in the Central Government Employees Consumer Cooperative Stores. . . .	17

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
332	बिहार में सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Bihar in Public Sector	18
333	कोटा, राजस्थान में परमाणु बिजली घर में बिजली का उत्पादन	Generation of Power from Atomic Power Project at Kota (Rajasthan) .	18
334	कोटा और आगरा के बीच मेल वेन में काम करने वाले कर्मचारी	Staff Manning Mail Vans between Kota and Agra	18
335	टेलीविजन पर फीचर फिल्म दिखाना	Exhibition of Feature Films over T.V.	19
336	योजनाओं के क्रियान्वयन में उत्तर-दायित्व की प्रणाली	System of Accountability in Implementation of the Plans . . .	19
337	राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों में लघु तथा मध्यम दर्जे के उद्योगों के विकास के लिये योजना	Scheme for Development of Small and Medium Industries in Backward Area of Rajasthan . . .	19
338	आकाशवाणी से संस्कृत में समाचार बुलेटिन का प्रसारित किया जाना	News Broadcast in Sanskrit Language over A.I.R	20
339	अत्यावश्यक क्षेत्र (कोर सेक्टर) के उद्योगों द्वारा गैर आवश्यक वस्तुओं का निर्माण	Manufacture of Non Essential Goods by Industries in Core Sector . .	20
340	वर्ष 1972 में डाक घरों, संयुक्त (कम्बाइन्ड) कार्यालयों और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों का दर्जा कम किया जाना	Downgrading of Post Offices, C.Os. P.C.Os. during 1972 . . .	21

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.			
3190	बम्बई दैनिक समाचार पत्र का प्रैस कार्ड बन्द किया जाना	Stoppage of Press Card to a Bombay Daily	21
3191	दिल्ली में दूतावासों के बाहर गार्डों की नियुक्ति	Posting of Guards outside Embassies in Delhi	21
3192	सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सही प्रतिनिधित्व के लिये अलग सैल की स्थापना के लिये राज्यों को निदेश	Directive to States to set up separate cells for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for proper representation in the services	22
3193	त्रिवेन्द्रम की औद्योगिक परीक्षण तथा अनुसंधान प्रयोगशाला का पुनर्गठन	Reorganisation of Industrial Testing and Research Laboratory at Trivandrum	22
3195	फिल्म उद्योग के साथ अन्य उद्योगों जैसा व्यवहार	Treatment of Film Industry at par with other Industries . . .	23

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3196	त्रिपुरा राज्य से पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को निर्वासित करना	Deportation of Pakistani Nationals from Tripura State	23
3197	अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को दी जा रही सुविधाओं को बन्द करने के बारे में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अध्यक्ष का वक्तव्य	Statement by the Chief of RSS to discontinue the facilities being provided to the Scheduled Castes	23
3198	कानपुर (उत्तर प्रदेश) के पुखरिया जिले की पुलिस की हिरासत में एक हरिजन लड़के की मृत्यु के बारे में रिपोर्ट	Report on the Death of a Harijan boy in police lock up in Pukhraya, Kanpur District, U.P. . . .	23
3199	गैस-आक्सीजन के उत्पादन पर प्रतिबन्ध	Restriction on Production of Gas-Oxygen.	24
3200	चौथी योजना के दौरान मध्य प्रदेश के लिये नियत धनराशि में वृद्धि	Increase in allocation of Funds for M.P. during Fourth Plan . . .	24
3201	दिल्ली में टेलीफोन केन्द्र की महिला कर्मचारियों की ड्यूटी के समय अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति	Absenteeism among women employees of Telephone Exchange in Delhi .	25
3202	दिल्ली में ट्रैफिक पुलिसमैनों की भर्ती	Recruitment of Traffic Policemen in Delhi	25
3203	केन्द्रीय जांच ब्यूरो के मुख्यालय में कार्य कर रहे कार्मिक विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के कर्मचारी	Central Secretariat Service Personnel of the Department of personnel working in CBI Head Office . . .	25
3204	केन्द्रीय जांच ब्यूरो में पदों को केन्द्रीय सचिवालय संवर्गों से पृथक रखना	Exclusion of Posts in CBI from Central Secretariat Service Cadres .	26
3205	केन्द्रीय जांच ब्यूरो में नियुक्ति के लिये केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्गों के सदस्यों के लिये अवधि	Tenures for members of Central Secretariat Service Cadres for Posting in C.B.I.	26
3206	भारत में रबड़ की वस्तुओं के परीक्षण के लिये पायलट परियोजना स्थापित करने हेतु रूस द्वारा सहयोग	USSR's extension of Co-operation for setting up a Pilot Project Scheme in India for testing rubber goods .	27
3207	भारत फ्रांस सहयोग	Indian collaboration with France	27
3208	गैर सरकारी उद्योगों में सेवा निवृत्त अधिकारी	Retired officials in private Industry	28
3209	मराठा के सम्वाददाता को प्रेस कार्ड जारी न किया जाना	Non issue of Press Card to Maratha Correspondent	28

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3210	प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा प्रत्यायन समिति को कथित गुमराह किया जाना	Alleged Misleading of Accreditation Committee by PIO. . . .	29
3211	सम्वाददाताओं के परिचय पत्र	Credentials of Correspondents	29
3212	ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स का आयात और देश में उनका उत्पादन	Import and Indigenous Manufacture of Graphite Electrodes . . .	29
3213	अनुसूचित जातियों के छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने हेतु छात्रवृत्तियां	Scholarships to Scheduled Caste candidates to study in Foreign Universities	30
3214	भारत रत्न और अन्य उपाधियों के बारे में भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश के विचार	Views of Former Chief Justice on Award of Bharat Ratna and other titles	30
3215	डिलिंकिंग आफ मीडिया फ्राम इंडस्ट्रीज	Delinking of Media from Industries	31
3216	चौथी योजना में धन राशि के नियतन में वृद्धि का प्रस्ताव	Proposal to raise allocations during Fourth Plan	31
3217	औद्योगिक लाइसेंसों के लिये केरल की ओर से आवेदन पत्र	Applications from Kerala for Industrial Licences.	31
3218	केरल में अखबारी कागज का कारखाना	Newsprint Factory in Kerala	32
3219	मध्य प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिये आशयपत्रों का जारी किया जाना	Issue of letter of Intent for setting up industries in M.P.	32
3220	वन्दे मातरम् का सरकारी दर्जा	Official status of Vande Matram	32
3221	उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में दुर्गजीत गांव में पुलिस पार्टी द्वारा छापा	Raid by Police Party on a Village Durgjit in Basti District, U.P. . .	33
3223	कुटीर उद्योगों में साफ्ट पेय-पदार्थोंका उत्पादन	Manufacture of Soft Drinks in Cottage Industries	33
3224	राज्यों को रोजगार सहायता के लिये धन का आवंटन	Allocation for Employment Assistance to States	33
3225	बेरोजगार इंजीनियरों और तकनीशियनों को सहायता देने के लिये केरल को नियत की गई राशि	Allocation made for Kerala to Assist Unemployed Engineers and Technicians	34
3226	विभागेतर कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by Extra Departmental Staff	35
3227	आसाम राइफल्स की एक बटालियन को इम्फाल में तैनात करना	Stationing of a Battalion of Assam Rifles in Imphal	35
3228	पांचवीं योजना में पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिये धन का नियतन	Allocation of funds for development of Hill Areas during Fifth Plan .	35

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3229	नारियल जटा उद्योग में चयनात्मक यंत्रीकरण आरम्भ करने का प्रस्ताव	Proposal to introduce Selective Mechanisation in Coir Industry. . .	36
3230	संकट ग्रस्त मिलों के अतिरिक्त कपड़ा मिलों का अधिग्रहण	Take over of Textile Mills other then Sick Mills	36
3231	पांचवीं योजना में घाटे की अर्थ-व्यवस्था	Deficit Financing during Fifth Plan	36
3232	डाक बचत बैंक के खातों में जमा राशियों का उपयोग करना	Utilisation of amount deposited with Office Savings Bank Account . .	36
3234	राजनैतिक पीड़ितों को दी जाने वाली पेंशन की राशि का पुनः निर्धारण	Re-determination of amount of Pension to political sufferers	37
3235	स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दिये जाने के लिये आवेदन पत्र	Application for grant of Pension to Freedom Fighters	37
3236	अखिल भारतीय इंडियन आक्सीजन एण्ड एसिटलीन कर्मचारी संघ, कलकत्ता से ज्ञापन	Memorandum from All India Oxygen and Acetylene Employees Federation, Calcutta	38
3237	राज्यों में प्रति व्यक्ति आय	Per Capita Income in States	38
3238	बम्बई के टेलीविजन कार्यक्रमों की लोक प्रियता का सर्वेक्षण	Assessment of popularity of Bombay T.V. Programmes	38
3239	"सर्वे शोज नो चेंज इन लाट आफ हरिजन्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार	News item captioned "Survey shows no change in lot of Harijans" . .	38
3240	गुजरात के तलाजा जिले के करमोल गांव में सवर्ण हिन्दुओं द्वारा तंग किये जाने पर हरिजन परिवारों का वहां से चले जाना	Shifting of Harijan families of Karmol village Talaja District, Gujarat due to harassment by Caste Hindus .	39
3241	हरिजनों को उनकी आय बढ़ाने के लिए ऋण	Loans to Harijans for augmentation of their income	40
3242	कलक्टर की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में अनुसूचित जाति/जन जाति समिति का गठन	Setting up of Scheduled Castes/Tribes Committee in each District under Chairmanship of Collector . .	40
3243	चालू वर्ष में हरिजनों के लिये कल्याण योजनाएं	Welfare Schemes for Harijans during current year	40

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3244	विभिन्न राज्यों में मारे गए हरिजनों और अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों की संख्या	Number of Harijans and Scheduled Tribes killed in various States . .	42
3245	वर्ष 1970-71 और 1972-73 में देशीय और विदेशीय दोनों प्रकार के अखबारी कागज की उपलब्धि तथा वितरण	Availability and distribution of News-print both indigenous and imported during 1970-71 and 1972-73 . .	42
3246	आंध्र संकट	Andhra Crisis .	42
3247	दिल्ली में ईंटों के मशीनी भट्टे में उत्पादन	Production in Mechanised Brick Plant in Delhi	43
3248	मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिये आवेदन पत्र	Applications for setting up of industries in Backward Areas of M.P. .	43
3249	बुरहानपुर नगर, मध्य प्रदेश स्थित टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता का बढ़ाया जाना	Enhancement of capacity of Telephone Exchange, Burhanpur City, M.P. .	44
3250	मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग डिवीजनों का पुनर्गठन	Reorganisation of Engineering Divisions Madhya Pradesh . . .	44
3252	राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति द्वारा पांचवीं योजना के लिये अन्तरिम प्रतिवेदन देना	Interim Report on Fifth Plan given by the National Committee on Science and Technology . . .	44
3253	देश में आन्दोलनों के दौरान पुलिस और सेना द्वारा गोली चलाये जाने के कारण मारे गये व्यक्ति	Persons killed by police and Army firings during agitations in the country	45
3254	गुना (मध्य प्रदेश) में आक्सीजन गैस के संयंत्र की स्थापना	Setting up of Oxygen Gas Plant in Guna (M.P.)	45
3255	टेलीफोन बिल	Telephone Bills	46
3256	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा दल में बिहार से भर्ती	Recruitment to CRP and B.S.F. from Bihar	46
3257	डाक तथा तार विभाग में नैमित्तिक श्रमिक	Casual Labourers with P & T Department	46
3258	पटना और गया के बीच सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन की व्यवस्था	STD between Patna and Gaya .	47
3259	बिहार से उद्योग स्थापित करने के लिये आवेदन पत्र	Application from Bihar for setting up Industries	47

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3260	इलैक्ट्रानिक्स सेल का गठन	Setting up of Electronics Cell	
3262	दिल्ली के आसपास के नगरों में रहने वाले केन्द्रीय सरकार और दिल्ली प्रशासन के कर्मचारी	Central Government and Delhi State Employees residing in Satelite Towns of Delhi	48
3263	'मैसूर फिल्म सबसिडी प्लान गोज अराई" समाचार	News Item "Mysore Film Subsidy Plan goes awry"	48
3264	लन्दन में फिल्म समारोह	Film Festival in London .	49
3265	केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में स्वाधीनता सेनानियों को रियायत	Concession to Freedom Fighters in the Employment of Central Government	49
3266	डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते की अदायगी के नियम	Rules governing payment of O.T. Allowance to P & T Department Employees	50
3267	हिमाचल प्रदेश के कोसारियन शाखा डाकघर को अन्यत्र ले जाना	Shifting of Kosarian Branch Post Office, Himachal Pradesh . .	50
3268	दूर संचार संस्थाओं का विकास	Development of Telecommunications Institutions	51
3269	प्रत्येक राज्य में औसतन क्षेत्र के लिये पब्लिक काल आफिस, कम्बाइन्ड आफिस और सब पोस्ट आफिस	State-wise average area served by P.C.O., C.O. and Sub Post Office . .	51
3271	वर्ष 1972 के दौरान भारत में विभिन्न भाषाओं में बनाई गई फिल्में	Film prepared in various languages in India during 1972 . . .	52
3272	पटना रांची सीधी डायल योजना	Patna-Ranchi Direct Dialing System	52
3273	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में विलास सामग्री की घरेलू खपत पर रोक लगाया जाना	Curbs on domestic consumption of luxury goods during Fifth Plan . .	53
3274	डाक घरों के सहायक अधीक्षकों के निवास स्थानों पर सरकारी तौर पर टेलीफोन लगाना	Official Telephone Connections at Residence of Assistant Superintendents of Post Offices	53
3275	समाचार पत्रों पर लगाई गई दस पृष्ठ की सीमा को समाप्त करना	Withdrawal of Ten Page Schedule imposed on Newspapers . .	53
3276	केरल में टेलीफोन की सुविधा वाले शहर और गांव	Kerala towns and villages with telephone facilities	54
3278	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल के पिछड़े क्षेत्रों का विकास	Development of Backward Areas of Kerala during Fifth Plan . .	55

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3279	देश के आर्थिक विकास के सम्बन्ध में केन्द्र राज्य सम्बन्ध	Centre State relations in the matters of economic development of the country	55
3280	पूर्वी अफ्रीका के देशों से आये राष्ट्रियकों को भारत सरकार के कार्यालयों में नियुक्ति के लिये आयु के सम्बन्ध में रियायत दिया जाना	Age concession to Nationals migrated from East African Countries for appointment in Government of India offices	55
3282	उड़ीसा को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का भेजा जाना	Sending of CRP to Orissa . . .	56
3283	विश्वविद्यालयों और कालेजों में अनुसंधान परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता	Financial help for Research Projects in Universities and Colleges . .	56
3284	वर्ष 1968 के हड़ताल में बर्खास्त किये गये अस्थायी कर्मचारियों को वेतन और भत्तों की बकाया राशि का भुगतान	Payment of arrears of salary and allowances to temporary employees discharged during 1968 Strike . ..	56
3285	आसाम में भाषा समस्या	Language problem in Assam .	57
3286	पश्चिम बंगाल में बन्द पड़े इंजीनियरिंग एककों को अपने नियंत्रण में लेना	Take over of closed Engineering Units in West Bengal	57
3287	बिहार सर्किल में डाक तथा तार विभाग के क्वार्टरों का निर्माण	Construction of P & T Quarters in Bihar Circle	58
3288	दिल्ली में स्वाधीनता सेनानी संघ	Freedom Fighters Associations in Delhi	58
3289	दिल्ली में टेलीफोन डायरेक्टरी का प्रकाशन	Printing of Delhi Telephone Directory	59
3290	दिल्ली के आकाशवाणी केन्द्र से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा देने वाले छात्रों के लिये परीक्षा पूर्व विषय दोहराने के पाठ का प्रसारण	Broadcast of revision lessons for students appearing in Higher Secondary Examination on Delhi Station of AIR	59
3291	आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से हिन्दी और अंग्रेजी के समाचार बुलेटिनों का प्रसारण	Hindi and English News Bulletins broadcast from Delhi Station of AIR	60
3292	जयपुर, राजस्थान में पब्लिक काल आफिस वाले डाक घर	Post Offices with PCOs in Jaipur, Rajasthan	60
3293	पादप रोगों के लिये एंटीबाइटिक्स का प्रयोग करना	Use of Antibiotics for Plant Disease	60

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3294	भीखी जिला भटिंडा, पंजाब में टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना करना	Installation of Telephone Exchange at Bhikhi, District Bhatinda Punjab	61
3295	मेसर्स यूनियन कार्बाइड द्वारा सेलों का उत्पादन	Production of Cells by M/s Union Carbide	61
3296	'टी० वी० एक्सपोजन एंगर्स फिल्म मुगल्स' (टेलीविजन पर रहस्योद्‌घाटन के कारण फिल्म जगत के बड़े बड़े व्यक्ति क्रुद्ध शीर्षक के समाचार	News item 'T.V. Exposure Angers Film Moghuls'	61
3297	दिल्ली से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भारत के सभी जिलों में उसी दिन पहुंचने सम्बन्धी योजना	Scheme for Delhi Newspapers reaching Districts all over India same day	62
3298	केन्द्रीय सरकार की कोसी, गण्डक और सोन नदी घाटी परियोजनाओं को अपने हाथ में लेने की योजना	Central Government's plan to take over Kosi, Gandak and Some River Valley Projects	62
3299	बिहार के चम्पारन जिले का विकास	Development of Champaran District of Bihar	62
3300	उद्यमकर्ताओं को उद्योगों की स्थापना के लिये प्रोत्साहित करना	Encouragement to Entrepreneurs for setting up Industries . . .	63
3301	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिये मध्य प्रदेश को दी गई धनराशि	Allocation of Funds to M.P. for Fifth Plan	64
3302	आकाशवाणी और टेलीविजन प्रसारणों में सुधार	Improvement of Radio and T.V. broadcasts	64
3303	वेस्टर्न कोर्ट क्षेत्र के लिये दोषमुक्त टेलीफोन एक्सचेंज	Defective Telephone Exchange for Western Court Area . . .	64
3304	बिहार में कुटकु परियोजना	Kutku Project in Bihar . .	65
3305	क्षेत्रीय परिषद् की बैठकों के निष्कर्ष	Results achieved at Zonal Council meetings	65
3306	रिकार्ड उद्योग में एकाधिकार	Monopoly in Record Industry . .	66
3307	बंगाल फिल्म उद्योग के बारे में अध्ययन दल	Study Team on Bengal Film Industry	66
3308	कलकत्ता के टेलीफोनों का ठीक प्रकार से कार्य न करना	Improper functioning of Calcutta Telephone	66
3309	लघु क्षेत्र को दुर्लभ कच्चा माल वितरण करने सम्बन्धी नीति का पुनर्विलोकन करने के लिये गुजरात का अनुरोध	Request of Gujarat for review of Policy regarding distribution of scarce raw materials to small scale sector	67

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3310	राज्यों में फोरेनसिक लेबोरेटरीज की स्थापना करना	Establishment of Forensic Laboratories in the States	67
3313	पूर्वी राज्यों में विदेशी शक्तियों की गतिविधियां	Activities of Foreign Forces in Eastern States	67
3314	बिना डाक सम्पर्क वाले गांव	Villages without a Postal Link .	68
3315	समाचार पत्रों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Press . .	68
3316	योजना आयोग द्वारा बुलाई गई राज्यों के मुख्य सचिवों और योजना सचिवों की बैठक	Meeting of Chief Secretaries and Planning Secretaries of States Convened by Planning Commission . .	68
3317	बिना लाइसेंस वाले रेडियो और टेलीविजन	Radio and T.V. without Licences	69
3318	औद्योगिक प्रगति	Progress of Industry .	70
3321	दुग्ध उत्पादोंके उत्पादन के लिये नए एकक	New Units for producing milk products	71
3322	भारत ओपथाल्मिक ग्लास प्राजेक्ट लिमिटेड को हुई हानि	Loss incurred by Bharat Ophthalmic Glass Project Limited . .	72
3323	भारत औपथाल्मिक ग्लास प्राजेक्ट के कर्मचारियों को आवास की सुविधायें	Accommodation facilities to employees of Bharat Ophthalmic Glass Project	73
3324	भारत औपथाल्मिक ग्लास प्रोजेक्ट की कैन्टीन	Canteen of Bharat Ophthalmic Glass Project	73
3325	भारत औपथाल्मिक ग्लास प्रोजेक्ट दुर्गापुर का कार्यक्रम	Production Programme in Bharat Opthalmic Glass Project, Durgapur	73
3326	भारत औपथाल्मिक ग्लास प्रोजेक्ट द्वारा लेंसों का निर्माण	Manufacture of Lenses by Bharat Opthalmic Glass Project . .	74
3327	विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुसंधान तथा विकास संगठन को धन का आवंटन	Allocation of Funds to Research and Development Organisations by the National Committee on Science and Technology	74
3328	मैसूर में डाक घर की सुविधा वाले गांव	Villages in Mysore with Post Office facility.	75
3329	दिल्ली का औद्योगिक विकास	Industrial Development of Delhi. .	75
3330	पिछड़े क्षेत्रों में और विशेष रूप से मध्य प्रदेश में औद्योगिक सम्पदाएं	Industrial Estates in Backward Areas and Particularly in M.P. . .	76
3331	भारतीय टेलीविजन के उद्देश्यों पर गोष्ठी	Seminar on Objectives of Indian T.V.	76

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3332	दिल्ली पुलिस सेवा में स्थानांतरण	Police Transfers in Delhi . . .	76
3333	प्रभावकारी कार्यक्रमों के सम्बन्ध में टेलीविज़न केन्द्रों को परामर्श देने के लिये विशेषज्ञों के एक दल का गठन करना	Setting up of a Team of Specialists to advise T.V. centres on effective programming	77
3334	लघु उद्योग स्थापित करने हेतु उद्यमकर्त्ताओं के लिये प्रचार साहित्य	Publicity Literature for Entrepreneurs for setting small scale industries	77
3335	टेलीविजन पर दिखाये जाने वाले मेलों और त्यौहारों का नाम	Fairs and Festivals shown on T.V.	78
336	नैमित्तिक ठेके के आधार पर नई दिल्ली में टेलीविज़न कर्मचारी	New Delhi T.V. Staff on Casual Contract Basis	78
3337	फिल्मों को प्रमाणपत्र देना	Certification of Films . . .	79
3338	फिल्म वित्त निगम की आर्थिक सहायता से बनाई बई फिल्मों को दिखाने के लिये लन्दन में केन्द्र	London Centre for Exhibition of FFC Financed Films	79
3339	राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिये चौथी योजना में रखी गई धनराशि	Fourth Plan allocations for States and Union Territories	79
3340	डाक तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण	Construction of Quarters for P & T Staff	80
3341	दिल्ली पुलिस में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के व्यक्ति	Persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Delhi Police	81
3342	वैज्ञानिकों में बेरोज़गारी	Unemployment among Scientists	82
3343	संयुक्त क्षेत्र के उद्यमों में व्यावसायिक व्यक्तियों को मुख्य अधिकारी के पद पर रखना	Proefessionals as head of Joint Sector Ventures	83
3344	टेलीफोनों के गलत बिल बनाये जाने के प्रश्न की जांच करने के लिये समिति की सदस्यता बढ़ाना	Enlarging membership of Committee to go into wrong billing of telephones	83
3345	आज़ाद हिन्द फौज के शहीदों के कब्रिस्तानों का संरक्षण	Preservation of graveyards of INA Martyrs	84
3347	नेताजी और आज़ाद हिन्द फौज सम्बन्धी फिल्म डिवीजन द्वारा बनाया नया और गुम हुआ वृत्त चित्र।	Lost Documentary Film on Netaji and INA traced by Films Division	84
3348	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्म दिवस का सरकारी तौर पर मनाया जाना	Official Celebration of Netaji Subash Chandra Bose Birthday . . .	84

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3349	साहा इंस्टीट्यूट आफ न्यूक्लीयर फिजिक्स, कलकत्ता की लाइब्रेरी का कार्यकरण	Working of the Library of Saha Institute of Nuclear Physics, Calcutta	85
3350	भारत में समाचार पत्रों की संख्या	Number of Newspapers in India	85
3351	जामनगर, गुजरात में सीधी डायल प्रणाली	Direct Dial System in Jamnagar, Gujarat	86
3352	बिहार के लिये ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाओं का आवंटन	Allotment of Village Industrial Projects to Bihar	86
3353	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रायोजित लम्बित परियोजनायें	Pending Projects Sponsored by Bihar State Industrial Development Corporation	87
3354	भारतीय प्रेस का आधुनिक न होना	Indian Press Outmoded	87
3355	पांचवीं योजना के दौरान अनुसंधान और विकास के लिये योजनायें	Plans for research and development during Fifth Plan	87
3356	विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और रूमानिया के बीच करार	Indo-Rumaniam Agreement in the field of Science and Technology	88
3357	पुराने उपकरणों के कारण देश में संचार की त्रुटिपूर्ण पद्धति	Faulty Communication System in the Country due to Out-dated Equipment	88
3358	संचार नीति बनाने का प्रस्ताव	Proposal to evolve Communication Policy	88
3359	दिल्ली पुलिस के बैन्ड के सदस्यों की पदोन्नतियां	Promotion of Delhi Police Band Members	89
3360	विदेशी सहयोग करारों के अन्तर्गत कम्पनियों द्वारा विदेश भेजा गया धन	Remittances made by Companies under Foreign Collaboration Agreements	89
3361	देश में रंगशालाओं की मांग	Demand for Theatres in the country	90
3362	रोहिणी 560 परियोजना का थुम्बा से श्रीहरिकोटा को स्थानान्तरण	Shifting of Rohini 560 Project from Thumba to Sri Harikota . .	90
3363	दिल्ली प्रशासन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों की नियुक्ति के लिये अनुदेश	Instructions for appointment of scheduled castes and scheduled tribes in Delhi Administration . . .	91
3364	लघु उद्योगों और बड़े उद्योगों को सहायता	Assistance to Small Scale, Industries and Big Industries	91
3365	कलकत्ता के एकदलिया रोड पर रह रहे परिवार के सदस्यों पर सीमा सुरक्षा बल के पुलिस कर्मचारियों द्वारा लाठी चार्ज	Lathi Charge by Police Personnel of the Border Security Force on the Members of the Family Residing at Ekdalia Road, Calcutta . . .	92

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3366	बिहारी मुस्लिमों का बड़ी संख्या में भारतीय क्षेत्र में आगमन	Influx of Bihari Muslims into Indian Territory	92
3367	विदेशी स्वामित्व वाली सिगरेट कम्पनियों द्वारा लाभ स्वदेश भेजे जाने की छूट	Moratorium on remittances of projects by foreign owned Cigarette Companies	93
3368	हजारी बाग में शीशे की बोतलें बनाने के लिये लाइसेंस देना	Issue of Licences for manufacture of Glass Bottles in Hazaribagh . .	94
3369	संयुक्त क्षेत्र के बारे में टाटा का ज्ञापन	Tata's Memorandum on Joint Sector .	95
3370	संसद् समीक्षा लिखने के लिये नये पत्रकारों का पैनल	Panel of new Journalists for Writing Sansad Samiksha	95
3371	भारतीय फिल्म कम्पनियों द्वारा विदेशों के लिये फिल्में तैयार करना	Indian Film Companies to make Films for Foreign Countries . . .	96
3372	छूतछात और साम्प्रदायिकता का उन्मूलन करने में फिल्मों का योगदान	Films to help in Education of Untouchability and Communalism . .	96
3373	फिल्म इंस्टीट्यूट पूना में प्रशिक्षित अनुसूचित जाति के व्यक्ति	Number of Scheduled Castes trained in Film Institute, Poona . . .	96
3374	इंडियन स्टैण्डर्ड वैगन्स, आसनसोल और हावड़ा की बर्न एण्ड कम्पनी सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन	Report on Committee on Indian standard Wagons at Asansol and Burn and Company of Howrah . .	96
3375	अपराम्परागत साधनों से ऊर्जा उत्पन्न करना	Exploitation of Energy from Unconventional Sources	97
3376	बिहार राज्य से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में भर्ती	Recruitment to CRP, BSF and CISF from Bihar	97
3377	पूर्णिया जिले में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज	Auto-Telephone Exchange in Purnea District	98
3378	वर्ष 1973 में पूर्णिया जिले में बचत बैंक की सुविधाओं वाले डाक घरों का खोला जाना	Post Offices with Saving Bank facilties to be opened in Purnea District in 1973	98
3379	पटना और पूर्णिया के बीच सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की प्रणाली	STD system between Patna and Purnea	98
3380	केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में अल्पसंख्यकों की नियुक्ति में होने वाले असंतुलनल को दूर करने के लिए कार्यवाही	Steps to remove imbalances in appointments of minorities in Central Government Offices . . .	98

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3381	सतना (मध्य प्रदेश) में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये अनिर्णीत पड़े आवेदन पत्र	Pending Applications for Telephone Connections in Satna (M.P.) . .	99
3282	अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के पुनरूत्थान तथा विकास के लिए विशेष योजना	Special schemes for regeneration and upliftment of Scheduled Tribes .	99
3384	थुम्बा राकेट स्टेशन से राकेट छोड़ने के परीक्षण	Rocket launching tests from Thumba Rocket Station	100
3385	डाक तार विभाग हिन्दी भाषी कर्मचारी	Hindi speaking Employees in P & T Department	100
3386	मध्य प्रदेश में डाक तार घर	P & T Offices in Madhya Pradesh	100
3387	भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में बैठने के अवसरों में वृद्धि	Increase in chances for appearing IAS Examination	103
3388	मजूरी, आय और लाभ सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति	National Policy on Wage, Income and Profit	103
3389	अगरतला में मिजो विद्रोहियों की गिरफ्तारी	Arrest of Mizo Rebels in Agartala	104
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling attention to Matter of Urgent Public Importance	
	भारतीय उर्वरक निगम द्वारा उर्वरकों की चोर बाजारी का समाचार	Reported black marketing of fertiliers by Fertiliser Corporation of India	104
	श्री अचल सिंह	Shri Achal Singh .	104
	श्री देवकान्त बरूआ	Shri D.K. Borooah	105
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	
	गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति 24वां प्रतिवेदन	Committee on Private Members' Bills and Resolutions Twenty Fourth Report	110
	सामान्य बजट, 1973-74 सामान्य चर्चा	General Budget, 1973-74-General Discussion	110
	श्री बसन्त साठे	Shri Vasant Sathe .	110
	श्रीमती वी० आर० सिंधिया ग्वालियर	Shrimati V.R. Scindia of Gwalior	111
	श्री वायालार रवि	Shri Vayalar Ravi .	112
	डा० सरदीश राय	Dr. Saradish Roy .	114
	श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh	115

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री अमरनाथ विद्यालंकार	Shri Amarnath Vidyalankar	116
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी	Shri Priya Ranjan Das Munsi	117
श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य	Shri Chapalendu Bhattacharyyia	118
श्रीमती मुकुल बनर्जी	Shrimati Mukul Banerjee	119
डा० हेनरी आस्टिन	Dr. Henry Austin .	121
श्री सतपाल कपूर	Shri Sat Pal Kapur	123
श्रीमती शीला कौल	Shrimati Sheila Kaul	124
श्री एम० एम० जोज़फ	Shri M. M. Joseph	124
श्री हरि सिंह	Shri Hari Singh	125
श्री कार्तिक उरांव	Shri Kartik Oraon .	126
श्री चन्दूलाल चन्द्राकर	Shri Chandulal Chandrakar	126
श्री परिपूर्णानन्द पैन्युली	Shri Paripoornanand Painuli .	127
श्री चन्द्र शैलानी	Shri Chandra Shailani .	127
श्री इ० वी० विखे पाटिल	Shri E. V. Vikhe Patil .	128
श्रीमती माया राय	Shrimati Maya Ray	129
श्री डी० डी० देसाई	Shri D. D. Desai . .	130
श्रीमती सहोदराबाई राय	Shrimati Sahodrabai Rai	132
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	132
श्री नागेश्वर द्विवेदी	Shri Nageshwar Dwivedi	133
श्री के० मालन्ना	Shri K. Mallana . .	133
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan	134
लेखा अनुदानों की मांगे (सामान्य) 1973-74	Demands for Grants on Account (General), 1973-74 . . .	137
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 1973 पुरःस्थापित तथा पारित।	Appropriation : (*Vote on Account*) Bill, 1973 *Introduced and Passed* . .	141

4 LSS/73—2

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 14 मार्च, 1973—23 फाल्गुन 1894 (शक)

Wednesday, March 14, 1973, — Phalguna 23, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr Speaker in the Chair

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भारत-फ्रांस अन्तरिक्ष आयोग

*321. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या अंतरिक्ष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-फ्रांस अन्तरिक्ष अनुसंधान के लिये एक संयुक्त आयोग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस आयोग के कृत्य क्या होंगे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन और सेन्टर नेशनल डी ऐचूड्स स्पेशियल्स (फ्रांस का राष्ट्रीय अंतरिक्ष अभिकरण) के प्रतिनिधियों का एक संयुक्त आयोग अप्रैल, 1972 में स्थापित किया गया था।

(ख) उपरोक्त आयोग, जिसे कार्यकारी वर्गों का सहयोग प्राप्त होगा, मिलकर काम करने का कार्यक्रम निर्धारित करेगा तथा उस कार्यक्रम के लिए उन प्राधिकरणों की अनुमति आवश्यक होगी जिनके अधीन परमाणु ऊर्जा आयोग, फ्रांस और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन काम करते हैं। यह उन मतभेदों को निबटायेगा जिन्हें निबटाने में कार्यकारी वर्ग असमर्थ रहे हों या जो उनके अधिकार-क्षेत्र से बाहर हो; और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के इंजीनियरों को फ्रांस में प्रशिक्षण देने के कार्यक्रमों की वार्षिक सूचियों का अनुमोदन करेगा।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : यह समझौता कितने वर्षों के लिए किया गया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : इसमें समय की कोई सीमा नियत नहीं है। यह सहयोग बढ़ाने के लिए है और मैं समझता हूं कि जब तक दोनों पक्ष सहयोग जारी रखने के इच्छुक होंगे तब तक यह जारी रहेगा।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : इस अनुसंधान के उद्देश्य क्या हैं और इस अनुसंधान का उपयोग क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें इस विषय पर कोई पुस्तक भेज दें।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : यह बहुत ही व्यापक प्रश्न है। संक्षेप में इसके अन्तर्गत अन्तरिक्ष अनुसंधान आता है जिसका अर्थ है कि राकेटों, प्रोपेलैन्ट्स ग्राउन्ड स्टेशन इससे संबंधित इलैक्ट्रानिक कार्य आदि का तकनीक। इनमें से कुछ के संबंध में कार्यकारी दल गठित किए गए हैं। यह क्षेत्र बहुत ही व्यापक है और इसमें बहुत समय लगेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या फ्रांसीसी अभिकरण के साथ किया गया यह समझौता भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के अमरीकी अभिकरण अर्थात् 'नासा' के साथ किये गये वर्तमान समझौते के अनुपूरक के रूप में है? यदि यह अनुपूरक रूप में है तो क्या दोनों समझौतों अथवा प्रबन्धों के अन्तर्गत अन्तरिक्ष अनुसंधान विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत किया जायेगा अथवा एक ही क्षेत्र के अन्तर्गत ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : यह समझौता किसी अन्य समझौते का प्रतिस्थापक नहीं है। भारतीय संगठन जर्मनी, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, अमरीका और सोवियत रूस जैसे विभिन्न देशों के साथ सहयोग कर रहा है। इस संबंध में विभिन्न समझौते हैं जिनमें "नासा" के साथ 1975 में 'उपग्रह निर्देशक टेलीविजन प्रयोग' संबंधी समझौता भी सम्मिलित है। वह इस समझौते के अन्तर्गत नहीं आता। परन्तु जानकारी बहुत से मामलों में एक समान है। आयोग की पहली बैठक में तथा फ्रांसीसी संगठन के अध्यक्ष की यात्रा के दौरान "लांचर्स", विशेष रूप से परीक्षण सुविधाएं राकेट तथा उपग्रहों के तकनीक, संचार की दृष्टि से उपग्रहों का उपयोग, पृथ्वी के संसाधनों, अन्तरिक्ष सर्वेक्षण और वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारियों के विनिमय के संबंध में बातचीत की गई थी।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या फ्रांस डायमंड बी० सी० उपग्रह लांचर के विकास में हमें सहायता देने के बारे में पहले दी गई वचन-बद्धता से पीछे हट गया है और यदि हां, तो फ्रांस के साथ समझौते तथा सहयोग पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है? उपग्रह छोड़ने के हमारे कार्यक्रम पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : फ्रांस द्वारा किसी भी वचन-बद्धता से पीछे हट जाने के संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। समझौते में भारत को कुछ केन्टोर राकेट बेचे जाने, केन्टौर साउंडिंग राकेटों के निर्माण के लिए तकनीकी जानकारी प्रदान करने, राकेटों के निर्माण के लिए अपेक्षित विशेष मशीनरी के निर्माण के लिए लाइसेंस देने और उसकी सप्लाई करने, तकनीकी सहायता प्रदान करने, इंजीनियरों के प्रशिक्षण तथा प्रोपेलेन्टस् के निर्माण के लिए तकनीकी जानकारी प्रदान करने की व्यवस्था है। यह व्यवस्था अहव्यवस्तुओं के चित्र लेने के लिए 'इन्फ्रा रेड स्कैनिंग केमरे, के निर्माण के अलावा है जिसके लिए भारत और फ्रांस सहयोग कर रहे हैं। मेरे पास इन विशिष्ट सहयोगों के उदाहरण हैं। वे अपेक्षित सहायक उपकरणों सहित 'केन्टोर लांचर' भी प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त इस विशेष 'लांचर' के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है।

श्री पी० आर० शेनांय : भारत सरकार ने इस परियोजना पर अब तक कुल कितना व्यय किया है ? क्या भविष्य में इस योजना पर उदारतापूर्वक व्यय करने की कोई योजना है।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मुझे पता नहीं कि हमने अब तक कुल कितना व्यय किया है। भविष्य में हम आवश्यकतानुसार व्यय करेंगे।

जैसा कि एक अन्य माननीय सदस्य ने पूछा है, डायमंड बी० सी० उपग्रह लांचर के विकास के कार्य का फ्रांस सरकार ने परित्याग कर दिया है।

श्री समर गुह : अन्तरिक्ष विज्ञान के विकास की दृष्टि से अमरीका तथा रूस सबसे अधिक विकसित देश हैं। जापान भी अब आगे बढ़ रहा है। हमें इस क्षेत्र में फ्रांस की प्रगति का कुछ भी पता नहीं है।

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि हमने रूस तथा अमरीका, दोनों देशों से सहयोग क्यों नहीं किया और अन्तरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में फ्रांस जैसे कम विकसित देश के साथ सहयोग के क्या कारण हैं?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मेरे विचार से यह प्रश्न के प्रति उचित दृष्टिकोण नहीं है। विज्ञान के कुछ आधुनिक क्षेत्रों में अनेक देशों में समानान्तर विकास हुआ है और कई देशों ने बाहरी देशों से सहायता के बिना विकास किया है। फ्रांस ने बहुत से क्षेत्रों में स्वयं ही अपनी तकनीकी जानकारी का विकास किया है। यह कहना सही नहीं है कि कोई एक देश आवश्यक रूप से दूसरे देश से कम विकसित है।

जहां तक फ्रांस से हमारे सहयोग का संबंध है यह 1963 से आरंभ हुआ है। वह प्रारंभ से ही हमारे साथ सहयोग कर रहा है और सहयोग का विकास हुआ है और यह दोनों देशों के आपसी हित में ही रहा है।

विदेशी सहयोग समझौतों का अनुमोदन

***322. श्री ठेकारिया :**

श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन गैर सरकारी फर्मों और सरकारी उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनको वर्ष 1972 में विदेशी फर्मों/सरकारों के साथ सहयोग के प्रस्तावों पर वस्तु वार, स्वीकृति दी गई थी और इन विदेशी फर्मों तथा सरकारों के नाम क्या हैं?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : सरकार द्वारा 1972 में स्वीकृत किए गए विदेशी सहयोग प्रस्तावों की संख्या 257 है। 1972 में सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए विदेशी सहयोग के मामलों का तिमाही ब्यौरा, जिसमें भारतीय पार्टी का नाम, विदेशी सहयोग-कर्त्ता का नाम, निर्माण की वस्तु तथा सहयोग में विदेशी पूंजी लगेगी या नहीं का उल्लेख किया गया है, संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

श्री नवल किशोर शर्मा : क्या मैं प्रार्थना करूं कि इस प्रश्न को किसी भावी तिथि तक स्थगित कर दिया जाये क्योंकि माननीय मंत्री का उत्तर पूर्ण नहीं है? उनका कहना है कि जानकारी संसदीय ग्रंथालय से देखी जा सकती है। यह उत्तर पूर्ण नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं आपका ध्यान उस नियम की ओर आकर्षित करूं जिसमें उल्लेख है कि ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा जिसके संबंध में जानकारी प्राप्य दस्तावेजों में उपलब्ध हो और उसको देखना हमारा कर्त्तव्य है न कि मंत्री महोदय का कर्त्तव्य है कि उसे देख कर आप को उत्तर दें।

श्री नवल किशोर शर्मा : यदि आपका यह मत है तो . . .

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा मत नहीं, यह नियम है।

श्री नवल किशोर शर्मा : यदि वह नियम है तो मुझे खेद है। मुझे नियम की जानकारी नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ग्रंथालय में जाये बिना और अध्ययन किये बिना वह प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं ?

श्री नवल किशोर शर्मा : उपलब्ध जानकारी को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष 1972 में विदेशी सहयोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। यदि यह ठीक है तो क्या मैं उसके कारण जान सकता हूं ?

औद्योगिक विभाग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : तथ्य यह है कि 1971 की तुलना में 1972 में विदेशी सहयोगों की संख्या में वृद्धि हुई है परन्तु 1960 के आंकड़ों की तुलना में विदेशी सहयोगों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई, वस्तुतः उसमें कमी ही हुई है।

इस वर्ष की वृद्धि का विशेष कारण यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था गतिशील हो रही है और विदेशी सहयोग के लिए आवेदनपत्रों की संख्या में वृद्धि हो रही है। वास्तव में, मेरे पास उपलब्ध आंकड़ों से प्रतीत होगा कि 1971 में विदेशी सहयोग के लिए केवल 456 आवेदनपत्र प्राप्त हुए जिसमें से 245 मंजूर किए गए और विचाराधीन वर्ष में 511 आवेदनपत्र प्राप्त हुए और हमने केवल 257 मंजूर किए हैं।

श्री नवल किशोर शर्मा : माननीय मंत्री द्वारा दी गई जानकारी से प्रतीत होता है कि विदेशी सहयोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया है कि इसका कारण यह है कि औद्योगिक विकास में गति आ रही है। क्या में जान सकता हूं कि किन क्षेत्रों अथवा मदों के संबंध में इसके बावजूद भी विदेशी सहयोग की अनुमति दी गई है। जबकि देश अपने ही संसाधनों से उन वस्तुओं का विकास और उनकी स्थापना कर सकता था।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : देश में जहां कहीं भी देशी प्रौद्योगिकी स्थापित हो जाती है वहां हम विदेशी सहयोग की अनुमति नहीं देते।

श्री पी० जी० मावलंकर : गत वर्ष विदेशी सहयोगों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार के साथ उन विदेशी सहयोगों की संख्या क्या है जिनके साथ हमने सहयोग किया है और उनमें से कितने अमरीकी सहयोग है। क्या यह सच है कि बंगला देश की घटनाओं और भारत और अमरीका के सम्बन्ध बिगड़ने के कारण इन अमरीकी फर्मों और एजेंसियों ने सहयोग करने से इंकार कर दिया है ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : वास्तव में 257 विदेशी सहयोगों में से 62 सहयोग अमरीका से हैं। जहां तक सहयोग से इनकार करने की बात है, हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री जगन्नाथ राव : मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तरों से हमारा ज्ञानवर्द्धन नहीं होता। भारतीय उद्योगपतियों ने किस प्रकार के उद्योगों में विदेशी सहयोग के लिये अनुरोध किया है ? क्या अपनी देशी प्रौद्योगिकी का विकास करना देश के लिए हितकर नहीं है ? मंत्री महोदय को हमें कुछ ऐसे मामले बताने चाहिए जिनमें विदेशी प्रौद्योगिकी के सहयोग की देश को अभी भी आवश्यकता है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : उदाहरणतया मुख्य रूप से मशीन निर्माण के क्षेत्र में, हम वहीं विदेशी सहयोग लेते है जहां हमने देशी प्रौद्योगिकी का विकास नहीं किया हैं। रासायनिक उद्योगों में भी हमने, अत्याधिक सहयोग प्राप्त किया है। धातुकर्म उद्योगों में भी विदेशी सहयोग से मशीनरी औजारों के लिए भी हमने विदेशी सहयोग प्राप्त किया है। हम अपनी ही वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय क्षमता का विकास करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि भविष्य में हम विदेशी सहयोग पर अपेक्षाकृत कम निर्भर रहें और देशी प्रौद्योगिकी पर अधिक निर्भर रहें जो देश में ही उपलब्ध हो जायेगी।

अन्य देशों को अपनी तकनीकी जानकारी देना

*323. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन ने यह आश्वासन दिया है कि भारत को औद्योगिक प्रौद्योगिकी क्षमता का विकास करने के कार्यक्रम में पूरा सहयोग प्रदान किया जायेगा;

(ख) क्या उक्त कार्यक्रम में हमारी औद्योगिक और तकनीकी जानकारी को अन्य विकासशील देशों को स्वीकृत शर्तों पर उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था है; और

(ग) क्या इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हम कुछ देशों को अपनी जानकारी दे सकें हैं, यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्): (क)' दिनांक 11 दिसम्बर, 1972 से 13 दिसम्बर, 1972 तक नई दिल्ली में 'प्रौद्योगिकी हस्तांतरण' पर हुई एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी के दौरान भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यू० एन० आई० डी० ओ०) के मध्य औद्योगिक प्रौद्योगिकी में सहयोग से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) जी हां।

(ग) कार्यक्रम का विस्तृत विवरण यू० एन० आई० डी० ओ० के साथ हो रहे पत्राचार के अंतर्गत हैं।

श्री राज देव सिंह : क्या मंत्री महोदय जिन कार्यक्रमों के बारे में लिखापढ़ी चल रही है, उसके संबंध में कोई संकेत दे सकते हैं ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : यह भारतीय प्रौद्योगिकी के अन्य विकासशील देशों में स्थानान्तरण के संदर्भ में है। इस संदर्भ में लिखा पढ़ी हो रही है। इस विशेष संदर्भ में यह पता लगाया जा रहा है कि उनकी रुचि किस प्रकार की प्रौद्योगिकी में है, जिससे उसी आधर पर हम एक दूसरे के देश में आ जा सकें। ताकि हम उन मुख्य बातों पर सहमत हो सके जिससे कि भारतीय प्रौद्योगिकी का भारत से अन्य विकासशील देशों में स्थानान्तरण हो सके।

Setting up of Factories in Madhya Pradesh under Public Sector

*324. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Industrial Development** औद्योगिक विकास मंत्री be pleased to state :

(a) whether Government have any schemes for setting up some factories in the Public Sector in Madhya Pradesh during 1973-74; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) (क) और (ख) मध्य प्रदेश में 1973-74 की अवधि में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में किसी भी नए औद्योगिक उपक्रम को स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

Shri G.C. Dixit : Is it a fact that on 9th August, 1972 in reply to a question the hon. Minister had stated that administration was considering the setting up of a Cement Factory

in Neemuch in Madhya Pradesh ? Will the period of 1973 and 1974 be quite enough to consider this matter ? How many more years ? will the administration take in considering this matter ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैंने कहा है कि मध्य प्रदेश में कोई नया सरकारी उपक्रम स्थापित नहीं किया जाना है। व्यावहारिक रूप में सीमेंट के कारखानों की स्थापना तो वहां पहले से ही लगे सरकारी कारखानों का विस्तार मात्र है।

Shri G.C. Dixit : Why was this expressed in reply to a question on 9th August, 1972 ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : उसकी पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है और उसे कार्यान्वित भी किया जा रहा है। प्रश्न यह है कि क्या 1973-74 में कोई नया सरकारी उपक्रम स्थापित किया जायेगा। इसका उत्तर है "नहीं"। किन्तु जिस सीमेंट कारखाने का माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे हैं उसकी मंजूरी तो पहले ही 1972 में दी जा चुकी है।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has replied that no factory will be established in 1973-74. Keeping in view the 6 backward districts of Madhya Pradesh, which you included in the list of backward districts, do the Government propose to establish any factory in these districts during the next five years Plan or has any licence been issued to any private person to establish factories there ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : इस प्रश्न का विशेषकर सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र से है और इसके लिए मैं पहले ही कह चुका हूं कि 1973-74 में मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में कोई कारखाना नहीं लगाया जायेगा। किन्तु वहां पहले से विद्यमान योजनाओं के विस्तार के बारे में पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है जिनपर कार्य आरम्भ हो चुका है और उनमें से कुछ 1973-74 में आरम्भ हो जायेगी।

श्री राम सहाय पाण्डे : मंत्री महोदय पिछड़े राज्यों के प्रति बहुत उदार हैं। मध्य प्रदेश में कोटबा उर्वरक कारखाने के लिए कोयला, कागज के लिए बांस, एलूमीनियम के लिए बाक्साइट, इस्पात के लिए लौह अयस्क जैसे असीम भण्डार हैं (अन्तर्बाधा)। प्रधान मंत्री ने हाल में बस्तर यात्रा के समय इस बारे में कुछ करने का वचन दिया था। वहां कच्चा माल निकालने की विशाल क्षमता है। राज्य में इतना कुछ होते हुए भी केन्द्रीय सरकार धन की व्यवस्था नहीं करती है। इसीलिए मैं जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े राज्य के लिए मंत्री महोदय क्या करने जा रहे हैं ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : ये सभी परियोजनाएं पूरी की जा रही हैं, जैसे भिलाई इस्पात संयंत्र के विस्तार का प्रथम और द्वितीय चरण पूरा हो रहा है। भारी बिजली-उपकरण कारखाना, भोपाल और नेपा मिल का विस्तार हो रहा है। होंसंगाबाद का नोटों का कागज बनाने का कारखाना, कोटबा एलुमिनियम, नीमच का नया अलक्लाइड कारखाना, मंघड़ सीमेंट कारखाना, कोटबा में कोयला आधारित उर्वरक कारखाना--ये सभी बन रहे हैं। अतः यदि सरकारी क्षेत्र में मध्य प्रदेश में पूंजी निवेश का अपेक्षाकृत हिसाब लगाया जाये तो यह सबसे अधिक बैठेगी।

Shri Bhagirath Bhanwar : The hon. Minister has stated that during 1973-74, there is no scheme to set up any industry in M.P. On the other hand the Chief Minister of the State Shri Sethi, has announced that Public Sector units would be set up in all backward districts a list of which has been prepared. I want to know whether the State Government has requested the Centre for funds in 1973-74. However, the undertakings just mentioned by the hon. Minister are old units and they are there for long time.

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : वस्तुतः, वर्ष 1973-74 की वार्षिक योजना, योजना आयोग के कार्यकारी दल की सलाह से तैयार की गई है और उस वार्षिक योजना में मध्य प्रदेश सरकार ने, जो भी सुझाव दिया है, वह हमने स्वीकार कर लिया है। उस विस्तृत सूची में, केन्द्रीय सरकार के अधीन सरकारी क्षेत्र के किसी नये उपक्रम की कोई योजना नहीं है।

1973-74 की वार्षिक योजना

***325. श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :**

श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने 1973-74 की वार्षिक योजना में कुछ क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है;

(ख) यदि हां, तो वे क्षेत्र कौन-कौन से हैं; और

(ग) क्या आयोग ने इस सम्बन्ध में राज्यों के मुख्य मंत्रियों से विचार-विमर्श शुरु कर दिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) जिन क्षेत्रों को उच्चतर प्राथमिकता दी गई है वे हैं—कृषि उत्पादन, सिंचाई और बिजली, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम, जल आपूर्ति और सफाई, विशेष रोजगार कार्यक्रम तथा पांचवीं योजना से संबंधित अग्रिम कार्यवाही।

(ग) योजना आयोग ने 1973-74 के राज्य योजना परिव्ययों को अंतिम रुप देने के लिए सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श किया और उसी दौरान इस पहलू पर भी विचार किया गया था।

Shri Ram Shekhar Prasad Singh: I would like to know, with your permission, Sir, that when the Planning Commission had held the discussion with the Chief Ministers and at that time may I know whether any special scheme was submitted for the development of the backward areas of Bihar and any special assistance was asked for at that time ? In addition I would like to say that the Planning Commission has not paid any attention to the Diara region, surrounded by two rivers like the other backward areas and this matter was discussed in detail a few days ago when Shri Jay Prakash Narain was also there. There is no hospital no compounder and over there is no doctor. There is no such arrangement in the Diara region from Balia to Mokameh. Even the medicines are not available there. I would like to know whether Planning Commission has even paid any attention towards this problem and what is the scheme for the development of this area ?

श्री मोहन धारिया : श्रीमान् जी, बिहार के विकास का प्रश्न प्रत्यक्ष रुप से इसके अन्तर्गत नहीं आता है, परन्तु हमने बिहार के मुख्य मंत्री के साथ इस बारे में चर्चा की है और पिछड़े क्षेत्रों के विकास का कार्यक्रम वर्ष 1973-74 की वार्षिक योजना में शामिल किया गया है। नदियों के बीच में डेल्टा प्रदेश के बारे में माननीय सदस्य के सुझाव पर हम विचार करेंगे।

श्री भागवत झा आजाद : मैं यह जनना चाहता हूं कि चूंकि वार्षिक योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई है; इसलिए 10 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन के लिए 90 करोड़ रुपये व्यय करने के बजाय

सरकार उन राज्य सरकारों की सहायता करने की स्थिति में है अथवा नहीं जो सामान्य कोटे से अधिक मात्रा में वसूली करने के लिए तैयार हैं ? यदि हां, तो किन किन राज्यों ने उक्त मांग की है और वार्षिक योजना में उक्त मांग को किस प्रकार पूरा करने का सरकार का विचार है ?

श्री मोहन धारिया : माननीय सदस्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि, जैसे राज्यों के साथ योजना आयोग इस मामले पर पहले ही परामर्श कर रहा है और उनमें से जो राज्य निर्धारित लक्ष्य से अधिक वसूली करके देने के लिए तैयार हैं, हम उनके बारे में ध्यान रखेंगे और धन की कोई बाधा नहीं आने दी जायेगी।

Shri Satpal Kapur : I would like to know from the honourable Minister whether the state government of Punjab has sent any proposal to the Planning Commission in which they have demanded additional funds for 35 crores of rupees so that they may procure one million ton more wheat ?

श्री मोहन धारिया : हम इस बारे में पंजाब सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं और हमने उन्हें यह भी बता दिया है कि अगर वे वर्तमान वसूली लक्ष्य से अधिक की वसूली करते हैं, तो हम एसे कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए उन्हें धन देने का प्रयास करेंगे।

Shri Ramavtar Shastri : The Chhota Nagpur area in Bihar is very backward and in view of the backwardness, some of the people misguide the people and give them the slogan of Jharkhand and on this issue there is strike or some time demonstrations are arranged. I would like to know whether the Planning Commission has had any discussion or is having a discussion with the state Government of Bihar for the development of this backward area ? If so, what is the details of the conclusions arrived at and how do you propose to remove the backwardness there ?

The Minister of Planning (Shri D.P. Dhar) : Sir, So far as the Chhota Nagpur and Santhal Parganas are concerned, the state government of Bihar has formulated special schemes for the development of these areas and at present we are having a discussion with the Government of Bihar so that more attention could be paid specially on these two regions so that developmental work could be completed at an early date.

श्री एन० शिवप्पा : वार्षिक योजना में दी गई प्राथमिकताओं में, क्या केन्द्रीय मंत्रियों ने पश्चिमी घाट बोर्ड अथवा हिल इम्प्रूवमेंट बोर्ड और इनमें होने वाले वित्तीय दायित्वों के बारे में राज्य सरकार के मंत्रियों से परामर्श किया था ? क्या इस पर भी विचार किया जायेगा ?

श्री मोहन धारिया : ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई।

श्री के० एस० चावड़ा : वर्ष 1972-73 की वार्षिक योजना के कारण गरीबों की गरीबी में और वृद्धि हुई है। सरकार का ऐसे कौन से उपाय करने का विचार है जिससे वर्ष 1973-74 की योजना के परिणामस्वरूप गरीब और गरीब न हों ?

श्री डी० पी० धर : पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि योजना प्रयास के परिणामस्वरूप गरीब और अधिक गरीब नहीं हुए हैं, बल्कि उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अमीर और अमीर हो गये हैं।

श्री डी० पी० धर : अमीरों के और अमीर होने का प्रश्न एक अलग मामला है। मैं तो गरीबों के और अधिक गरीब होने की चर्चा कर रहा था।

अध्यक्ष महोदय : अगर वे इससे ही खुश होते हैं, तो वैसे क्यों नहीं कहते ?

श्री दीनेन भट्टाचार्य : हमारे कहने का कोई प्रश्न नहीं; यह तो एक तथ्य है।

श्री डी० पी० धर : बहुत अच्छा, आपकी इच्छा का आदर करते हुए, मैं वह कहने के लिए तैयार हूं, जिससे माननीय सदस्य प्रसन्न हों। मगर उन्हें वह पूछना चाहिए, जो मैं बता सकता हूं। जहां तक वर्ष 1973-74 की योजना का सम्बन्ध है, समाज के निर्धन वर्गों के जीवन स्तर में सुधार करने के प्रश्न पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकारी अधिकारियों को मोटर कार खरीदने के लिए अग्रिम राशि देने के बारे में क्या कहना है ?

श्री डी० पी० धर : यह सच नहीं है।

श्री सी० एम० स्टीफन : क्या पांचवीं योजना के लिए की जाने वाली अग्रिम कार्यवाही के बारे में सरकार के पास कोई स्पष्ट विचार है और यदि हां, तो क्या वह उत्तर में उल्लिखित अन्य कार्यक्रमों को छोड़कर इस बारे में कार्यक्रमों का ब्यौरा दे सकते हैं ?

श्री मोहन धारिया : बिजली, इस्पात, उर्वरक और परिवहन देश की प्रमुख आवश्यकताएँ हैं। बिजली, इस्पात और उर्वरकों की कमी को दूर करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने और परिवहन सम्बन्धी बाधाओं को भी दूर करने के लिए भी अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। सरकार का इस बारे में बहुत स्पष्ट विचार है।

आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने संबंधी अधिनियम के अधीन निरुद्ध व्यक्तियों के लिए मार्गदर्शी नियमों के बारे में गृह मंत्रालय की राज्यों को हिदायतें

*327. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राज्यों को आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने संबंधी अधिनियम के अधीन निरुद्ध व्यक्तियों के भोजन, परिवार भत्ते और उनकी नजरबन्दी के तरीकों के संबंध में मार्गदर्शी नियमों के बारे में कोई हिदायतें दी हैं; और

(ख) उक्त अधिनियम के अधीन नजरबन्द कितने व्यक्तियों को प्रत्येक राज्य में राजनीतिक आरोपों पर बन्दी बनाया गया है और कितने व्यक्तियों को समाज-विरोधी आरोपों पर ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम को धारा 5 के अधीन सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा अनुरक्षण से सम्बन्धित अन्य विषयों के सम्बन्ध में नजरबन्दी को स्थिति को स्पष्ट करने का कार्य संबंधित सरकार का है। अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नजरबन्द व्यक्तियों के सम्बन्ध में, उपयुक्त मामलों में, अनुग्रहीत पारिवारिक भत्ते प्रदान करने पर विचार करने के लिये सभो राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था। संबंधित सरकारों द्वारा बनाये गये नियमों का सम्बन्ध जेल में नजरबन्द व्यक्ति के भोजन, अनुग्रहीत, पारिवारिक भत्ते, चिकित्सा, प्रबन्ध इत्यादि से है।

2. आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के उपबन्धों का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है यदि सक्षम प्राधिकारी किसी व्यक्ति के बारे में सन्तुष्ट हो जाता है कि अधिनियम की धारा 3(1) में निर्दिष्ट किसी प्रतिकूल तरीके से उसे रोकने की दृष्टि से ऐसे एक व्यक्ति को नजरबन्द करना आवश्यक है। राजनैतिक आधार पर किसी व्यक्ति को नजरबन्द नहीं किया जा सकता है। लोक व्यवस्था अनुरक्षण के लिये प्रतिकूल गतिविधियों को रोकने, समुदाय हेतु सम्भरण तथा आवश्यक सेवायें बनाये रखने के लिये समाज विरोधी तत्वों से निपटने की दृष्टि से नजरबन्द करने के लिये कानून के उपबन्ध पर्याप्त होंगे। ऐसे आधार पर नजरबन्द व्यक्तियों के साथ ही ज्ञात राजनैतिक सम्बन्द्धता के नजरबन्द व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में अद्यतम सूचना मालूम की जा रही है।

श्री सरोज मुखर्जी : मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि बन्दियों आदि के प्रति व्यवहार के बारे में राज्य सरकारें स्वयं विनियम बनाती हैं। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि सारे भारत में लागू निवारक नजरबन्दी कानून की तरह इन बन्दियों के प्रति व्यवहार के बारे में भी केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को अभी तक मार्गदर्शी सिद्धान्त नहीं भेजे हैं? इसको ध्यान में रखते हुये, कई राज्य सरकारें विरोधी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के साथ अलग-अलग तरह का व्यवहार कर रही हैं और उन्हें तीसरा दर्जा देती हैं और आम बन्दियों जैसा व्यवहार उनके साथ किया जाता है। अभी हाल में हमारे नेता श्री हरिकिशन सिंह सुरजीत को चण्डीगढ़ जेल में सामान्य तीसरे दर्जे में रखा गया था। इसे ध्यान में रखते हुये, मैं यह जानना चाहता हूं कि निवारक नजरबन्दी कानून की तरह ही इन बन्दियों के प्रति समान और विशेष व्यवहार करने के लिये केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धान्त न भेजने के क्या कारण हैं?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण विधेयक पर बहस के पश्चात् सबसे पहले हमने राज्य सरकारों को सदन में व्यक्त किये गये विचारों से अवगत करा दिया था और उसके बाद अधिनियम के उपबन्धों के अधीन बन्दी बनाये जाने वाले व्यक्तियों के सभी उचित मामलों में अनुग्रह अदायगी के आधार पर परिवार भत्ता देने के प्रश्न की जांच करने की बात कही थी। हमने उन्हें सदन में व्यक्त की गई भावनाओं से अवगत करा दिया है। परन्तु इस मामले में अन्तिम निर्णय उन्हें ही लेना है-- परिवार भत्ते आदि का प्रश्न--क्योंकि यह उन्हीं से सम्बन्धित हैं। इसलिये, यह बात हमने उनके ध्यान में ला दी हैं और इसे उन पर छोड़ दिया है। हम यह पते हैं कि विभिन्न राज्य सरकारों ने भिन्न-भिन्न मानदण्ड और थोड़ा भिन्न दृष्टिकोण अपनाया है। इस मामले पर उन्हें ही निर्णय करना है। इसलिये, इसे हमने उन पर ही छोड़ दिया है।

श्री सरोज मुखर्जी : मैं मन्त्री महोदय के उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हूं, क्योंकि जब पुरानी कांग्रेस सत्तारूढ़ थी, तब विरोधी पार्टी के नेताओं के प्रति जेल में विशेष प्रकार का व्यवहार किया जाता था, परन्तु जब नई कांग्रेस सत्तारूढ़ हुई तो शुरू से ही विरोधी पार्टियों के कार्यकर्त्ताओं और नेताओं को तीसरा दर्जा दिया जाता है।

दूसरे प्रश्न के बारे में उन्होंने कहा है कि केवल समाज विरोधी गतिविधियों के आरोपों पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। परन्तु हमारे राज्य में ऐसी कई घटनायें हुई हैं जिनसे पता चलता है कि मजदूर संघ कार्यकर्ताओं और किसान सभा कार्यकर्त्ताओं को मजदूरों और किसानों को संगठित करने के कारण गिरफ्तार किया जाता है और नजरबन्द किया जाता है, चोरबाजारियों और मुनाफाखोरों को नहीं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिये।

श्री सरोज मुखर्जी : मन्त्री महोदय ने पिछले सप्ताह आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम आदि के अन्तर्गत की गई गिरफ्तारियों आदि के बारे में एक विवरण पत्र सभा पटल पर रखा था। उसमें भी चोरबाजारियों और मुनाफाखोरों आदि को गिरफ्तार करने का कोई उल्लेख नहीं दिया गया है। क्या ये समाज विरोधी तत्व नहीं हैं?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : श्रीमान् जी, माननीय सदस्य ने विरोधी नेताओं के साथ एक खास किस्म का व्यवहार किये जाने की बात कही है। मैंने कई बार यह बात कही है कि राजनैतिक आधार पर किसी भी व्यक्ति को नजरबन्द करने का कोई प्रश्न ही नहीं है और राज्य सरकारें उसके साथ अलग-अलग प्रकार का व्यवहार कर रही हैं। इसलिये, सभी राज्यों के नियमों के साथ आप सामान्य मानदण्ड लागू नहीं कर सकते हैं।

दूसरा प्रश्न यह है कि जैसा कि उन्होंने कहा है कि पिछले सप्ताह मैंने नजरबन्द किये गये व्यक्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी है और इस विवरण पत्र में वह पायेंगे कि आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई और सेवाओं के बारे में धारा 3(1)(ए०)(iii) के अन्तर्गत कारणों सहित सभी कारणों के लिये लोगों को नजरबन्द किया गया है और गिरफ्तारियां की गई हैं। ऐसा उल्लेख नहीं किया जा सकता जैसा कि वह चाहते हैं, परन्तु जो किया गया है, उसके आंकड़े दिये गये हैं और आंकड़े दिये हुये हैं, जिन्हें वह देख सकते हैं।

इसके बाद उन्होंने मजदूर संघों का उल्लेख किया है। मैं फिर से निवेदन करना चाहूंगा जैसा कि मैंने बहस के दौरान भी कहा था कि राज्य सरकारों ने हमें समय-समय पर बताया है कि वे मजदूर संघों अथवा मजदूर नेताओं के विरुद्ध आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही कर रहे हैं। अगर वे मजदूर संघ नेता भी हैं, तो यह केवल संयोग ही है। (हँसी) मैं आपकी हँसी अथवा आंसुओं को नहीं रोक सकता। यह तो निर्णय करना आपका काम है। परन्तु तथ्य यह है कि अगर कोई आदमी ऐसी गतिविधि में भाग लेता है जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन वर्जित है तो राज्य सरकारें कार्यवाही कर सकती हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : 16 अगस्त, 1972 को इस सदन में एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुये उप गृह मंत्री ने बताया था कि प्रधान मंत्री ने कई राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को एक पत्र लिखकर यह सुझाव दिया था कि वे कैदी जो नक्सलपंथी हैं अथवा जिनके नक्सलपंथी होने का सन्देह है उनके प्रति मानवीय व्यवहार किया जाय ताकि उनमें सुधार किया जा सके। यह भी बताया गया था कि एक राज्य सरकार जिसनें अभी तक प्रधान मंत्री के पत्र का उत्तर नहीं दिया है वह पश्चिम बंगाल सरकार है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बाद में कोई उत्तर प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है और क्या उन्हें इस तथ्य की जानकारी है कि हजारों ऐसे बन्दी हैं जिन्हें नक्सलपन्थी समझा जाता है, परन्तु उन्हें जेलों में बड़ी ही असन्तोषजनक स्थिति में रखा जाता है और उन्हें राजनैतिक कैदी का दर्जा नहीं दिया जाता है? उनमें से केई व्यक्तियों को बिल्कुल एकान्त में रखा जाता है और कुछ को तो 24 घंटे तक एकान्त में रखा जाता है और उन्हें राजनैतिक कैदियों को उपलब्ध होने वाली अन्य सुविधायें भी नहीं दी जाती हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री की इस स्पष्ट और निश्चित सिफारिश को दृष्टि में रखते हुये क्या कार्यवाही की जा रही है कि इन नवयुवकों के साथ मानवीय व्यवहार किया जायें, न कि दण्डात्मक?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह प्रश्न प्रत्यक्षतः इससे उत्पन्न नहीं होता। आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम का अनुपालन और उसके अन्तर्गत कार्यकरण एक बड़ा प्रश्न है। परन्तु अभी तक सरकार का दृष्टिकोण यह रहा है कि नक्सलपन्थियों सहित सभी बन्दियों के प्रति मानवीय व्यवहार किया जाना

चाहिये। जहां तक जेलों में बन्द नवयुवकों का सम्बन्ध है, अगर उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की है कि वे अपने आप को बदलना चाहते हैं और सामान्य जीवन व्यतीत करना चाहते हैं और वे हिंसक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे, तो इन बातों पर राज्य सरकारों द्वारा विचार किया जाता है। मैं सिर्फ यह आशा कर सकता हूं कि राज्य सरकारें प्रधान मंत्री के पत्र पर आवश्यक कार्यवाही करेंगी। मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या क्या कार्यवाही की है। मंत्री महोदय ने पूछा है कि क्या पश्चिम बंगाल से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है। मेरे पास इस बारे में जानकारी नहीं है। जहां तक मुझे पता है, हमारे जैल मैन्युअल में राजनैतिक कैदियों की अब कोई श्रेणी नहीं है। उसे समाप्त कर दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री ज्योतिमय बसु : आपकी सरकार एक फासिष्टवादी सरकार है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : हमारे यहां राजनैतिक कैदियों की श्रेणी नहीं, इसलिये एक अजीब तर्क का सहारा लेकर वह कहते हैं कि यह सरकार फासिष्टवादी सरकार है। मेरी समझ में नहीं आता।

(व्यवधान)

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : मैं यह जानना चाहती हूं कि असम में आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के अधीन कितने व्यक्तियों को अभी भी नजरबन्द किया हुआ है और उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : 31 जनवरी, 1973 को 104 कैदी आसाम में नजरबन्द किये गये थे।

श्री एस० बी० गिरी : मंत्री महोदय ने यह कहा है कि सदन में व्यक्त किये गये विचारों से सभी राज्यों को अवगत करा दिया गया है और कार्यवाहीं करने का काम उन पर छोड़ दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रत्येक राज्य की अपनी मर्जी पर छोड़ने के बजाय सभी राज्यों की सभी जेलों के लिये राजनैतिक कैदियों के प्रति समान व्यवहार करने के लिये समान नियम और विनियम बनाने का सरकार का विचार है?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : माननीय सदस्य यह स्वीकार करेंगे कि इस मामले में राज्यों के लिये हम नियम और विनियम नहीं बना सकते हैं। यह तो राज्य सरकारों का काम है। हम तो सिर्फ उन्हें यह बता सकते हैं कि सदन ने ये विचार व्यक्त किये हैं और वे इन्हें ध्यान में रखें। उदाहरण के लिये हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश की सरकारों और चंडीगढ़ के प्रशासन ने केवल संसद सदस्यों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के लिये विशेष श्रेणी का निर्माण किया है।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : एक ही मामले के लिये कुछ राज्यों में आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है और कुछ अन्य राज्यों में दूसरे कानूनों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। एक ही राज्य के अन्तर्गत कुछ मामलों में आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है और कुछ अन्य मामलों में उसके अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जाती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि विभिन्न राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार ने क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त भेजे हैं कि इन कानूनों के अन्तर्गत एक समान कार्यवाही की जाय?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इन मामलों में मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करना बहुत कठिन है। परिस्थितियों के अनुसार यह राज्य सरकारों का काम है कि वे जिस कानून को उचित समझें उसको लागू करें। किसी कानून के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिये जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, वह सुविदित है। इसका निर्णय करना उनका काम है। (व्यवधान)

श्री समर गुह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि अनेक व्यक्ति, जिन्हें पहले चार्ज शीट दी गई थी और जिन पर अदालत में मुकदमा चलाया गया था और बाद में जिन्हें अदालत ने दोषमुक्त कर दिया था, परन्तु उसके बाद उन्हें आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत फिर गिरफ्तार कर लिया गया है? यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के अधीन कुल कितने व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया और उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो किसी भी राजनैतिक दल से सम्बद्ध नहीं हैं?

अध्यक्ष महोदय : यह काफी व्यापक प्रश्न है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : पहले प्रश्न के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री समर गुह : क्या आप इसे इकट्ठा करके भेज देंगे?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : अगर आप इसे ठीक रूप में भेजेंगे, तो मैं जानकारी दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में एक स्पष्ट प्रश्न भेजिये। **(व्यवधान)**

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : सभा पटल पर रखी गई 'ब्लू बुक' में हमने आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के बारे में आंकड़ों सम्बन्धी जानकारी दी है। अगर माननीय सदस्य उसका अध्ययन करें तो उन्हें जानकारी मिल जायेगी। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस पुस्तिका--आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम, 1971 के कार्यकरण के बारे में सांख्यिकीय जानकारी--की ओर आकर्षित करूंगा, जो विधेयक को पारित करते समय दिये गये वचन के अनुसार सभा पटल पर रखी गई थी और जिसमें 7 मई, 1971 से 30 जून, 1972 की अवधि के लिये जानकारी दी गई है। वे इसका अध्ययन कर सकते हैं। अब यह उपलब्ध है।

31 जनवरी, 1973 को पश्चिम बंगाल में यह संख्या 2,449 थी। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है मैं किसी भी व्यक्ति को अनुमति नहीं दे रहा हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे आगे की कार्यवाही नहीं करने दे रहे हैं। इसका परिणाम यह होता कि कई सदस्य रह जाते हैं।

श्री समर गुह : श्रीमान् जी, क्या वह मुझे जानकारी उपलब्ध करेंगे?

अध्यक्ष महोदय : उचित रूप में एक प्रश्न भेजिये। श्री कछवाय।

Shri Hukam Chand Kachwai: I would like to know from the Government as to how many State Governments have accepted the suggestions made by the Prime Minister in her letter sent to all the State Governments, in August, 1972 and if they have accepted them to what extent these suggestions have been implemented ?

Mr. Speaker : This question relates to general instructions.

Shri Hukam Chand Kachwai : I am asking about the humane treatment to the prisoners and which of the States have implemented the suggestions and to what extent ?

Shri K.C. Pant : The question relates to the letter written about the Naxalites and I have already told that I do not have information as to which of the States, have replied and what action has been taken by them.

श्री ज्योतिर्मय बसु : आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम एक केन्द्रीय अधिनियम है और यह स्पष्ट कहा गया है कि नजरबन्दी की तारीख के सात दिन के अन्दर-अन्दर राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार को जानकारी देनी चाहिये। मंत्री महोदय ने कहा है कि नजरबन्द व्यक्तियों की संख्या और कारण आदि के बारे में अद्यतन जानकारी को एकत्रित किया जा रहा है। श्रीमान् जी, यह एक परस्पर विरोधी बात है, क्योंकि व्यक्तियों की नजरबन्दी के सात दिन के अन्दर अन्दर केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों द्वारा सूचना देना अनिवार्य है। सभा पटल पर जानकारी देने में मंत्री महोदय क्यों हिचक रहे हैं? इस सन्दर्भ में, मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सुनिश्चित करने के लिये केन्द्रीय सरकार शीघ्र कार्यवाही करेगी कि आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के अधीन नजरबन्द किये गये उन व्यक्तियों के प्रति समान और सभ्यतापूर्ण व्यवहार किया जाये, जिनकी राजनैतिक पृष्ठभूमि रही है अथवा जो राजनैतिक कार्यकर्त्ता हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : जैसा कि गृह मंत्री ने किया था ...... **(व्यवधान)**

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : प्रश्न यह नहीं है कि सात दिन के बाद कितने आदमी नजरबन्द रहे। इसलिये, हमें राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित करनी होती है .... **(व्यवधान)**

दूसरे प्रश्न का मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं। यह प्रश्न अनेक सदस्यों ने पूछा है कि एक समानता क्यों नहीं है। मैंने बताया है कि यह राज्य सरकारों का काम है और हमने यह बात उनके ध्यान में ला दी है................ **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया, अब और प्रश्न न पूछें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान् जी, मैं कुछ कहना चाहता हूं......

अध्यक्ष महोदय : आप सबको उलझन में डाल रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं उलझन में नहीं डाल रहा हूं। यह सरकार रोजाना गलत जानकारी देती है..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया यह मत कीजिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह मौलिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वाधीनता का प्रश्न है.....

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। आप न्यायालय में जा सकते हैं।

Financial Assistance to extremists by China

*328. **Shri M.C. Daga :**
Shri Prasannbhai Mehta :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news published in the daily "Hindustan" dated the 8th February, 1973 under the caption "Cheen Dwara Ugrapanthiyon Ko Punah Arthik Madad" (Financial assistance to the extremists by China again); and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K.C. Pant) : (a) Yes, Sir.

(b) Utmost vigilance is being maintained in regard to all aspects of extremist activities, including their clandestine foreign links. State Governments are taking all possible steps to counter such activities.

Shri M.C. Daga : Mr. Speaker, Sir, My question has not been replied properly. I would like to know from the honourable Minister as to from which medium or source the extremists, who believe in Maoism and want to come in power through gun barrel, are getting the financial assistance and in which areas they are getting it ? The honourable Minister may please reply to this point.

Shri K.C. Pant : Mr. Speaker, Sir, The honourable Member had asked whether Government's attention has been invited to the news published in the newspapers and if so, reaction of the Government thereto? To this I have replied clearly. Now the detailed information regarding the sources from which the Naxalites get the financial assistance could not be stated here. The money has been sent here and the literature has also been seized and vigilance is also being maintained on the Nepal border—all these things have already been stated before the house :

Shri M.C. Daga : The honourable Minister has not replied regarding the areas and the political parties.

Shri K.C. Pant : So, far as Naxalites are concerned as you know, they are active in Bengal and they have also been found active in some small pockets of other States also. (*Interruptions*). Mr. Speaker, Sir, To furnish the answers to these questions, it would be easier to reply when foreign money bill is passed. Every body would have to submit a return and we would be able to furnish all the details then.

श्री पी० एम० मेहता : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि अभी हाल में कई बार नेपाल के उग्रपंथी नेताओं ने पूर्वी भारत के उग्रपंथियों से भेंट करने के लिये यात्राएं की थीं और भारतीय उग्रपंथी नेताओं ने माओवादी आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिये और क्रान्तिकारी साहित्य देने के लिये बंगला देश की गुप्त यात्रायें की थीं ? यदि हां, तो इन गतिविधियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : हमें नेपाल और भारत के उग्रपंथियों के आपसी सम्बन्धों और भारत के पूर्वी क्षेत्र के उग्रपंथियों के साथ उनके सम्बन्धों की जानकारी है। भारत नेपाल सीमा पर और अन्य स्थानों पर सतर्कता में वृद्धि कर दी गई है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Committee on Community Development and Development of Panchayati Raj during Fifth Plan

*326. **Shri Shrikrishna Agarwal :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether the Committee constituted for community development and the development of Panchayati Raj in Fifth Five Year Plan has given its recommendations;

(b) if so, the main recommendations of the Committee; and

(c) whether the recommendations have been approved ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) Yes Sir. A Working Group constituted for the purpose has given its report.

(b) and (c). A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

The main recommendations of the Working Group for formulation of the Fifth Five Year Plan on Community Development and Panchayati Raj are :—

(i) Community Development agency and Panchayati Raj institutions should be effectively involved in the integrated rural development which should include besides crop production, all the allied activities and for this purpose they should be re-oriented and strengthened;

(ii) The Community Development and Panchayati Raj institutions should be galvanised to become instruments of social and economic changes, They should have, therefore, adequate creditability and viability if they are to play their role effectively as instruments of change and raise among the rural people the desire for a better living;

(iii) In the interest of integrated rural development, the National Plan should be broken into locational plan and there should be district planning cell in each district with sufficient supporting staff;

(iv) It is desirable that panchayats are entrusted with the implementation of the Minimum Needs Programme. For this purpose, required measures may be taken for mobilisation and augmentation of the resources of these bodies;

(v) The Working Group has recommended an outlay of Rs. 165.9 crores. Its break-up is as follows :—

	(Rs. in crores)
State Sector	81.6
Central Sector	13.7
Centrally-Sponsored Sector	70.6
Total	165.9

The Report of the Working Group is under consideration of the Planning Commission. Since Community Development has primarily to figure in the State Plan sector, the final decision on the operative part of the Report concerning outlays for the Fifth Five Year Plan will emerge only after State Plan proposals are received.

आन्ध्र प्रदेश से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का हटाया जाना

*329. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पृथकतावादी नेताओं से बातचीत के दौरान सरकार ने आन्ध्र प्रदेश से तुरन्त ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस हटाना स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा निर्णय लेने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा अन्य सशस्त्र बल केवल शान्ति बनाये रखने और हिंसक गतिविधियों को रोकने के लिये तैनात किये गये हैं। राज्य के किसी भाग में जब स्थिति सामान्य होती जाती है और उनकी तैनाती की वहां कोई आवश्यकता नहीं होती है तो उन्हें वहां से हटा लिया जाता है।

मैसर्स यूनियन कार्बाइड द्वारा निर्मित वस्तुएं

*330. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स यूनियन कार्बाईड द्वारा कौन कौन सी वस्तुयें बनाई जाती हैं;

(ख) उसके द्वारा काम में लाया जाने वाला कच्चा माल देसी है या आयात किया जाता है ; और

(ग) यदि वह माल आयातित है, तो वह किस देश से आयात किया जाता है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) कम्पनी निम्नलिखित वस्तुओं का उत्पादन कर रही है ड्राईबैटरियों, फ्लैशलाइटकेश, आर्क-कार्बनों, मिडगेट इलेक्ट्रोड, कार्बन इलेक्ट्रोड और ढांचे इलेक्ट्रिकलिटिक मैंगेनीज डाई-आक्साइड, फंटी इन्ग्रेवर प्लेटो, जस्ते की पट्टियों, स्टेलाईट हार्ड फेंसिग राडों, टयूबों, राडों और कास्टिगो केमिकल और प्लास्टिक तथा एसिटिलोन को रंगने के द्रवों कृषि उत्पादों जैसे छत्रकनाशक पदार्थों, कीटनाशक, हर्वीसाइड, मिटीसाइड नेमाटोसाइड आदि।

(ख) कम्पनी द्वारा प्रयोग किया जा रहा कच्चा माल कुछ देशी तथा कुछ आयातित होता है।

(ग) इन वस्तुओं का संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी जापान, लंका तथा कैनाडा से आयात किया जाता है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी स्टोरों में काम करने वाले कर्मचारी

*331. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति, नई दिल्ली द्वारा अपने विभिन्न स्टोरों और कार्यालय को चलाने के लिये कुल कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं ;

(ख) क्या इस समिति ने कर्मचारियों के लिये कोई वेतनमान निर्धारित नहीं किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) समिति द्वारा नियुक्त किये गये कर्मचारियों की कुल संख्या 252 है।

(ख) जी नहीं श्रीमान्। समिति के सभी पदों के लिये वेतनमान रखे गये हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Setting up of Industries in Bihar in Public Sector

*332. **Shri Ishwar Chaudhry :** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whethei Government propose to set up new factories in the public sector in *Bihar* during 1973-74; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : (a) and (b) There is no proposal to set up any new Industrial Undertaking in the Central Public Sector in Bihar during 1973-74.

कोटा, राजस्थान में परमाणु बिजलीघर में बिजली का उत्पादन

*333. **श्री एम० वी० कृष्णप्पा :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा (राजस्थान) में परमाणु बिजली घर में बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समय वहां कितनी बिजली का उत्पादन होता है और भविष्य में उत्पादन से कितनी वृद्धि होने की आशा है तथा इसके परिणामस्वरूप कितना क्षेत्र लाभान्वित होगा?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा, मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) राजस्थान परमाणु बिजलीघर का पहला यूनिट 30 नवम्बर, 1972 को ग्रिड से जोड़ दिया गया था तथा तब से यह यूनिट रुक रुक कर 40 मैगावाट के उत्पादन स्तर पर बिजली पैदा कर रहा है। इस यूनिट की बिजली पैदा करने की क्षमता को धीरे-धीरे और अधिक बढ़ाने की योजना है तथा अप्रैल मास में इसकी उत्पादन-क्षमता 90 मैगावाट रखी जायेगी। इसके बाद, उत्पादन-क्षमता को पुन: धीरे-धीरे बढ़ाया जायेगा जिसके परिणामस्वरूप सन् 1973 के मध्य तक यूनिट 200 मैगावाट की पूरी क्षमता प्राप्त कर लेगा। इस यूनिट में पैदा होने वाली बिजली, उत्तरी क्षेत्रीय प्रणाली में उपयोग के लिये राजस्थान ग्रिड को सप्लाई की जायेगी।

Staff Manning Mail Vans between Kota and Agra

*334. **Shri Onkar Lal Berwa ;** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether employees belonging to Agra only are kept in Agra-Kota Mail Van; and

(b) if so, the reasons for not retaining Kota staff, when the Mail Van was introduced from Kota to Agra ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) No RMS Section is working between Agra-Kota and as such the question of employees belonging to Agra being kept in Agra-Kota mail van does not arise.

(b) The question does not arise.

टेलीविजन पर फीचर फिल्म दिखाना

***335. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार टेलीविजन के माध्यम से दिखाये जाने वाली फीचर फिल्मों की संख्या कम करने अथवा उनका प्रदर्शन पूर्णत: समाप्त करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) सरकार के सम्मुख ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

योजनाओं के क्रियान्वायन में उत्तरदायित्व की प्रणाली

***336. श्री बी० वी० नायक :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजनाओं के क्रियान्वयन में आयोजकों के प्रति उत्तरदायित्व के सिद्धान्तों को लागू करने के लिये कोई प्रणाली निश्चित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली की और इसके कार्यकरण की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया:) : (क) योजना आयोग के प्रति उत्तरदायित्व की कोई प्रणाली निश्चित नहीं की गई है क्योंकि कार्यान्वियन की सारी जिम्मेदारी मंत्रालयों और राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की है। बहरहाल, चुनी हुई परियोजनाओं, कार्यक्रमों और स्कीमों के कार्यान्वियन पर निगरानी रखने के लिये योजना आयोग कार्यवाही कर रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों में लघु तथा मध्यम दर्जे के उद्योगों के विकास के लिए योजना

337 **डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने आगामी वर्ष के दौरान राज्य में विशेष कर पिछड़े क्षेत्रों में, लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों के विकास के लिये कोई योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की रूपरेखा क्या है और उस राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में इस योजना के अन्तर्गत औद्योगीकरण के लिये क्या क्या प्रोत्साहन दिये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) आगामी वर्ष के लिये राजस्थान सरकार से लघु और मझोले उद्योगों के विकास के लिये कोई विशेष योजना नहीं प्राप्त हुई है।

किन्तु चुने हुये पिछड़े जिलों में लगाया जाने वाला हर नया उपक्रम राज्य सरकार के अपने प्रोत्साहनों के अतिरिक्त केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं से रियायती दर पर वित्त तथा सरकार से 10% सहायता पाने का हकदार होगा।

News Broadcast in Sanskrit Language over A.I.R.

*338. **Shri B.S. Chowhan :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether news is broadcast over All India Radio in all prominent regional languages; and

(b) if so, the reasons for not broadcasting the news in Sanskrit the root of several Indian languages ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri I. K. Gujral): (a) Yes, Sir.

(b) It has not been found feasible to introduce a news bulletin in Sanskrit owing to limited transmitter facilities and also because the need for a daily news bulletin in Sanskrit has not been established as a communicational necessity. A fortnightly news review in Sanskrit is, however, being broadcast from Bombay, Indore, Poona, Patna and Ranchi.

अत्यावश्यक क्षेत्र (कोर सेक्टर) के उद्योगों द्वारा गैर आवश्यक वस्तुओं का निर्माण

339. **श्री हरकिशोर सिंह :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्यावश्यक क्षेत्र (कोर सेक्टर) के बहुत से उद्योगों ने गैर आवश्यक वस्तुओं का निर्माण आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कौन कौन से उद्योग ने कौन कौन सी गैर आवश्यक वस्तुओं का निर्माण आरम्भ किया है ; और

(ग) इसको बन्द करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

फरवरी, 1970 में संशोधित लाइसेंस नीति की घोषणा करने के पश्चात् सरकार ने उन स्थितियों की भी घोषणा की है जिनमें लाइसेंस प्राप्त किये बिना नई वस्तुओं का उत्पादन करके उत्पादन में विविधता लाई जा सकेगी। जिन उपक्रमों को लाइसेंस प्राप्त किये बिना अपने उत्पादन में विविधता लाने की अनुमति नहीं दी गई थी उनमें प्रमुख उद्योगों में लगे उपक्रम 5 करोड़ रु० से अधिक निर्धारित आस्तियों के उपक्रम बड़े औद्योगिक गृहों के उपक्रम तथा विदेशी साथ आते हैं। जिन कम्पनियों ने पहले लागू छूट के उपबन्धों के अन्तर्गत अपने उत्पादन में विविधता लाई होगी उन्हें भी कार्य चालू रखने के लिये लाइसेंस लेने की आवश्यकता है। इसके अलावा बड़े औद्योगिक गृहों से सम्बन्ध उपक्रमों तथा विदेशी कम्पनियों से आशा की गई थी कि वे प्रमुख तथा अधिक विनियोजन वाले क्षेत्रों में भाग लेंगी तथा अन्य क्षेत्रों में अन्य श्रेणियों के उद्यमियों के लिये अवसर मिलेगा।

फरवरी, 1973 में घोषित लाइसेंस नीति में किये गये परिवर्तनों में सरकार ने ऐसे उद्योगों की एक समेकित सूची तैयार की है जिसमें जो बड़े औद्योगिक गृहों (20 करोड़ से अधिक आस्तियों वाले) तथा विदेशी कम्पनियों में साझेदारी की जा सकती है। उन वर्गों के उपक्रमों का समेकित सूची से बाहर के उद्योग में भाग लेने की अनुमति केवल उन्हीं मामलों में होगी जहां उत्पादन प्रमुख रूप से निर्यात

के लिये किया जा रहा हो। इन उपक्रमों तथा एम० आर० टी० पी० अधिनियम की धारा 20 ख के अन्तर्गत आने वाले प्रमुख उपक्रमों तथा 5 करोड़ रु० से अधिक आस्तियों वाले उपक्रमों को बिना लाइसेंस प्राप्त किये अपने उत्पादन में विविधता लाने की अनुमति नहीं होगी। सरकार की जानकारी में औद्योगिक उपक्रमों द्वारा गैर जरुरी वस्तुओं के निर्माण में विविधता लाने की प्रवृति का कोई भी मामला नहीं आया है।

वर्ष 1972 में डाकघरों, संयुक्त (कम्बाइन्ड) कार्यालयों और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों का दर्जा कम किया जाना

*340. **श्री नारायणचन्द पाराशर :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां के डाकघरों, संयुक्त (कम्बाइन्ड) कार्यालयों अथवा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों, को, सर्किलवार, वर्ष 1972 में बन्द कर दिया गया था अथवा जिनका दर्जा कम कर दिया गया था; और

(ख) इसके कारण क्या हैं?

(संचार मंत्री श्री हेमवती नंदन बहूगुणा) : (क) और (ख) दो विवरण (क) और (ख) सभा-पटल पर रखे जाते हैं। [ग्रंथालय में रखे गये (**देखिए** संख्या एल० टी० 4490/73)

बम्बई दैनिक समाचार-पत्र का प्रेस कार्ड बन्द किया जाना

3190. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1972 या उसके आस-पास उनके मंत्रालय अथवा अन्य सुरक्षा संगठनों ने प्रेस सूचना व्यूरो को बम्बई के एक दैनिक पत्र के दिल्ली संवाददाता का प्रेस कार्ड बन्द करने की सलाह दी थी; और

(ख) क्या उनके मंत्रालय को ऐसी शिकायत मिली है और यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) जैसा कि 13 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4281 के उत्तर में पहले ही कहा गया था, पत्र सूचना कार्यालय के प्रमुख को "मराठा", बम्बई के दिल्ली संवाददाता श्री दीपक बी० आर० चौधरी, के अव्यावसायिक आचरण के बारे में शिकायत मिली थी तथा उनका प्रत्यायन केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति की सिफारिश पर वापिस लिया गया था।

दिल्ली में दूतावासों के बाहर गार्डों की नियुक्ति

3191. **श्री विश्वनाथ झुझंनवाला :**

श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में कुछ विदेशी दूतावासों को हाल ही में अतिरिक्त सशस्त्र गार्ड दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन दूतावासों के नाम क्या हैं?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सुरक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एहतियाती कदम उठाये गये हैं। उन दूतावासों के नामों का उल्लेख करना लोक हित में नहीं होगा जिनमें गार्डस की व्यवस्था की गई है।

सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सही प्रतिनिधित्व के लिए अलग सैल की स्थापना के लिए राज्यों को निदेश

3192. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सही प्रतिनिधित्व के लिए अलग सैल की स्थापना के लिए सरकार ने राज्यों को निदेश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो जारी किए गए अनुदेशों का सार क्या है?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) संविधान के अनुच्छेद 16(4) तथा 12 के साथ पठित अनुच्छेद 335 के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य सरकारों के अधीन सेवाओं में आरक्षणों की व्यवस्था करना तत्सम्बन्धी राज्य सरकारों का विषय है। इसलिए, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में कोई अनुदेश जारी नहीं किये जा सकते। तथापि, केन्द्रीय सरकार द्वारा मंत्रालयों/विभागों को अप्रैल 1969 में जारी किए गए अनुदेशों के अधीन, उन्हें कहा गया है कि वे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में आरक्षण के आदेशों के पूर्ण अनुपालन को सुनिश्चित करने में सम्पर्क अधिकारी को अपने कर्त्तव्य का पालन करने में सहायता देने के लिए एक अलग सैल की स्थापना करें। इन अनुदेशों तथा अन्य अनुदेशों को जिन्हें केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षणों से सम्बन्धित विवरणिका में समाविष्ट किया गया है, सभी राज्य सरकारों के भी ध्यान में लाया गया है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में किये गए विभिन्न उपायों तथा दी गई रियायतों का सार विशेष रूप से सभी राज्य सरकारों के ध्यान में इस अनुरोध के साथ लाया गया है कि वे अपने द्वारा किए गए उपायों/रियायतों की समीक्षा करें और यदि वे केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के रोजगार के सम्बन्ध में किये गये उपायों से उन्हें कम समझें तो यथा-आवश्यक उपचारी कार्रवाई करें।

त्रिवेन्द्रम की औद्योगिक परीक्षण तथा अनुसंधान प्रयोगशाला का पुनर्गठन

3193. **श्री वयालार राव** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेंद्रम की औद्योगिक परीक्षण तथा अनुसंध.न प्रयोगशाला के पुनर्गठन के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) इस कार्यक्रम के लिए संयुक्त राष्ट्र विशेष से फंड से सहायता प्राप्त करने में कितनी प्रगति हुई है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्): (क) और (ख) केरल सरकार की योजना उनके औद्योगिक परीक्षण और अनुसंधान प्रयोगशाला के पुनर्गठन के लिए एक सं० रा० वि० का० परियोजना के रूप में अन्य मंत्रालय और विभागों के अनेक प्रायोजनाओं के साथ सं० रा० वि० का० सहायता के लिये अर्थ विभाग में प्रस्तुत की गई थी। दुर्भाग्य से यह सं० रा० वि० का० के देश-कार्यक्रम में, जिसका निर्माण हो चुका है, स्थान नहीं प्राप्त कर सकी।

सरकार यह निर्धारण कर रही है कि प्रायोजना के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा, लगभग 2,50,000 डालर को किस तरह उत्तम रूप से प्रदान किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में यह केरल सरकार से विचार-विमर्श कर रही है।

फिल्म उद्योग के साथ अन्य उद्योगों जैसा व्यवहार

3195. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 जनवरी, 1973 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में छपे अखिल भारतीय फिल्म निर्माता परिषद् और दक्षिण भारत चलचित्र स्टूडियो एसोसिएशन के अध्यक्ष के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिससे फिल्म उद्योग के साथ अन्य उद्योगों जैसा व्यवहार करने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) जी, हां।

(ख) समूचा मामला विचाराधीन है।

Deportation of Pakistani Nationals from Tripura State

3196. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Pakistani nationals out of the underground 1295 Pakistani nationals in Tripura, who were traced out upto 31st March, 1972 and the number of those out of them who have been deported during this period; and

(b) the number of the underground Pakistani nationals district-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) and **(b)** The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को दी जा रही सुविधाओं को बंद करने के बारे में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अध्यक्ष का वक्तव्य

3197. **श्री अम्बेश** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 जनवरी, 1973 के "आर्गनाइजर" में छपे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अध्यक्ष श्री गोलवलकर के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को दी जा रही सुविधाओं को इस आधार पर बन्द कर दिया जाये क्योंकि उनकी स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) वक्तव्य में समाहित विचारों के साथ सरकार सहमत नहीं है।

कानपुर (उत्तर प्रदेश) के पुखरिया जिले की पुलिस की हिरासत में एक हरिजन लड़के की मृत्यु के बारे में रिपोर्ट

3198. **श्री अम्बेश** : क्या गृह मंत्री कानपुर (उत्तर प्रदेश) के पुखरिया जिले में पुलिस की हिरासत में एक हरिजन लड़के की मृत्यु के बारे में 22 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या

1378 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मामले की जांच में कितनी प्रगति हुई है?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) उत्तर प्रदेश सरकार नें सूचित किया है कि मजिस्ट्रेट की जांच पूरी हो गई है और जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। राज्य ग्रासूचना विभाग द्वारा की जा रही जांच अभी प्रगति पर है।

गैस-ग्राक्सीजन के उत्पादन पर प्रतिबन्ध

3199. **श्री सी० के० जाफरशरीफ :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा इंडियन ग्राक्सीजन पर गैस-ग्राक्सीजन के अतिरिक्त उत्पादन पर लगाये प्रतिबन्धों से अन्य एककों को इस स्थिति से लाभ उठाने का अवसर मिल गया है जिस कारण गैस-ग्राक्सीजन के मूल्य बढ़ गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि ग्लास एम्पुल्स की भारी कमी से टीकों द्वारा लगाई जाने वाली जीवन बचाओ औषधियों के उत्पादन को धक्का पहुंचा है और इसका लगभग अकाल पड़ जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : (क) सरकार ने वह सीमा जिस तक औद्योगिक उपक्रम लाइसेंस प्राप्त वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा सकते हैं और वह स्थिति जिसके अधीन उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है समय समय पर घोषित की है । केवल इसी प्रकार के नीति सम्बन्धी विनियमन मै० इण्डियन ग्राक्सीजन पर भी लागू होते हैं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

चौथी योजना के दौरान मध्य प्रदेश के लिए नियत धनराशि में वृद्धि

3200. **श्री रणबहादुर सिंह :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के लिए कितनी धनराशि का नियतन किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश राज्य के लिए नियत धनराशि में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो उन विशिष्ट क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिनके लिए नियत धनराशि में वृद्धि करने का विचार है?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) मध्य प्रदेश की चौथी योजना का स्वीकृत परिव्यय 393 करोड़ रु० है जिसमें केन्द्रीय सहायता 262 करोड़ रुपए और राज्य के संसाधनों से प्राप्त 131 करोड़ रुपए शामिल हैं।

(ख) चौथी योजना के प्रथम चार वर्षों, 1969–73 का कुल अनुमानित व्यय 343.93 करोड़ रु० है। योजना आयोग ने 1973-74 की वार्षिक योजना के लिए 145.72 करोड़ रु० की स्वीकृति प्रदान की है। अतः चौथी योजना का कुल परिव्यय अनुमानतः 489.65 करोड़ रु० होगा।

(ग) चौथी योजना के स्वीकृत परिव्यय और अनुमानित व्यय का एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। **[ग्रंथालय में रखा गया। (देखिए संख्या एल० टी० 4491/73)]।**

दिल्ली में टेलीफोन केन्द्र की महिला कर्मचारियों में ड्यूटी के समय अनुपस्थित रहने की प्रवृति

3201. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में टेलीफोन केन्द्र की महिला कर्मचारियों में ड्यूटी के समय अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख) आपरेटरों की अनुपस्थिति के कारण जब कभी आवश्यकता पड़ती है, आपरेटरों की कमी को पूरा करने के लिए अंशकालिक टेलीफोन आपरेटर भर्ती करने की इजाज़त दी गई है। अनुपस्थिति की रोक-थाम के लिए प्रशासन ने भी कदम उठाए हैं। इनमें छुट्टी की मंजूरी आदि करने पर कड़ी रोक लगाना भी शामिल है।

दिल्ली में ट्रैफिक पुलिसमैनों की भर्ती

3202. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में गत दो वर्षों में सड़क पर चलने वाली मोटर गाड़ियों की संख्या दुगुनी हो गई है और इसके अनुसार ट्रैफिक पुलिसमैनों की भर्ती नहीं की गई है; और

(ख) क्या सरकार का विचार पुलिस के कर्मचारियों तथा उनके आवास के सम्बन्ध में तथा राजधानी में अपराध की स्थिति के बारे में एक त्रिवर्षीय पुनर्विलोकन करने का है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) गत दो वर्षों में राजधानी में सड़क पर चलने वाली मोटर गाड़ियों की संख्या में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ट्रैफिक पुलिस समेत दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों का एक त्रैवार्षिक पुनरीक्षण किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस समेत दिल्ली पुलिस को आवास प्रदान करने के लिये गृह निर्माण का शीघ्रगामी कार्यक्रम प्रगति पर है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के मुख्यालय में कार्य कर रहे कार्मिक विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के कर्मचारी

3203. **श्री उमेदसिंह राठिये** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के कितने कर्मचारी इस समय केन्द्रीय जांच ब्यूरो के मुख्यालय में कार्य कर रहे हैं तथा उनमें से कितने कर्मचारियों ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो में तीन वर्ष से अधिक की अवधि पूरी कर ली है;

(ख) क्या उनमें से कई कर्मचारियों ने अपने मूल कार्यालय में जाने की इच्छा प्रकट की है परन्तु उनके वापिस जाने पर रोक लगा दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जहां तक केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, केन्द्रीय जांच ब्यूरो का मुख्य कार्यालय गृह मंत्रालय के संवर्ग की इकाईयों में से एक है। संवर्ग की विभिन्न इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों का अन्य कोई मूल कार्यालय नहीं है। वे एक इकाई से दूसरी इकाई में स्थानांतरित किये जा सकते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रमांक	पद	इस समय काम कर रहे व्यक्तियों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने केन्द्रीय जांच ब्यूरो में तीन वर्ष से अधिक पूरे कर लिये हैं	अन्य
1	2	3	4	5
1.	अनुभाग अधिकारी	7	6	
2.	कनिष्ठ विश्लेषक	1	1	
3.	सहायक	21	21	
4.	उच्च श्रेणी लिपिक	30	14	
5.	अवर श्रेणी लिपिक	47	18	
6.	आशुलिपिक ग्रेड I	4	1	
7.	आशुलिपिक ग्रेड II	21	18	
8.	आशुलिपिक ग्रेड III	15	2	
		146	81	

केन्द्रीय जांच ब्यूरों में पदों को केन्द्रीय सचिवालीय सेवा संवर्गों से पृथक रखना

3204. **श्री उमेदसिंह राठियां :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय जांच ब्यूरो में पदों को केन्द्रीय सचिवालीय सेवा संवर्गों से पृथक रखने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) सन्थानम कमेटी की सिफारिशों के अनुसरण में, केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कुछ अनुसचिवीय पदों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्गों से पृथक रखा गया है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरों में नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्गों के सदस्यों के लिए अवधि

3205. **श्री उमेदसिंह राठिया :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो में नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्गों के सदस्यों के लिए कोई अवधि नियत की गई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी अवधि नियत की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री श्री एफ० एच० मोहसिन : (क) जी नहीं, श्रीमन्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

U.S.S.R.'s Extension of Co-operation for setting up a Pilot Project Schemes in India for Testing rubber goods

3206. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Science & Technology** be pleased to state :

(a) whether Soviet Russia has decided to extend co-operation in setting up a pilo t project in India for testing rubber goods;

(b) the broad outlines of the project; and

(c) whether any Indian study team was deputed to Soviet Russia for studying the project ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : (a) to (c). Testing rubber products under tropical conditions is one of the items included in the programme of mutual co-operation under the Indo-Soviet Agreement in Applied Science & Technology which was signed in Oct., 1972. The details of co-operation in this area would be discussed between the Soviet and Indian experts during the year 1973-74. So far no date has yet been fixed for discussions.

भारत-फ्रांस सहयोग

3207. **श्री के० लकप्पा :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और फ्रांस के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग सम्बन्धी कोई करार है;

(ख) क्या दोनों देशों के बीच नई दिल्ली में हाल में हुई बातचीत में इस बारे में निर्णय किया गया है कि किन क्षेत्रों में सहयोग किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सीमुब्रह्मण्यम्) : (क) जी हां।

(ख) भारत और फ्रांस के बीच पिछली द्विपक्षीय वार्षिक वार्ता नई दिल्ली में दिनांक 5 और 6 दिसम्बर, 1962 को हुई जिसमें सांस्कृतिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक सहयोग और घनिष्ट करने के लिए विचार विमर्श किया गया। वार्ता के फलस्वरूप भारत और फ्रांस के बीच सहयोग के लिए कतिपय क्षेत्रों का निरुपण किया गया जैसे परमाणु-ऊर्जा, अन्तरिक्ष, पेट्रो-केमिकल, इलेक्ट्रानिक एवं समुद्र-विज्ञान, किन्तु और विचार के लिए इन्हें तकनीकी मंत्रालयों के पास भेज दिया गया। भारत और फ्रांस के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के भावी कार्यक्रम पर पूरी तरह से विचार करने के लिए एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक प्रतिनिधि-मण्डल ने दिनांक 21 दिसम्बर, 1972 से 4 जनवरी, 1973 तक विशेष रूप से भारत की यात्रा की।

(ग) प्रतिनिधि-मण्डल की यात्रा के बाद एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया जिसमें इस प्रकार के सहयोग की मुख्य बातों का जिक्र किया गया। दिनांक 21 फरवरी, 1973 को अतारांकित प्रश्न संख्या 234 के उत्तर में संयुक्त वक्तव्य की एक प्रति सदन के सभा पटल पर रख दी गई थी।

Retired Officials in Private Industry

3208. **Shri Panna Lal Barupal :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the number of high officials retired from the Central Government service and working in private industries receiving assistance from the Central Government; and

(b) whether before relieving any employee from service along with payment of gratuity and pension, Government propose to attach a restriction that no Government officer shall offer his services to the industries in the private sector after retirement ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) Under the rules, retired Class I officers of the central Government can take up commercial employment within two years of their retirement with permission of the Government. No such permission is necessary if the commercial employment is taken up after two years from the date of retirement. This rule applies to all commercial employment irrespective of whether the industry in which such employment is taken up is receiving assistance from the Government or not. Retired officers could, therefore, have joined the private industries with or without permission of the Government, according to whether the employment was taken within two years of retirement or thereafter. Even those who might have taken up employment with the private industries might have left their service subsequently. In view of the position explained above, it is regretted that the information asked for is not available with the Government.

(b) No, Sir. Government are advised that a total ban cannot be imposed on post-retirement commercial employment of Government servants as it would involve violation of the fundamental rights guaranteed in Article 19(1) (g) of the Constitution.

"मराठा" के सम्वाददाता को प्रेस का कार्ड जारी न किया जाना

3209. **श्री एस० बी० सामन्त :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा बम्बई के दैनिक समाचार पत्र 'मराठा' के नई दिल्ली स्थित सम्वाददाता की मान्यता वापस लिये जाने के बारे में 13 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4278 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'मराठा' के सम्वाददाता और मंत्रालय और प्रेस सूचना व्यूरो के बीच गत तीन वर्षों के दौरान हुए पत्र-व्यवहार के पूरे रिकार्ड को सभा पटल पर रखा जाएगा;

(ख) क्या सरकार को जनवरी, 1972 के 'मराठा' के सम्वाददाता को प्रेस कार्ड जारी न किये जाने के बारे में जनवरी से अप्रैल, 1972 के दौरान संवाददाताओं के किसी अन्य संगठन अथवा ग्रुप की ओर से कोई पत्र प्राप्त हुआ है, और

(ग) यदि हां, तो क्या पत्र-व्यवहार की प्रतियां सभा-पटल पर रखी जाएंगी?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) से (ग) जी, हां। पत्रव्यहार की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं। [ग्रंथालय में रखी गई (देखिये संख्या एल० टी०) 4492/73)]।

प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा प्रत्यायन समिति को कथित गुमराह किया जाना

3210. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा बम्बई के दैनिक समाचार-पत्र 'मराठा' के नई दिल्ली स्थित संवाददाता को दी गई मान्यता वापस लिये जाने के बारे में 13 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4278 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रेस सूचना ब्यूरो के बम्बई कार्यालय द्वारा जांच की पद्धति तथा उसके कारण क्या हैं, जैसा कि दिनांक 28 फरवरी, 1972 के 'मराठा' के पत्र में उल्लेख किया गया है; और

(ख) क्या प्रेस सूचना ब्यूरो ने प्रत्यायन समिति को गुमराह किया है कि सम्बन्धित संवाददाता ने केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित समाचार नहीं छापे; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जांच पत्र सूचना कार्यालय के प्रमुख जिनको इस आशय की सूचना मिली थी कि 'मराठा' के प्रत्यायित संवाददाता अब नियमित रूप से उस समाचारपत्र के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, के निर्देश पर, मौखिक रूप से की गई थी।

(ख) जी, नहीं।

सम्वाददाताओं के परिचय पत्र

3211. **श्री माधुर्य हालदार :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या संवाददाताओं के परिचय पत्रों के सम्बन्ध में सरकार तथा प्रेस प्रत्यायन समिति सम्वादकार्य अधिकारियों अथवा प्रबन्ध अधिकारियों की ओर से प्राप्त पत्रों पर निर्भर करते हैं?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): प्रेस प्रत्यायन के मामले में पत्र सूचना कार्यालय मूलतः उनसे 'समाचार संगठनों' के रूप में पत्र व्यवहार करता है। सामान्यतः इस प्रकार के संगठनों के सम्पादकीय अधिकारियों से पत्र प्राप्त होते हैं किन्तु प्रबन्ध अधिकारियों की ओर से आए पत्रों को भी स्वीकार किया जाता है। केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति किसी समाचार संगठन से पत्र-व्यवहार नहीं करती।

ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स का आयात और देश में उनका उत्पादन

3212. **श्री: सी० चित्तिबाबू :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितना और कितने मूल्य के ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स का आयात किया गया;

(ख) ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स की वर्त्तमान आवश्यकता क्या है; और

(ग) देश में ग्रेकाइट इलेक्ट्रोड्स की उत्पादन क्षमता को विकसित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा इस वस्तु के आयात के पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। फिर भी, राज्य व्यापार निगम आयातित कच्चा माल आयात सहायता केन्द्र ने और प्रौजेक्ट इक्विपमेंट कारपोरेशन निम्नलिखित

परिमाण में आयात किया था :—

लाइसेंस देने का वर्ष	आयात हेतु अनुमति दी गई मात्रा	मूल्य
1970-71	5,045 मी० टन	267 लाख रु०
1971-72 .	6,500 मी० टन	334 लाख रु०
1972-73 .	7,400 मी० टन का अयात करने का अनुमान है, जिसमें से राज्य व्यापार निगम ने 3376 मी० टन का आयात करने के लिए आर्डरों को अंतिम रूप दे दिया है। बाकी मात्रा के आयात के लिए भी कार्यवाही की जा रही है।	

(ख) वर्त्तमान आवश्यकता 8,500 मी० टन के आसपास होने का अनुमान है जिसके चौथी योजना के अन्त तक बढ़कर 10,000 मी०टन तक हो जाने की आशा है।

(ग) इस समय एक एकक है, जिसका 5,000 मी० टन की अधिष्ठापित क्षमता वाला एक एकक दुर्गापुर में है। बंगलौर में एक दूसरे एकक की स्थापना करके वे इस क्षमता को बढ़ाकर 10,000 मी० टन तक कर रहे हैं। 5,000 मी० टन की क्षमता से मध्य प्रदेश में स्थापित किए जाने वाला एक दूसरे एकक के लिए सहमति मिल गयी है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य सरकार के निगमों ने भी इस वस्तु का निर्माण करने के लिए इन राज्यों में एक एकक स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।

अनुसूचित जातियों के छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने हेतु छात्रवृतियां

3213. **श्री हरी सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने अनुसूचित जाति के कितने छात्रों को विदेशों के विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने के लिये छात्रवृत्तियां दी हैं?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : वित्तीय वर्ष 1971-72 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के 7 उम्मीदवारों को विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की गई थीं।

भारत रत्न और अन्य उपाधियों के बारे में भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश के विचार

3214. **श्री रणबहादुर सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री सुब्बाराव ने कहा है कि भारत रत्न तथा अन्य उपाधियों का दिया जाना असंवैधानिक है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कसौटी निर्धारित की है?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सरकार को मालूम है कि श्री सुब्बाराव ने किसी भाषण में मत व्यक्त किया है कि भारत रत्न जैसे पुरस्कार उपाधि हैं और इन पुरस्कारों को प्रदान करना संविधान की व्यवस्थाओं के विपरीत है।

(ख) सरकार इस विचार से सहमत नहीं है।

(ग) पुरस्कारों के नियमों में व्यवस्था है कि भारत रत्न अलंकरण कला, साहित्य तथा विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ठ सेवा करने और उच्च कोटि की जन सेवा की मान्यता के लिए, पद्म-विभूषण किसी क्षेत्र में विशिष्ठ तथा असाधारण सेवा के लिए, पद्मभूषण किसी क्षेत्र में उच्च कोटि की विख्यात सेवा के लिए और पद्मश्री किसी क्षेत्र में विशिष्ठ सेवा के लिए प्रदान किया जायेगा ।

"डिलिंकिंग मीडिया फ्राम इन्डस्ट्रीज"

3215. डा० रानेन सेन : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 फरवरी, 1973 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में 'गवर्नमेंट फर्म आन डिलिंकिंग मीडिया फ्राम इन्डस्ट्रीज' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें उल्लिखित उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई जाने वाली योजना की रूप-रेखा क्या है?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 1972-73 के लिए अखबारी कागज सम्बन्धी नीति पर सर्वोच्च न्यायालय के हाल ही के निर्णय को ध्यान में रखते हुए मामले के सभी पहलुओं पर पुनर्विचार किया जा रहा है।

चौथी योजना में धनराशि के नियतन में वृद्धि का प्रस्ताव

3216. श्री भागवत झा आजाद : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चौथी योजना के अन्तिम वर्ष में धनराशि के नियतन में काफी वृद्धि करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारें पूंजी निवेश में वृद्धि करने के लिए योगदान करने हेतु सहमत हो गई हैं; और

(ग) सरकार का संसाधनों में किस प्रकार वृद्धि करने का विचार है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां। चालू वर्ष की योजना की अपेक्षा 1973-74 के लिए केन्द्र तथा राज्यों के योजना परिव्यय आवंटन 351 करोड़ रुपये अधिक है।

(ख) राज्य सरकारें 1973-74 के दौरान अपनी योजना परिव्ययों के लिए 981 करोड़ रुपये जुटाने पर सहमत हो गये हैं जबकि 1972-73 में उन्होंने 871 करोड़ रुपये जुटाये थे।

(ग) कराधानों की 1972-73 की दरों के अनुसार संसाधन बढ़ाकर तथा 1973-74 के दौरान नये संसाधन जुटाकर प्रस्तावित योजना परिव्यय के लिए धन सुलभ किया जाना है।

औद्योगिक लाइसेंसों के लिए केरल की ओर से आवेदन पत्र

3217. श्री ए० के० गोपालन :

श्री वयालार रवि : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971 और 1972 में केरल में उद्यमों को दिये औद्योगिक लाईसेंसों की रूपरेखा क्या है; और

(ख) इन वर्षों में केरल की ओर से औद्योगिक लाइसेंसों के लिये दिये गये कितने आवेदन पत्र रद्द किये गये तथा इसके क्या कारण हैं?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) वर्ष 1971 और 1972 के दौरान केरल में उद्योग स्थापित करने हेतु 19 औद्योगिक लाईसेंस प्रदान किए गए थे। ये बिजली के उपकरण रसायन, वैज्ञानिक उपकरण, ईंधन, इमारती लकड़ी के उत्पाद, वस्त्र, कागज के उत्पादों सहित कागज और लुगदी, कांच, कृषीय मशीनें, धातुकार्मिक उद्योग तथा उर्वरकों के संबंध में थे।

(ख) औद्योगिक लाइसेंसों के रद्द किए गये आवेदन पत्रों की राज्यवार जानकारी नहीं रखी गई हैं।

केरल में अखबारी कागज का कारखाना

3218. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन द्वारा केरल अखबारी कागज परियोजना के बारे में प्रस्तुत किए गए परियोजना प्रतिवेदन को अनुमोदित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है; और

(ग) इस परियोजना को कार्यान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) नेशनल इण्डस्ट्रियल डैवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट की सरकार के द्वारा जांच की जा रही है। राज्य सरकार से विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं पर किया जा रहा वार्तालाप अन्तिम स्थिति में है। यूकेलिप्टस तथा नरकुल के कच्चेमाल के आधार पर 80,000 मी० टन प्रतिवर्ष क्षमता वाली यह परियोजना लगभग 35 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित की जायेगी।

Issue of Letter of Intent for Setting up Industries in M.P.

3219. **Shri Rana Bahadur Singh :** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state the number of letters of intent issued for setting up new industries in the tribal areas of Madhya Pradesh during 1972?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam): A statement giving details of Letters of Intent issued during 1972 for setting up new industries in the backward districts of Madhya Pradesh is attached. Separate information in respect of tribal areas is not maintained.

[Placed in the Library See No. L.T./499373]

"वन्दे मातरम्" का सरकारी दर्जा

3220. **श्री शंकरराव सावंत :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन्दे मातरम् गीत को कोई सरकारी दर्जा प्राप्त है; यदि हां, तो क्या; और

(ख) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है कि स्कूलों, कालेजों और सार्वजनिक समारोहों में इसे आदरपूर्वक सुना जाये?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) यद्यपि वन्देमातरम् राष्ट्रीय गान नहीं है फिर भी भारतीय संविधान सभा की यह इच्छा थी, जो 24 जनवरी, 1950 को उसके अध्यक्ष द्वारा किये गये वक्तव्य के रूप में व्यक्त की गई थी कि इस गीत को जिसने भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में एक ऐतिहासिक भूमिका अदा की थी, राष्ट्रीय गान के समान सम्मानित किया जायगा और इसका भी दर्जा उसके समान होगा। सरकार आशा करती है कि भारत का प्रत्येक नागरिक हमारी स्वतंत्रता के संघर्ष में इस गीत की ऐतिहासिक भूमिका का स्मरण करेगा और जब यह गीत गाया जायेगा या बजाया जायगा तो इसका यथोचित सम्मान करेगा।

Raid by Police Party on a Village Durgjit in Basti District U.P.

3221. **Shri Chhatrapati Ambesh :**
Shri Y. Eswara Reddy :
Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether he is aware of the reports sent by the General Secretaries, Uttar Pradesh Kisan Sabha and the General Secretary, Uttar Pradesh Bunkar Sangh (U. P. Weavers' Association) in regard to the atrocities being committed upon the Harijans in Basti District of Uttar Pradesh as reported in the 'Nav Bharat Times' dated the 4th February, 1973;

(b) if so, the broad outlines thereof; and

(c) the action taken by Governmet in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Muhsin) : (a) and (b) Government have seen relevant news-item published in the Nav Bharat Times dated the 4th February, 1973. The Central Government have not however received any reports from the organisations mentioned in the Question.

(c) The Government of Uttar Pradesh have ordered a judicial enquiry into an incident which took place on 23rd January, 1973 in village Durgjit in district Basti.

कुटीर उद्योगों में साफ्ट पेय पदार्थों का उत्पादन

3223. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोका कोला जैसे पेय पदार्थों के उत्पादन के कारण ऐसे हजारों व्यक्ति बेरोजगा हो गए हैं जो साफ्ट पेय पदार्थ बनाकर अपनी जीविका कमाते हैं; और

(ख) क्या सरकार का ऐसे पेय पदार्थों के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव है जिनका थोड़ी सी राशि लगाकर कुटीर उद्योगों में बहुत लोगों द्वारा उत्पादन किया जा सकता है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

Allocation for Employment Assistance to States

3224. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether some additional amount has been allocated by the Central Government to States in 1972-73 for providing employment assistance ; and

(b) if so, the amount allocated, State-wise?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) and (b). Information has already been laid on the Table of the House in reply to Unstarred Question No. 2303 answered in the Lok Sabha on 7-3-1973.

बेरोजगार इंजीनियरों और तकनीशियनों को सहायता देने के लिए केरल को नियत की गई राशि

3225. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेरोज़गार इंजीनियरों और तकनीशियनों की सहायता के लिए योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु केरल को 1971 और 1973 में कुल कितनी धनराशि अलाट की गई; और

(ख) क्या सरकार का विचार अलाट की गई पूरी राशि को अनुदान मानने का है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) शिक्षित बेरोज़गारों के लाभार्थ 1971-72 में शुरू किए गए विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत औद्योगिक विकास मंत्रालय ने 1971-72 में केरल सरकार को 48 लाख रुपये आवंटित किये थे, जिसमें से 15.70 लाख रुपये कार्य-निष्पत्ति के आधार पर प्रदान किये गये। वर्ष 1972-73 में 70 लाख रुपये उसी प्रयोजन के लिए नियत किये गये हैं। राज्य सरकार को ये राशियां दो-तिहाई ऋण तथा एक-तिहाई अनुदान के रूप में दी जा रही है।

इंजीनियरों और तकनीशियनों सहित शिक्षित बेरोज़गारों के लिए निर्मित निम्नलिखित स्कीमों के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में सहायता दी जाती है :—

(लाख रुपये)

स्कीम का नाम	1971-72		1972-73
	आवंटित की गई राशि	दी गई राशि	आवंटित की गई राशि
1. पांचवीं योजना में केन्द्रीय क्षेत्र सड़क परियोजनाओं की जांच पर अग्रिम कार्यवाही	0.85	0.85	2.55
2. ग्रामीण इंजीनियरी सर्वेक्षण	0.95	शून्य	5.44
3. ग्रामीण जलपूर्ति के लिए डिज़ाइन एककों की स्थापना	0.70	शून्य	1.20
4 सिंचाई, बिजली और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं की जांच	12.00	10.07	60.00
5. प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण . . .	—	—	3.15

180 इंजीनियरों तथा डिप्लोमा धारकों के लिए सहायता प्राप्त रोज़गार स्कीम लागू करने के लिए भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय ने 1972-73 में केरल सरकार को 2.40 लाख रुपये की राशि आवंटित की थी। इस स्कीम के अन्तर्गत इंजीनियरी स्नातकों को 400 रुपये प्रति माह तथा डिप्लोमा धारकों को 250 रुपये प्रति माह दिये जाते हैं, राशि का 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय द्वारा आवंटित की गयी राशि से सहायता के रूप में दिया जा रहा है। केन्द्रीय सहायता अनुदान के रूप में दी जाती है।

इसके अतिरिक्त 1972-73 में केरल सरकार को 104 लाख रुपये का केन्द्रीय अनुदान विशेष रोजगार कार्यक्रमों के लिए नियत किया गया था, जिनमें से अधिकांश में इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को रोज़गार देने की परिकल्पना की गयी है।

विभागेतर कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन

3226. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान डाक विभाग के उन विभागेतर कर्मचारियों की समस्याओं की ओर दिलाया गया है जिन्होंने 12 दिसम्बर, 1972 को संसद-भवन के समक्ष प्रदर्शन किया था;

(ख) यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या है; और

(ग) उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) विभागेतर एजेंटों की सेवा की शर्तों, पारिश्रमिक आदि के समूचे प्रश्न की जांच करने के लिए सरकार ने एक व्यक्ति की एक विभागेतर समिति नियुक्त की थी। समिति अपनी रिपोर्ट दे चुकी है। इस रिपोर्ट में की गई कुछ सिफारिशों के खिलाफ विभागेतर एजेंट अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। इनमें खासतौर पर विभागेतर डाकघरों के काम के घंटों को कम करना और अलाभकर डाकघरों को खोलने की नीति के बारे में आवाज उठाई गई है। वे अपने भविष्य पर आघात पहुंचने की संभावना को मद्देनजर रखते हुए यह विरोध प्रकट कर रहे हैं। समिति की सिफारिशों की जांच अभी की जा रही है और अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

आसाम राइफल्स की एक बटालियन को इम्फाल में तैनात करना

3227. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम राइफल्स की एक बटालियन इम्फाल नगर के मध्य में स्थित बैरकों में स्थाई रूप से तैनात है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि मनीपुर की जनता की यह मांग है कि इस बैरक को इस स्थान से हटा दिया जाए तथा इस स्थान को सार्वजनिक उपयोग के लिये मनीपुर सरकार को दिया जाए; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) असम राइफल्स को उसके वर्तमान स्थान से मणिपुर में किसी अन्य स्थान में ले जाने के लिए सिद्धांत रूप में निर्णय किया गया है।

पांचवीं योजना में पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए धन का नियतन

3228. **श्री भोला मांझी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना में पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार का विचार धन का विशेष रूप से नियतन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कुल कितना धन नियत किया जाएगा; और

(ग) इस धन का उपयोग जिन योजनाओं पर होगा उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) पांचवीं योजना अभी तैयार की जा रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उटते।

नारियल जटा उद्योग में चयनात्मक यंत्रीकरण आरम्भ करने का प्रस्ताव

3229. **श्री सी० जननार्दन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा उद्योग में चयनात्मक यंत्रीकरण आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जिआउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) मोटे तौर पर प्रस्ताव का उद्देश्य आधुनिकीकरण की आवश्यकतानुसार अनुकूलतम मशीनीकरण करना है ताकि बेहतर तथा विविध प्रकार के उत्पादों का विकास किया जा सके।

संकटग्रस्त मिलों के अतिरिक्त कपड़ा मिलों का अधिग्रहण

3230. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ऐसी कपड़ा मिलों को भी सरकार द्वारा अपने हाथ में लिए जाने की संभावना है, जो संकटग्रस्त नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन मिलों के नाम क्या हैं?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उटता।

पांचवीं योजना में घाटे की अर्थव्यवस्था

3231. **श्री समर गुह** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना में कितनी मात्रा में घाटे की अर्थ-व्यवस्था करनी पड़ेगी; और

(ख) इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) "पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण 1974—79" नामक दस्तावेज में, जिसकी प्रति फरवरी, 1973 में सभा-पटल पर प्रस्तुत की गई थी, में पांचवीं योजनावधि के दौरान 1856 करोड़ रुपये घाटे की अर्थ-व्यवस्था सरकार की रिजर्व बैंक के प्रति कर्जदारी की शुद्ध वृद्धि के रूप में आंकी गई है।

(ख) विकास के लिए संसाधन सुलभ करने में ऊपर दर्शायी गई सीमा तक घाटे की अर्थ-व्यवस्था करने पर भी वास्तविक रूप से सम्भावित राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने के कारण अर्थ-व्यवस्था में किसी प्रकार की मुद्रा-स्फीति उत्पन्न होने की संभावना नहीं है।

Utilisation of Amount Deposited with Post Office Savings Bank Accounts

3232. **Shri Chandulal Chandrakar :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state the purpose for which Govt. propose to utilise the amount of deposits in Postal Savings Bank Accounts ?

The Minister of Communications (Shri H.N. Bahuguna) : The net amount of deposits in Postal Savings Bank Accounts as also other Small Savings Securities are taken as resources of the Central Government for financing plan outlays and other expenditure of Government.

Re-Determination of amount of pension to Political Sufferers

3234. Shri Mahadeepak Sangh Shakya : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) when the amount of pension for political sufferers was first determined ;

(b) whether Government propose to redetermine the amount of pension in view of the prices of essential consumer goods having registered increase since then ; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) The Freedom Fighters Pension Scheme was formulated in 1972 and commenced from the 15th August, 1972. The minimum pension under the scheme was prescribed at that time.

(b) and (c) The pension to freedom fighters is in the nature of a financial assistance to those freedom fighters who are in need of it and is not related to the cost of living. While determining the quantum of pension, the family circumstances, general health and extent of political suffering etc. of the freedom fighter are taken into consideration. At present there is no proposal to redetermine the amount of minimum pension.

स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन दिए जाने के लिए आवेदन पत्र

3234. **श्री महादीपक सिंह शाक्य** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत 8 मास से लेकर एक वर्ष पहले तक के स्वतन्त्रता सेनानियों के बहुत से आवेदन पत्र विभिन्न राज्यों में विचाराधीन पड़े हैं;

(ख) क्या उक्त आवेदनों पर मंजूरी, स्थानीय विधायकों के अनुरोध के बावजूद रोक रखी गई है; और

(ग) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में बकाया पड़े आवेदनों की संख्या क्या है और इसके क्या कारण हैं; और इन पर कब तक मंजूरी दे दी जायेगी ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) केन्द्रीय पेंशन योजना के अन्तर्गत, आवेदकों को आवेदन पत्र की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को और दूसरी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र को, जिससे वे सम्बन्धित हैं, भेजनी पड़ती है। यदि केन्द्र को भेजा गया आवेदन पत्र योजना की मूल आवश्यकताओं को पूरी करता है तो अस्थायी रुप से पेंशन स्वीकृत कर दी जाती है और स्वतंत्रता सेनानी को पेंशन मिलने लगती है। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अस्थायी अदायगी आदेश स्थायी कर दिये जाते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की रिपोर्ट में विलम्ब होने के कारण आदेशों में अवरोध नहीं होता बशर्ते कि आवेदन पत्र पूर्ण हों।

किन्तु उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्य सरकारों के विचाराधीन आवेदन पत्रों की संख्या के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

अखिल भारतीय इण्डियन आक्सीजन एण्ड एसिटोलीन कर्मचारी संघ, कलकत्ता से ज्ञापन

3236. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **औद्यागिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय इण्डियन आक्सीजन एण्ड एसिटलीन कर्मचारी संघ, कलकत्ता का दिनांक 15 फरवरी, 1973 का ज्ञापन मिला है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड के राष्ट्रीयकरण की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस मांग पर विचार किया है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

राज्य में प्रति व्यक्ति आय

3237. **श्री अर्जुन सेठी : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय क्या थी; और

(ख) गत तीन वर्षों में प्रति व्यक्ति आय की राष्ट्रीय औसत क्या थी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : विभिन्न राज्यों के प्रति व्यक्ति आय के अनुमान संबंद्ध सांख्यिकीय कार्यालयों द्वारा और देश भर के लिए प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के अनुमान केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा तैयार किए जाते हैं। संकल्पनाओं, प्रयुक्त स्त्रोत-सामग्री रीतिविधान, और आधार वर्षों में विभिन्नताओं के कारण राज्यों के प्रति व्यक्ति आय के अनुमान राज्यों में परस्पर अथवा देश भर के लिए तैयार किए गए अनुमानों के साथ तुलना के लिए अनुरूप नहीं हैं। विभिन्न राज्यों और समस्त भारत के लिए प्रचलित और स्थिर भावों के आधार पर तैयार किए गए प्रति व्यक्ति आय के उपलब्ध अनुमान वर्ष 1968-69 से लेकर 1970-71 तक के लिए संलग्न विवरण में दिए गए हैं। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4494/73]।

बम्बई के टेलीविजन कार्यक्रमों की लोकप्रियता का सर्वेक्षण

3238. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के टेलीविजन केन्द्र द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों के लोकप्रिय होने या न होने के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका निष्कर्ष क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) बम्बई टेलीविजन केन्द्र के कार्यक्रमों की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, दर्शकों से प्राप्त होने वाले पत्रों के आधार पर कार्यक्रम पर्याप्त लोकप्रिय हैं।

"सर्वे शोज नो चेंज इन लाट आफ हरिजन्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार

3239. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :**

श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 फरवरी, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "सर्वे शोज़ नो चेंज इन लाट आफ हरिजंस" (सर्वेक्षण से हरिजनों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) इस तथ्य से इनकार नहीं किया जाता है कि अनुसूचित जातियों की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है परन्तु यह प्रक्रिया अवश्य ही धीमी है। यह आशा की जाती है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप उनके सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक स्थिति में और सुधार होगा।

गुजरात के तलाजा ज़िले के करमोल गांव में सवर्ण हिन्दुओं द्वारा तंग किये जाने पर हरिजन परिवारों का वहां से चले जाना

3240. **श्री माधुय हालदार** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गुजरात के तलाजा जिले के करमोल गांव के सभी हरिजन परिवार, सवर्ण हिन्दुओं द्वारा तंग किए जाने के कारण, गांव छोड़ गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन हरिजनों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) माननीय सदस्य का संकेत सम्भवतः तलाजा तहसील, जिला भावनगर, गुजरात में गांव करमोल की कुछ घटनाओं की ओर है। गांव में सवर्ण हिन्दुओं द्वारा तथाकथित अत्याचारों के कारण गांव करमोल से हरिजन परिवारों के प्रवृजन के बारे में किये गये आरोपों की ओर दिसम्बर, 1972 में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया था। मामले पर गुजरात सरकार के साथ बातचीत की गई थी। गुजरात सरकार द्वारा की गई जांच-पड़ताल से पता लगा कि आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। गांव में 20 हरिजन परिवार हैं जिनमें लगभग 200 व्यक्ति हैं। उनमें से कुछ को गांव में रिहायशी प्लाटों के आवंटन के सम्बन्ध में शिकायतें थीं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सवर्ण हिन्दुओं ने उनके लिए करमोल में रहना कठिन कर दिया, बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया, बिना भुगतान किये खाद उठा ले गये, इत्यादि। अक्टूबर, 1972 में जब ये आरोप जिला प्राधिकारियों के ध्यान में आये, तो संबंधित मामलातदार को गांव का दौरा करने तथा जांच-पड़ताल करने का निदेश दिया गया। मामलातदार को मालूम हुआ कि अन्य आरोप साबित नहीं हुए किन्तु आवास के मामले में इन परिवारों की कठिनाइयां सच थीं। मामलातदार ने इन परिवारों को आश्वासन दिया कि रिहायशी प्लाटों को शीघ्र ही उन्हें आवंटित कर दिया जायेगा। किन्तु हरिजन परिवार करमोल गांव में प्लाटों का कोई आवंटन नहीं चाहते थे और उन्होंने दूसरे गांवों में, जहां उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकते थे, इसी प्रकार के प्लाटों के आवंटन के लिए अनुरोध किया। किन्तु उनकी कोई अन्य शिकायत नहीं थीं। जब ये जांच चल रही थी तो 24 अक्तूबर को एक सवर्ण हिन्दू द्वारा दो हरिजन लड़कों को इस कारण पीटा गया कि लड़कों ने सवर्ण हिन्दू के खेत के पास अपने पशु चराये थे। इस घटना से उत्तेजित होकर 46 व्यक्तियों के 8 हरिजन परिवार गांव छोड़कर तलाजा चले गये। पुलिस ने तुरन्त कार्यवाही की, 6 व्यक्ति गिरफ्तार किये और 25 अक्टूबर, को निरोधक कार्यवाहियां शुरू कीं। जिला मजिस्ट्रेट भावनगर और जिला पुलिस अधीक्षक ने 26 और 27 अक्टूबर को तालाजा का दौरा किया और इन 8 परिवारों की शिकायतों को सुना। उन्होंने करमोल गांव का भी दौरा किया और गांव में रह रहे अन्य 12 हरिजन परिवारों से मिले। इन 12 परिवारों को कोई शिकायत नहीं थी। 8 परिवारों ने, जो तलाजा चले गये थे, करमोल वापस आने के लिये मना कर दिया और इच्छा व्यक्ति की कि दूसरे गांव में उनको रिहायशी प्लाट आवंटिन किये जाएं, जो उनके अनुसार उनके रहन-सहन के लिए सबसे उचित था।

हरिजनों को उनकी आय बढ़ाने के लिए ऋण

3241. **श्री एस० एम० बनर्जी**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 17 जनवरी, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'हरिजन बिलो पावर्टी लाइन गैट लोन्स टू बूस्ट इनकम' शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में अधिकांश हरिजनों की आय गरीबी के स्तर से नीचे की है; और

(ग) उनकी आय बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(ग) पंचवर्षीय योजनाओं में विशेष कार्यक्रम शामिल किये जाते हैं ताकि अनुसूचित जातियां अपनी शिक्षा में सुधार और अपनी आय में वृद्धि कर सकें। केन्द्रीय तथा राज्य सरकार में और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अधीन उनके लिए पद भी आरक्षित किये जाते हैं।

कलक्टर की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति समिति का गठन

3242. **श्री गिरिधर गोमांगी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से प्रत्येक जिले में कलक्टर की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति/जनजाति समिति बनाने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राज्य सरकारों ने यह सुझाव मान लिया है; और

(ग) क्या गुजरात सरकार ने भी इससे सहमत हो कर यह योजना लागू कर दी है, यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) अब तक 15 राज्यों ने ।

(ग) गुजरात सरकार ने कहा है कि राज्य में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शिकायतों पर विचार करने के लिऐ उपायुक्त पुलिस निरीक्षक तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के चुने हुए प्रतिनिधियों की जिला समितियां पहले ही विद्यमान हैं।

चालू वर्ष में हरिजनों के लिए कल्याण योजनाएं

3243. **श्री भागीरथ भंवर**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में आरम्भ की जाने वाली हरिजन कल्याण योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): अनुसूचित जातियों के कल्याण की योजनाओं में 'केन्द्र द्वारा चलाये गये कार्यक्रम' तथा 'केन्द्रीय सहायता प्राप्त कार्यक्रम' दो मुख्य कार्यक्रम आते हैं। केन्द्र द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों के अधीन योजनाएं देशव्यापी उच्च प्राथमिकता की हैं अथवा इस प्रकार की विशिष्ट कठिनाइयों से संबंधित हैं जिनके लिये लम्बे अर्से तक गहन उपाय करने की आवश्यकता है। इन योजनाओं का संपूर्ण व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। केन्द्रीय सहायता प्राप्त कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनायें (राज्य क्षेत्र) राज्य की योजनाओं में सम्मिलित की जाती हैं और इन योजनाओं पर किया गया व्यय केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों द्वारा वहन किया जाता है। इन योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता एक मुश्त अनुदान तथा एकमुश्त ऋण के रूप में प्रति वर्ष दी जाती है।

चालू वर्ष में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विभिन्न राज्यों में निम्नलिखित योजनाओं को हाथ में लिया गया :—

केन्द्र द्वारा चलाये जाने वाले कार्यक्रम

(1) मैट्रिक के बाद छात्र वृत्तियां;

(2) छात्राओं के लिए नये होस्टल स्थापित करना या छात्राओं के वर्तमान होस्टलों का विस्तार करना;

(3) केन्द्रीय लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा इत्यादि की परीक्षाओं और राज्य स्तर की परीक्षाओं तथा जीवन बीमा निगम, भारतीय स्टेट बैंक इत्यादि की परीक्षाओं में भी सम्मिलित होने वाले अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना;

(4) रोजगार दफ्तरों में पंजीकृत अनुसूचित जाति के आवेदकों के लिए शिक्षा व मार्ग दर्शन केन्द्रों द्वारा विश्वास पैदा करने के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना; और

(5) जो लोग अस्वच्छ पेशों में कार्य करते हैं उनके कार्य तथा रहने की दशा में सुधार करना।

राज्य क्षेत्र की योजनायें

I. शिक्षा

(1) मैट्रिक से पूर्व छात्रवृत्ति तथा पारिश्रमिक;

(2) मैट्रिक के बाद अतिरिक्त छात्रवृत्ति;

(3) शिक्षा शुल्क तथा परीक्षा शुल्क से छूट;

(4) शैक्षणिक सामान की व्यवस्था; और

(5) स्कूल तथा होस्टल भवनों के निर्माण तथा रख-रखाव के लिए अनुदान।

II. आर्थिक विकास

(1) भूमि तथा सिंचाई की व्यवस्था;

(2) बैल, कृषि उपकरण, बीज, खाद इत्यादि देना;

(3) कुटीर उद्योगों का विकास;

(4) सहकारी समितियों को सहायता; और

(5) मुर्गे, भेड़, सुअर तथा बकरियां इत्यादि देना।

III. स्वास्थ्य आवास तथा अन्य योजनायें

(1) चिकित्सा सुविधाएं;

(2) पेय जल की व्यवस्था;

(3) मकानों तथा मकान के स्थानों की व्यवस्था;

(4) कानूनी सहायता की व्यवस्था; और

(5) राज्य स्तर पर कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान।

विभिन्न राज्यों में मारे गए हरिजनों और अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों की संख्या

3244. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1969 से अब तक प्रत्येक राज्य में कितने हरिजन तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति मारे गए; और

(ख) उक्त अवधि में इन जातियों के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायगी।

वर्ष 1970-71 और 1972-73 में देशीय और विदेशीय दोनों प्रकार के अखबारी कागज की उपलब्धि तथा वितरण

3245. **श्री बेकारिया** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71, 1971-72 और 1972-73 में कुल कितना अखबारी कागज (देशीय और विदेशीय) उपलब्ध था ;

(ख) निम्न समाचारपत्रों को 1970-71, 1971-72 और 1972-73 में कितना-कितना कागज दिया गया :

हिन्दुस्तान टाइम्स,
टाइम्स आफ इण्डिया (बिभिन्न संस्करण),
इण्डियन एक्सप्रैस,
स्टेटसमैन,
आनन्द बाजार पत्रिका,
हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड,
'हिन्दू'
अमृत बाजार पत्रिका; और

(ग) इसी अवधि में छोटे और मध्यम समाचारपत्रों को कितना अखबारी कागज दिया गया ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4495/73]

आंध्र संकट

3246. **श्री राज देव सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आन्ध्र संकट की जो निहित बुराइयां अब सामने आई हैं और जो अन्यत्र सुलग रही है, उनसे यह स्पष्ट है कि बड़े राज्य में राजनीतिक शक्ति अपेक्षतया अधिक विकसित क्षेत्रों में केन्द्रित होने लगती है ; और

(ख) यदि हां, तो इन्हें दूर करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) राज्य के विधान मंडल में एक राज्य के अधिक विकसित तथा कम विकसित क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के मामले में अधिक से अधिक समानता

है और विधान सभा के प्रति राज्य सरकार उत्तरदाई है सरकार इस दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करती है कि एक बड़े राज्य में राजनैतिक शक्ति अपेक्षाकृत अधिक विकसित क्षेत्रों में केन्द्रित होने लगी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में ईंटों के मशीनी भट्टे में उत्पादन

3247. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के निकट स्थित ईंटों के मशीनी भट्टे ने पिछले किसी भी मास में 8.5 लाख ईंटों के अधिकतम उत्पादन के मुकाबले सितम्बर, 1972 में 10 लाख ईंटें बना कर उत्पादन के सभी रिकार्ड तोड़ दिये हैं ;

(ख) क्या उत्पादन की यह गति बने रहने की आशा है ; और

(ग) यह अभूतपूर्व उत्पादन किन कारणों से संभव हुआ है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) सितम्बर, 1972 में दिल्ली के समीप मशीनी ईंटों के भट्टे में 10.16 लाख रुपये का उत्पादन हुआ था। भट्टे के कार्य में आगे और सुधार होने की आशा है।

(ग) अधिक उत्पादन (1) भट्टों में प्रबन्धकीय सुधार, (2) भट्टों में तकनीकी असन्तुलन दूर करने हेतु प्रबन्धकों द्वारा प्रारम्भ किया गया कार्य तथा (3) सुधरे हुए श्रमिक-प्रबन्धक संबंधों के कारण हुआ।

Applications for setting up of Industries in Backward Areas of M.P.

3248. **Shri G. C. Dixit :**

Shri Hukum Chand Kachwai :

Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether the Central Government have received any applications for setting up industries in the backward districts of Madhya Pradesh during 1971-72 ;

(b) if so, the number thereof and the names of the industries proposed to be set up ; and ;

(c) whether licences and the letters of intent have been issued to the applicants in this regard and if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : (a) Yes, Sir.

(b) 47 applications were received for setting up industries in the backward districts of Madhya Pradesh during 1971 and 1972. These applications mainly relate to writing and printing paper, maida, atta, bran, phathalic anhydride, vanaspati ghee, photographic paper, steering gears for automobiles, corrugating medium, oxygen & acetylene, coal and conveyor belts etc.

(c) 2 licences and 6 letters of intent have been issued so far. These relate to the manufacture of vanaspati ghee, coal, writing and printing paper, steering gears for automobiles, oxygen & acetylene gas, conveyor belts, steel tubes and pipes and beer.

Enhancement of capacity of Telephone Exchange, Burhanpur City, M.P.

3249. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether the telephone exchange in Burhanpur city in Madhya Pradesh is not in a position to meet the demand for new telephone connections; and

(b) if so, whether Government propose to enhance the capacity of the Telephone Exchange?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Yes, Sir. The exchange is fully loaded and no new telephone connections can be given for the present.

(b) 100 lines expansion is proposed during 1973-74.

Reorganisation of Engineering Divisions, Madhya Pradesh

3250. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether reorganisation of Engineering Divisions and sub-divisions has been completed in Madhya Pradesh circle;

(b) if not, the time by which the reorganisation work is likely to be completed; and

(c) whether there is a proposal to sanction the creation of a new Engineering Division near Bastar?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) & (b) Due to expansion and development of Telecommunications a new Telegraph Engineering Division has been formed in Saugar in 1972. Two new sub-divisions at Mandsaur and Itarsi have also been formed in 1972. No further proposal has been received regarding reorganisation of Engineering Divisions and sub-divisions in M.P. Circle.

(c) There is no such proposal at present.

Interim Report on Fifth Plan given by the National Committee on Science and Technology

3252. **Shri Shrikrishna Agrawal:** Will the Minister of **Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether the National Committee on Science and Technology have given their interim report for Fifth Five Year Plan ;

(b) if so, the main recommendations thereof ; and

(c) Government's reaction thereto ?

The Minister of Industrial Development and Science & Technology (Shri C. Subramanium) : (a) The National Committee on Science and Technology has given "An Approach to Science and Technology Plan" and not an interim report for the Fifth Five Year Plan. The

Approach outlines the thinking of the NCST on the several complex issues that have arisen in the course of preparation of the S&T Plan, which is being worked out and will form an integral part of the Fifth Plan.

(b) & (c) : The Government has accepted in principle the following recommendations made in the Approach Paper :

(i) The S&T Plan will cover all scientific and technological programmes, particularly those of importance and those which have hitherto utilised the largest proportions of the national scientific resources.

(ii) The centres of scientific and technological activity and the administrative practices, organisational structures and the commitment, motivation and effectiveness of the people working in the administrative Departments associated with those centres need considerable managerial reforms.

(iii) In order that the strategy of technological self-reliance is pursued successfully the national market for industrial technology should be re-structured in favour of indigenous source of technology.

(iv) The national investment on R&D during the Fifth Plan would be such that a figure in the general neighbourhood of 1% of the GNP is reached in the last year of the Fifth Plan.

Persons killed by Police and Army Firing During Agitations in the Country

3253. **Shri M. C. Daga :**

Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the number of times and the purpose for which the Central Government had to order firing during 1972 alongwith the names of those places where firing had to be resorted to and the names of places where Military had to be sent and the number of persons killed as a result thereof as also the incidents in which judicial enquiry was ordered?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : Maintenance of public order is the responsibility of the concerned State Government and there is no question of the Central Government ordering any firing. Information is being collected from all State Governments in respect of the following :—

(1) places where firing had to be resorted to for maintenance of public order.

(2) names of places where assistance of army was sought in aid of civil power,

(3) number of persons killed either as a result of firing by army or other armed forces of the Union in aid of civil power or State police, and

(4) the incidents in respect of which judicial inquiries were ordered.

Setting up of Oxygen Gas Plant in Guna (MP)

3254. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) Whether Government of Madhya Pradesh have sent a proposal to the Central Government for setting up a big oxygen gas plant in Guna district; and

(b) if so, the action taken in this regard so far and the time by which a decision is likely to be taken?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology Shri C. Subramaniam : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

टेलीफोन बिल

3255. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में दिल्ली में टेलीफोन बिलों में अशुद्धियों के बारे में शिकायतों में वृद्धि हुई है ;

(ख) पिछले वर्षों की अपेक्षा इन शिकायतों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ग) ऐसी शिकायतों की संख्या कितनी है जिनके बारे में बिलों को ठीक कर दिया गया है और छूट दी गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) यद्यपि वर्ष 1970 और 1971 में शिकायतों में वृद्धि हुई थी, लेकिन वर्ष 1972 में इन में कमी हुई है।

(ख) वर्ष 1970 और 1971 में पिछले वर्ष की तुलना में शिकायतों में क्रमश: 29.35 प्रतिशत और 168.65 प्रतिशत वृद्धि हुई है और वर्ष 1972, में कमी 8.45 प्रतिशत हुई है।

(ग) वर्ष 1970, 1971 और 1972 में उन बिलों की संख्या, जिनमें सुधार किया गया और छूट दी गई क्रमश: 393, और 774 हैं।

Recruitment to C. R. P. and B. S. F. From Bihar

3256. **Ishwar Chaudry :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the number of persons belonging to Bihar State recruited in the Central Reserve Police and the Border Security Force during 1971-72?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : The requisite information is being collected.

Casual Labourers with P & T Department

3257. **Shri Ishwar Chaudhry**
Shri Jyotirmoy Basu :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of casual labourers in Posts and Telegraphs Department during the last three years, State-wise;

(b) their scales of pay; and

(c) since when they have been working as casual labourers and by what time they will be made permanent?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) The casual labourers in the P&T Department are employed for the duration of different specific works on daily wages on casual basis. It is, as such, difficult to provide the total number of such labour employed each year by the Department.

However, the information regarding the number of casual labourers who had been continuously employed for the last three years is being collected and would be laid on the table of the House.

(b) There is no regular scale of pay. They are paid daily wages rates of which are sanctioned by the concerned head of the Circle in accordance with the general rules being observed by various departments of Govt. of India, based on local rates of casual labourers as prevalent in the local area, *e.g.*, the existing daily wages rate for the Delhi town is Rs. 4.50P.

(c) The casual labourers are eligible and are given preference for absorption in regular cadres of the Department like, mazdoors, linemen, Class IV etc. Steps are also being taken to gradually absorb such daily wages casual labourers into the cadre of regular mazdoors who had been working continuously in the Department for a number of years.

S.T.D. between Patna and Gaya

3258. **Shri Ishwar Chaudhry :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether it is proposed to provide S.T.D. system between Patna and Gaya; and

(b) if so, when?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) & (b). Introduction of S.T.D. facility between Patna and Gaya will be considered along with automatisation of Gaya exchange. Automatisation programme for Gaya exchange can be finalised only after land is available.

Applications from Bihar for setting up Industries

3259. **Shri Ishwar Chaudhry :** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the number of applications received by Government from Bihar for setting up new industries there during 1972;

(b) the types of industries proposed to be set up; and

(c) the action taken by Government on the applicattions?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : (a) During 1972, 69 applications were received for setting up new industries in Bihar.

(b) These applications relate mainly to wheat products, oxygen & acetylene, glass bottles, sponge iron, shoddy woollen yarn, beehive hard coke, cold rolled alloy steel high carbon strips, aluminium properzi rods, coal etc. etc.

(c) Of the applications at (a) above, one industrial licence and 3 letters of intent have been issued, 8 applications have been rejected, 4 applications have otherwise been disposed of and 53 applications are under consideration.

इलैक्ट्रानिक्स सैल का गठन

3261. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या इलैक्ट्रानिक्स मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इलैक्ट्रानिक्स उपकरणों और पुर्जों के निर्यात को बढ़ाने हेतु 'इलेक्ट्रानिक्स सैल' गठित करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूप रेखा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख) सरकार के पास वर्तमान में इलैक्ट्रानिक्स उपकरणों तथा घटकों के निर्यात को बढ़ाने हेतु इलैक्ट्रानिक्स विभाग में कोई 'इलैक्ट्रानिक्स सैल' गठित करने का प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, विभाग में एक वरिष्ठ अधिकारी को उसके समर्थक स्टाफ के साथ नामोद्दिष्ट किया गया है जो इलैक्ट्रानिक्स उत्पादन के वर्तमान तथा विभव निर्यात कर्ताओं की सहायता कर सकें। इलैक्ट्रानिक्स विभाग इलैक्ट्रानिक्स मद्दों के शत प्रतिशत निर्यात के लिये बम्बई में स्थापित किये जाने वाले निर्यात प्रोसेसिंग जोन की स्थापना तथा परिचालन में सक्रिय रूप से संलग्न है।

दिल्ली के आसपास के नगरों में रहने वाले केन्द्रीय सरकार और दिल्ली प्रशासन के कर्मचारी

3262. **श्री राम भगत पस्वान** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के और दिल्ली प्रशासन के उन कर्मचारियों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है जो दिल्ली में काम करते हैं और आसपास के नगरों विशेषकर गाजियाबाद और फरीदाबाद में रहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग मे राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मैसूर फिल्म सबसिडी प्लान गोज अराई समाचार

3263. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'टाइम्स आफ इण्डिया' दिनांक 22 जनवरी 1973 में 'मैसूर फिल्म सबसिडी प्लान गोज अराई' शीर्षक से प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि उल्लिखित फिल्म राज सहायता योजना के कारण जाली फिल्म निर्माताओं का एक गिरोह बन गया है जो वास्तव में वित्त पोषक है ;

(ख) क्या सरकार विभिन्न राज्यों में फिल्म उद्योग के विकास के लिये नियत राज्य निधियों पर कोई नियन्त्रण रखती या निरीक्षण रखती है ताकि उनका दुरुपयोग न हो ; और

(ग) यदि हां, तो उस नियन्त्रण का स्वरूप क्या है और वह किस प्रकार रखा जाता है ; और यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) जी, नहीं। यह मैसूर सरकार से संबंधित है।

लन्दन में फिल्म समारोह

3264. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय फिल्म वित्त निगम और 'नेशनल फिल्म थियेटर, लन्दन' के संयुक्त तत्वावधान में हाल ही में लन्दन में एक फिल्म समारोह हुआ था ;

(ख) क्या इस समारोह का एक मुख्य उद्देश्य कम लागत पर बनाई गई युवा कलाकारों की फिल्मों के लिये विदेशी मंडियों का पता लगाना था, यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप यह उद्देश्य कहां तक पूरा हुआ और उनके निर्यात के लिये कितने क्रियादेश प्राप्त किये गये ; और

(ग) क्या ऐसे ही समारोह अन्य देशों में भी हुये थे, यदि हां, तो गत एक वर्ष में ऐसे समारोह का ब्यौरा क्या है और उनसे विदेशों में भारतीय फिल्मों को लोकप्रिय बनाने में कितनी सफलता मिली तथा फिल्मों के निर्यात के लिये कितने क्रियादेश मिले ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) जी, नहीं। समारोह आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य फिल्म वित्त निगम की सहायता से बनी हुई समानान्तर फिल्मों के तथा निगम द्वारा निर्मित सृजनात्मक प्रयत्न के प्रतिबिम्ब को बनाना था। विदेशी बाजार की तलाश केवल प्रासंगिक थी। इन समारोहों का मुख्य उद्देश्य पूरा हो चुका है क्योंकि समाचारपत्रों में इन फिल्मों की अच्छी प्रतिक्रिया हुई है। फिल्म वित्त निगम ने किसी अन्य देश में इसी प्रकार के समारोहों का आयोजन नहीं किया है।

केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में स्वाधीनता सेनानियों को रियायत

3265. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में कितने स्वाधीनता सेनानी हैं, और

(ख) स्वाधीनता संग्राम के दौरान देश के प्रति उनकी सेवाओं को मान्यता देते हुए यदि उन्हें कोई रियायत दी गई है तो वह क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) उन्हें दी गई रियायतों के सारांश को समाविष्ट करते हुए एक विवरण में संलग्न किया जाता है।

विवरण

ऐसे स्वाधीनता सेनानियों को जिन्हें उनकी देशभक्ति की गतिविधियों अथवा देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के उद्देश्य से राष्ट्रीय आन्दोलनों में भाग लेने के कारण सेवा से हटाया, सेवामुक्त या बर्खास्त किया गया था, या जिन्होंने देशभक्ति के उद्देश्यों से या इसलिए कि वे राष्ट्रीय आन्दोलनों में भाग ले सकें अपनी नियुक्तियों से त्याग-पत्र दे दिया था, भारत सरकार के अधीन पुनः रोजगार दिए जाने का पात्र बनाया गया था (बहाली का नहीं, जब तक कि किसी मामले में इसके लिए पहले ही आदेश न दे दिए गए हों) पुनः रोजगार दिए जाने पर, उन्हें वेतन में वृद्धियों के लिए प्रत्येक 3 वर्ष की सेवा

विच्छेद के लिए एक वेतन वृद्धि के हिसाब से सेवा के व्यवधान की अवधि को भी गिनने और उनकी सेवा मुक्ति आदि की तारीख को उनके खाते में जमा औसत वेतन पर छुट्टियों को भी आगे ले जाने की अनुमति दी गई थी। इसके अतिरिक्त, अप्रैल, 1953 में यह आदेश जारी किए गए थे कि इस प्रकार के कर्मचारी द्वारा की गई पिछली अस्थायी सेवा को उसके पुनः रोजगार में लिए जाने पर सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक पेंशन के प्रयोजन के लिए 'अर्हक सेवा' मानी जानी चाहिए। मई, 1957 में यह भी निर्णय किया गया था कि पुनः रोजगार पर लिए जाने के पूर्व व्यक्ति की पिछली सेवा और साथ ही साथ सेवा में व्यवधान की अवधि को भी वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए गिना जाना चाहिए। आदेशों में आगे व्यवस्था है कि भूतलक्षी स्थायीकरण तथा पदोन्नतियों को जो कि परिशोधित वरिष्ठता के आधार पर की जानी थी उन्हें उपयुक्तता के राष्ट्रीय मूल्यांकन के बाद प्रदान किया जाना चाहिए। तथापि, सरकारी सेवा में पुनः प्रवेश की तारीख से पूर्व की तिथियों से ऐसी कोई भी भूतलक्षी स्थायीकरण या पदोन्नति की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। स्वाधीनता सेनानी पेंशन योजना, 1972 के अधीन वे सरकारी कर्मचारी भी जिनकी वार्षिक आय रु० 5,000 से कम है, यदि वे योजना में निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करते हों तो पेंशन मंजूरी के पात्र हैं।

डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते की अदायगी के नियम

3266. **श्री नारायण चंद पाराशर**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में डाक तार विभाग के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते की अदायगी के नियम एवं विनियम क्या हैं;

(ख) वित्तीय वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान, सर्किल वार, डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को कितना समयोपरि भत्ता अदा किया गया; और

(ग) क्या समयोपरि भत्ते की अदायगी के प्रश्न पर गहरायी से पुनः जांच करने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा): (क) और (ख) वस्तुस्थिति संलग्न विवरण I/और विवरण II में दिखाई गई है। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4496/73] (ग) अभी नहीं। तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों का इन्तजार है।

हिमाचल प्रदेश के कोसारियन शाखा डाकघर को अन्यत्र ले जाना

3267. **श्री नारायण चंद पाराशर**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के लिए डाक तथा तार क्षेत्रीय सलाहकार समिति की चम्बा में 9 दिसम्बर, 1972 को हुई बैठक में हिमाचल प्रदेश के विलासपुर जिले में कोसारियन शाखा डाकघर को अन्यत्र ले जाने के अनुरोध पर चर्चा हुई थी और इस मामले को दो महीने के अन्दर अंतिम रूप देने का निर्णय किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या अब इस मामले के बारे में निर्णय हो गया है; और

(ग) इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनंदन बहुगुणा) : (क) जी हां।

शाखा डाकघर कोठी में स्थित है। इसे कोसारियन गांव में ले जाने के बारे में हिमाचल प्रदेश की डाक-तार क्षेत्रीय सलाहकार समिति की 9 दिसम्बर, 1972 को हुई बैठक में विचार किया गया था।

(ख) और (ग) इस मामले पर हिमाचल प्रदेश सरकार को अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने के बारे में लिखा गया है और उनका जवाब अभी नहीं आया है। ज्योंही राज्य सरकार अपना दृष्टिकोण हमें सूचित कर देगी, इस मामले पर निर्णय ले लिया जाएगा।

दूर संचार संस्थाओं का विकास

3268. **श्री नारायण चंद पाराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूर संचार संस्थाओं के विकास के मामलों में देश के अविकसित पिछड़े और सामान्य क्षेत्रों को उन क्षेत्रों के मुकाबले वरीयता और प्राथमिकता दी जायेगी जिन में समय-समय पर आंदोलन होते रहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मोटी रूप-रेखा क्या है?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) संचार सुविधाएं आमतौर पर किसी स्थान पर उसी हालत में दी जाती है जब कि प्रस्ताव फायदे के हों। लेकिन कुछ श्रेणी के स्थानों में ये सुविधाएं कुछ प्रतिबन्धों के साथ घाटा उठा कर भी दी जाती हैं। इस संबंध में उन स्थानों के प्रशासनिक महत्व, आबादी, सामान्य संचार सुविधाओं के जाल से दूरी आदि को विचार में लाया जाता है। सीमित संख्या में कुछ तीर्थ स्थानों, पर्यटन केन्द्रों, कृषि और सिंचाई योजनाओं के स्थलों और टाउनशिपों में भी घाटा उठाकर इन सुविधाओं को देने के बारे में विचार किया जाता है। पिछड़े और पहाड़ी इलाकों के मामले में और भी उदार नीति अपनाई जाती है, जिसके अनुसार उन मामलों में भी यह सुविधाएं दी जाती हैं जिनमें आय अनुमानित वार्षिक खर्च के 10 प्रतिशत या 15 प्रतिशत से कम न हो। शांत इलाकों और समय-समय पर आन्दोलन ग्रस्त इलाकों में भेद भाव की भावना अपनाने के लिए कोई खास नीति नहीं है।

प्रत्येक राज्य में औसतन क्षेत्र के लिए पब्लिक काल आफिस कम्बाइन्ड आफिस और सब पोस्ट-आफिस

3269. **श्री नारायण चंद पाराशर**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में औसतन कितने क्षेत्र के लिए एक-एक पब्लिक काल आफिस, कम्बाइन्ड आफिस और सब पोस्ट-आफिस हैं; और

(ख) क्या आगामी वित्तीय वर्ष में और अगली पंचवर्षीय योजना में इस औसत में सुधार करने के लिए कोई विशेष प्रयास करने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा): (क) प्रत्येक राज्य में औसतन कितने क्षेत्र के लिए एक लम्बी दूरी का पी०सी०ओ०, एक कम्बाइंड आफिस और एक उपडाकघर काम करते हैं, इस संबंध में विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं। [ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल०टी० 4497/73]

(ख) जी हां।

Films Prepared in Various Languages in India during 1972

3271. **Shri Shankar Dayal Singh**: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state the names of the languages in which films were prepared in India during the last one year indicating the number thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha): The languages and the number of films were produced in them during 1972 are as follows:—

Sl. No.	Name of the language	No. of Films
1.	Hindi	127
2.	Hindustani	7
3.	Marathi	13
4.	Gujarati	4
5.	Tamil	77
6.	Telugu	73
7.	Kannada	20
8.	Malayalam	47
9.	Oriya	1
10.	Bengali	25
11.	Assamese	7
12.	Panjabi	3
13.	Coorgi	1
14.	Tulu	2
15.	Sindhi	1
16.	Thai	1
17.	English	3
18.	Manipuri	1
	Total	413

Patna-Ranchi Direct Dialling System

3272. **Shri Shankar Dayal Singh**: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether Patna-Ranchi Direct Dialling system is under the consideration of Government;

(b) if so, the time by which it will be completed; and

(c) the names of other cities in Bihar for which direct dialling system of telephones is being considered and whether the system will be introduced within a year ?

The Minister of Communications (Shri H.N. Bahuguna): (a) Yes Sir.

(b) Likely to come about in 1976.

(c) According to the proposals made in the Fifth Plan Patna, Ranchi, Dhanbad and Jamshedpur are expected to be able to dial between them by the end of 1975-76. Point-to-point STD between Patna and Chapra and Patna and Dhanbad is expected to be commissioned in 1976.

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में विलास सामग्री की घरेलू खपत पर रोक लगाया जाना

3273. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विलास सामग्री की घरेलू खपत पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से किस प्रकार रोक लागई जायेगी ; और

(ख) इन उपायों से कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होने का अनुमान है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) पांचवीं योजना के लिए उत्पादन और निवेश पद्धति तथा आय एवं उपभोग नीति की कल्पना इस प्रकार की गई है कि वह अन्य बातों के साथ-साथ विलास की वस्तुओं के उत्पादन और उपभोग पर नियंत्रण रखने और जन-साधारण को उसकी दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं उचित मुल्यों पर उपलब्ध करने के उद्देश्य को पूरा कर सके। इस उद्देश्य तथा पांचवीं योजना के अन्य उद्देश्य से संबंधित विस्तृत नीति का निर्धारण पांचवीं योजना का प्रारुप तैयार करने के एक अंश के रूप में किया जाएगा। यह प्रारूप सितम्बर 1973 तक तैयार कर लिया जाना है।

(ख) "पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण" तैयार करने के संबंध में किए गए कार्यों से यह स्पष्ट पता चलता है कि विलास की वस्तुएं उत्पादन करने वाले उद्योगों में हमारे विदेशी मुद्रा और दुर्लभ आन्तरिक संसाधन नष्ट हो जाते हैं। किन्तु विलास की वस्तुओं के उपभोग पर प्रत्यक्ष और परोक्ष नियंत्रणों के फलस्वरूप पांचवीं योजना अवधि में विदेशी मुद्रा में होने वाली संभावित बचत की सुनिश्चित मात्रा के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं।

डाक-घरों के सहायक अधीक्षकों के निवास स्थानों पर सरकारी तौर पर टेलीफोन लगाना

3274. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकघरों के कुछ ऐसे सहायक अधीक्षकों (अराजपत्रित) के निवास स्थानों पर सरकारी टेलीफोन लगाये गये हैं जो डाक तथा तार निदेशालय, नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं और यदि हां, तो उन लोगों की संख्या क्या है और पिछले तीन वर्षों में उनके निवास स्थानों पर किन-किन तारीखों को टेलीफोन लगाये गए, और

(ख) उनके निवास स्थानों पर सरकारी टेलीफोन लगाने के क्या कारण हैं जबकि डाक तथा तार विभाग के स्थायी अनुभाग अधिकारियों (राजपत्रित) के निवास स्थानों पर सरकारी टेलीफोन नहीं लगाये गये हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) दिल्ली डाक सर्किल के दो सहायक डाक अधीक्षकों को डाक-तार महानिदेशालय में डेपुटेशन पर उनके कार्य-भार संभालने के बाद सेवा के हित में सरकारी टेलीफोन अस्थायी रूप से एक को तारीख 19-9-1972 तथा दूसरे को तारीख 13-10-72 से रखने की इजाजत दी गई थी। ये टेलीफोन हटा दिये गये हैं।

समाचारपत्रों पर लगाई गई दस-पृष्ठ की सीमा को समाप्त करना

3275. **डा० रानेन सेन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचार-पत्रों पर लगाई गई दस-पृष्ठ की सीमा को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) उच्च न्यायालय ने, 30-10-1972 को दिये गये बहुमत के निर्णय द्वारा, अख़बारी कागज़ के आवण्टन के लिए 10 पृष्ठ की सीमा संबंधी उन अनुबंधों, जो कि 11 अप्रैल, 1972 को घोषित 1972-73 के लिए अख़बारी कागज़ आवंटन नीति की टिप्पणी 5 और 8 में दिए गए थे, को रद्द कर दिया था। अतः 1972-73 के लिए संशोधित अख़बारी कागज़ नोति, जिसकी घोषणा 12 फरवरी, 1973 को की गई थी, में पृष्ठों की सीमा को हटा दिया गया है। इस संशोधित नीति की एक प्रति 20 फरवरी, 1973 को सदन की मेज़ पर रख दी गई थी।

केरल में टेलीफोन की सुविधा वाले शहर और गांव

3276. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में किन-किन शहरों और गांवों में टेलीफोन की सुविधा है;

(ख) क्विलोन जिले के किन-किन गांवों में वर्ष 1972-73 में टेलीफोन की सुविधा दी गई है; और

(ग) उक्त प्रयोजन हेतु कितना धन नियत किया गया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) केरल राज्य में 787 ऐसे टाउन और गांव हैं जहां टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है। इन स्थानों के नामों की सूची सभा पटल पर बाद में रख दी जाएगी।

(ख) क्विलोन जिले में वर्ष 1972-73 के दौरान जिन जगहों पर टेलीफोन सुविधा दी गई है, उन का उल्लेख नीचे किया गया है :—

1. मक्कन कुन्नू
2. पुन्नाकाडू
3. सूरानाड
4. मानकाला
5. अदुम्बन कुलम
6. मैलापरा टाउन
7. कराली जंक्शन
8. आर्यनाड नार्थ
9. कालनजूर
10. वायाकल

आशा है कि वर्ष 1972-73 के बाकी समय के दौरान नीचे लिखे चार स्थानों में टेलीफोन सुविधा दे दी जाएगी :—

1. मठूर
2. चंदानाटोपे
3. थान्नीने थोडे
4. चन्नरकारा

(ग) इस काम के लिए 37000/– रुपये की निधि अलाट की गई है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल के पिछड़े क्षेत्रों का विकास

3278. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए केरल की राज्य सरकार से क्या-क्या योजनाएं प्राप्त हुई हैं; और

(ख) उपरोक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) केरल की पांचवीं पंचवर्षीय योजना अभी तैयार की जा रही है। अतः योजना आयोग को केरल राज्य सरकार से पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पिछड़े क्षेत्रों के विकास के बारे में कोई खास स्कीमें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

देश के आर्थिक विकास के संबंध में केन्द्र राज्य संबंध

3279. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के आर्थिक विकास के संबंध में निकट भविष्य में केन्द्र राज्य संबंधों का पुनर्विलोकन करने पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) देश में आर्थिक नियोजन तथा विकास की केन्द्र-राज्य संबंधों के वर्तमान संवैधानिक ढांचे के अनुसार समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(ख) राज्य की योजनाओं के लिए केन्द्रीय राजस्व की प्राप्ति की साझेदारी ऋणों का भुगतान, योजना गत सहायता के लिए आवंटन कुछ मुख्य विषय है जिन पर विचार किया जाता है।

पूर्वी अफ्रीका के देशों से आये राष्ट्रिकों को भारत सरकार के कार्यालयों में नियुक्ति के लिए आयु के संबंध में रियायत दिया जाना

3280. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्या, यूगांडा और तंजानिया के पूर्वी अफ्रीका के देशों से आये राष्ट्रिकों को भारत सरकार के पदों पर नियुक्त करने के लिये आयु संबंधी रियायत के बारे में सरकार ने कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय की रूपरेखा क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) जी हां, श्रीमन्। भारत मूल के जिन लोगों का पूर्वी अफ्रीका के केन्या, यूगांडा और तंजानिया के देशों में संवैधानिक परिवर्तनों के कारण वहां से भारत में प्रवजन हुआ है, उनको आयु सीमा में दी गई निम्नलिखित रियायतें जो कि 31 दिसम्बर, 1972 तक प्राप्त थीं, उन्हें 31 दिसम्बर, 1973 तक बढ़ा दिया गया है :—

(i) भारत सरकार के अधीन सिविल सेवाओं/पदों में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में (रक्षा सेवा परीक्षा के अलावा) प्रवेश के लिए —	ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष तक की रियायत दी जा सकती है।

(ii) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रवरण/साक्षात्कार के आधार पर भारत सरकार के अधीन सेवाओं/पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों के लिए — ऊपरी आयु सीमा में 45 वर्ष तक की रियायत दी जा सकती है।

उड़ीसा को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का भेजा जाना

3282. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की तीन बटालियन तुरन्त भेजने के लिये केन्द्रीय सरकार को संकट संदेश भेजा था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण बताये गये थे ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) राज्य में विधि और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने फरवरी 1973 में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की 3 बटालियनों के लिए अनुरोध किया था ।

विश्वविद्यालयों और कालेजों में अनुसंधान परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता

3283. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालेजों और विश्वविद्यालयों की औद्योगिक विकास आदि से संबंधित अनुसंधान परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता देने की योजनाएं हैं, और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन हेतु कितनी राशि निर्धारित की गई ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) जी हां । विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय अनुसंधान तथा विकास की संरचना में अभिन्न अंग माने जाते हैं अतः उन्हें विशेष प्रयोजनीय एजेन्सियों द्वारा उचित प्रायोजनाओं के उपक्रम के लिए अधिकाधिक निधि दी जा रही है ।

वर्ष 1968 के हड़ताल में बर्खास्त किए गए अस्थायी कर्मचारियों को वेतन और भत्तों की बकाया राशि का भुगतान

3284. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन अस्थायी कर्मचारियों को वेतन और भत्तों की बकाया राशि के भुगतान के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है जिनको वर्ष 1968 में की गई हड़ताल के दौरान बर्खास्त कर दिया गया था परन्तु उनके कहने पर वापस ले लिया गया था ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सिविल सेवाएं (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 के उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सितम्बर, 1968 की हड़ताल के समय कुछ अस्थायी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं । तथापि, सरकार ने उदारीकरण के उपाय के रूप में बाद में उन कर्मचारियों को सेवा में वापिस ले लेने का निर्णय किया, बिना इस ओर ध्यान देते हुए कि उनके विरुद्ध अदालतों में कोई कार्रवाई लंबित

है अथवा सेवा नियमों के अधीन उन पर समुचित अनुशासनिक कार्रवाई की जानी है । ये अस्थायी कर्मचारी उनकी सेवाएं समाप्त कर दिए जाने के बाद सरकारी कर्मचारी नहीं रह गए थे, अतः उन्हें सेवा समाप्ति तथा सेवा में वापिस लिए जाने की तारीख के बीच की अवधि के लिए वेतन तथा भत्ते दिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता । तथापि, संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र के अधीन गठित राष्ट्रीय परिषद् में हुई चर्चा के परिणामस्वरूप सरकार ने इस आशय के अनुदेश जारी किए हैं कि नीचे उल्लिखित अस्थायी कर्मचारियों के इस बीच की अवधि के लिए वेतन तथा भत्तों की मंजूरी के अनुरोध पर एक-एक मामले में गुणावगुण के आधार पर अलग-अलग विचार किया जाना चाहिए :--

(i) वे व्यक्ति जिनकी सेवाएं सितम्बर, 1968 की हड़ताल के सिलसिले में उनकी गिरफ्तारी/अभियोजन के परिणामस्वरूप समाप्त कर दी गई थी और जिन्हें अदालत से बरी किए जाने के आधार पर बहाल किया गया था; और

(ii) वे व्यक्ति जिनकी सेवाएं सितम्बर, 1968 की हड़ताल के सिलसिले में उनकी गिरफ्तारी/अभियोजन के परिणामस्वरूप समाप्त कर दी गई थी और जिन्हें उदारीकरण के उपायों के रूप में उनके मामले में अदालती निर्णय होने के पूर्व ही बहाल कर दिया गया था, यदि वे अन्ततः अदालतों द्वारा बरी कर दिए हों ।

आसाम में भाषा समस्या

3285. **श्री एस० एम० बनर्जी :**
श्री डी० के० पंडा :
क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आसाम में भाषा समस्या के बारे में सरकार ने कोई निर्णय कर लिया है

(ख) यदि हां, तो किस रूप में; और

(ग) क्या आसाम की बंगला भाषी जनता ने उसे स्वीकार कर लिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार भाषा विवादों का सौहार्दपूर्ण ढंग से हल खोजने में सहायता करने के उद्दश्य से असम सरकार और अन्य संबंधी दलों से सम्पर्क बनाये है ।

पश्चिम बंगाल में बन्द पड़े इंजीनियरिंग एककों को अपने नियंत्रण में लेना

3286. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में बन्द पड़े कुछ और इंजीनियरिंग एककों को अपने हाथ में लिया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे एककों की संख्या कितनी है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रमहण्यम) : (क) और (ख) इस समय पश्चिम बंगाल में दो इंजीनियरिंग एककों के मामलों की जांच हो रही है और जब तक प्रत्येक मामले में निर्णय न ले लिया जाये यह नहीं कहा जा सकता कि वे हाथ में लिए जायेंगे अथवा नहीं ।

बिहार सर्किल में डाक तथा तार विभाग के क्वार्टरों का निर्माण

3287. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके बिहार सर्किल के विगत दौरे के दौरान, सेवा संघों ने अभ्यावेदन किया था कि पर्याप्त धन उपलब्ध न होने के कारण बिहार सर्किल में डाक तथा तार विभाग के क्वार्टर नहीं बन रहे हैं, यद्यपि उनके लागत अनुमान और परियोजनाएं तैयार हैं ;

(ख) क्या बिहार सर्किल के पोस्ट मास्टर जनरल ने डाक तथा तार बोर्ड को लिखा था कि कम से कम 80 लाख रुपये आवंटित किये जायें ताकि लागत-अनुमान चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में ही निष्पादित किया जा सके परन्तु केवल 24 लाख रुपये ही आवंटित किय गये ;

(ग) क्या नार्थ बिहार पोस्टल, रेलवे मल सर्विस टेलीग्राफ ट्रेफिक और इंजीनियरी डिवीजनों के क्षेत्र में कर्मचारियों के लिये न्यूनतम 20 प्रतिशत क्वार्टरों के सिद्धांत के प्रतिकूल एक प्रतिशत क्वार्टर भी उपलब्ध नहीं हैं ; और

(घ) यदि हां, तो पर्याप्त धन का आवंटन न करने के क्या कारण हैं और पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पर्याप्त धन उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये जायेंगे ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां ।

(ख) चौथी योजना में बिहार सर्किल के लिए मूल रूप में जो 58 लाख रुपये की रकम निर्धारित की गई थी उसे बढ़ा कर 98.64 लाख रुपये कर दिया गया है ।

(ग) उत्तरी बिहार में अलग से कितने प्रतिशत क्वार्टर उपलब्ध हैं, इस का हिसाब नहीं लगाया गया है । अलबत्ता, समूचे बिहार सर्किल में चौथी योजना के प्रारंभ में क्वार्टर 4.5 प्रतिशत उपलब्ध थे और चौथी योजना के अंत तक आशा है कि क्वार्टर 6.77 प्रतिशत उपलब्ध हो जाएंगे । कर्मचारियों के लिए क्वार्टर उपलब्ध कराने की कोई न्यूनतम प्रतिशत निश्चित नहीं की गई है ।

(घ) ऊपर (ख) में दिए गए उत्तर से पता चल सकता है कि चौथी योजना के अंतर्गत उपयुक्त निधि अलाट कर दी गई थी । पांचवीं योजना की जब स्वीकृति दे दी जाएगी तो इस संबंध में निधि निर्धारित कर दी जाएगी ।

दिल्ली में स्वाधीनता सेनानी संघ

3288. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के विभिन्न स्वाधीनता सेनानी संघों के नाम और पते क्या हैं तथा वे किन-किन वर्षों में बने ;

(ख) उनके अध्यक्षों और सचिवों के नाम और पते क्या-क्या हैं तथा स्वाधीनता आन्दोलन में उन्होंने क्या-क्या बलिदान किये ; और

(ग) क्या उनमें से किसी को इसके लिए इन वर्षों में सरकार द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय लाभ दिया गया है ; और यदि हां, तो उन्होंने किस प्रकार कार्य किया था ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) अनेक सघों से स्वतंत्रता सेनानियों के हितों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को समय-समय पर आवेदन पत्र तथा शिष्ट मंडल मिलते रहे हैं। ये संघ अधिकांशतः स्वयं सेवी प्रकृति के हैं और उनकी गतिविधियों तथा उनके अधिकारियों के ब्यौरे के संबंध में कोई अधिकृत सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) स्वतंत्रता सेनानियों के संघों को कोई अनुदान सहायता नहीं दी गई है। किन्तु अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी समिति को उसके सम्मेलन के लिए जून, 1969 में 2,000 रुपये की अंतरिम आर्थिक सहायता दी गई थी और इतनी ही राशि अगस्त, 1970 में दी गई थी। 1969 में बसन्त-ईद-होली मिलन बनाने के लिए भी 1,500 रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। स्वतंत्रता की 25वीं जयन्ती मनाने के संबंध में गत वर्ष जुलाई में 9,500 रुपये की धन राशि स्वीकृत की गई थी।

Printing of Delhi Telephone Directory

3289. **Shri Nawal Kishore Sharma :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether the Delhi Telephone Directory which was scheduled to be published and made available to the Telephone subscribers long ago has not been published as yet;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the time by which this Directory would be published; and

(d) the price thereof ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Last issue of Delhi Telephone Directory (April 1971) was distributed to the subscribers in August, 1971. The New edition of directory was due in August, 1972.

(b) & (c) The initial delay in publication was due to non-availability of printing paper of which there is general shortage all over the country. Since supply of paper, there has been labour trouble in the printing press at Calcutta where the directory is under print. The press is under lock-out since 21st Feb., 1973. Till the lock-out is lifted no time schedule can be given regarding issue of Delhi Telephone Directory.

(d) Rs. 4/- (Rupees Four only) per copy.

Broadcast of Revision Lessons for Students appearing in Higher Secondary Examination on Delhi Station of A.I.R

3290. **Shri Naval Kishore Sharma:** Will the Minister of **Information & Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether arrangements have been made by Government for broadcasting revision lessons from Delhi Station of All India Radio for the students appearing in Higher Secondary Examination;

(b) if so, the broad outlines thereof; and

(c) whether such arrangements have also been made in other stations besides Delhi?

The Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) Yes, Sir.

(b) Two lessons per day are broadcast at 7.05 p. m. The subjects covered are English, Mathematics (Lower/Higher), Hindi, Civics, Physics, Commerce, Hygiene and Physiology, Agriculture, Chemistry, Economics, History, Sanskrit, Biology and Geography.

(c) Yes, Sir. More or less similar arrangements have also been made in respect of Higher/Secondary School Certificate Examination from Bombay, Poona, Nagpur and Srinagar.

Hindi and English News Bulletins Broadcast from Delhi Station of A.I.R.

3291. **Shri Naval Kishore Sharma:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether the news bulletins broadcast in Hindi and English from Delhi Station of All India Radio, are different from each other in content;

(b) if so, whether the coverage of English bulletins is larger than that of Hindi bulletins, if so, the reasons therefor; and

(c) the steps Government propose to take to remove the difference ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) No, Sir, The Hindi national news bulletin is the same in essentials as the English news bulletin.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Post Offices with P.C.Os in Jaipur, Rajasthan

3292. **Shri Nawal Kishore Sharma:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state;

(a) the number of Post Offices in Jaipur District in Rajasthan where Public Call Offices have been set up;

(b) whether Government have under consideration any scheme to increase the number of Public Call Offices; and

(c) if so, the broad outlines thereof and the time by which new Public Call Offices would be opened ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) The number of Post Offices in Jaipur District in Rajasthan where Public Call Offices are working is 48.

(b) & (c) As per the present policy, public call offices can be provided at certain category stations even on loss, provided the estimated revenue is at least 25% of the annual recurring expenditure. Such category stations are sub-Divisional Headquarters, Tehsil and Sub-Tehsil Headquarters, Remote localities with no telephone exchange within 40 Km.; Tourist Centres including Pilgrim Centres, Agriculturaland Irrigation Projects sites, and Townships as also certain other places on population basis. In the Jaipur District many such places have been already covered with such facilities and a few more proposals are under examination. If the conditions are fulfilled, the proposals will be sanctioned. No general time limit can be fixed since the conditions prevailing are not the same in all cases.

पादप-रोगों के लिये एंटीबाइटिक्स का प्रयोग करना

श्री चन्द्रशेखर सिंह : क्या **विज्ञान और प्रोद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय विज्ञान कांग्रेस में दिये गये इस सुझाव की ओर दिलाया गया है कि पादप-रोगों के लिए एंटीबाइटिक्स का प्रयोग शीघ्र ही शुरू कर देना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) सरकार को ऐसा कोई सुझाव नहीं प्राप्त हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भोखो जिला भटिंडा, पंजाब में टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना करना

3294. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सर्किल में भोखो जिला भटिंडा और फरीदकोट जिले के बजखाना में टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना करने की मंजूरी दे दी गई है, और यदि हां, तो यह मंजूरी कब दी गई थी :

(ख) क्या इन टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना करने के लिए अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है : और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) पंजाब सर्किल में जिला फरीदकोट के बजखाना में और जिला भटिंडा के भोखो में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की मंजूरी क्रमशः—तारीख 31-3-70 और 21-2-72 को दी गई थी ।

(ख) और (ग) टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के लिए भंडार को जिन विभिन्न मदों और उपस्कर की जरूरत थी, उन के लिए इंडेंट भेजने और उन्हें प्राप्त करने के लिए कदम उठा लिए गये हैं। आशा है कि दोनों टेलीफोन एक्सचेंजें चालू वर्ष के दौरान चालू हो जाएंगी ।

मैसर्स यूनियन कार्बाइड द्वारा सैलों का उत्पादन

3295. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसर्स यूनियन कार्बाइडेंड, जिसमें बहुसंख्यक अंश विदेशियों के हैं, के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है, जो अपनी मद्रास फैक्टरी में, रक्षा कार्यों के लिए लगाई गई मशीनों का नागरिक उपयोग के सैल बनाने के लिए निरन्तर रूप से उपयोग कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) हाल में कारखाने का प्रत्यक्ष निरीक्षण करने पर यह विदित हुआ है कि कम्पनी नागरिक उपयोग के सेलों का उत्पादन रक्षा कार्यों के लिए सेल बनाने के लिए लगाई गई मशीनों से नहीं कर रही है कम्पनी सिंगल पेपर सेल असेम्बली लाइन जो शांति के समय बेकार पड़ी रहती है कि क्षमता के बहुत थोड़े अंश का उपयोग कर रही है चूंकि सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए उपलब्ध विस्तृत सुविधा के बिना किसी प्रकार नुकसान पहुंचाये उसके मात्र थोड़े से अंश का उपयोग किया जा रहा है सरकार कम्पनी के खिलाफ कारवाई करना उचित नहीं समझती ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

'टी० वी० एक्सपोजर एंगर्स फिल्म मुगल्स' 'टेलिविजन पर रहस्योद्घाटन के कारण फिल्म जगत के बड़े-बड़े व्यक्ति क्रुद्ध, शीर्षक से समाचार

3296. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 फरवरी, 1973 के "पैट्रियट" में "टी० वी० एक्सपोज़र एंगर्स फिल्म मुगल्स", शीर्षक के छपे समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने समाचार को नोट किया है ।

Scheme for Delhi Newspapers Reaching Districts All over India Same Day

3297. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government are formulating any scheme to enable the Daily Newspapers published in Delhi to reach the Districts all over India the same day; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

केन्द्रीय सरकार की कोसी, गण्डक और सोन नदी घाटी परियोजनाओं को अपने हाथ में लेने की योजना

3298. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री ने, जैसा कि 18 फरवरी, 1973 के टाइम्स आफ इंडिया में छपा है, पटना में यह कहा था कि केन्द्र कोसी, गंडक और सोन नदी घाटी परियोजनाओं को अपने हाथ में लेने की योजना का अध्ययन कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो अध्ययनाधीन योजना की रूपरेखा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) दिनांक 16-2-1973 को अपनी पटना यात्रा के दौरान, राज्य सरकार के साथ विचार विमर्श करते हुए योजना राज्य मंत्री ने बताया कि केन्द्र कोसी और गंडक परियोजनाओं के अन्तर्गत क्षेत्रों के विकास भार का भाग उठाने के लिए तैयार है वशर्ते कि राज्य सरकार इन परियोजनाओं में समेकित क्षेत्र विकास कार्यक्रम और उनके कारगर कार्यान्वयन के लिए समुचित प्राधिकरण का निर्माण कर दें ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Development of Champaran District of Bihar

3299. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up any industry in Champaran District of Bihar which is a backward district from industrial point of view; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) : (a) and (b) : As per information available the following industries, in the Small Scale Sector, are proposed to be set up in Champaran district during the fourth five year plan:

(i) Match splint factory at Bagaha

(ii) Straw Board Mfg. unit at Motihari or Chanpatia

(iii) Electric meters and pumps of diesel pump at Bettiah if feasible.

(iv) Complete Match box mfg. unit at Ramnagar.

उद्यमकर्ताओं को उद्योगों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करना

3300. **श्री वनमाली पटनायक** : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नए उद्यमकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार हैं;

(ख) क्या देश में औद्योगिक क्रान्ति लाने के लिए कोई योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रमण्यम) : (क) ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने की दृष्टि से, जिसमें लघु, मझौले तथा नये उद्यमियों को आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्रत, गुंजाइश और वातावरण मिल सके। सरकार ने नीति संबंधी अनेक परिवर्तनों की पहले ही घोषणा कर दी है और लाइसेंस देने की कार्यविधियों के दिशा निर्देशन के लिए भी कदम उठाए हैं । लाइसेंस के लिए छूट की सीमा कुछ शर्तों के अधीन 25 लाख रु० से बढ़ा कर एक करोड़ रु० तक कर दी गई है इसका उदेश्य औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया से गुजरे बिना नए उद्यमिमों को उद्योग शुरु करने के लिए प्रोत्साहित करना था । इस बात को सुनिश्चय करने के लिए सावधानी बरती गई है कि बृहतर औद्योगिक गृहों अधिकांश विदेशी पूंजी वाले साथ और प्रभावशाली उपक्रमों से संबंधत उपक्रम इस क्षेत्रों में प्रवेश न करें जिससे वे इस प्रकार छूट पाने के हकदार न रहें। इसके अलावा, उन क्षेत्रों में लघु उद्योगों का विकास करने के लिए जिनमें इन्होंने अपनी योग्यता सिद्ध कर दी है । लगभग 124 वस्तुएं लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दी गई है और इस सूची को और अधिक बड़ा करने की संभावना की सतत समीक्षा की जाती है ।

(ख) तथा (ग) : देश के औद्योगिक विकास की गति में पर्याप्त वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में अनेक उपाय आरम्भ किए हैं । चौथी पंचवर्षीय योजना में संगठित औद्योगिक और खनिज क्षेत्र में 5298 करोड़ रु० का विनियोजन करने का विचार था । इसी तरह पाचंवी पंचवर्षीय योजना में भी पर्याप्त विनियोजन किया जाएगा । इसके अलावा विद्युत, परिवहन तथा कृषि जैसे क्षेत्रों में आयोजित भारी विनियोजन से औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलने की आशा है । औद्योगिक लाइसेंस नीति पुन. उन्नतिशील बना दी गई है ताकि लघु तथा मझोले उद्यमियों चाहे वे विद्यमान हों या नए को अधिक स्वतंत्रा और अवसर प्रदान किए जा सकें । लघु क्षेत्र तथा शिक्षित बेरोजगारों के लिए प्रस्तावित अन्य विभिन्न उपायों या इस समय कार्यान्वित किए जा रहे उपायों को साथ मिला कर अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन तथा उद्यमिता के आधार को नई शक्ति और चेतना मिलने की आशा है । लाइसेस से छूट की सीमा एक करोड़ तक बढ़ाने और एक करोड़ तक बिना लाइसेंस के विस्तार करने की गुंजाइश से, जो कुछ शर्तों के अधीन हैं, बड़ी संख्या में मझोले उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिलने को आशा की जा सकती है । संतुलित क्षेत्रीय विकास हेतु सम्मिलित उपाय जिनमें वित्तीय प्रोत्साहन भी शामलि है , आरम्भ कर दिए गए हैं, उत्पादन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मांग तथा पूर्ति के बीच के अन्तर को दूर करने के लिए सरकारी क्षेत्र के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने का प्रस्ताव है। प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण से और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं की ऋण संबंधी नीतियों को ध्यान में रखते हुए, औद्योगिक ऋण नीति का नया पूर्वाभिमुखीकरण किया गया है। जिससे मझोले तथा

छोटे उद्यमियों को निर्बाध रूप से अधिक ऋण सुविधाएं उपलब्ध होंगी। देशी तकनीकी संबंधी विकास की गति तेज करने के लिए अनेक उपाय शुरू कर दिए हैं। आशा है कि इन सब उपायों से देश के औद्योगिक विकास को आगे आने वाले वर्षों में नई दिशा मिल सकेगी।

Allocation of Funds to M.P. for Fifth Plan

3301. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether any special funds are proposed to be allocated to Madhya Pradesh in view of its economic backwardness, while preparing the Fifth Five Year Plan; and

(b) if so, the amount thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia): (a) Planning Commission has yet to take a view on matters relating to the size of the Fifth Five Year plans of States and other related matters.

(b) Does not arise.

आकाशवाणी और टेलीविजन प्रसारणों में सुधार

3302. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी और टेलीविजन के प्रसारणों में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

(ख) यदि प्रसारणों में यह गिरावट प्रबन्ध के कारण अथवा नीति निर्धारण स्तर पर है, तो इसमें कब तक सुधार किया जायेगा; और

(ग) रेडियो और टेलीविजन लाइसेंस की संख्या बढ़ने पर भी मंत्रालय के प्रसारणों में सुधार करने में समर्थन न होने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) कार्यक्रमों में सुधार एक सतत् प्रक्रिया है जिसका सम्बन्ध धन की उपलब्धि से है। इसमें, आकाशवाणी के मुख्यालय तथा केन्द्रों में सलाहकार समितियों, जिनमें प्रख्यात जन सेवक, विषय विशेषज्ञ, कलाकार आदि होते हैं, के द्वारा सहायता की जाती है। श्रोताओं की प्रतिक्रियाएं तथा सुझाव श्रोताओं के सर्वेक्षणों द्वारा मालूम किये जाते है। स्टाफ् के कार्य में सुधार के लिए, प्रशिक्षण कोर्स की व्यवस्था की जाती है और उन्हें नये विचारों तथा तकनीक से अवगत कराया जाता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) कार्यक्रमों के सुधार तथा टेलीविज़न और रेडियो लाइसेंसो की वृद्धि के बीच कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है क्योकि इन लाइसेंसों से प्राप्त आय केन्द्रीय राजस्व में जाती है, न कि इसे सीधा आकाशवाणी को उपलब्ध किया जाता है ।

वेस्टर्न कोर्ट क्षेत्र के लिए दोषमुक्त टेलीफोन एक्सचेंज

3303. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या नया टेलीफोन एक्सचेंज, जो वेस्टर्न कोर्ट और इसके आस-पास क्षेत्रों में टेलीफोन सम्बन्धी सेवाएं प्रदान कर रहा है, प्रायः खराब रहता है :

(ख) यदि नहीं, तो इस नये टेलीफोन एक्सचेंज के विरुद्ध अनेक शिकायतों के क्या कारण हैं, और

(ग) यदि हां , तो इन दोषों को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) जी हां, जो उपस्कर सप्लाई किए गए हैं उन में उत्पादन सम्बन्धी कुछ दोष है। इनके कारण एक्सचेंज ठीक तरह से काम नहीं कर कर रहा है अर्थात डायल टोन देर से आती है , गलत कनेक्शन मिल जाते हैं आदि ।

(ग) इस के सुधार के लिए कुछ कार्रवाइयां की गई है । इनसे एक्सचेंज के कार्य चालन में कुछ हद तक सुधार हुआ है । दोषपूर्ण को बदलने के लिए और सर्किट की कुछ खास कमियों को दूर करने के लिए भी कार्रवाई की गई है ।

बिहार में कुटकु परियोजना

3304. **कुमारी कमला कुमारी** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में कुटकु परियोजना को योजना आयोग ने स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की रूपरेखा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग): उत्तर कोइल नामक परियोजना में, ऊंची सतही सोन नहर की जल-संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त एक ऊंची सतह की नहर के माध्यम से प्रति वर्ष 1.3 लाख हैक्टयर भूमि की सिंचाई के लिए कुटकु में एक बांध का निर्माण तथा पलामू जिले में उत्तरी कोइल नदी पर जो कि सोन नदी की एक सहायक नदी है पर स्थित मोहम्मदगंज में एक छोटा बांध बनाना शामिल है । इस परियोजना में लगभग 30 करोड़ रुपये की लागत आन का अनुमान है । केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में इस परियोजना की जांच की गई है तथा तकनीकी टिप्पणियां राज्य सरकार को स्पष्टीकरण के लिए भेज दी गई हैं। स्पष्टीकरणों की प्रतीक्षा की जा रही है।

यह मामला, सोन नदी के जल के भाग के संबंध में बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के बीच होने वाले समझौते की वजह से भी रुका हुआ है ।

क्षेत्रीय परिषद की बैठकों के निष्कर्ष

3305. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में प्रत्यक क्षेत्रीय परिषद् की कितनी बैठकें हुई; और

(ख) ये परिषदें किस सीमा तक अन्तर्राज्यीय असमानतायें दूर करने में सफल हुई हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) प्रत्येक की एक।

(ख) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अनुसार क्षेत्रीय परिषदें निम्नलिखित विशेष कार्य करती हैं :—

(क) आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन के क्षेत्र में सामान्य हित का कोई विषय;

(ख) सीमा विवादों, भाषायी अल्पसंख्यकों अथवा अन्तर्राज्यीय परिवहन से संबंधित कोई विषय; और

(ग) इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित अथवा उससे उत्पन्न कोई विषय।

इस प्रकार क्षेत्रीय परिषदों का अन्तर्राज्यीय असमानताओं के संकल्प से कोई सीधा संबंध नहीं है।

रिकार्ड उद्योग में एकाधिकारी

3306. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि एच० एम० वी० द्वारा संरक्षण प्राप्त ग्रामोफोन कम्पनी आफ इंडिया का अभी तक रिकार्ड उद्योग में एकाधिकार बना हुआ है; और

(ख) क्या इसे अपने नियंत्रण में लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है; और यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रमण्यम) : (क) तकनीकी विकास महानिदेशालय की सूची में मैं० दि ग्रामोफोन कम्पनी आफ इण्डिया लि० ही एकमात्र ऐसा एकक है जो ग्रामोफोन के रिकार्डों का उत्पादन कर रहा है। मैं० पोलीडर आफ इण्डिया लि० नामक एक दूसरा एकक लघुक्षेत्र में ग्रामोफोन रिकार्ड बना रहा है। उन्होंने हाल ही में प्रतिवर्ष 30 लाख की क्षमता के पंजीयन के लिये तकनीकी विकास महानिदेशालय में आवेदन पत्र दिया है। दो और योजनायें स्वीकृत की गई हैं किन्तु उन्हें अभी उत्पादन शुरू करना है।

(ख) कम्पनी को अधिकार में लेने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष नहीं हैं।

बंगाल फिल्म उद्योग के बारे में 'अध्ययन दल'

3307. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना और प्रसारण के तत्कालीन सचिव श्री आर०सी० दत्त के नेतृत्व में, बंगाल फिल्म उद्योग की समस्याओं के बारे में, कलकत्ता भेजे गये 'अध्ययन दल' का पूरा प्रतिवेदन उनके मंत्रालय को मिल गया है;

(ख) क्या प्रतिवदन में वहां रंग प्रयोग शाला (कलर लेबोरेटरी) की व्यवस्था का सुझाव दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो क्या उनके मन्त्रालय का विचार राज्य सरकार को धन देने का है ताकि वह कलकत्ता में फिल्मों के परिष्करण के लिए रंग प्रयोगशाला स्थापित कर सके?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) जी हां।

(ग) जी, नहीं; अध्ययन दल ने यह सुझाव दिया था कि इसको एक सक्षम व्यावसायिक संगठन द्वारा की गई संभाव्य (फीजीबलिटी) रिपोर्ट के आधार पर संयुक्त क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है।

कलकत्ता के टेलीफोनों का ठीक प्रकार से कार्य न करना

3308. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कलकत्ता, विशेष रूप से ट्रंक डिवीज़न, के टेलीफोनों के ठीक प्रकार से कार्य न करन के बारे में कोई जांच की है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले।

(ख) क्या कर्मचारियों को नियमानुसार इस प्रकार छुट्टी लेने का हक है जिससे ट्रंक विभाग के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; और

(ग) यदि नहीं, तो वहां पर इस प्रकार की स्थिति के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) कलकत्ता ट्रंक एक्सचेंज के ठीक तरह से कार्य करने पर कोई विशेष विपरीत प्रभाव डालने वाली कोई घटना जानकारी में नहीं आई है । इसलिए इस बारे में कोई जांच करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) और (ग) : जी नहीं। कर्मचारियों को निर्धारित नियमों के अनुसार छुट्टी मंजूर की जाती है फिर भी, कलकत्ता जैसे एक्सचेंज में जहां पूरे तौर पर महिलाएं काम करती हैं, अनुपस्थिति बहुत ज्यादा तादाद में होती है । ऐसे कदम उठाए गए हैं कि ज्यादा तादाद में अनुपस्थिति की समस्या पर काबू पाने के लिए दैनिक वेतन पर काम करने वाले अंशकालिक टेलीफोन आपरेटर नियुक्त कर लिए जाएं।

लघु क्षेत्र को दुर्लभ कच्चा माल वितरण करने सम्बन्धी नीति का पुनर्विलोकन करने के लिए गुजरात का अनुरोध

3309. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार न केन्द्रीय सरकार को अनुरोध किया है कि लघु क्षेत्र को दुर्लभ कच्चा माल वितरण संबंधी नीति का पुनर्विलोकन किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जिआउर रहमान अन्सारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्यों में फोरेनसिक लेबोरेटरीज की स्थापना करना

3310. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपराधियों को वैज्ञानिक ढंग से ढूंढने के लिए सरकार का विचार सभी राज्यों में फोरेनसिक लेबोरैटरीज की स्थापना करने का है; और

(ख) वे राज्य कौन-कौन से हैं जहां ऐसी लेबोरैटरीज पहले से ही कार्य कर रही हैं।

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सूचना निम्नलिखित है :--

(i) **जिन राज्यों में फोरेनेसिक लेबोरेटरीज हैं वे इस प्रकार हैं :—**

महाराष्ट्र, बंगाल, तमिल नाडु, बिहार, मध्य प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, केरल, मैसूर, चण्डीगढ़, दिल्ली, उड़ीसा, राजस्थान, असम और हरियाणा ।

(ii) **जिन राज्यों में कैमिकल एग्जामिनर लेबोरेटरीज हैं वे इस प्रकार हैं —**

जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, पंजाब और गुजरात ।

पूर्वी राज्यों में विदेशी शक्तियों की गतिविधियां

3313. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री ग्यालार रवि :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 फरवरी, 1973 के "न्यू एज" और "पैट्रियट" तथा 22 फरवरी

1973 के "हिन्दू" में पूर्वी राज्यों में विशेषकर संवदनशील सीमा क्षत्र में विदेशी शक्तियों की कार्यवाइयां के संबंध में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मामले की जांच की गई है; और

(ग) उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कॅन्द्र पन्त) : (क) से (ग) सरकार ने संबंधित समाचार देखे हैं । देश में हाल के आन्दोलनों में विदेशियों के तथाकथित अर्न्तग्रस्त होने के बारे में कोई निश्चित सूचना नहीं है फिर भी इस संबंध में अत्याधिक सतर्कता बर्ती जा रही है ।

बिना डाक-सम्पर्क वाले गांव

3314. **श्री के० लकप्पा :**
श्री पी० के० देव :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने गांव ऐसे हैं जहां पर किसी भी प्रकार का डाक-सम्पर्क नहीं है; और

(ख) ऐसे गांवों के संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्रीं हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) इस तरह का कोई गांव नहीं है ।

(ख) और (क) में दिए गए उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

समाचार पत्रों का राष्ट्रीयकरण

3315. **श्री के० लकप्पा :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता पर अकुंश लगाने अथवा उनका राष्ट्रीयकरण करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

योजना आयोग द्वारा बुलाई गई राज्यों के मुख्य सचिवों और योजना सचिवों की बैठक

3316. **श्री के लकप्पा :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने नई दिल्ली में 31 जनवरी, 1973 को राज्यों के मुख्य सचिवों और योजना सचिवों की एक बैठक बुलाई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया और इसमें क्या निर्णय लिये गये ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) : राज्यों तथा संघ-शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों और योजना सचिवों की एक बैठक योजना आयोग ने 31 जनवरी, 1973 को नई दिल्ली में बुलाई थी। बैठक में निम्नांकित विषयों पर विचार हुआ :—

1. राज्यों से पांचवीं पंचवर्षीय योजना की तैयारी के लिये समय-सारिणी।

2. पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिये राज्यों के संसाधन—अतिरिक्त संसाधन जुटाना।

3. न्यूनतम आवश्यकताओं के कार्यक्रम तैयार करना।

4. पिछड़े क्षेत्रों का समेकित विकास—बहुस्तरीय आयोजन।

5. राज्यों में आयोजन तन्त्र।

6. चालू परियोजनाओं को जल्दी पूरा करना।

7. सिंचाई और कृषि विकास के लिये समेकित आयोजन।

8. शिक्षित बेरोजगारी के लिये विशेष रोजगार कार्यक्रम।

यह बैठक मुख्यत: ऊपर बताये गये विषयों पर राज्य सरकारों के विचार जानने तथा "पाँचवीं योजना के प्रतिदृष्टिकोण" पत्र में निहित विभिन्न नीति सम्बन्धी निर्णयों पर बल देने के लिये बुलाई गई थी, ताकि राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की योजनाओं में इनका होना सुनिश्चित किया जा सके।

बिना लाइसेंस वाले रेडियो और टेलीविजन

3317. **श्री मोहम्मद शरीफ :**

श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक रेडियो और टेलीविजन सैट बगैर लाइसेंस के ही चलाये जा रहे हैं :

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी आंकड़े राज्यवार क्या हैं :

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की मुख्य बातें क्या हैं और

(घ) इस वर्ष अर्थात् 31 जनवरी, 1973 तक देश में रेडियो और टेलीविजन सैटों के लाइसेंस शुल्क के रूप में, राज्यवार, लगभग कितनी राशि वसूल की गई?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) यह सूचना उपलब्ध नहीं है। हो सकता है कि देश में बगर लाइसेंस के कुछ रेडियो और टेलीविजन सेट चल रहे हों।

(ख) और (ग) यह संभव नहीं है कि बगैर लाइसेंस के चल रहे रेडियो और टेलीविजन सेट के बारे में राज्यवार ब्यौरा प्राप्त किया जा सके।

बगैर लाइसेंस के चल रहे रेडियो और टेलीविजन सैट का पता लगाने के लिये एन्टी-इवेजन स्टाफ नियमित रूप से जांच करता है और मुहिम चलाता है। ऐसे सभी मामलों में जो पकड़ में आते हैं, सामान्य लाइसेंस फीस के अतिरिक्त सरचार्ज वसूल करने के बाद दोषी व्यक्तियों को उचित लाइसेंस जारी कर दिये जाते हैं। जो व्यक्ति निर्धारित फीस का भुगतान करने से इन्कार करते हैं उनके खिलाफ अदालती

कार्रवाई की जाती है। सन् 1969–70 और 1971 में जो मामले पकड़ में आए और जो राजस्व वसूल किया गया उसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं। जिन मामलो में अदालती कारवाई की गई है उनका भी उल्लेख कर दिया गया है:

वर्ष	पकड़ में आये ममलों की संख्या	राजस्व की वसूली		जोड़	ऐसे मामले जिन पर अदालती कार्रवाई की गई
		लाइसेंस फीस	सरचार्ज		
1969	1,50,285	17,54,666.50	16,87,319.50	34,41,986.00	3,635
1970	1,75,132	24,18,500.50	13,32,531.50	37,51,032.00	3,268
1971	1,86,054	22,86,423.50	21,75,215.50	44,61,639.00	6,537

(ग) यह सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

औद्योगिक प्रगति

3318. **श्री मोहम्मद शरीफ:**

श्री बी० के० दास चौधरी:

क्य **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1972 के दौरान देश में औद्योगिक प्रगति के लिये सरकार ने कोई विशेष उपाय किये थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख): सरकार ने देश में उद्योगों के विकास में तेजी लाने के लिये अनेक अभ्युपाय किये हैं। देश में औद्योगिक क्षमता अधिष्ठापित करने में नियोजित पूंजी और विदेशी मुद्रा का बेहतर उपयोग करने उद्योगों के संगठित क्षेत्र में धीमी उत्पादन दर में तेजी लाना तथा उपभोक्ता वस्तुओं को सुलभ करने के विचार से सरकार ने 1 जनवरी, 1972 को 54 विशिष्ट उद्योगों को विद्यमान अधिष्ठापित क्षमता का और अधिक उपयोग करने के लिये कुछ सुविधाओं की घोषणा की है। बाद में इन सुविधाओं को 11 और उद्योगों को सुलभ करा दिया गया था। 31 दिसम्बर, 1972 तक उक्त छूट के लिये कुल 787 आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे।

इसके अतिरिक्त सरकार ने 1972 में अनेक उद्योगों को पर्याप्त क्षमता के लिये लाइसेंस दिये हैं। जिन औद्योगिक क्षेत्रों में नये उपक्रम स्थापित करने के लिये आशय पत्र जारी किये गये हैं उनमें प्रमुख उद्योगों के नाम निम्नलिखित हैं:—

धातु कार्मिक उद्योग (57) विद्युत (51) परिवहन उपकरण (61) औद्योगिक मशीनें (32) विविध इंजीनियरी उद्योग (34) सभी प्रकार के रासायनिक उद्योक उर्वरकों के अलावा (113) तथा खाद्य परिष्करण उद्योग (33)।

सभी उपलब्ध सकेंतों से इस बात का पता चलता है कि 1972 में औद्योगिक विनियोजन में वृद्धि हुई है। लाइसेंस के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों तथा जारी किये गये आशय पत्रों की संख्या के अनुरूप स्वीकृत विदेशी सहयोगों तथा पूंजीगत वस्तुओं के आयात की संख्या में हुई वृद्धि से विनियोजन के लिय

अनुकूल प्रवृत्ति का पता चलता है। सरकारी क्षेत्र को वित्तीय संस्थाओं द्वारा वितरित की गई वित्तीय सहायता की मात्रा तथा गैर सरकारी कम्पनियों द्वारा पूंजी निर्गम नियन्त्रक की स्वीकृति से इकट्ठी पूंजी में 1972 में 1971 के आंकड़ों की अपेक्षा काफी वृद्धि दिखाई देती है 1971 के पहले 9 महीनों की तुलना में 1972 के पहले 9 महीनों का उत्पादन सूचकांक 7.3 प्रतिशत रहा।

सरकार ने और अधिक क्षमता स्थापित करने तथा परियोजनाओं का शीघ्र एवं व्यवस्थित क्रियान्वयन करने के लिये अनेक अध्ययन तथा अभ्युपाय भी किये हैं।

दुग्ध उत्पादों के उत्पादन के लिए नए एकक

3321. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी और निजी क्षेत्र के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादों के उत्पादन के लिये नये एकक स्थापित करने का राज्यवार कार्यक्रम, उनकी राज्यवार क्षमता तथा उत्पादन करने सम्बन्धी उनका कार्यक्रम क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : सरकार ने दुग्ध उत्पादों के उत्पादन के लिये निजी क्षेत्र में 10 तथा सरकारी क्षेत्र में 6 नये एककों की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की है। राज्यवार धारा देते हुये इन एककों के सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है। 1975 तक इन परियोजनाओं के पूरी हो जाने की आशा है।

इसके अलावा, पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र में 19 नये दूध उत्पादन करने वाले कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन परियोजनाओं के ब्यौरों को अभी बनाया जाना है।

राज्य का नाम	उत्पाद का नाम	क्षमता	एककों की संख्या	
			निजी क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र
1	2	3	4	5
		(मी० टनों में)		
आन्ध्र प्रदेश	माल्टेड मिल्क फूड	6,000	1	
गुजरात	दुग्ध चूर्ण	8,000	2	
गोवा .	शिशु आहार	2,500	1	
मध्य प्रदेश	—वही—	2,409	1	..
हरियाणा	—वही—	1,500	..	1
	जमाया हुआ दूध	2,000	..	1
पंजाब .	शिशु आहार	2,000	1	
	दुग्ध चूर्ण	1,500		
	जमाया हुआ दूध	1,200		
	मक्खन रहित दुग्ध चूर्ण	3,650		2
राजस्थान	शिशु आहार	2,500	2	
	दुग्ध चूर्ण	3,500		
	जमाया हुआ दूध	3,000		
	माल्टेड मिल्क फूड	4,000		
तमिलनाडु . .	शिशु आहार	2,500	1	..

1	2	3	4	5
उत्तर प्रदेश	शिशु आहार	2,500	1	
बिहार	मक्खन रहित दुग्ध			
	चूर्ण	1,200		
	संपूर्ण दुग्ध चूर्ण	400		1
	शिशु आहार	800		
	केसीन	100		
पश्चिमी बंगाल	मक्खन रहित दुग्ध चूर्ण	2,000	..	1

भारत ओपथाल्मिक ग्लास प्रोजेक्ट लिमिटेड को हुई हानि

3322. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ओपथाल्मिक ग्लास प्राजेक्ट लिमिटेड में हानि बढ़ती जा रही है ;

(ख) इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

ग) लगातार हो रही हानि को रोकने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० के० मुकर्जी) : (क) जी, नहीं । चालू वित्तीय वर्ष में 85 लाख रुपये की हानि होने का अनुमान है जबकि 1971-72 में 92.87 लाख रुपये की हानि हुई थी।

(ख) अधिष्ठापित क्षमता का बहुत ही कम उपयोग करने के कारण कम्पनी को मुख्यरूप से हानि हुई। इसका कारण (क) तकनीकी सम्बन्धी कुछ समस्यायें और (ख) असंतोषजनक श्रमिक सम्बन्धों के कारण श्रमिक उत्पादकता का कम होना है।

(ग) संयंत्र की आर्थिक जीव्यता सुधारने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं: --

(1) तकनीक सम्बन्धी समस्याओं का पर्याप्त सीमा तक पता लगा लिया गया है।

(2) अक्टूबर, 1971 में ट्रेड यूनियनों के साथ हुये त्रिपक्षीय मजदूरी समझौते से । जिसमें मजदूरी में पर्याप्त वृद्धि करने की व्यवस्था है, 11 सितम्बर, 1972 से प्रोत्साहन योजना के भी शुरू होने से औद्योगिक बातावरण में सुधार हो गया है जिससे उत्पादन अच्छा हो रहा है।

(3) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विचार ने इस उपक्रम की समस्याओं की जांच करने और इसकी जीव्यता में सुधार के लिये उपाय सुझाने हेतु एक समिति नियुक्त की है ।

(4) प्रतिरक्षा के लिये आवश्यक टैंक पेरिस्कोप प्रीज्मस, ब्लैन्कों के लिये फिलन्ट बटन क्राउन बेस, कैमरा लेन्सों हेतु आप्टिकल ग्लास, रंगीन ब्लैन्क आदि जैसी अधिक कीमती और लाभप्रद वस्तुओं को सम्मिलित करके उत्पादन श्रेणी में विविधता लाने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

इनमें से कुछ वस्तुओं का उत्पादन शुरू हो गया है।

भारत ओपथाल्मिक ग्लास प्रोजैक्ट के कर्मचारियों को आवास की सुविधायें

3323. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ओपथाल्मिक ग्लास प्रोजैक्ट में कुल कितने कर्मचारी/श्रमिक हैं;

(ख) उनके लिए कुल कितने मकानों का निर्माण किया गया है;

(ग) कर्मचारियों/श्रमिकों को आवास की पूरी सुविधायें देने के लिए क्या व्यवस्था की गई है; और

(घ) जिन कर्मचारियों/श्रमिकों को मकान नहीं दिये गये हैं, उन्हें इस प्रयोजनार्थ सहायता देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) भारत ओपथाल्मिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर में इस समय कुल 534 कर्मचारी हैं।

(ख) भारत ओप्थाल्मिक ग्लास लि० की फिलहाल अपनी कोई बस्ती नहीं है। किन्तु आस-पास के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से 134 क्वार्टर किराये पर लेकर भारत ओप्थाल्मिक ग्लास लि० के कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर आवंटित किए गये हैं।

(ग) भारत ओप्थाल्मिक ग्लास लि० के लिये एक अलग आवास बस्ती का निर्माण पहले ही शुरू किया जा चुका है। 179 इकाइयों का पहला चरण पूरा होने वाला है। और इकाइयों के निर्माण के प्रश्न पर दुर्गापुर हाउसिंग बोर्ड, फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया, दुर्गापुर आदि से किराये पर मिलने वाले आवास की संभावना की जांच करने के पश्चात् विचार किया जायेगा।

(घ) इस समय इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

भारत ओपथाल्मिक ग्लास प्रोजैक्ट की कैन्टीन

3324. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ओप्थाल्मिक ग्लास प्रोजैक्ट लिमिटेड में इस समय कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ख) क्या वे केन्टीन में 240 दिन से अधिक का सेवाकाल पूरा कर चुके हैं; और

(ग) निगम के स्थायी संस्थान में 240 दिन का सेवाकाल पूरा करने के पश्चात् उन्हें नियमित बनाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) अठारह है और सबने 240 दिन का सेवाकाल पूरा कर लिया है।

(ग) कैन्टीन के कर्मचारी कम्पनी के कर्मचारी नहीं है। केन्टीन प्रबन्ध समिति द्वारा वे अलग से नियुक्त किए जाते हैं। तदनुसार, कम्पनी के कर्मचारियों के रूप में उन्हें नियमित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

भारत ओपथाल्मिक ग्लास प्रोजैक्ट, दुर्गापुर का कार्यक्रम

3325. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ओपथाल्मिक ग्लास प्रोजैक्ट, दुर्गापुर का वर्ष 1972-73 का उत्पादन कार्यक्रम पूरा हो गया है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) प्रोजेक्ट के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) 1972-73 के उत्पादन के लक्ष्य में कमी के निम्नलिखित कारण बताए जाते हैं :—

(i) डबल पाट फरनेस में सुधार शिथिल होने के कारण दिसम्बर, 1972 और जनवरी, 1973 में कुछ भी उत्पादन नहीं हुआ;

(ii) फायर क्ले जैसे देशी कच्चे माल की विशेषताओं के कारण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में निर्देशित एक पाट में से 6 मेल्टस के बजाय 3 मेल्टस ही प्राप्त हो रहे हैं।

(iii) श्रमिकों द्वारा कम उत्पादन।

(ख) परियोजना के कार्यकरण में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गये है :—

(i) डबल पाट फरनेस की मरम्मत की जा चुकी है तथा उसमें उत्पादन प्रारम्भ हो गया है।

(ii) पाट की किस्म में सुधार के लिए अनुसंधान और विकास कार्य चल रहा है।

(iii) श्रमिकों द्वारा उत्पादन में सुधार लाने हेतु एक प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ कर दी गई है जिससे उत्साहवर्धक रुख दिखाई दिया है।

भारत ओप्थाल्मिक ग्लास प्रोजैक्ट द्वारा लेंपों का निर्माण

3326. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सघन योजना लागू करने के पश्चात् भारत ओप्थाल्मिक ग्लास प्रोजैक्ट में अक्टूबर और नवम्बर, 1972 के महीनों में क्रमशः कुल 1145 और 3062 काम के घंटे बेकार गये;

(ख) क्या भारत ओप्थाल्मिक ग्लास प्रोजैक्ट द्वारा निर्मित्त 80 प्रतिशत लेंस दोषयुक्त पाये गये; और

(ग) क्या इसके कारण और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का पता लगाने के लिए उचित जांच की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) अक्टूबर और नवम्बर में वास्तव में क्रमशः 1502 तथा 5806 काम के घंटे बेकार गये।

(ख) जी, नहीं। दिसम्बर 1972, जनवरी 1973 और फरवरी 1973 में क्रमशः लगभग 48 प्रतिशत, 40 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत लेन्स रद्द किए गये। तकनीकी प्रक्रिया के अनुसार लेन्स विभाग में प्रसामान्यतः लगभग 35 प्रतिशत लेन्सों का रद्द किया जाना सामान्य है।

(ग) कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण उन्हें रद्द करना पड़ा जिसका प्रतिशत स्वीकृत सिद्धान्त के भीतर ही है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुसंधान तथा विकास संगठन को धन का आवंटन

3327. **श्री पी० ए० सामीनाथन :**

श्री सी० टी० दण्डापाणि :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति किस प्रकार का अनुसंधान और विकास कार्य करेगी तथा देश में समस्त अनुसंधान और विकास संगठनों को कितना धन आबंटित किया जायेगा; और

(ख) क्या इस अनुसंधान से निकलने वाले परिणाम राष्ट्रीय सम्पत्ति माने जायेंगे ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति केवल एक परामर्श अंग है जिसका कार्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ राष्ट्र की रक्षा तथा उन्नति में उनके प्रयोग के लिये सरकार की सहायता करना है। अतएव यह अनुसंधान और विकास कार्य को स्वयं कार्यान्वित नहीं करती। उपस्थित यह समिति राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना के निर्माण में संलग्न है जो कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना का एक अभिन्न अंग है तथा जिसमें समस्या-प्रधान अनुसंधान कार्य पर बल दिया जायेगा। दूसरी ओर इसके साथ मूल अनुसंधान का सम्पर्क स्थापित किया जायेगा तथा दीर्घकालीन संदर्श और आवश्यकताओं की दृष्टिकोण से "नई सीमाओं" से संबंधित अनुसंधान कार्य की उपेक्षा नहीं की जायेगी। योजना की विमितीय परिकल्पनाएं निर्धारित की जा रही हैं तथा सरकार द्वारा प्रमुखताओं की स्थिर और स्वीकृत करने के उपरान्त निश्चित और सही आवंटन चिन्हित किये जायेंगे।

(ख) जी, हां। निजी क्षेत्र में भी अन्य संभाव्य उपयोक्ताओं के साथ अनुसंधान के लाभांश प्राप्त करने के प्रयत्न किये जायेंगे।

मैसूर में डाक-घर की सुविधा वाले गांव

3328. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में ऐसे कुल कितने गांव है जहां डाक-घर हैं और ऐसे कितने गांव हैं जहां डाक-घर की सुविधा नहीं है; और

(ख) वर्ष 1973-74 में कितने गांवों में डाक-घर की सुविधा उपलब्ध की जाएगी ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) उन गांवों की संख्या जहां डाक-घर हैं--7663, उन गांवों की संख्या जहां डाक-घर नहीं हैं--18714।

(ख) 120।

दिल्ली का औद्योगिक विकास

3329. **श्री रामसहाय पांडे :**

श्री पी० वेंकटसुब्बया :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली के औद्योगिक विकास के लिये एक योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में इस योजना के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले मुख्य-मुख्य उद्योग कौन से होंगे ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) पांचवीं पंच वर्षीय योजनावार में औद्योगिक विकास करने सम्बन्धी केन्द्र शासित दिल्ली की योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में इस सम्बन्ध में मुख्य बातें बता सकना संभव नहीं है।

पिछड़े क्षेत्रों में और विशेष रूप से मध्य प्रदेश में औद्योगिक सम्पदाएं

3330. **श्री रामसहाय पांडे** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे देश में उद्योगों के युक्ति संगत विकास के लिए देश में अधिक औद्योगिक संपदाएं स्थापित करने के लिए योजना बनाई गई है;

(ख) क्या पिछड़े क्षेत्रों में इन औद्योगिक संपदाओं की स्थापना को प्राथमिकता दी जायेगी; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश की औद्योगिक क्षमता का कोई सर्वेक्षण किया गया है और क्या पांचवीं योजना में वहां कोई औद्योगिक संपदाएं स्थापित की जायेंगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के मार्गदर्शन के लिए नीति निर्धारित करती है और औद्योगिक बस्तियों से संबंधित योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक धन देती है। यह राज्य सरकारों का काम है कि वे विभिन्न राज्यों की स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए पिछड़े तथा अन्य क्षेत्रों में औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने में प्राथमिकता देने के बारे में निश्चय करें।

(ग) नेशनल कौंसिल आफ एप्लाइड इकोनामिक रिसर्च द्वारा मध्य प्रदेश में किए गए तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण के अलावा, लघु उद्योग सेवा संस्थान, इंदौर ने मध्य प्रदेश के राज्य उद्योग निदेशालय की सहायता से फरवरी, 1973 में मध्य प्रदेश के 12 जिलों/क्षेत्रों में औद्योगिक विभाग का सर्वेक्षण किया है। मध्य प्रदेश सरकार का पंचम पंचवर्षीय योजना में 10.90 करोड़ रुपये के परिव्यय से औद्योगिक बस्ती कार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव है।

भारतीय टेलीविजन के उद्देश्यों पर गोष्ठी

3331. **श्री रामसहाय पांडे :**

श्री अर्जुन सेठी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में भारतीय टेलीविजन के उद्देश्यों पर एक गोष्ठी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस गोष्ठी में क्या-क्या मुख्य सुझाव दिये गये थे; और

(ग) इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) संगोष्ठी की सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4498/73]

(ग) संगोष्ठी में की गई सिफारिशें विचाराधीन हैं।

दिल्ली पुलिस सेवा में स्थानान्तरण

3332 **श्री डी० के० पंडा** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने राजधानी में छः ऊंचे पुलिस अधिकारियों का स्थानान्तरण करने के आदेश दिये थे और पुलिस प्रशासन में परिवर्तन किया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) दिल्ली प्रशासन ने हाल ही में पुलिस अधीक्षक के पद के छः अधिकारियों को स्थानान्तरित करने के आदेश दिये थे। प्रशासन ने राजधानी में इस प्रकार पुलिस प्रशासन में परिवर्तन नहीं किया है।

(ख) प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये छः अधिकारियों का स्थानान्तरण लोक हित में किया गया था।

प्रभावकारी कार्यक्रमों के संबंध में टेलीविजन केन्द्रों को परामर्श देने के लिए विशेषज्ञों के एक दल का गठन करना

3333. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, शिक्षा, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों सम्बन्धी प्रभावकारी कार्यक्रमों के सम्बन्ध में टेलीविजन केन्द्रों को परामर्श देने के लिए विशेषज्ञों के एक दल का गठन करने का विचार है; और

(ख) क्या टेलीविजन केन्द्रों की व्यवस्था और गठन में कोई परिवर्तन करने का भी विचार है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) दिल्ली टेलीविजन केन्द्र को सलाह देने के लिए संबंधित मंत्रालयों से विषयों के विशेष जानकारी रखने वालों तथा विशेषज्ञों की समितियां हैं, जो केन्द्र को दिल्ली के कार्यक्रमों के संयोजन में सहायता करती है। बम्बई के टेलीविजन केन्द्र के लिए भी भविष्य में ऐसी ही समितियों का गठन किया जायगा।

(ख) टेलीविजन केन्द्र के लिए एक मानक स्टाफ तथा संगठनात्मक ढांचा निर्धारित करने का प्रश्न विचाराधीन है।

लघु उद्योग स्थापित करने हेतु उद्यमकर्ताओं के लिए प्रचार साहित्य

3334. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग स्थापित करने के लिए ग्राम स्तर पर कोई सहायता उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या लघु उद्योग क्षेत्र के भावी उद्यमकर्त्ताओं के उपयोग के लिए हिन्दी और अन्य भाषाओं में सरल प्रचार साहित्य प्रकाशित किया गया है;

(ग) क्या स्थानीय युवा शिक्षित उद्यमकर्त्ताओं द्वारा पूछी जाने वाली जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर कोई व्यवस्था है; और

(ख) क्या देश के सभी जिलों का तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और लघु उद्योग स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तियों को यह उपलब्ध है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्): (क) जी, हां। ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम और पिछड़े क्षेत्रों की योजना के अन्तर्गत जिलों को निम्नलिखित प्रमुख सहायताएं उपलब्ध हैं :—

(i) **ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम :**

(1) राज्यों में परियोजना (प्रोजैक्ट) संगठनों की लागत के लिए शत प्रतिशत सहायता की व्यवस्था;

(2) राजसहायता प्राप्त ब्याज की दर पर परियोजना क्षेत्रों में ऋण की सहायता;

(3) लघु उद्योग सेवा संस्थान द्वारा उद्यमियों तथा कारीगरों को मौके पर परामर्श और सहायता;

(4) परियोजना क्षेत्रों में लघु उद्योग एककों के लिए दुर्लभ कच्चे माल का आरक्षण;

(5) ग्रामीण उद्योग परियोजना क्षेत्रों में कारीगरों तथा औद्योगिक एककों के लिए धन देने की विशेष उपाधीकृत योजना ।

(ii) **पिछड़े क्षेत्रों की योजना :**

(1) राष्ट्रीय वित्त संस्थानों द्वारा रियायती ब्याज की दर पर वित्त की व्यवस्था;

(2) सौ पिछड़े जिलों को नियत पूंजीगत निवेश पर शत प्रतिशत राजसहायता ।

(ख) जी, हां।

(ग) स्थानीय शिक्षित नौजवान उद्यमियों की पूछताछ पर राज्य सरकार के जिला उद्योग अधिकारियों द्वारा ध्यान दिया जाना।

(घ) लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा 203 जिलों/क्षेत्रों के तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण किए गए हैं। भावी उद्यमियों को लघु उद्योग सेवा संस्थान से इस प्रकार के सर्वेक्षण प्रतिवेदनों की प्रतियां मुफ्त उपलब्ध हैं।

टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले मेलों और त्यौहारों का नाम

3335. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन महत्वपूर्ण मेलों और त्योहारों के नाम क्या हैं जो टेलीविजन पर दिखाये जाते हैं; और

(ख) उन महत्वपूर्ण मेलों और त्योहारों के क्या नाम हैं जिन्हें भविष्य में टेलीविजन पर दिखाये जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) दो विवरण, जिनमें अपेक्षित नाम दिए गये हैं, संलग्न हैं । ये नाम सम्पूर्ण नहीं हैं किन्तु उन समारोहों और मेलों को दर्शाते हैं जिनमें सार्वजनिक रूचि और अपील होती है। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4499/73]

नैमित्तिक ठेके के आधार पर नई दिल्ली में टेलीविजन कर्मचारी

3336. **श्री लालजी भाई :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित टेलीविजन केन्द्र नैमित्तिक ठेके के आधार पर विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों को नियुक्त कर रहा है;

(ख) क्या इस केन्द्र में कई व्यक्ति ठेके में विघ्न के बाद नैमित्तिक ठेके पद पर छः महीने से अधिक की अवधि से कार्य कर रहे हैं; और

(ग) क्या रिक्त स्थान होने पर नये और अनुभवहीन व्यक्ति को भर्ती कर लिया जाता है और जो व्यक्ति नैमित्तिक ठेके पर काम कर चुके हैं, उनकी बिल्कुल उपेक्षा कर दी जाती है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) जी, हां।

(ख) सभी रिक्तियों में नियमित आधार पर व्यक्तियों की भर्ती होने तक या कार्यक्रम की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कैजुअल ठेके पर कतिपय व्यक्तियों को रखा जा रहा है।

(ग) जी, नहीं। जब भी इन पदों के लिए भर्ती की जाती है अन्य आवेदकों के साथ उन आवेदकों, जिन्होंने ठेके पर कार्य किया हो, पर भी विचार किया जाता है और उचित रूप से गठित चयन समितियों द्वारा उनमें से जिनको सबसे अधिक उपयुक्त पाया जाता है, उनका चयन कर लिया जाता है।

फिल्मों को प्रमाणपत्र देना

3337. **श्री सी० चित्तिबाबू**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणपत्र देने सम्बन्धी वर्त्तमान प्रक्रिया की जांच के लिए नियुक्त की गई समिति के प्रतिवेदन पर राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों तथा फिल्म उद्योग के विभिन्न वर्गों के विचार कब प्राप्त किये गये थे; और

(ख) इस समिति की सिफारिशों पर की गई अन्तिम कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) फिल्म सेंसरशिप पर जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के शीघ्र ही पश्चात् सरकार ने राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों सहित विभिन्न संस्थाओं तथा प्राधिकारियों के परामर्श से इस पर व्यापक रूप से विचार प्रारम्भ किया। विस्तृत परामर्श का कार्य वर्ष 1970 तथा 1971 में जारी रहा।

(ख) प्रश्न के सभी पहलुओं के अध्ययन करने के उपरांत, समिति की मुख्य सिफारिशों जो फिल्म सेंसर बोर्ड के पुनर्गठन तथा प्रमाणपत्र देने सम्बन्धी कुछ प्रक्रियाओं से सम्बन्धित है, के बारे में सरकार के निर्णय को लागू करने के लिए संसद के वर्त्तमान अधिवेशन में एक विधेयक के लाने का प्रस्ताव है।

फिल्म वित्त निगम की आर्थिक सहायता से बनाई गई फिल्मों को दिखाने के लिए लन्दन में केन्द्र

3338. **श्री सी० चित्तिबाबू**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फिल्म वित्त निगम की वित्तीय सहायता से बनाई गई फिल्मों को दिखाने के लिए लन्दन में केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूपरेखा क्या क्या है और इसको कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) तथा (ख) फिल्म वित्त निगम द्वारा प्रायोजित नई भारतीय फिल्मों के समारोह के सम्बन्ध में निगम के अध्यक्ष की हाल ही में लन्दन की यात्रा के दौरान, लन्दन के एक वितरक द्वारा उन्हें यह सुझाव दिया गया था कि इस प्रकार के समारोह आयोजित करने और समस्त पश्चिमी यूरोप में इन फिल्मों के बेचने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए इंग्लैण्ड में एक भारतीय फिल्म केन्द्र खोला जाए। फिल्म वित्त निगम के बोर्ड ने मामले पर विचार किया है परन्तु फिलहाल ऐसा केन्द्र खोलने का कोई इरादा नहीं है।

राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए चौथी योजना में रखी गई धनराशि

3339. **श्री सतपाल कपूर**: क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चौथी योजना में विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कुल कितनी धनराशि रखी गई है;

(ख) प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र ने उनका किस हद तक उपयोग किया है;

(ग) उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिन्होंने अधिक से अधिक तथा कम से कम राशि का उपयोग किया और उसकी प्रतिशतता क्या है; और

(घ) पूरे धन का उपयोग न करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने क्या कारण बताये हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। [ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 4500/73]।

(घ) हो सकता है कि असम तथा बिहार राज्य आवंटित राशि का पूर्ण उपयोग न कर सकें। इन राज्यों का चौथी योजना का अनुमानित व्यय इनके संसाधनों में ह्रास होने के कारण मूलतः स्वीकृत चौथी योजना परिव्यय की अपेक्षा कम है।

डाक-तार कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण

3340. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक-तार बोर्ड द्वारा देश में अपने कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के निर्माण के लिए बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के लिए इस बारे में आंकड़े क्या हैं;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना और पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितने प्रतिशत डाक-तार कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टरों का आवंटन होने की संभावना है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि ठेकेदारों क्वार्टरों के निर्माण में घटिया सामान का इस्तेमाल नहीं करते हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा): (क) चालू योजना में करीब 7,000 क्वार्टर बनाने के लिए 13.5 करोड़ रुपये खर्च करने की व्यवस्था की गई है। इनका डाक-तार सर्किलवार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है। क्योंकि प्रत्येक राज्य के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) चौथी योजना के अन्त तक 4.6 प्रतिशत कर्मचारियों को क्वार्टर दिए जाने की संभावना है। पांचवीं योजना के मसौदे में 15 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

(ग) निर्माण कार्यों के लिए जो करार किए जाते हैं उन में सी०पी०डब्ल्यू०डी० के स्टैण्डर्ड स्पेसिफिकेशन के अनुसार क्वार्टरों का निर्माण करने की व्यवस्था रहती है और काम का निरीक्षण सक्षम अधिकारियों को यह अधिकार है कि वे स्टैण्डर्ड से नीचे के काम को गिरवा दें या दन्ड के तौर पर उचित जुर्माना लगा दें। करार की इन व्यवस्थाओं से स्पेसिफिकेशन के अनुसार काम कराने में विभाग के हित को उचित रक्षा होती है।

अनुलग्नक

(लाख रुपयों में)

सर्किल	यूनिट संख्या	तकरीबन खर्च
1. आंध्र	431	865.00
2. असम	183	365.00
3. बिहार	320	69.00
4. गुजरात .	336	65.00
5. जम्मू तथा कश्मीर	60	12.00

(लाखों रुपयों में)

सर्किल	यूनिट संख्या	तकरीबन खर्च
6. केरल	317	60.00
7. मध्य प्रदेश	440	80.00
8. महाराष्ट्र	1,220	240.00
9. मैसूर	676	130.00
10. उड़ीसा	333	66.00
11. पंजाब	322	64.00
12. राजस्थान	244	48.00
13. तमिलनाडु	687	130.00
14. उत्तर प्रदेश	672	130.00
15. पश्चिमी बंगाल	209	42.00
16. दिल्ली	542	100.00
	6992	1347.00

दिल्ली पुलिस में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति

3341. **श्री सतपाल कपूर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टरों, सब-इंस्पेक्टरों, असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टरों, हैड कांस्टेबलों तथा कांस्टेबलों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इनमें प्रत्येक वर्ग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या प्रत्येक वर्ग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटे को पूरा किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और आरक्षित कोटे को किस प्रकार पूरा करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :

(क)	इंस्पेक्टर	253
	सब-इंस्पेक्टर	1330
	सहायक सब-इंस्पेक्टर	1138
	हैड कांस्टेबल	3127
	कांस्टेबल	11543

		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
(ख)	इंस्पेक्टर	9	—
	सब-इंस्पेक्टर	118	16
	सहायक सब-इंस्पेक्टर	24	—
	हैड कांस्टेबल	217	6
	कांस्टेबल	1399	43

(ग) जी नहीं, श्रीमन्। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटे को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उपयुक्त अथवा पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण पूरा नहीं किया गया है। बिना भरी रिक्तियों को अगल तीन वर्षों तक ले जाया जाता है जैसा कि नियमों के अधीन आवश्यक है और इन रिक्तियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को भर्ती करने के सभी प्रयत्न किये जाते हैं।

वैज्ञानिकों में बेरोजगारी

3342. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पर भारी व्यय करने के बावजूद वैज्ञानिकों में बेरोजगारी में काफी वृद्धि हुई है; औ

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्): (क) और (ख) रोजगार दफ्तर के चालू रजिस्टरों से उपलब्ध जानकारी के अनुसार रोजगार दफ्तरों में पंजीकृत विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार थी :—

	विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त व्यक्ति
31-12-1970 .	7,570
31-12-1971 .	10,114
30-6-1972	10,528

अनुसंधान और विकास पर किया जाने वाला जो व्यय वर्ष 1958-59 में समग्र राष्ट्रीय आय का 0.23 प्रतिशत था, वह वर्ष 1970-71 में बढ़कर 0.48 प्रतिशत हो गया था और वर्ष 1971-72 में यह राशि अनुमानतः 0.54 प्रतिशत होगी। अगर यही प्रवृत्ति जारी रही तो वर्ष 1980 तक इस बारे में व्यय की राशि के बढ़कर 1 प्रतिशत हो जाने की संभावना है।

वज्ञानिकों में बेरोजगारी बढ़ने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण अर्थ-व्यवस्था और रोजगार के अवसरों को व्यवस्था में तदनुरूपी वृद्धि हुए बिना उच्च शिक्षा और अनुसंधान के आधारभूत ढांचे में व्यापक वृद्धि होना है। उच्च शिक्षा में वृद्धि का पता इस तथ्य से लग जाता है कि वर्ष 1950 में 26 विश्वविद्यालय थे और उसके बाद लगभग 60 नये विश्वविद्यालय स्थापित किये गये हैं।

सरकार ने अभी हाल में कुछ ऐसे विशेष कार्यक्रम बनाये हैं, केवल उन्हीं से, अधिक आर्थिक गतिविधि के परिणामस्वरूप सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में सामान्य रूप से रोजगार पाने वाले व्यक्तियों के अलावा, लगभग 20,000 प्रौद्योगिकी विदों को अतिरिक्त रोजगार मिला है, जिनमें इंजीनियर और वैज्ञानिक शामिल हैं।

तीव्र गति से विकास और विशेष रूप से बनाये गये कार्यक्रमों के माध्यम से प्रौद्योगिकी विदों और वैज्ञानिकों के बीच रोजगार की समस्या का शीघ्रता से समाधान करने की आवश्यकता के बारे में सरकार पूरी तरह सजग है और इस बारे में अनेक उपाय शुरू किये गये हैं।

संयुक्त क्षेत्र के उद्यमों में व्यावसायिक व्यक्तियों को मुख्य अधिकारी के पद पर रखना

3343. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्णय लिया है कि संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों में मुख्य अधिकारी के पद पर व्यावसायिक व्यक्तियों को रखा जाएगा ;

(ख) क्या इस निर्णय को उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पहले ही क्रियान्वित किया जा चुका है और यदि नहीं, तो ऐसे एककों की संख्या कितनी है जिनके मुख्य अधिकारी व्यावसायिक व्यक्ति नहीं हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त निर्णय को सर्वप्रथम अपने मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में लागू करने का है और फिर संयुक्त क्षेत्र में और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ग) सरकार ने औद्योगिक नीति पर हाल ही में निर्णय करते समय इस बात की घोषणा की है कि सभी प्रकार के भिन्न भिन्न संयुक्त क्षेत्र के एककों के लिए प्रभावी मार्गदर्शी नीतियां तैयार करने, प्रबन्ध तथा संचालन करने जिनमें प्रत्येक मामले में वास्तविक ढांचे तथा पद्धति के विषय में समुचित निर्णय करने में इस बात का सुनिश्चय करेगी कि इनमें उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए स्वीकृति देते समय सरकार यह सुनिश्चित करना चाहेगी कि इस प्रकार की परियोजनाओं में उपयुक्त अर्हता तथा अनुभव प्राप्त व्यक्ति ही वरिष्ठ पदों पर रखे जायें और ऐसे व्यक्तियों की नियुक्तियों में संयुक्त क्षेत्र के निजी साझेदारों की अपेक्षा नियुक्ति करने का निर्णय प्रभावी रूप से निदेशक मण्डल को ही प्राप्त होना चाहिये।

औद्योगिक विकास मंत्रालय के प्रभार में सरकारी क्षेत्र के 13 उपक्रमों में से 11 में वृत्तिक प्रबंध निदेशक हैं तथा 1 में वृत्तिक अध्यक्ष है। एक उपक्रम में अन्तरिम प्रबन्ध के रूप में जब तक वृत्तिक व्यक्ति की नियुक्ति पर अन्तिम निर्णय नहीं कर लिया जाता तब तक एक गैर वृत्तिक अधिकारी कार्य कर रहा है।

टेलीफोनों के गलत बिल बनाये जाने के प्रश्न की जांच करने के लिए समिति की सदस्यता बढ़ाना

3344. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार डाक व तार विभाग द्वारा टेलीफोनों के गलत बिल बनाये जाने के प्रश्न की जांच के लिए स्थापित की गई समिति की सदस्यता को बढ़ाने का है ताकि स्वतंत्र विशेषज्ञों को इसमें शामिल किया जा सके क्योंकि समिति में इस समय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों की संख्या अधिक है और वे भी उसी विभाग के ही हैं; और

(ख) यदि हां, तो कब और कितने और सदस्य बढ़ाने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा): (क) और (ख) दिल्ली टेलीफोन की बिलिंग प्रणाली की जांच के लिए नियुक्त समिति में छह व्यक्ति हैं, जिनमें तीन जनता के प्रतिनिधि हैं। चूंकि समिति ने अपने दायरे में आने वाली मदों के सम्बन्ध में अध्ययन का काफी कुछ भाग पूरा कर लिया है, इसलिए अब समिति की सदस्य संख्या बढ़ाना न आवश्यक ही है और न ही उचित प्रतीत होता है।

आजाद हिन्द फौज के शहीदों के कब्रिस्तानों का संरक्षण

3345. **श्री समर गुह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजाद हिन्द फौज के सैंकड़ों स्वाधीनता सेनानी, जिन्होंने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में अपनी मातृ-भूमि के स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन का बलिदान किया था, इम्फाल और मणिपुर के अन्य क्षेत्रों के आस पास दफनाये गये थे;

(ख) क्या भारतीय राष्ट्रभक्तों के इन कब्रिस्तानों के सम्मानपूर्ण संक्षरण के लिये सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

नेताजी और आजाद हिन्द फौज संबंधी फिल्म डिवीजन द्वारा बनाया गया और गुम हुआ वृत्त चित्र

3347. **श्री समर गुह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेताजी और आजाद हिन्द फौज सम्बन्धी गुम हुए वृत्त चित्र को, जो तत्कालीन गृह मंत्री स्वर्गीय सरदार पटेल के मार्ग निर्देशन में पहले विभिन्न सिनेमा हालों में दिखाया गया था, फिल्म डिवीजन के श्री अरुण चौधरी द्वारा प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसको पुनः प्रिंट करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इस फिल्म को श्री अशीष मुकर्जी को देने का प्रस्ताव है जिसे नेताजी पर एक पूर्ण वृत्त चित्र बनाने का काम सौंपा गया है; और

(घ) श्री मुकर्जी द्वारा बनाई जाने वाली फिल्म किस स्थिति में है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) फिल्म को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्म दिवस का सरकारी तौर पर मनाया जाना

3348. **श्री समर गुह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष नेताजी के जन्म दिवस को मनाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने सरकारी तौर पर क्या कार्यक्रम किया;

(ख) क्या केन्द्रीय सचिवालय में नेताजी के चित्र लगाने के लिए सरकार ने कार्यवाही की है और क्या राज्य सरकारों को भी इसी आशय के आदेश दिये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) विभिन्न राज्य सरकारों और भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों को दिये गये सुझावों की सूची की एक प्रति संलग्न है। [ग्रंथालय में रखी गई/देखिये संख्या एल० टी० 4501/73] राज्य सरकारें इस बात पर विचार करने के लिए स्वतंत्र हैं कि उन्हें यह समारोह कितने अच्छ ढंग से मनाना चाहिए।

(ख) तथा (ग) सरकारी कार्यालयों में किन्हीं राष्ट्रीय नेताओं के चित्र लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा कोई अनुदेश जारी नहीं किये जाते।

साहा इंस्टीट्यूट आफ न्यूक्लीयर फिजिक्स, कलकत्ता की लायब्रेरी का कार्यकरण

3349. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहा इंस्टीट्यूट आफ न्यूक्लीयर फिजिक्स, कलकत्ता में लाइब्रेरियन का पद अनेक वर्षों से रिक्त पड़ा है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) उक्त लाइब्रेरी के काम के सामान्य घण्टों को प्रातः 9 बजे से रात्रि के 9 बजे तक (पहले थे) से घटा कर प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक (इस समय) करने के क्या कारण हैं; और

(ग) अनुसंधान कर्मचारियों के अतिरिक्त कर्मचारियों के लाइब्रेरी में निर्बाध रूप से जाने के अधिकार को, जो कि उन्हें पहले प्राप्त था, कम करने के क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां। संस्थान के विभिन्न पदों के लिए मानदण्ड निश्चित करने तथा वेतनमानों में संशोधन करने के कारण इस पद को भरने में देरी हुई है। पुस्तकालय सम्बन्धी सुविधा को परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रान परियोजना से संबद्ध करने का प्रश्न भी विचाराधीन था। इन मामलों का अब निपटारा किया जा चुका है तथा इस पद के लिए विज्ञापन दिया जा रहा है।

(ख) कलकत्ता में कठिन परिस्थितियों के कारण कार्य के घंटों में परिवर्तन किया गया था। 11 मार्च, 1970 से पुस्तकालय प्रातः 9 बजे से सांय 5.30 बजे तक खुलता है।

(ग) पुस्तकों तथा पत्रिकाओं की संख्या में वृद्धि होने तथा चलने फिरने के स्थान की कमी के कारण, अनुसंधान करने वाले कर्मचारियों को ही पुस्तकालय में पुस्तकों की शैल्फों तक स्वतंत्र रूप से जाने की अनुमति दी गई है। अन्य कर्मचारियों को पुस्तकें काउन्टर पर दी जाती हैं।

भारत में समाचार पत्रों की संख्या

3350. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में (एक) दैनिक (दो) साप्ताहिक (तीन) पाक्षिक (चार) मासिक समाचार पत्रों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) उनमें से कितने बड़ी, छोटी तथा मध्यम श्रेणी के हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) समाचारपत्रों के प्रकाशकों द्वारा भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार को भेजे गये वार्षिक विवरण के अनुसार, 31 दिसम्बर, 1971 को 821 दैनिक, 3,608 साप्ताहिक, 1,420 पाक्षिक तथा 4,583 मासिक पत्र थे।

(ख) 1971 के वार्षिक विवरणों में केवल 6633 समाचार पत्रों/नियतकालिको ने अपनी खपत संख्या के आंकड़े दिये थे । इनमें से 100 को बड़े (50,000 से अधिक खपत संख्या); 223 को मझोले (15,000 से 50,000 खपत संख्या) तथा 6,310, को छोटे (15,000 से नीचे खपत संख्या) समाचार-पत्रों की श्रेणी में रखा गया था।

जामनगर, गुजरात में सीधी डायल प्रणाली

3351. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के अन्य स्थानों के लिए टेलीफोन की सीधी डायल प्रणाली के लिए जामनगर के नागरिकों की भारी मांग है;

(ख) यदि हां, तो यह मांग कब पूरी की जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग प्रणाली ने देश में बहुत ख्याति प्राप्त कर ली है। इसलिए जैसा कि देश के दूसरे भागों में इस प्रणाली की बहुत मांग की जाती है, वैसे ही जामनगर में भी इसकी बहुत मांग है। इस समय जामनगर में मैनुअल एक्सचेंज काम कर रहा है। इस एक्सचेंज को आटोमेटिक बनाने की अनुमति दे दी गई है। आटो टेलीफोन उपस्कर सप्लाई करने के लिए आर्डर दे दिया गया है। अहमदाबाद में एक आटोमेटिक एक्सचेंज लगाने की योजना है। उपर्युक्त कार्य के पूरा हो जाने के बाद जामनगर के आटो एक्सचेंज को अहमदाबाद में लगाए जाने वाले आटो एक्सचेंज से जोड़ने का प्रस्ताव है। मौजूदा संभावनाओं के आधार पर, यह 1976 में हो सकेगा।

बिहार के लिए ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाओं का आवंटन

3352. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार राज्य को कितनी ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाओं का आवंटन किया गया है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जिआउर्रहमान अन्सारी) : (क) संभवतः प्रसंग ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का है। 1962-63 में जब यह कार्यक्रम शुरू किया गया था, 15 ग्रामीण उद्योग परियोजनाएं जिनके अन्तर्गत 15,000 से अधिक की जनसंख्या वाले नगरों सहित प्रत्येक जिले के 4–6 सामुदायिक विकास ब्लाक आते हैं बिहार राज्य के लिये चुनी गई थी। चौथी योजना की अवधि में परियोजनाओं का कार्यक्षेत्र सारे जिले के लिए बढ़ा दिया गया था।

(ख) तथा (ग) पांचवीं पंच वर्षीय योजना में बिहार राज्य के लिए ग्रामीण उद्योग परियोजनाएं आवंटित की गई हैं। अतिरिक्त ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं के आवंटन हेतु राज्य सरकार के अनुरोध पर राष्ट्रीय स्तर पर अतिरिक्त परियोजनाओं के बारे में विचार करते समय ध्यान दिया जायेगा।

बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रायोजित लम्बित परियोजनाएं

3353. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रायोजित औद्योगिक परियोजनाओं के आवेदनों की संख्या कितनी है जो भारत सरकार के पास लम्बित पड़ी है;

(ख) उनकी मुख्य बातें क्या हैं और उनको कब तक मंजूरी दे दी जाएगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री : (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्): (क) बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रायोजित औद्योगिक परियोजनाओं के 7 आवेदन पत्र निलम्बित हैं।

(ख) ये केपरोलेक्टम, कांच की बोतलें, बियर, पारटिकल बोर्ड, आक्सीजन तथा ऐसीटिलीन, सोडा ऐश, अमोनियम क्लोराइड दुग्ध चूर्ण तथा शिशु आहार बनाने के लिये हैं। अनिर्णीत पड़े आवेदन पत्रों के विषय में यथासंभव शीघ्र निर्णय लिये जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

Indian Press outmoded

3354. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to news item appearing at page 3 of the **Hindustan Times** dated 5th February, 1973 under the caption 'One A sia participant feels Indian Press is outmoded';

(b) if so, Government's reaction thereto and whether Government propose to take any new measures for making necessary improvement in In dian Press and if so, the main features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) Yes, Sir.

(b) These are the views of a participant of the One Asia Assembly based on his own observations. Government have noted his views.

पांचवीं योजना के दौरान अनुसंधान और विकास के लिये योजनायें

3355. **श्री पी० के० देव :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसंधान और विकास के लिए सरकार ने योजनायें तैयार की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिकी विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) जी नहीं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति अभी विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना के निर्माण में संलग्न है। अनुसंधान तथा विकास सम्बन्धी विभिन्न प्रायोजनाओं/प्रस्तावों के ब्यौरे बनाए जा रहे हैं। हमारे विकास की विधि में प्रौद्योगिकी आत्म-निर्भरता एक मुख्य आधार है, परन्तु कई अन्य क्षेत्रों में जैसे खाद्य, ऊर्जा तथा रक्षा उपस्कर में भी अधिकतम संभाव्य आत्म-निर्भरता उपलब्ध करने के लिये प्रयत्न किए जाएंगे।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और रुमानिया के बीच करार

3356. **श्री पी० के० देव** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रुमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग, करने का निर्णय किया है; और,

(ख) क्या इस सम्बन्ध में एक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं और यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) 15 अक्तूबर, 1969 को नई दिल्ली में भारतीय गणतंत्र की सरकार और रुमानिया गणतंत्र की सरकार के मध्य वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिये किए गए समझौते के अनुसार भारतीय गणतंत्र की वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् और समाजवादी गणतंत्र रुमानिया की विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद् दोनों 1973-74 के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग के एक कार्यक्रम हेतु सहमत हो गए हैं।

द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रम में शामिल किए जाने वाले क्षेत्र इस प्रकार हैं :—पैट्रोलियम प्रौद्यिगिकी रसायन प्रौद्योगिकी, धातुकर्म, मशीन-निर्माण, उच्चतापीय (रिफ्रेक्टरीज), कृषि, जंगलात, चर्म उद्योग और, स्वास्थ्य इंजीनियरी। दोनों पक्ष पारस्परिक रुचि एवं प्रयोग के वैज्ञानिक साहित्य का विनिमय भी करेंगे। दोनों देशों के बीच विशिष्ट क्षेत्रों के वैज्ञानिकों का आदान-प्रदान भी किया जाएगा। जो एक दूसरे को सहयोग करेंगे।

पुराने उपकरणों के कारण देश में संचार को त्रुटिपूर्ण पद्धति

3357. **श्री पी० के० देव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 जनवरी, 1973 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में 'बैंड कम्यूनिकेशन ड्यू टू को-एक्सियल केबल्स' शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि देश में संचार पद्धति बहुत ही त्रुटिपूर्ण है क्योंकि उपकरण पुराने हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां। विभाग को इस समाचार पत्र की रिपोर्ट की जानकारी है।

(ख) कोएक्सियल प्रणालियां भी माइक्रोवेव प्रणालियों की तरह आधुनिक प्रकार की संचार प्रणालियां हैं। विभाग ने बड़े पैमाने पर विभिन्न शहरों के बीच सम्पर्क स्थापित करने के लिए चौथी योजना के दौरान माइक्रोवेव प्रणालियों की स्थापना का कार्य आरम्भ कर दिया है। यह कार्य पांचवीं योजना के दौरान भी जारी रहेगा। यह भी योजना है कि देश के प्रमुख मार्गों पर जरूरत के समय काम आने वाली अन्य वैकल्पिक प्रणालियों की भी व्यवस्था की जाए ताकि भरोसे की सेवा देने में सुधार हो।

संचार नीति बनाने का प्रस्ताव

3358. **श्री पी० के० देव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक संचार नीति बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस बारे में राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) यद्यपि अलग-अलग राज्य सरकारों के साथ औपचारिक रूप से परामर्श नहीं किया गया है, फिर भी विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों तथा अलग-अलग राज्यों के संसद सदस्यों द्वारा अनेक मंचों जैसे केन्द्रीय डाक-तार सलाहकार परिषद्, डाक-तार विभाग के लिए गठित संसदीय सलाहकार समिति एवं क्षेत्रीय डाक-तार सलाहकार समितियों आदि में व्यक्त किये गए विचारों और सुझावों पर विचार करके डाक-तार विभाग की नीतियां और योजनाएं तैयार की जाती हैं।

दिल्ली पुलिस के बैंड के सदस्यों की पदोन्नतियां

3359. **श्री पी० के० देव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान 24 जनवरी, 1973 के 'इण्डियन एक्प्रैस' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली पुलिस के बैण्ड के सदस्यों की गत कई वर्षो से कोई पदोन्नति नहीं हो रही है ;

(ख) क्या उनमें बहुत असन्तोष है ; और

(ग) इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी नहीं । दिल्ली पुलिस बैण्ड के कर्मचारी दिल्ली पुलिस प्रशासनिक संवर्ग के हैं वे विधिबद्ध नियमों के अनुसार संवर्ग में पदोन्नत किये जाते हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशी सहयोग करारों के अन्तर्गत कम्पनियों द्वारा भेजा गया धन

3360. **श्री दशरथ देव :**
श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित विदेशी सहयोग करारों की कुल संख्या का वर्षवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) वर्ष 1972 में देश में विदेशी सहयोग में वृद्धि करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी सहयोग वाली कम्पनियों द्वारा बाहर भेजी गई कुल धन राशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) 1970, 1971 और 1972 में सरकार द्वारा स्वीकृत विदेशी सहयोग प्रस्तावों की संख्या क्रमाश: 183, 245 और 257 है । 1972 में स्वीकृत विदेशी सहयोगों की संख्या में वृद्धि देश में बढ़ती हुई औद्योगिक तथा आर्थिक गतिविधि के फलस्वरूप हुई है ।

(ग) भारतवर्ष से 1968-69 से लाभ, लाभांश, रायल्टी, तकनीकी जानकारी, व्याज की आदयगी तथा कार्यालय के व्यय स्वरूप बाहर भेजी गई राशि का विवरण संलग्न है ।

विवरण

(करोड़ रुपयों में)

	1968–69	1969–70	1970–71	1971–72 (अप्रैल–दिसम्बर, 1971)
लाभ	13.0	12.7	13.1	9.0
लाभांश	30.3	31.4	43.5	28.8
रायल्टी	4.8	5.8	5.2	4.3
तकनीकी जानकारी	18.0	13.1	20.6	10.5
गैर सरकारी क्षेत्र में व्याज की अदायगी	12.7	9.3	12.8	8.2
*प्रधान कार्यालय का व्यय	4.0	4.0	4.0	3.0
	82.8	76.3	99.2	63.8 (9 महीने)

*अनुमानित।

देश में रंगशालाओं की मांग

3361. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में और अधिक रंगशालाओं की बहुत मांग है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन हेतु छोटी रंगशालायें बनाने का है ; और

(ग) यदि हां तो राज्यवार, इन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मबीर सिह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) सिनेमा राज्य सरकार का विषय है। 8 दिसम्बर, 1972 को नई दिल्ली में हुए राज्यों के सूचना मंत्रियों के सम्मेलन में की गई सिफारिशों में से एक सिफारिश यह थी कि राज्यों को मनोरंजन कर के रूप में प्राप्त होने वाली राशि का एक निश्चित भाग अधिक सिनेमाघरों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए अलग से रखना चाहिए।

रोहिणी 560 परियोजना का थुम्बा से श्रीहरिकोटा को स्थानान्तरण

3362. **श्री वयालार रवि : क्या अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रोहिणी 560 परियोजना की उपग्रह छोड़ने की गाड़ी 3, पी० एस० एन० (प्रोपेलेण्ट लिक्विड लैब) और ए० आर० डी० (एयरो डायनेमिक डिवीजन) को थुम्बा से श्रीहरिकोटा स्थानान्तरित करने का निणर्य किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री परमाणु और ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमति इंदिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता

दिल्ली प्रशासन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए अनुदेश

3363. **श्री अम्बेश**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 31 जनवरी, 1973 के 'हिन्दुस्तान' (हिन्दी में प्रकाशित समाचार के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की नियुक्तियों के बारे में दिल्ली के उप राज्यपाल ने दिल्ली प्रशासन के मुख्य सचिव को कुछ अनुदेश जारी किए थे ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । किन्तु अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिये सुरक्षित प्रतिशत के अनुसार पदों को भरने के संबंध में कार्यकारी पार्षद द्वारा उप राज्यपाल से अनुरोध करने पर राज्यपाल ने मामले की जांचकरने की इच्छा व्यक्त की है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Assistance to Small Scale Industries and Big Industries

3364. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the amount of financial assistance given to small scale industries *vis-a-vis* big industries by public financial institutions during the last three years, year-wise ; and

(b) the State-wise, break-up thereof ?

The Deputy Minister in the M inistry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) : (a) A statement is attached.

(b) State-wise figures are not available.

STATEMENT (Rs. in cores)

All India Public Financial Institutions	Year	Small Scale	Other than Small Scale
I.			
1. I.D.B.I.	1969–70	*2.74	@13.81
	1970–71	*9.06	@24.62
	1971–72	*17.04	@75.77
2. I.C.I.C.I.	1970	0.52	33.49
	1971	0.41	40.09
	1972	0.87	51.49

* By way of refinance only.

@By way of direct assistance.

(Rs. in crores)

All India Public Financial Institutions	Year	Small Scale	Other than Small Scale
3. I.F.C.	1969–70	—	22.33
	1970–71	—	37.19
	1971–72	—	32.43
4. L.I.C.	1969–70	—	13.17
	1970–71	—	9.17
	1971–72	—	6.64
5. U.T.I.	1969–70	—	10.12
	1970–71	—	8.97
	1971–72	—	21.01
II.			
State Financial Corporations.	1969–70	20.16	15.81
	1970–71	35.82	16.57
	1971–72	49.67	16.68

कलकत्ता के एकदलिया रोड़ पर रह रहे परिवार के सदस्यों पर सीमा सुरक्षा बल के पुलिस कर्मचारियों द्वारा लाठी चार्ज

3365. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 जनवरी, 1973 को कलकत्ता के दक्षिणी भाग में एकदलिया रोड कलकत्ता पर स्थित एक मकान में सीमा सुरक्षा दल के कुछ पुलिस कर्मचारियों ने अवैध रूप से प्रवेश किया और लाठीचार्ज किया ;

(ख) क्या उक्त लाठी चार्ज के परिणाम-स्वरूप 60 वर्ष से अधिक आयु के एक वृद्ध व्यक्ति सहित तीन व्यक्तियों को चोटें आई ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ; और

(घ) अगर इस बार में कोई कार्यवाही की गई है, तो उसका व्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायगी ।

बिहारी मुस्लिमों का बड़ी संख्या में भारतीय क्षेत्र में आगमन

3366. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी नियम की धारा 14 के अन्तर्गत देश में पश्चिम बंगाल बिहार, आसाम, त्रिपुरा तथा अन्य राज्यो की विभिन्न जेलों में बंगला देश के कुल कितने पुरुष, महिलाएं और बच्चे हैं ;

(ख) बिहारी मुस्लिमों के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन सभी मुस्लिमों को रिहा करने का है जिनकी सम्पत्ति भारत में है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन के पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) सरकार की नीति यह रही है कि सभी व्यक्ति, जो 25 मार्च 1971 के पश्चात् उन क्षेत्रों से, जो बंगला देश बन गये हैं, भारत आये हैं उनको यथासमय वापस जाना है ।

(ग) अपराध करने वाला कोई भी अभियुक्त जमानत पर रिहा होने की चेष्टा कर सकता है ।

विदेशी स्वामित्व वाली सिगरेट कम्पनियों द्वारा लाभ स्वदेश भेजे जाने की छूट

3367. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री विदेशी तम्बाकू तथा सिगरेट उद्योगों द्वारा लाभ आदि को स्वदेश भेजे जाने के बारे में 29 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2293 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी स्वामित्व वाली सिगरेट की पांच मुख्य कम्पनियों का राष्ट्रीकरण करने अथवा उनके द्वारा स्वदेशों को भेजे जाने वाले लाभ लाभांश आदि पर छूट देने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रामण्यम) : (क) से (ग) ऐसा कोई नया प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है फिर भी, विदेशी कम्पनियों द्वारा धन बाहर भेजने के कारण देयता कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

1. विदेशी विनियमन अधिनियम की धारा 18 के अधीन जो 1-4-65 को लागू हुआ था केन्द्रीय सरकार अथवा रिर्जव बैंक आफ इण्डिया की सामान्य अथवा विशेष अनुमति के अलावा व्यापार अथवा वाणिज्यिक क्षेत्रों में विदेशी शाखाओं और अधिकांश विदेशी पूंजीवाली कम्पनियों को तकनीकी तथा प्रबन्ध सलाहकारों अथवा ऐजेन्ट के रूप में कार्य करने पर निषेध लगा दिया गया है ।

2. अधिकांश विदेशी पूंजीवाली कम्पनियों के मामले में औद्योगिक लाइसेंस नीति कठोर बना दी गई है जिससे कि उन क्षेत्रों में उनके आगे विस्तार पर प्रतिबन्ध लगाया जा सके जो देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक समझे गए हैं । इस प्रकार के विस्तार के लिए सामान्य रूप से इस शर्त पर अनुमति दी जाती है कि वे कम्पनियां भारतीय राष्ट्रिकों को अतिरिक्त इक्विटी देंगी जिससे विदेशी अंशधारियों की संख्या में कमी की जा सके ।

3. एक संशोधित विदेशी मुद्रा विनियमन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया है ताकि विदेशी कम्पनियां अथवा उन भारतीय कम्पनियों के कार्य कलापों के लिए जिनमें अंश पूंजी 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक है, सरकार से नए तौर पर सहमति लेनी होगी ।

4. शत प्रतिशत विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनियों द्वारा घोषित लाभांश के मामले में धन बाहर भेजने की सुविधाओं के अधीन रिर्जव बैंक आफ इण्डिया द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर संतुष्ट होने पर ही लाभांश के लिए सुरक्षित राशि का उपयोग किया जा सकता है ।

1. यह कि आरक्षित गत 5 वर्षों के औसत पर लाभांश की मात्रा बनाए रखने के लिए ही या चुकता पूंजी 10 प्रतिशत इसमें से जो भी अधिक हो।

2. यह कि निकाली गई राशि कम्पनी की कुल चुकता पूंजी और वर्ष के आरम्भ में कम्पनी की निर्बाध आरक्षित निधि से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है, और

3. यह कि निकाले जाने के पश्चात् निर्बाध आरक्षित धन में से बची हुई राशि कुल चुकता पूंजी के 15 प्रतिशत और उपर्युक्त (ii) में दिए गए आरक्षित धन से कम न हो।

4. रायल्टी करारों की अवधि अब कम कर दी गई है और स्वीकृत की गई रायल्टी की दर भी कम हो गई है।

हजारीबाग में शीशे की बोतलें बनाने के लिए लाइसेंस देना

3368. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री हजारीबाग में शीशे की बोतलें बनाने के लिए लाइसेंस देने के बारे में 29 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2294 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सरकार द्वारा सिफारिश किए गए ऐसे कुल आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है जो केन्द्रीय सरकार के पास लाइसेंस देने के लिए विचाराधीन पड़े हैं और प्रत्येक आवेदन कितने समय से विचाराधीन पड़ा है; और

(ख) क्या राज्य सरकार द्वारा सिफारिश किए गए ऐसे आवेदन पत्रों को स्वीकृति देने के लिए अधिकतम समय सीमा निर्धारित की गई है और यदि हां, तो वह कितनी है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जहां तक कांच की बोतलें बनाने के आवेदन पत्रों का संबंध है, बिहार राज्य सरकार द्वारा दो आवेदन पत्रों पर सिफारिशें की गई हैं। इनमें से धनबाद (बिहार) में एक नये उपक्रम स्थापित करने हेतु वार्षिक 18,000 मी० टन काँच की बोतलें बनाने के लिए श्री ललित कुमार अग्रवाल का दिनांक 15 अप्रैल, 1971 को दिया गया आशयपत्र अभी भी लाइसेंस में परिवर्तित नहीं किया गया है क्योंकि उनको दिनांक 11 सितम्बर, 1971 की 59.58 लाख रुपये मूल्य की मशीनरी आयात करने के आवेदन पत्र का सरकार द्वारा निपटान नहीं किया गया है। काँच की बोतलें तैयार करने हेतु मशीनरी जिनमें भारी विदेशी मुद्रा का व्यय निहित है के आयात करने संबंधी इस आवेदन पर तथा अनेक अन्य आवेदनों का 1974 के आरम्भ में अर्थात् एक वर्ष के उपरांत पुनरीक्षण किया जायेगा जबकि काँच की बोतलें बनाने की मशीनरी की देश में ही उपलब्धता स्पष्ट हो जावेगी।

पहले आये हुए कुछ आवेदनपत्रों का निबटान कर दिया गया है। वार्षिक 24,000 मी० टन क्षमता द्वारा काँच की बोतलें बनाने हेतु बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम से एक नये एकक की स्थापना हेतु तथा राज्य सरकार द्वारा सिफारिशों वाले दूसरे आवेदनपत्र की तारीख 12 अक्तूबर, 1972 है। यह आवेदन पत्र राज्य में बियर तैयार करने के दूसरे आवेंदन पत्र पर निर्णय लिये जाने हेतु प्राप्त हुए आवेदनपत्र के साथ लम्बित है क्योंकि यह परियोजना काँच की बोतलें बनाने की एकमात्र बड़ी परियोजना होगी।

(ख) यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि आवेदन पत्र एक उचित अवधि में निपटा दिए जायें, लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया को सुप्रवाही बना दिया गया है। मामलों को आगे बढ़ाने हेतु विभिन्न सोपानों पर समय अनुसूचियाँ नियत कर दी गई हैं।

संयुक्त क्षेत्र के बारे में टाटा का ज्ञापन

3369. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्री जे० आर० डी० टाटा को औद्योगिक विकास के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रस्तुत करने को कहा है तथा उन्होंने इस अनुरोध का उत्तर दे दिया है ; और

(ख) यदि हां तो सरकार की किस विशेष एजेंसी ने इन सुझावों को मांगा है और उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) : सरकार ने इसके संबंध में कोई विशिष्ट निवेदन नहीं किया था (औद्योगिक विकास से संबंधित मामलों पर सामान्य रूप से सरकार के साथ टाटा के प्रतिनिधियों द्वारा विचार विमर्श करने के पश्चात ज्ञापन दिया गया था।

Panel of New Journalists for Writing "Sansad Samiksha"

3370. Shri Hari Singh : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) Whether a panel of new journalists has been formed recently for writing "Sansad Samiksha" ; and

(b) if so, the date on which this panel was formed and the names of the journalists included therein ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) No, Sir, but more journalists are being included in the list from time to time.

(b) At present the panel consists of the following:—

1. Shri Jagdish Prasad Chaturvedi.	Chief of Bureau, AAJ.
2. Shri Anand Swarup Jain.	Chief of Bureau, Nav Bharat Times.
3. Shri Nand Kishore Trikha.	Special Correspondent, Nav Bharat Times.
4. Shri Vinod Gupta.	Chief of Bureau, Samachar Bharati.
5. Shri Yatindra Bhatnagar.	Chief of Bureau, Hindustan.
6. Shri K. P. Srivastava.	Special Correspondent, PTI.
7. Shri Laliteshwar Prasad Srivastava.	Special Correspondent, Nav Bharat Times.
8. Shri Hira Lal Chaube.	Special Correspondent, SANMARG (Calcutta).
9. Shri Ram Shankar Agnihotri.	Chief of Bureau, Hindustan Samachar.
10. Shri Satish Jugran.	Special Correspondent, Samachar Bharati.
11. Shri Ayodhya Prasad Kesari.	Special Correspondent, Hindustan Samachar.
12. Shri Vinod Mishra.	Special Correspondent, Hindustan.

4LSS/73—8

Indian Film Companies to make Films for Foreign Countries

3371. Shri Hari Singh: Will the Minister of **Information And Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether orders have been received by the Indian Film companies from foreign countries for making films in their languages; and

(b) if so, the names of the countries which have placed orders and when the work of making films will commence ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha): (a) Government have no information about the commissoning of Indian film companies by foreign countries for making films.

(b) Does not arise .

Films to Help in Education of Untouchability And Communalism

3372. Shri Hari Singh: Will the Minister of **Information And Broadcasting** be pleased to state :

(a) Whether Government have under consideration any scheme under which every fifth film to be made in India should help in eradicating untouchability and communalism; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Number of Scheduled Castes Trained in Film Institute, Poona

3373. Shri Hari Singh: will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state the number of persons trained in Film Institute, Poona up to 15th February, 1973 and the number of persons belonging to Scheduled Castes ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha): 435 persons have been trained and awarded Diploma Certificates by the Film and Television Institute of India, Poona so far. Of these, 9 belong to the Scheduled Castes. 185 students are currently undergoing training. Out of these 3 belong to the Scheduled Castes.

इंडियन स्टैन्डर्ड वैगन्स आसनसोल और हावड़ा की बर्न एण्ड कम्पनी संबंधी समिति का प्रतिवेदन

3374. **श्री त्रिदिब चौधरी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन स्टैण्डर्ड वैगन्स आसनसोल और हावड़ा की बर्न एण्ड कम्पनी के कार्यों की जांच के लिए औद्योगिक विकास तथा विनियमन अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत नियुक्त की गई जांच समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन दोनों कम्पनियों के प्रबन्ध को अपने नियंत्रण में लेने के प्रश्न पर समिति ने क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ग) समिति की सिफारिशों पर सरकार ने क्या अन्तिम निर्णय लिए हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग)। मैं० इण्डियन स्टैंडर्ड वैगन्स कम्पनी लिमिटेड के संबंध में जांच समिति की रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है और इस समय वह विचाराधीन है। जांच समिति ने, जिसकी स्थापना मै० बर्न एण्ड कम्पनी लिमिटेड के कार्यों की जांच करने के लिए की गई थी अभी तक अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं दी है।

अपरम्परागत साधनों से ऊर्जा उत्पन्न करना

3375 **श्री त्रिदिव चौधरी** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगामी दशाब्दियों में बिजली और ताप बिजली की प्रायोजित मांग की तुलना में देश में बिजली के संकट तथा ऊर्जा के विभिन्न साधनों की कमी को देखते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय समिति ने कोयला, बिजली तथा तेल के अतिरिक्त अपरम्परागत साधनों से ऊर्जा पैदा करने के लिए कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो ये अपरम्परागत साधन क्या हैं और क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण कराया गया है कि इन साधनों से वर्तमान कमी किस हद तक पूरी हो जायेगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) : जी हां, वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन-विभव के मूल्यांकन के उद्देश्य से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति ने विशेषज्ञ समितियों की स्थापना की है। ये वैकल्पिक सौर ऊर्जा, ज्वारीय शक्ति, पवन चक्की, भू-उष्मीय ऊर्जा तथा बैटरी/रासायनिक सेल हैं। इन विशेषज्ञ समितियों ने अपनी सिफारिशों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया है। यह अनुमान किया जाता है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान संभावित वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों पर अनुसंधान तथा विकास-कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। अनुसंधान और विकास की सफलता यह निर्धारित करेगी कि विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति में इन संसाधनों का किस सीमा तक उपयोग किया जा सकता है।

बिहार राज्य से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में भर्ती

3376. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार राज्य से वर्ष 1972-73 के दौरान केन्द्रीय रिर्जव पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में अब तक कुल कितनी भर्ती की गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : केन्द्रीय रिर्जव पुलिस बल और सुरक्षा बल के संबंध में अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है। जहां तक केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का संबंध है, वर्ष 1972-73 के दौरान बिहार से अब तक 1195 इस बल में भर्ती किये गए हैं। उनका विवरण निम्नलिखित है :—

निरीक्षक	8
उप निरीक्षक	14
सहायक उप निरीक्षक	16
मुख्य सुरक्षा गार्ड	19
सुरक्षा गार्ड	1106
चालक	2
फोलोवर	30
कुल :	1195

पूर्णिया जिले में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

3377. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्णिया जिले में एक स्वचालित टेलीफोन एक्सेंचज की स्थापना करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां ।

(ख) पूर्णिया में वर्ष 1975-76 के दौरान 400 लाइनों का एक आटोमैटिक टेलीफोन एक्सचेंज लगाने का प्रस्ताव है ।

वर्ष 1973 में पूर्णिया जिले में बचत बैंक को सुविधाओं वाले डाक घरों का खोला जाना

3378. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विकार पूर्णिया जिले में वर्ष 1973 के दौरान कितने गांवों में बचत बैंक को सुविधाओं वाले डाक घर खोलने का है ; और

(ख) ये कहां स्थापित किए जायेंगे ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) 12

(ख) अभी तक माधो नगर, बेहारी, पाकरी, रमई, तरीबी, मटकोपा और सरायकुरो में इस तरह के 7 डाकघर खोले गए हैं। बकाया 5 डाकघरों का खोला जाना डाकतार विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले विशेष प्रस्तावों की जांच के परिणामों पर निर्भर करेगा ।

पटना और पूर्णिया के बीच सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की प्रणाली

3379. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पटना और पूर्णिया के बीच टेलीफोन की उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग प्रणाली लागू करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : पूर्णिया में इस समय एक मैनुअल एक्सचेंज है । आशा है कि वर्ष 1975-76 में इसे आटोमैटिक बना दिया जाएगा। पांचवीं योजना के दौरान कटिहार और पूर्णिया के बीच माइक्रोवेव सम्पर्क स्थापति करने के बारे में जांच की जा रही है। जब इन योजनाओं का काम पूरा हो जाएगा तब ही पटना और पूर्णिया के बीच एस० टी० डी० चालू करने के बारे में विचार किया जाएगा ।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में अल्पसंख्यकों की नियुक्ति में होने वाले असंतुलन को दूर करने के लिए कार्यवाही

3380. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि सरकार केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में अल्पसंख्यकों की नियुक्ति में होने वाले असन्तुलन को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : संविधान के अनुच्छेद 16 (1) में सभी नागरिकों को राज्य के अधीन किसी पद पर रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में समान अवसर देने की व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के अधीन केवल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के समुदायों के लिए सरकार के अधीन सेवाओं में आरक्षणों की व्यवस्था की गई है ।

मई 1968 में हुए मुख्य मंत्रियों के एक सम्मेलन में सरकार की सेवाओं में अल्पसंख्यक समुदायों को और अच्छा प्रतिनिधित्व देने के प्रश्न पर चर्चा की गई थी। तत्कालीन गृह मंत्री द्वारा यह उल्लेख किया गया था कि किसी अल्पसंख्यक समुदाय को सेवाओं में आरक्षण देने का प्रस्ताव नहीं है । आवश्यकता इस बात की थी कि यह देखा जाए कि किन्ही समुदायों के विरुद्ध पक्षपात न हो और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए उचित अवसरों की व्यवस्था की जाये। केन्द्रीय सरकार इस नीति का अनुसरण कर रही है ।

सतना (मध्य प्रदेश) में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए अनिर्णीत पड़े आवेदन पत्र

3381. **श्री रणबहादुर सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतना (मध्य प्रदेश) में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन पत्र काफी समय से अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार नगर के विकास को देखते हुए नये टेलीफोन कनेक्शन देने के कार्य को प्राथमिकता देने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इस नगर में टेलीफोन सम्बन्धी सुविधाएं कब तक दे दी जायेंगी ।

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) सतना में इस समय नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए 150 आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हैं ।

(ख) और (ग) : अप्रैल, 1973 के अन्त तक सतना एक्सचेंज में 100 लाइनें बढ़ा दी जाएंगी । एक्सचेंज की इस अतिरिक्त क्षमता को ध्यान में रखते हुए प्रतीक्षा सूची में दर्ज 87 आवेदकों को डिमान्ड नोट भेजे जा चुके हैं ।

Special Scheme for Regeneration and up-Liftment of Scheduled Tribes

3383. **Shri Hukam Chand Kachwai:** will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether there is any special scheme under consideration of Government for the regeneration and up-liftment of Scheduled Tribes;

(b) if so, main features thereof ; and

(c) the effective steps proposed to be taken by Government in future in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) & (b) : Various measures have been undertaken in the Five Year Plans for the educational and economic advancement of the Scheduled Tribes. Details of these Schemes will be found in the Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes which are laid before Parliament form time to time.

(c) A number of proposals have been made for Inclusion in the Five Year Plan.

Rocket Launching Tests From Thumba Rocket Station

3384. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Space** be pleased to state:

(a) the number of rocket launching tests conducted form Thumbha Rocket Station during the last three years; and

(b) the number of successful tests and the estimated expenditure incurred on the tests during the said period ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics, Minister of Information and Broadcasting and Minister of space (Shrimati Indira Gandhi): (a) and **(b)**: The details are as follows :

Number of rockets launched from 1-1-1970 to 31-3-1972	372
Number successful	353
Expenditure incurred on these launches	Rs. 94 lakhs approximately

Hindi-Speaking Employees in P & T Department

3385. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether complaints have been received that Hindi-speaking employees and other employees working in various offices of P&T Department in Delhi and the Commercial Branch of the Post and Telegraphs Office and Telephone Exchange located in Eastern Court are compelled to work in English in place of Hindi;

(b) if so, whether any enquiry has been held in the matter ; and

(c) the reaction of Gorverment in this regard?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna): (a) No sir.

(b) Does not arise.

(c) P&T employees are encouraged to use Hindi in their official work to as large an extent as possible.

P. & T. Offices in Madhya Pradesh

3386. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the total number of Posts and Telegraphs Offices in various Districts in Madhya Pradesh as at present; and

(b) the number of new Posts and Telegraphs Offices proposed to be opened in the Districts during the financial year 1973-74 ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Number of Post Offices and combined offices functioning in various Districts of Madhya Pradesh at present :

Name of District	No. of post offices	No. of combined offices
1	2	3
Morena	162	9
Bhind	174	12
Gwalior	119	16
Datia	57	8
Shivpuri	106	8
Guna	92	11
Tikamgarh	115	10
Chhatarpur	153	13
Panna	87	7
Satna	170	13
Rewa	151	14
Shahdol	135	22
Sidhi	59	6
Mandsaur	193	25
Ratlam	104	16
Ujjain	123	23
Jhabua	75	14
Dhar	115	23
Indore	122	51
Dewas	73	15
Khargone (West Nimar)	148	23
Khandwa (East Nimar)	160	23
Shajapur	141	15
Rajgarh (BIA)	119	13
Vidisha	81	9
Sehore	92	9
Raisen	104	8
Hoshangabad	151	30
Betul	123	12
Sagar	140	17
Damoh	95	5
Jabalpur	254	44
Narsinghpur	131	12
Mandla	129	9
Chhindwara	162	25
Seoni	107	12
Balaghat	147	11

1	2	3
Sarguja (Ambikapur)	137	15
Bilaspur	313	32
Raigarh	180	15
Durg	261	24
Raipur	314	27
Bastar (Jagdalpur)	120	18
Bhopal	86	26
Total	6080	750

(b) Number of Post Offices and combined offices proposed to be opened in various Districts of Madhya Pradesh during the year 1973-74:

Name of District	No. of Post offices	No. of Combined offices
1	2	3
Morena	2	Nil
Bhind	4	Nil
Gwalior	5	1
Datia	2	Nil
Shivpuri	1	Nil
Guna	2	Nil
Tikamgarh	5	1
Chhatarpur	8	2
Panna	5	1
Satna	4	Nil
Rewa	6	2
Shahdol	6	2
Sidhi	7	2
Mandsaur	4	Nil
Ratlam	3	Nil
Ujjain	3	2
Jhabua	6	1
Dhar	3	1
Indore	3	1
Dewas	3	1
Khargone (West Nimar)	8	2
Khandwa (East Nimar)	5	3
Shajapur	4	4
Rajgarh (BIA)	3	4
Vidisha	3	Nil

1	2	3
Sehore	3	5
Raisen	2	Nil
Hoshangabad	3	Nil
Betul	4	1
Sagar	3	Nil
Damoh	3	Nil
Jabalpur	2	1
Narsinghpur	1	Nil
Mandla	5	1
Chhindwara	3	1
Seoni	3	1
Balaghat	5	3
Sarguja (Ambikapur)	1	Nil
Bilaspur	6	3
Raigarh	2	3
Durg	4	1
Raipur	9	2
Bastar (Jagdalpur)	5	2
Bhopal	3	6
Total	172	60

भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में बैठने के अवसरों में वृद्धी

3387. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह अंतिम रूप से निर्णय कर लिया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि की परीक्षाओं में बैठने की आयु 24 वर्ष से 26 वर्ष तक करने के साथ-साथ इसमें बैठने के अवसर भी दो से बढ़ा कर तीन कर दिये जायें; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं की प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए अवसरों की संख्या वर्ष 1973 परीक्षा के लिए दो से बढ़ा कर तीन कर दी गई है।

मजूरी, आय और लाभ संबंधी राष्ट्रीय नीति

3388. **श्री अनादि चरण दास** :
श्री भागीरथ भंवर :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सुदृढ़ आर्थिक विकास के लिए सरकार का विचार मजूरी, आय और लाभ संबंधी एक राष्ट्रीय नीति बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) "पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण" दस्तावेज में मजूरी, आय और मूल्य संबंधी समेकित राष्ट्रीय नीति के अनुकूल स्थायित्व और सामाजिक न्याय के सहायक विकास के महत्व की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इस नीति की व्यापक रूपरेखा इस दस्तावेज में दी गई है। सरकार इस विषय पर विचार कर रही है। बहरहाल, अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

Arrest of Mizo Rebels in Agartala

3389. **Shri Chandu Lal Chandrakar:**
Shri Bishwanath Jhunjhunwala :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Mizoram Police have arrested 13 Mizo rebels in Agartala;

(b) whether some arms with U.S.A. marking have been recovered from these rebels; and

(c) if so, the facts thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) to (c) Facts are being ascertained.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance

भारतीय उर्वरक निगम द्वारा उर्वरकों की चोर बाजारी का समाचार

श्री अचल सिंह (आगरा) : मैं पेट्रोलियम और रसायन मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस संबंध में एक वक्तव्य दें :—

"भारतीय उर्वरक निगम द्वारा उर्वरकों की चोरबाजारी तथा आंध्र प्रदेश के व्यापारियों से उर्वरकों के लिये प्रति वैगन 8,000 रुपये का काला धन वसूल किये जाने के समाचार।"

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकांत बरुआ) : भारतीय उर्वरक निगम ने मुझे सूचित किया है कि आंध्र प्रदेश तथा मैसूर के बहुत से डीलरों ने उनको सप्लाई किये गये उर्वरकों के लिए भुगताम नहीं किया था। क्योंकि रकमें एक लम्बे समय से बकाया थीं, निगम के निदेशक (उत्पादन एवं विपणन) ने संबंधित अधिकारियों से इन बकाया रकमों की वसूली के लिए संभव तरीके ढूंढने के लिए कहा। इस बारे में यह प्रतीत होता है कि अक्तूबर, 1972 के दूसरे सप्ताह में एक तरीका निकाला गया था जिसके अनुसार निगम भुगतान करने वाले डीलर को सिंदरी के उर्वरक कारखाने से अमोनियम सल्फेट अथवा अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट दे सकता था यदि वह क्रमशः आंध्र प्रदेश तथा मैसूर की सप्लाई किये गये अमोनियम सल्फेट के लिए 4,000 रुपये प्रति वैगन और अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट के लिए 1,500 रुपये अथवा 1,200 रुपये प्रति वैगन की दर से अपनी बकाया रकमें अथवा उनके कुछ भाग को साथ-साथ देता रहे। तथापि ऐसे मामलों के बारे में जहां भुगतान म करने वाले डीलर ने उर्वरक का व्यापार करना बन्द कर दिया हो अथवा बकाया रकमें दे पाने को स्थिति में न रहा हो, प्रतीत होता है कि एक वैकल्पिक पद्धति भी अपनाई गई है। इस विकल्प के अनुसार सप्लाई किसी ऐसे डीलर को भी की जा सकती है जो भुगतान न करने वाले डीलर की ऐसी बकाया रकमें अदा करने की पेशकश करता हो। ऐसे मामलों में, इस प्रबंध के अन्तर्गत भुगतान न करने वाले डीलर को सप्लाई प्राप्त करने वाले डीलर को अपनी सहमति लिखित रूप में भेजनी पड़ेगी।

जिस समय इस पद्धति की कानूनी और वित्तीय दृष्टिकोणों से जांच की जा रही थी, उसी समय बकाया रकमों की वसूली प्रारंभ की गई प्रतीत होती है और इस प्रकार लगभग 13.00 लाख रुपये की रकम वसूल की गई थी। इस उक्त रकम को स्थगन खाते में रखा जा रहा है। दिसंबर, 1972 में प्रबंधकों को ऐसे लेन-देन की जानकारी हुई और जांच कार्य आरंभ हो गया जिसके आधार पर सम्बद्ध अधिकारियों को ऐसे लेन-देन को तत्काल ही बन्द करने के निर्देश जारी किये गये थे। इसके बाद, 24 फरवरी 1973 को प्रबंधकों ने इस मामले की पूरी जांच के लिए इसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजने का निश्चय किया और अब मामला ब्यूरो के परीक्षणाधीन है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही जांच के निलंबित रहने तक, ट्राम्बे के निदेशक (उत्पादन और मार्केटिंग) और महा प्रबंधक को शुरू में दो महीने की छुट्टी पर जाने के लिए कहा गया है। उन्होंने ऐसा कर दिया है। इसी प्रकार ट्राम्बे के मार्केटिंग प्रबंधक भी छुट्टी पर चले गये हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो को यह भी बताने के लिए निवेदन किया गया है कि क्या जांच की सुविधा के लिए इस लेन-देन से संबंधित कुछ अन्य अधिकारियों को भी छुट्टी पर जाने के लिए कहना चाहिए।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो से रिपोर्ट के प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जायेगी।

श्री अचल सिंह : मैं दिये गये उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। यह उत्तर त्रुटिपूर्ण उत्तर है। समस्त भारत में उर्वरकों की एजेंसी निजी कमीशन के आधार पर दी गई है जिसके परिणामस्वरूप 1.75 करोड़ रुपये बट्टे खाते में पड़ गये हैं। सरकार उक्त धनराशि को अभी तक वसूल नहीं कर सकी है क्योंकि इसमें से बहुत अधिक भाग निदेशकों द्वारा लिया जा रहा था। व्यापारियों ने बकाया धनराशि का भुगतान करने से इंकार कर दिया है क्योंकि निदेशकों ने उन पर पहले ही बहुत अधिक कर लगाये हुए थे।

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत उर्वरकों के बिहार से दक्षिण में ले जाने पर प्रतिबंध था। इस अधिनियम का उल्लंघन कर आंध्र, मैसूर और उड़ीसा में व्यापारियों को प्रत्येक उर्वरक के माल डिब्ब पर 8 हजार रुपये काला धन वसूल कर उर्वरकों की सप्लाई की गई।

बट्टे खाते की 1.75 करोड़ रुपये की रकम को धीरे-धीरे समायोजित कर 35 लाख रुपये करने के निदेश दे दिये गये हैं।

लेकिन ट्रांबे एकक के वित्त मैनेजर ने काले धन को समायोजित करने से इंकार कर दिया था और शीघ्र ही ट्रांबे में एक 20 लाख रुपये का उचंत खाता खोल दिया गया था। सरकार को इस बात की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि ट्रांबे के वित्त मैनेजर को उचंत खाते में घोटाला करने के लिये जोर डाला जा रहा है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस बारे में कुछ दस्तावेज़ बरामद भी किये हैं। भारतीय उर्वरक निगम के प्रबंध निदेशक, विपणन निदेशक और वित्त निदेशक महत्वपूर्ण दस्तावेजों को समाप्त करने में सफल हो गये हैं और वे विपणन विभाग के अधिकारियों पर जोर डालने का प्रयास कर रहे हैं।

यदि सरकार इस बारे में विपणन सब कार्यालयों में अखिल भारतीय स्तर पर छापे मारती है तो उक्त समस्त दस्तावेज अभी तक बरामद हो गये होते।

प्रबंध निदेशक ने विदेशी कंपनियों से विदेशी बैंकों में करोड़ों रुपये वसूल किये हैं। इसी कारण दुर्गापुर, बरौनी, कोचीन आदि उर्वरक परियोजनाएं पांच वर्ष के बाद भी आरम्भ नहीं हुई हैं।

उसके बाद उन्होंने अपने कृत्यों को छिपाने के लिये प्रत्येक क्षेत्र में घोटाला किया है, सरकार भ्रष्ट जनरल मैनेजरों को भी बने रहने की अनुमति दे रही है। निदेशकों का बोर्ड उनका पिट्ठू है और वे समस्त नियम को नष्ट कर रहे हैं।

भ्रष्ट अधिकारियों को सहयोग देने वाले व्यक्तियों को 6 महीने के भीतर पदोन्नत कर दिया जाता है जबकि ईमानदार अधिकारी एक ग्रेड में 5 से 8 वर्ष तक रुके रहे हैं।

सरकार भारतीय उर्वरक निगम के व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेवार है। भारतीय उर्वरक निगम के प्रबन्ध निदेशक, विपणन निदेशक और वित्त निदेशक के विरुद्ध भारतीय रक्षा निगम के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जाना चाहिये।

भारतीय उर्वरक निगम में शीघ्र ही मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता है।

श्री देवकांत बरुआ : अमोनिया सल्फेट के एक माल डिब्बे का मूल्य 11,000 रुपये है। उस पर ये 4,000 रुपये प्रीमियम लेते हैं। इसी प्रकार नाईट्रेट् का मूल्य 13,000 रुपये प्रति वैगन है वे इसका मूल्य आंध्र के लिए 1500 रुपये और मैसूर के लिए 1200 रुपये लेते थे। ये सब धन किसानों की जेब से ही आयेगा। यह बात बहुत अनुचित है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इस बारे में जांच की जायेगी। इस संबंध में प्राप्त अन्य शिकायतों के बारे में विभागीय जांच की जा रही है और आशा है उस संबंध में हम शीघ्र ही निर्णय ले लेंगे। मैं इस मामले में पहले ही कड़ी कार्यवाही कर चुका हूं।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) : उक्त तीनों निदेशक हेर-फेर द्वारा सितम्बर, 1970 में शक्ति में आये थे और तब से ही उन्होंने परियोजनाओं, ठेकों और उर्वरकों की बिक्री से खूब धन कमाया है। 18 फरवरी, 1973 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उनके मकानों और कार्यालयों में छापा मारा और उर्वरकों में अखिल भारतीय स्तर पर काला बाजारी संबंधी दस्तावेज बरामद किये। मंत्री महोदय को इस बारे में संबद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध जांच का आदेश तुरंत देना चाहिये। सरकार को उर्वरकों की जानबूझकर बनाई गई कमी और कालाबाजारी को रोकने के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। यदि माननीय मंत्री भारतीय उर्वरक निगम का पुन: निर्माण करना चाहें तो इन तीनों विदेशकों, जिनमें पी० एन्ड डी० डिवीजन के जनरल मैनेजर भी शामिल हैं, को कार्य मुक्त करना होगा।

उचन्त खाते में 13 लाख रुपये जमा होने का क्या लेखा जोखा है? क्या यह काला धन नहीं है यदि हां तो सम्बद्ध अधिकारियों को अखिल भारतीय स्तर पर कालाबाजारी करने के लिए भारतीय रक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार न करने के क्या कारण हैं?

क्या आंध्र, मैसूर और उड़ीसा आदि में उर्वरक के प्रत्येक वैगन पर 4,000 से 8,000 रुपये अतिरिक्त नहीं लिये गये थे? इस कारण भारतीय उर्वरक निगम के निदेशक को मुअत्तिल न करने के क्या कारण हैं?

क्या इस विपणन निदेशक पर भारतीय उर्वरक निगम के भूतपूर्व अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक ने मेथोनाल घोटाले के आरोप लगाये थे। यदि हां, तो उन के बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

क्या भारतीय उर्वरक निगम में वर्ष 1971 से काला बाजारी होती आ रही है? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

श्री देवकांत बरुआ : उचन्त खाते में केवल 13 लाख रुपये को राशि डाली गई है, 20 लाख रुपये की नहीं, जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। जहां तक कालाबाजारी का संबंध है, उर्वरक अमोनिया और नाइट्रेट सल्फेट के मूल्य बढ़ गये हैं और ये मामला केन्द्रीय जांच ब्यरो के जांचाधीन है।

हम केन्द्रीय जांच ब्यूरो से इस मामले में शीघ्र जांच पूरी करने का अनुरोध करेंगे। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर हम सब आवश्यक कार्यवाही करेंगे। वास्तव में निगम के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष ने ही इस मामले में जांच ब्यूरो से जांच करने का आग्रह किया था।

Shri Md. Jamilurrahaman : It is very unproper to supply a wagon of fertilizer after charging 8,000 rupees extra per wagon. It has great burden on the farmers.

The hon. Minister has accepted that there are 13 lakh rupees in the Suspense Account. It is not a big bungling ?

I want to know what were the reasons of sending urea to Andhra, Orisa and Mysore, What was the necessity of violating the law ?

I could not understand the reasons that why those directors have not been arrested and suspended when the bungling of 13 lakh rupees were found against them ?

All these three officers responsible for the bungling should be immediately suspended.

The position of food grains is not serious. In case proper fertilizer and relief had been given to the farmers; the position might have been different. The Government should see that the assistance and relief being given to the farmers may not be misused. Farmers are not getting the fertilizers today.

Shri D.K. Borooah : It is true that the farmers have suffered a lot because of increase in prices of fertilizers. We had done what was possible in this matter. They had been asked to take leave for two months because we thought that C.B.I. would submit its report within that period.

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डाइमंड हार्बर) : मंत्री महोदय का वक्तव्य कुछ स्पष्ट नहीं है......

अध्यक्ष महोदय : नियम यह है कि केवल वही सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं जिनके नाम में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। वे सदस्य पहले ही प्रश्न पूछ चुके हैं। मैं ऐसे सदस्य को प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा जिसका नाम इस प्रस्ताव में नहीं होगा।

श्री देवकांत बरुआ : उर्वरक को 4,000 रुपये प्रति वैगन अधिक मूल्य पर बेचने के बारे में जा जांच की जा रही है और तथ्यों को पूरी जानकारी प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

Shri Jagannath Misra (Madhubani) Our's is an agricultural country. If there is no improvement in agriculture we will be no where.

India is the only country in world in which there is heaviest taxation on fertilizers. The farmers have never been told how they should utilise the fertilizers for their crops.

The F.C.I. officers indulge in bungling in the matter of fertilizers. They do some sort of things to increase the price of the fertilizers. They have earned lakhs of rupees. They contact some of the weak firms in foreign countries to supply fertilizers to us and those firm supply poor quality of fertilizers to our county and as a result we have to suffer.

I want to know when the matter was referred to C.B.I. why those officers were not suspended ? It is a fundamental issue and th` hon. Minister must look into this matter.

They create trouble for C.B.I. I want to know why fertilizer projects in Durgapur, Barauni, Cochin have not been Commissioned even after lapse of five years. There appears some sabotage of the Officers in this matter.

All India Officer's Federation of Fertilizer Corporation should be given recognition immediately.

There is a famine of fertilizers in the country and there is lot of corruption in this matter.

Shri D. K. Borooah : The hon. member has correctly stated that fertilizer play important role in our agricultural growth. I also agree with the hon. member regarding the improvement to be done in the working of the Fertilizer Corporation. This improvement can be done through my efforts and actions and not with my speeches. I request the hon. Member that he should wait for my efforts in this regard.

The purpose of suspension which is also called forced leave is to enable C.B.I. conduct enquiries into the matters without any obstacles. We will certainly take further steps if C.B.I. so desire.

Shri Damodar Pandey (Hazaribagh) : The hon. Minister has stated that this matter has been entrusted to C.B.I. It means that there is a Prima Facie case of bungling. May I know whether the rule of granting forced leave will also be applied to the workers as has been done in this case ? May I also know whether only there three persons are involved in this case or there are certain other persons against whom inquiries are proposed to be conducted by them ?

The hon. Minister might be knowing that seven General Managers have been working in Fertilizer Corporation in acting capacity and they have not been confirmed as yet. Three of them have been rejected by the Bureau of Public Enterprises and yet they are working on their posts. Other three General Managers were declared suitable for the posts by Bureau of Public Enterprises but they were not allowed to join duty. May I know from the hon. Minister the justification for not honouring the decision of B.P.E. by the Fertilizer Corporation in regard to appointments on such important posts?

Is it a fact that the marketing Director of Fertilizer Corporation goes to Calcutta on every third day on official tour if so the reasons therefore and the justification of such frequent visits undertaken by him ?

May I also know whether all the Directors have been exercising nepotism through which they have appointed their relatives and members of their families on higher posts in the corporation ? I can quote several instances in this regard. Is it not a fact that they are being paid 40 per cent house rent allowance on the maximum pay and other are being paid only 25 per cent of their pay ?

I would like to suggest that Government should institute a commission of inquiry or Parliamentary enquiry committee to look into the affairs of this corporation because C.B.I. would not be able to find out all these irregularities and corruption prevelant in this corporation. If Government realise that this Corporation cannot function smoothly it should be dissolved and Government should set up a new machinery under public sector for this purpose.

Shri D.K. Barooah : Regarding the number of employees on forced leave I have already stated that C.B.I. has been asked to indicate the names of other employeees whom they want to be granted leave. If C.B.I. suggest certain names in this regard we will ask them to proceed on leave.

I will look into the matter regarding the procedure adopted for the workers found in similar situation. So far as the corruption in the said corporation are concerned we are thinking over the reorganisation of the same (*Interruption*).

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय डाक और तार विभाग के लिए अनुदानों की मांगे

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनदन बहुगुणा) : मैं वर्ष 1973-74 के लिए भारतीय डाक और तार विभाग पर केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिये अनुदानों की मांगों की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल०टी० 4486/73]**

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अधीन अधिसूचना

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन): मैं श्री राम निवास मिर्धा की ओर से अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भारतीय वन सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 69 (ड़) में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4487/73]**

दंड विधि संशोधन (आंध्र प्रदेश विस्तार और संशोधन) अध्यादेश, 1972

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं श्री कृष्ण चन्द्र पन्त की ओर से राष्ट्रपति द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में जारी की गयी दिनांक 18 फरवरी, 1973 की उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के उपबंधों के अधीन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा 23 दिसम्बर, 1972 को प्रख्यापित दंड विधि संशोधन (आंध्र प्रदेश विस्तार और संशोधन) अध्यादेश, 1972 (1972 का आंध्र प्रदेश अध्यादेश संख्या 6) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4488/73]**

उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचना

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० के० मुकर्जी) : मैं उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अंतर्गत, मैसर्स समस्तीपुर सेन्ट्रल शूगर कम्पनी लिमिटेड, समस्तीपुर, जिला दरभंगा (बिहार), के प्रबंध के बारे में अधिसूचना संख्या सं० आ० 742 (ड़) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर, 1972 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालत में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4489/73]

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILL AND RESOLUTIONS

चौबीसवां प्रतिवेदन

श्री गिरिधर गोमांगो (कोरापुट) : महोदय! मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 24वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सामान्य बजट 1973-74 सामान्य चर्चा

GENERAL BUDGET 1973-74—GENERAL DISCUSSION

श्री बसंत साठे (अकोला) : महोदय, हमारे देश की अर्थ व्यवस्था पर गैर-सरकारी क्षेत्र का प्रभुत्व है तथा अब भी देश के कुल उत्पादन का 86.4 प्रतिशत भाग गैर-सरकारी क्षेत्र के द्वारा किया जा रहा है। अतः अब यह देखना है कि उस आय का देश में किस प्रकार वितरण होता है। यह बताया गया है कि राष्ट्रीय आय में 45 प्रतिशत वृद्धि हुई है। प्रतिव्यक्ति आय में हुई केवल 13 प्रतिशत वृद्धि को देखते हुए हमें यह पता नहीं है कि 29 प्रतिशत वृद्धि कहां गई। देश के 13.75 करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी प्रतिमास आय 10 रुपया से कम है जिनकी आय 100 रुपया अथवा 200 रुपया प्रतिमास है देश में उनकी संख्या 97.7 प्रतिशत है। उस से स्पष्ट है कि केवल 0.3 प्रतिशत व्यक्तियों की आय 1,000 प्रतिमास के लगभग है। केवल 0.3 प्रतिशत जनसंख्या के पास 1114 करोड़ रुपयों की राशि है। गरीबी और अमीरी के अन्तर को कम करने के लिए हमें इन सब तथ्यों को ध्यान में रखना पड़ेगा।

पांच व्यक्तियों के परिवार को आदर्श परिवार मानकर मैंने उसका बजट तैयार किया है जिसके अनुसार आज की परिस्थितियों में उस परिवार को जीवन की आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए कम से कम 382.75 रुपये होने चाहियें। हमारे देश में ऐसे कितने परिवार हैं जिनकी आय इतनी है ? वांचू समिति के अनुसार देश में 7.000 करोड़ रुपयों का काला धन है। पता नहीं अब तक उसमें कितनी वृद्धि हुई है ?

क्या कभी बजट बनाते समय उन बातों पर विचार किया गया है कि गैर सरकारी क्षेत्र में उद्योग किन वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं तथा उनके उत्पादों - श्रंगार प्रसाधनों, टूथ पेस्टों और अन्य विलासिता सामग्रियों - को खरीदने वाले कौन व्यक्ति हैं ? इन उद्योगों में केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन केवल धनी व्यक्तियों के लिये होता है तथा इस भांति राष्ट्र की सम्पूर्ण सम्पत्ति को इन्हीं व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये इन उद्योगों में लगाया गया है। साधारण जनता को इसमें कोई लाभ नहीं है। इस दृष्टि से हमारा बजट नितांत असफल रहा है।

जैसा कि मैंने कल भी कहा था आठ औद्योगिक गृहों के लाभ में 1,500 करोड़ रुपयों से 2,000 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई है तथा इसमें प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि होती है। आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत करते हुये वित्त मंत्री ने स्वयं कहा था कि ऐसे उद्योगों के विस्तार को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये जो केवल विलास सामग्री का उत्पादन करती है क्योंकि उससे हमें उपलब्ध विदेशी मुद्रा का व्यर्थ उपयोग होता है। उन्होंने यह भी कहा था कि अधिकाधिक सामाजिक तथा आत्मनिर्भरता की नीति के अनुरूप हमें तीव्र गति से आर्थिक प्रगति करनी है। तथा उसके लिए दृढ़ निश्चय किए जाने हैं।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the chair

मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने क्या दृढ़ निर्णय किये हैं। वास्तव में वही रफ्तार वेढंगी जो पहले थी वह अब भी है। मैंने इस ओर भी ध्यान दिलाने का प्रयत्न किया है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है तथा अमीर और अमीर होता जा रहा है।

पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत यह अनिवार्य नियम है कि पूंजी कुछ हाथों में सिमट जाती है। सरकार को इस बात को ध्यान में रखकर दृढ़ता से प्रयत्न करने हैं।

'किरलोस्कर' नामक पत्रिका में वित्त मंत्री महोदय का एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमे अपनी नीतियों और दिशाओं के बारे में दृढ़ प्रतिज्ञ है। इसमें केवल गति का प्रश्न है। समाज के सभी वर्ग न्याय चाहते हैं तथा हमें उस गति से कार्य करना चाहिए जिससे हम जनता का विश्वास पा सकें।

कृषि क्रांति के बारे में बहुत कुछ कहा गया है किन्तु 80 करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रा खर्च करके माइलो खरीदा जाता है जिसमें धतूरे के बीच मिले होते हैं। यदि सरकार प्रत्येक राज्य सरकार को 20 करोड़ रुपया दे दे तो अपने ही देश से अधिक खाद्यान्न प्राप्त हो सकता है तथा राज्य में सरकारें उसकी वसूली कर सकती है।

अन्त में मेरा सुझाव है कि बढ़ते हुए क्षेत्रीय असंतुलन तथा बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार को उपभोक्ता वस्तु उद्योगों, गैर-सरकारी क्षेत्र तथा पूंजीपतियों के उद्योगों पर नियंत्रण करने के लिए दृढ़ निर्णय लेने चाहिए। मंत्री महोदय को अर्जुन की भांति सभी शंकाओं को त्याग कर अपने दायित्वों का पूरा पालन करना चाहिए।

Shrimati V. R. Scindia of Gwalior (Bhind) : Sir, the objectives of greater social justice and self reliance claimed to be achieved by the Government cannot be obtained through such a budget as been presented by the hon. Minister. Besides burning problems before the country cannot be solved. The reason for imposing new taxes on the people has been identified to check inflation. In my opinion it is a premature plea because of the fact that Government cannot bring economic stability with this measure. The best way to obtain accelarated economic growth is to curb wasteful expenditure and corruption. Government should give incentives to agriculturists and industrialists for increasing agro-industrial production. Large number of unauthorised and fake currency notes are in circulation in the country. Attention of the Government has been invited to this problem several times but they have not taken any steps in this regard uptil now.

Government have put a burden of loans worth Rs. 8500 crores on the nation. Crores of rupees are paid to the foreign countries in the form of interest resulting in decrease in the national capital. Internal disturbances have also caused heavy losses to the national property. I think that the policies and the methods adopted by the Government are entirely defective.

While presenting the budget the hon. Minister assured the House that with those budget proposal the problem of price rise would be solved and that there would be no inflation. But his statements has been proved misleading. Now he has come with the same proposals

and Government have imposed new taxes worth Rs. 292 crores. Methods proposed to be adopted for realising the taxes would certainly enable the corrupt officers in getting more opportunities of excercising corruption.

It is quite obvious that Government have failed to fulfil the promises and assurances given before the people at the time of last general elections. Instead of recovering poverty they are increasing it day by day in the country. More than 22 crores of people are living under the level of below poverty line. The gap between rich and poor has widened. The money of tax payers in being misused by the Government.

Government have not made effective efforts to create employment opportunities for more than one crore of educated unemployed. Government have made provisions in this budget for only five lakhs of unemployed who would be provided with jobs. In view of the crores of unemployed persons in the country this provision is next to nothing.

It has been observed that Indian peasants have not been provided with proper facilities regarding education, medicine and transportation.

Agriculturists are feeling agitated due to the non-availability of adequate irrigation facilities percentage of uneconomic holdings in the country has increased from 55 to 67 unit Government have not prepared any scheme in regard to converting uneconomic holdings into economic ones.

Increase of Rs. 55 crores is the amount for small irrigation Schemes is inadequate and with this meagre amount the dream of green revolution can not be realised. Government were hopeful that they would be able to produce enough foodgrains to even export but now they are forced to import it by expending foreign exchange worth Rs. 160 crores.

श्री वयालार रवि (चिरमिंकील) : महोदया ! मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में कहा है कि सरकार अधिकाधिक सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करते हुए आर्थिक प्रगति में वृद्धि करेगा।

मुद्रा स्फीति का उल्लेख करते हुये मंत्री महोदय ने वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित करने अथवा उसे आंशिक रुप से अपने हाथ में लेने की आवश्यकता बताई है। श्री पीलू मोदी तथा श्रीमती बी० आर० सिंधिया ने काले धन के बारे में अपने भाषण में कुछ नहीं कहा है। जब तक यह पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था जारी रहेगी तब तक हम काले धन पर नियंत्रण नहीं कर सकते अथवा रोक नहीं लगा सकते अथवा यह सुनिश्चित करने का प्रयास नहीं कर सकते कि काले धन पर नियंत्रण किया जाये अथवा इसका पता लगाया जाये। जब तक काला धन रहेगा तब तक मूल्यों पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है।

अब मैं खाद्यान्नों के सरकारीकरण के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मेरी पूर्ववक्ता ने कहा है कि वह किसानों को गेहूं के लिये 100 रुपये की मांग करने के लिये उकसायेंगी। खाद्यान्न व्यापारियों के हाल ही में दिल्ली में हुए सम्मेलन में एक बहुत बड़े व्यापारी श्री किर्लोस्कर ने कहा. कि व्यापारियों को कांग्रेस को मत नहीं देना चाहिये और इस प्रकार उन्होंने जमाखारों और चोर बाजारी करने वालों को प्रोत्साहित किया। मेरा अनुरोध है कि हमें थोक व्यापारियों और बडे व्यापारियों के दबाब में नहीं आना चाहिये।

अब मैं एकाधिकार गृहों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। देश की जनसंख्या का पांच प्रतिशत भाग प्रतिवर्ष 3640 करोड़ रुपये व्यय कर रहा है और 30 प्रतिशत लोग केवल 3500 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। एकाधिकारी मिश्रित अर्थव्यवस्था का पूरा-पूरा लाभ उठा रहे हैं। सामाजिक न्याय बिल्कुल नहीं है।

पिछड़े क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये वित्त मंत्री ने बजट में जो प्रस्ताव किये हैं उनकी मैं सराहना करता हूं। परन्तु मुझे आशंका है कि वह देश में कहां तक बचत कर सकेंगे।

मैं निर्यात और आयात के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। निर्यात का मूल्य चाहे बढ़ा हो परन्तु मात्रा में कमी हुई है। वित्त मंत्री ने आयात के सम्बन्ध में कहा है कि आयात में कमी की जायेगी। प्रति वर्ष लम्बे रेशे वाली रुई का आयात किया जा रहा है जो लगभग 80 करोड़ रुपये का है परन्तु इसमें से एक टुकड़े का भी निर्यात नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष हम खाद्यान्न के आयात पर 160 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं जो हास्यास्पद है।

कृषि क्षेत्र के बारे में वित्त मंत्री ने राज समिति के कुछ निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया है परन्तु मुझे आशंका है कि वह इन्हें कहां तक क्रियान्वित कर सकेंगे।

इन सभी पंचवर्षीय योजनाओं में हमने कृषि क्षेत्र पर लगभग 7000 करोड़ रुपये खर्च कर दिये हैं। आज कृषि क्षेत्र से लगभग 9500 करोड़ रुपये की आय होती है परन्तु इसमें कर केवल 115 करोड़ रुपये लगाया जाता है। क्या हम कृषि क्षेत्र पर पूरा-पूरा कर नहीं लगाने जा रहे हैं?

अधिक भूमि में सिंचाई करने का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने बताया है कि राज्यों को अपनी परियोजनाएं पूरी करने हेतु लगभग 153 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये हैं। केरल में आरंभ की गई परियोजनाएं सहायता के अभाव में पूरी नहीं की जा सकी हैं।

खाद्यान्न के आयात के लिये 160 करोड़ रुपये की व्यवस्था एक तदर्थ व्यवस्था है। यह बजट तदर्थ बजट है। इस संबंध में स्थायी व्यवस्था की जानी चाहिये। इस देश में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

तमिलनाडु और मैसूर में बिजली की कमी है। उन्हें केरल से बिजली की सप्लाई की जा सकती है परन्तु केरल की परियोजनाओं को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार धनराशि नहीं दे रही है।

श्री स्टीफन ने रिजर्व बैंक का उल्लेख किया है हाल ही में उन्होंने वहां पर दो निदेशक नियुक्त किये हैं जिनमें से एक विदेशी एकाधिकार समूह के चैयरमैन हैं तो दूसरे एकाधिकारों गृहों के प्रमुख व्यक्ति हैं। नीति बनाने वाले निकाय में इन लोगों के रहते देश में समाजवाद कैसे लाया जा सकता है?

बेरोजगारी की समस्या आज समूचे विश्व की समस्या है, विशेषकर पूंजीवादी समाज की। भारत अर्द्ध-विकसित देश है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। हम नारियल जटा उद्योग के लिये 15 करोड़ रुपये की मांग कर रहे हैं ताकि स्थायी रुप से संस्थापित ो सकें परन्तु यदि श्री चव्हाण के पास जायेंगे तो वह यही कहेंगे कि पैसे नहीं है। हम ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या किस प्रकार हल करेंगे?

अपना भाषण समाप्त करते हुये मैं बजट का समर्थन करता हूं और अनुरोध करता हूं कि जो भी नीतियां बनाई जाये वे समाजवादी समाज के निर्माण के लिये हों।

***डा० सरदीश राय** (बोलपुर) : यह बजट धनी व्यावसायिक गृहों के लिये उल्लासजनक सिद्ध हुआ है जबकि जन-साधारण के लिये मूल्यों में और अधिक वृद्धि के रुप में दुख और कठिनाई ही बन कर रह गया है इसलिये हम इस बजट का समर्थन नहीं करते। सरकार बड़े बड़े व्यापारियों और एकाधिकारियों के सम्मुख पूर्णरूपेण आत्म-समर्पण कर चुकी है। बिड़ला बन्धुओं का संरक्षण प्राप्त समाचार-पत्र "हिन्दुस्तान टाइम्स" ने "निगमित कर न लगने से गैर-सरकारी क्षेत्र प्रसन्न" जैसे शीर्षक देकर अपने उल्लास का प्रदर्शन किया है। "इकोनोमिक टाइम्स", बम्बई ने लिखा है कि शेयर बाजार ने वर्ष 1973-74 के केन्द्रीय बजट का अभिनन्दन किया।

यदि हम वर्ष 1968-69 से लेकर आज तक प्रत्यक्ष और परोक्ष करों में वृद्धि का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि परोक्ष करों में प्रतिवर्ष भारी वृद्धि होती जा रही है जिससे गरीब लोगों पर अत्याधिक भार पड़ता जा रहा है। सरकार की कराधान नीति के परिणामस्वरुप 1960-61 और 1973-74 के बीच करों से कुल आय की तुलना में परोक्ष करों के अनुपात में 67.37 प्रतिशत से 74.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि प्रत्यक्ष करों के अनुपात में 32.63 प्रतिशत से 25.77 प्रतिशत की गिरावट आई है जो एक अस्वस्थ परम्परा है।

रिजर्व बैंक ने जुलाई, 1972 में 290 बड़ी-बड़ी कम्पनियों का सर्वेक्षण किया था उससे इन तथ्यों का पता चलता है।

कर से पहले इन कम्पनियों का लाभ 1965-66 में 132 करोड़ रुपये से बढ़कर 1970-71 में 212 करोड़ रुपये हो गया परन्तु इसी अवधि में इन 290 कम्पनियों का कर से पहले लाभ के अनुपात के रुप में कर प्रावधान 47.4 प्रतिशत से कम होकर 42.8 प्रतिशत हो गया। इससे स्पष्ट है कि सरकार बड़े व्यापारियों और एकाधिकार गृहों का हित-संरक्षण कर रही है। इस वर्ष योजना के लिये 345 करोड़ रुपये का नियतन किया गया है जो गत वर्ष के नियतन से 9 प्रतिशत अधिक है परन्तु इस वर्ष मूल्यों में भारी वृद्धि को देखते हुए यह नियतन कम पड़ जायेगा। इसके अतिरिक्त राज्यों के साथ भी भारी अन्याय किया गया है। गत वर्ष राज्यों के लिये कुल मिलाकर 2928 करोड़ रुपये नियत किये गये थे जबकि इस वर्ष यह राशि घटा कर 2223 करोड़ रुपये कर दी गई है। राज्यों को इस वर्ष ऋणों के लिए 850 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ेगा जो गत वर्ष के भुगतान से 100 करोड़ रुपये अधिक होगा। राज्यों को गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 718 करोड़ रुपये कम मिलेंगे जिसके परिणामस्वरुप वे अपनी सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं को पूरा नहीं कर सकेंगे। अब खाद्यान्न के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि दो मौसमों में वर्षा की कमी के कारण खाद्यान्नों में भारी कमी हो गई है। खाद्यान्नों की कमी लगभग 4 प्रतिशत बताई जाती है जबकि खाद्यान्नों के मूल्यों में 13 प्रतिशत वृद्धि हुई है। ऐसा कहा गया है कि इस वर्ष से सरकार गेहूं के थोक व्यापार को अपने नियंत्रण में लेगी। सरकार को चाहिये था कि खाद्यान्नों की कमी को पूरा करने के लिए वह इस वर्ष अधिक खाद्यान्न वसूल करती परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। खाद्यान्नों के भंडार का बड़ा भाग और उनका वितरण अब भी जमाखोरों और स्टाकिस्टों के हाथ में हैं। वर्ष 1972-73 में अखिल भारतीय वसूली लक्ष्य 34.80 लाख टन था परन्तु केवल 15.50 लाख टन की ही वसूली की गई। इन आंकड़ों से पता चलता है कि खाद्यान्नों की कमी की हालत अभी और भी बिगड़ेगी क्योंकि सरकार वसूली लक्ष्यों को पूरा करने की अपेक्षा विदेशों से आयात करने का प्रयास कर रही है।

---

*बंगला में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of a speech delivered in Bengali.

सरकार ने "सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाओं" शीर्ष के अन्तर्गत खर्च में पिछले वर्ष के 401.86 करोड़ रुपये को कम करके इस वर्ष 341.29 करोड़ रुपये कर दिया है।

सरकार इस बात के प्रति जागरूक है कि बजट पारित होने के बाद इसके विरुद्ध आन्दोलन होंगे और इसके विरुद्ध प्रबल जनमत उत्पन्न होगा अतः इन्हें कुचलने के लिये दमनकारी कानून और काले अधिनियम बनाये हैं। रक्षा पर नियतन में वृद्धि करके 1600 करोड़ रुपये कर दिया गया है। पुलिस पर भी केन्द्र द्वारा नियतन पिछले वर्षों में बढ़ाया गया है।

अतः मैं यह तर्क प्रस्तुत करता हूं कि यह बजट जन-विरोधी बजट है। इससे जनसाधारण को सहायता नहीं मिलेगी अपितु यह बजट उनके कष्टों को बढ़ायेगा। अतः हम इस बजट का विरोध करते हैं।

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur) : We have to decide the justification of this budget keeping in view certain points. The refugee influx, the Bangla Desh issue, drought situations and the shortage of power and water resulted in price rise. Therefore, this budget deserve appreciation in view of the circumstances it has been brought forward.

The objectives of this budget are to curb the concentration of economic power and to remove regional imbalances.

A provision of Rs. 160 crores has been made in this budget for importing foodgrains from other countries and the bonus being advanced to states for removing the shortage of foodgrains amounting to 19.7 per cent. If larger funds are allocated to the states for increasing agricultural production, we shall not be required to spend such a huge amount on the import of foodgrains.

There are some big land-lords having 400 acres of land who want to save themselves from the grip of ceiling laws and are trying to divide their lands among their relatives. It is to be ensured that no such step can be taken as to shatter over economy.

Take example of the F.C.I. At some places in Punjab, mainly at Jullunder lakhs of bags of rice has rotten for want of proper storage. The officers in F.C.I. are indulged in corruption. The centre should send an officer to enquire into the matter. If our agricultural produce is stored in warehouses properly and honest officers are there, there will be no need for importing foodgrains.

One thing is clear from this budget that the rich have not been touched so far as the taxation is concerned. The incidence of taxes on the commodities like petrol will be shifted to the consumers.

Efforts have lately been made to instal pumping-sets and shallow tube-wells. This should be done much earlier. The Government have not been able to execute their schemes to the fullest extent because of the inefficient bureaucracy.

Some of recommendations of the Raj Commission have been accepted. No delay should be made in the implementation of these recommendations. There is no mention of urban-ceiling in this budget. Delay will simply create complications.

I suggest to stop imports. New deposit should be taken over. Such things should be done after research so that self-sufficiency can be achieved.

Why shouldn't we become self-sufficient in respect of foodgrains in all the states ? Why don't you have a crop planning ? Then, I would like to say something about small tractors. When ceiling is imposed on land, there will be need of small tractors because we have to do intensive cultivation. Small farmers are not able to take loans from the nationalised banks.

The Government deserves appreciation for increasing the number of backward districts from 162 to 265. A great deal of attention is to be paid towards these areas.

This budget is meant only for a year but to provide bare necessities of life to the people, fifteen or twenty year planning is to be done.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि उनमें से प्रत्येक 7 मिनट तक बोलें ।

श्री अमरनाथ विद्यालंकार (चंडीगढ़) : विरोधी दल के सदस्यों ने इस बजट पर बोलते हुए लोगों के उस साहस और आत्म-विश्वास की भावना को समाप्त करने का प्रयास किया है जिसे हमने गतवर्ष उत्पन्न किया था। कुछ विरोधी दल, जो स्वयं को लोगों का समर्थक बताते हैं और एकाधिकारियों का विरोध करते हैं, समझ में नहीं आता कि उन्होंने इस बजट का विरोध क्यों किया है ?

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में ठीक ही कहा है कि इस बजट का उद्देश्य हमारे मूल सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करना है। मैं महसूस करता हूं कि यह बजट उतने विश्वास को उत्पन्न नहीं करता हैं जितना हम चाहते हैं। इस बजट को थोड़ा और गतिशील बनाया जाना चाहिये था ।

उदाहरण के लिये राज समिति की कुछ सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। यह सही दिशा में एक कदम है कि उद्योगपतियों को कृषि क्षेत्र में अपना विस्तार करने से रोका जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त हम एकाधिकारियों को पिछड़े क्षेत्रों में नये अवसर प्रदान कर रहे हैं। सरकार एकाधिकारियों को रियायतें देने की अपेक्षा पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं क्यों नहीं आरम्भ करती ?

1314 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष कर लगाये गये हैं जबकि 3800 करोड़ रुपये के परोक्ष कर लगाये गये है और परोक्ष करों से मुद्रा-स्फीति का जन्म होता है। अतः इस अनुपात में कमी की जानी चाहिये ।

1 फरवरी को श्री शिन्दे ने बताया कि रबी की फसल के बाद खाद्यान्न संबंधी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी परन्तु आर्थिक समीक्षा के अनुसार रबी की फसल के बाद भी हम पूर्णतया इन कठिनाइयों को दूर नहीं कर पायेंगे। इसे स्पष्ट किया जाना चाहिये ।

प्रशासनिक सुधारों के लिये हमें प्रशासन पर नौकरशाही के प्रभाव को खत्म करना होगा। अन्यथा प्रगतिशील उपायों के मार्ग में बाधा आयेगी। यदि खाद्यान्नों के सरकारीकरण के मामले में नौकरशाही ने रोड़ा अटकाया तो हमें वांछित फल प्राप्त नहीं होंगे ।

चंडीगढ़ में आवास की भारी समस्या है। वहां जनसंख्या का 40 प्रतिशत भाग बिना उचित आश्रय के रह रहा हैं। उन्हें मूल आवश्यकताओं से भी वंचित किया गया है। यह बात हमारे पेशे के हित में नहीं है ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (कलकत्ता-दक्षिण) : पिछली असफलताओं और वर्तमान कठिनाइयों के संदर्भ में इससे और अधिक रचनात्मक बजट नहीं हो सकता है।

मार्क्सवादी सदस्य डा० सरदीश राय ने कहा कि जनता इस बजट को सहन नहीं कर सकेगी और बजट-प्रस्तावों के विरुद्ध भारी प्रतिक्रिया होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने पुलिस और सेना के लिये अधिक धन राशि इसलिये आवंटित की है कि यदि लोगों ने आन्दोलन किया तो दमन करने के लिये उनका प्रयोग किया जायेगा। भारतीय सेना के जवानों के लिये इससे अधिक अपमानजनक बात और क्या हो सकती है?

वित्त मंत्री ने बताया है कि कृषि उत्पादन में कमी और राष्ट्रीय विपत्तियों के कारण इस प्रकार का बजट लाने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं था। मैं इस बात की सराहना करता हूं। परन्तु कुछ रचनात्मक प्रस्ताव भी हैं।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री यहां उपस्थित हैं और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह इस समस्या को उचित व्यक्ति को बताएं। अलग-अलग परियोजनाओं के लिये 750 लाइसेंसों में से केवल 90 लाइसेंस पिछड़े क्षेत्रों के लिये दिये गय हैं अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह अपनी और दल की नीतियों के संबंध में इस स्थिति का पुनर्विलोकन करें।

मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैं न्यायपालिका का पूरा-पूरा आदर करता हूं परन्तु मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि इस समय मुझे न्यायपालिका में विश्वास नहीं रह गया है। जब कभी संसद में और विधान मंडलों में सरकार द्वारा प्रयास किये जाते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 का प्रगति रोकने के लिये उपयोग किया जाता है।

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि भारत में यदि सबसे पहले किसी को फांसी दी जाती है तो वह बड़े-बड़े एकाधिकार-गृहों को और किसी को नहीं। बाजार में मूल्यों को देखते हुए यदि आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखकर अधिनियम को ठीक ढंग से लागू किया जाये तो सबसे पहले एकाधिकारियों को गिरफ्तार किया जायेगा।

यदि देश सार्वजनिक रूप से कुछ समाप्त करना चाहता है तो वह सबसे पहले बड़े बड़े एकाधिकार-गृहों को समाप्त करें। वर्ष 1961 से वर्ष 1970-71 तक के विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का अवलोकन तथा विश्लेषण करने से यह सिद्ध हो जाता है कि हमारे समाजवादी भाषणों तथा लोकतंत्रात्मक उपायों के बावजूद हम बड़े बड़े औद्योगिक गृहों को नियंत्रित करने के लिये कोई सक्षम व्यवस्था नहीं कर पाये हैं। मेरा वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह शक्तिशाली उपाय करें तथा एकाधिकार-गृहों के बारे में किसी प्रकार के भ्रम में न रहकर उन्हें किसी प्रकार भी क्षमा न करें।

वर्ष 1956 में प्रति व्यक्ति 12.72 औंस खाद्यान्न उपलब्ध था और 16 वर्ष के बाद वर्ष 1972 में यह मात्रा 14.74 औंस पहुंची अर्थात् इसमें वृद्धि हुई। परन्तु फिर भी खाद्यान्नों का अभाव है। क्यों? इसका केवल यही अर्थ है कि बड़े बड़े एकाधिकार गृह उनकी जमाखोरी कर रहे हैं। कपड़ा उद्योग में मसर्स केशोराम रेयन तथा सेंचुरी रेयन एकाधिकार गृह हैं, रसायनों में हिन्दुस्तान लीवर तथा टाटा बंधु है तथा अलाइड इस्पात मशीनरी में गोयन्का तथा मफतलाल का एकाधिकार है।

मेरा निवेदन है कि देश में मूल्यवृद्धि को रोकने तथा स्थायी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एकाधिकार गृहों को नियंत्रित करने के लिये सरकार गंभीर रूप से कार्यवाही करे। मुझे तो, इस संदर्भ में, सरकारी क्षेत्र में घाटा होना भी मंजूर है क्योंकि घाटे के बावजूद कर्मचारी वर्ग में धन तो वितरित

होता है। मैं गैर-सरकारी क्षेत्र का कभी समर्थन नहीं करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि वो क्या कुछ कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि सरकार केवल प्राकृतिक विपदाओं को ही कोस कर न रह जाये बल्कि हिम्मत के साथ इन बड़े-बड़े एकाधिकार गृहों को प्रतिबंधित करे। यह करना ही पड़ेगा।

खाद्यान्नों के थोक व्यापार का 15 तारीख से सरकारीकरण किया जा रहा है। भारत के राष्ट्रीय कृषक संगठन ने सहयोग न देने की धमकी दी है। जनसंघ ने उसे समर्थन दिया है क्योंकि जनसंघ जमाखोरों का समर्थक है। मैं चाहता हूं कि सभी संसत्सदस्य तथा राजनैतिक संगठन इस कार्य में सरकार को सहयोग दें। सरकार एक-एक करके विभिन्न राज्यों में इसका प्रयोग करे। मुझे आशा है कि अगले बजट-सत्र में हमें एकाधिकार गृहों का नाम भी लेने का मौका नहीं मिलेगा।

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरिडीह) : वित्त मंत्री ने प्रवृद्ध मुद्रा-स्फीति, शरणार्थियों के आगम के प्रभाव, भारत-पाक युद्ध, सूखे तथा बाढ़ों की पृष्ठभूमि पर अपना बजट पेश किया है इन सभी कारणों से हमारी अर्थव्यवस्था को आघात पहुंचा है तथा परिणामतः मूल्यों में वृद्धि हुई है।

'आर्थिक समीक्षा' में मूल्यों में 12 प्रतिशत वृद्धि के आंकड़े दिये हैं जोकि उपरोक्त कारणों तथा साथ ही हमारी जनसंख्या में हुई तथा निरन्तर हो रही वृद्धि के कारण हो रहे हैं ये तीव्र मुद्रा-स्फीति की दृष्टि से कुछ अधिक नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है और मैं बताना चाहता हूं कि हमें आवश्यकताओं तथा प्रतिबंधों की एक अन्धेरी सुरंग से गुजरना पड़ेगा। हमारी मुद्रा स्फीति भले ही किसी रूप में किसी भी कारण हो, वह है अवश्य।

मंत्री महोदय ने घाटे की व्यवस्था को हालांकि, घटाकर केवल 85 करोड़ रुपये तक किया है परन्तु यह घाटा 250 से 300 करोड़ रुपये तक जायेगा। यदि हम अपने औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन को बढ़ा दें तो इस घाटे पर भी हम अधिकार पा सकेंगे। मुझे आशा है कि यह घाटा इससे अधिक नहीं बढ़ेगा। खाद्यान्नों में थोक व्यापार के अभिग्रहण के मामले को मैं इस घाटे में शामिल नहीं कर रहा हूं क्योंकि खाद्यान्न का तो क्रय विक्रय होता ही रहेगा।

इस बजट में कुछ अप्रिय बातें भी हैं। 53 प्रतिशत का उत्पाद-शुल्क बहुत ज्यादा है, सीमाशुल्क 900 करोड़ रुपये से कहीं अधिक एकत्रित हो सकता है। तस्करी तथा नियमों में विभिन्न कमियों के कारण हम 30 से 40 प्रतिशत सीमाशुल्क एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी ओर, यह बहुत अच्छी बात है कि शिक्षित बेरोजगारों के लिये 100 करोड़ रुपये तथा सामाजिक न्याय के लिये 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। एक विशेषता यह भी है कि भविष्यनिधि जीवन बीमा तथा छोटी बचतों के लिये उदार उपबंध रखे गये हैं परन्तु कर की सीमा को 3000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया जाना चाहिये ताकि हम घरेलू बचतों को बढ़ा सकें।

कहा गया है कि यदि हम युद्ध स्तर पर कृषि उत्पादन में वृद्धि करें तो हमारी अर्थव्यवस्था अपने आप ही सुधर जायेगी। औद्योगिक विकास की दृष्टि से छोटा नागपुर जो कि बिहार का पठार है, एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, परन्तु अर्थशास्त्रियों, वृद्धि-विशेषज्ञों, प्रौद्योगिकियों, खनन-इंजीनियरों आदि की दृष्टि से यह क्षेत्र नयी चुनौतियों का जबाब देने को सक्षम है। विशाल खुला क्षेत्र, चमचमाते नये नगर, द्वि-क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था तथा बेहिसाब निर्धनता ये सब वहां उत्पादन वृद्धि की संभाव्यताओं का पता देते हैं। वहां उपलब्ध वर्जीनिया तम्बाकू में केवल 0.3 प्रतिशत निकोटीन है जो कि विश्वभर में सब से कम प्रतिशत मात्रा है। यदि हम उसका उत्पादन बढ़ायें तथा फिर से उसका निर्यात करें तो छोटा नागपुर क्षेत्र में 'गरीबी' हटाओ नारा क्रियान्वित हो जायेगा। हमारे आयोजन में विकास, प्रबन्ध, विशेषज्ञता तथा सार्वजनिक योगदान की भारी कमी रही है।

हमने जनसंख्या, उत्पादन तथा कृषि संबंधी आंकड़े तो एकत्रित किये हैं, परन्तु उपयोग संबंधी नहीं। 1949 में खाद्य उत्पादन 450 से 500 लाख टन था तथा 1972 में यह बढ़कर 10 करोड़ टन हो गया। तो भी मूल्यों में वृद्धि हो रही है यहीं पर काले धन का प्रभाव शुरु होता है। अतः मेरा सुझाव है कि उपयोग संबंधी आंकड़े जुटाये जायें, विभिन्न सरकारी उपक्रमों के कार्यकरण की जांच हो। सूक्ष्म आर्थिक आयोजन प्रत्येक अंचल के लिये हो जिनके लिये आप के पास विभिन्न आंकड़ों का होना आवश्यक है ताकि इन पिछड़े क्षेत्रों का विकास हो। पिछड़े क्षेत्रों के लिये उदार तथा दीर्घावधि के ऋण दिये जायें।

श्रीमती मुकुल बनर्जी (नई दिल्ली): विशेष रूप से कम विकसित क्षेत्रों के लिये अलग से निधि की व्यवस्था करने के लिये तथा देश के विकास के लिये बहुत ही प्रगतिशील कदमों से परिपूर्ण बजट पेश करने के लिये मैं वित्त मंत्री को बधाई देती हूं।

विकासशील अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत अतिरिक्त कर तो लगाने ही पड़ते हैं परन्तु मेरा सुझाव है कि मंत्री महोदय निम्नलिखित बातों पर भी विचार करें।

स्टैनलैस स्टील पर अतिरिक्त कर लगने से रसायन उद्योग पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। इससे उत्पादन लागत में वृद्धि होगी जिसके फलस्वरूप उपभोक्ता मूल्यों में वृद्धि होगी। स्टेनलैस स्टील पर कर मशीनरी के रूप में डेरी उद्योग पर भी बुरा प्रभाव डालेगा जिसके कारण दूध के मूल्य बढ़ेगें। इसी प्रकार पेट्रो रसायन उद्योगों में भी उत्पादन लागत बढ़ेगी तथा इनके उत्पादों के महंगा हो जाने से सामान्य उपभोक्ता त्रस्त होगा। देश में स्वास्थ्य सुविधायें तो बहुत ही कम हैं और स्टेनलैस स्टील पर अतिरिक्त कर के परिणामस्वरूप चिकित्सा-उपकरणों की लागत बढ़ेगी और फिर वही सामान्य व्यक्ति पर भार बढ़ा।

इस प्रकार सामान्य उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उद्योगों पर इन करों का बुरा असर पड़ने से अन्ततः सामान्य जन पर ही मुसीबत आयेगी।

मशीनरी पर करों में वृद्धि 30 प्रतिशत से बढ़कर, 45 प्रतिशत हो गई है जिसके फलस्वरूप इलैक्ट्रानिक उपकरणों के उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ेगा। उनकी उत्पादन-लागत बढ़ने से हमें उनका निर्यात मूल्य बढ़ाना पड़ेगा, जिससे हमारे निर्यात व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। मूल्य बढ़ाकर हम अन्य देशों के साथ प्रतियोगिता नहीं कर सकेंगे। यह एक श्रम-प्रधान उद्योग है। साथ ही इस उद्योग पर कुप्रभाव पड़ने से विदेशी मुद्रा के अर्जन में भी कमी आयेगी।

टिन-प्लेटों पर भी शुल्क में 25 प्रतिशत की और वृद्धि कर दी गई है जो कि वस्तुतः 30 प्रतिशत होगी क्योंकि निर्माता भी अपने लाभ का प्रतिशत बढ़ा देंगे। इसका सारा भार उपभोक्ता पर ही पड़ेगा। टिन-प्लेटों की आवश्यकता खाद्य सामग्री, घी, तेल, आदि के डिब्बों के निर्माण में काम आती हैं। इस ओर भी उपभोक्ता पर कठिनाई आयेगी।

पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क से यदि केवल कार चलाने वालों पर प्रभाव पड़ता तो मुझे कोई चिन्ता न होती। परन्तु इसके फलस्वरूप स्कूटरों, दो पहिये के स्कूटरों, आटो-रिक्शा जो कि सामान्य लोगों का वाहन हैं, के खर्च बढ़ेंगे। इसका भार भी उपभोक्ताओं पर ही पड़ेगा जो कि अधिकांशतः निम्न-मध्यम वर्ग के लोग होंगे। फिर पेट्रोल कीटनाशक दवाओं, रुई, तम्बाकू आदि की फसलों पर छिड़कने वाली दवाओं के लिये उपयोग में लाया जाता है। अतः कृषि उत्पादों के मूल्यों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा।

यह अवश्य है कि सुपरफाईन कपड़े पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का मैं समर्थन करती हूं परन्तु साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि मध्यम श्रेणी का तथा मोटा कपड़ा उचित मूल्यों पर उपलब्ध होता रहे क्योंकि मांग बढ़ने से मूल्यों में वृद्धि हो जाया करती है तथा उसका काला-बाजार भी आरंभ हो जाता है। यह बात केवल कपड़े पर ही नहीं वरन अन्य खाद्य पदार्थों तथा दवाओं आदि पर भी लागू होती है। ऐसे मामलों में सरकार को कठोर कदम उठाने चाहियें।

इस वर्ष राजस्व की वसूली निर्धारित लक्ष्यों से भी अधिक हुई है। केवल 85 करोड़ रुपये का अन्तर पूरा नहीं हो पाया है। यह एक अभूतपूर्व बात है। इसका अर्थ यह है कि घाटा कम होगा तथा मुद्रास्फीति भी कम होगी।

विकास रियायत को वापस ले लिया गया है। परन्तु अगले वर्ष से आरभं में ही अब क्षमता का निर्धारण करने की योजना लागू हो जाने से निवेश की स्थिति में सुधार होगा। कम-विकसित पिछड़े क्षेत्रों के लिये पहली बार कोई कारगर कार्यक्रम बनाया गया है। कुल लाभ पर प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत कर-रियायत से पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि दस वर्ष में यह छूट 200 प्रतिशत हो जायेगी। शिक्षित बेरोजगारों के लिये नौकरियों हेतु बजट में की गई विशेष व्यवस्था भी बड़ी प्रशंसनीय बात है। ऐसे उद्योगों को अतिरिक्त सुविधायें देकर अधिक जनशक्ति को कार्य पर लगाने का प्रभाव भी प्रशंसा के योग्य है। इससे ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग तथा लघु उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

आरंभ में मैंने स्टेनलैस स्टील, पैट्रोल आदि पर अतिरिक्त कर कम करने की बात कही थी। इस कमी को पूरा करने के लिये मेरा सुझाव है कि 7500 रुपये वार्षिक आय तक करों में पूरी छूट दे दी जाये जबकि सरकार अभी तक केवल 5000 रुपये तक ही छूट दे रही है। इस निम्न आय के वर्ग से राजस्व वसूल करने का काम बड़ा भारी है तथा इसके लिये कर्मचारी भी बहुत चाहियें जबकि मुझे बताया गया है कि बड़े-बड़े व्यापारी तथा अधिक लोग करों का अपवंचन कर जाते हैं........ (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था रखिये। यह संसदीय आचार के विरुद्ध है कि वक्ता तथा सभाध्यक्ष के मध्य संवाद में व्यवधान पैदा करें विशेष रूप से जबकि वक्ता कोई कहता हो। मैं डा० कैलाश का ध्यान आकर्षिक कर रहा हूं।

श्रीमती मुकुल बनर्जी : वर्ष 1970 में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सम्पत्ति-कर के अपवंचन की जांच करने के साथ प्रमुख नगरों तथा कस्बों में गृह-सम्पत्तियों के आंकड़े जुटाने का आदेश दिया था। मुझे पता चला है कि सर्वेक्षण में इस वर्ष दिल्ली में ऐसा कोई नया मामला हुआ नहीं बताया गया है तथा बम्बई का केवल एक मामला बताया गया है।

श्री राम सहाय पांडे : **

उपाध्यक्ष महोदय : ये शब्द सभा की कार्यवाही में शामिल नहीं किये जायेंगे। माननीय सदस्य अब कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्रीमती मुकुल बनर्जी : इन शब्दों के साथ में बजट प्रस्तावों का समर्थन करती हूं।

Shri Lalji Bhai (Udaipur) : On a point of order, Sir. There is no quorum in the House.

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।
Not recorded.

संसदीय-कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : बजट सत्र के दौरान सभी नेताओं ने कोरम की बात न उठाने के बारे में अपनी सहमति दे दी है। यह तो औपचारिकता की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि उन्होंने स्वीकार किया है तो फिर मेरा ध्यान इस ओर न दिलायें अन्यथा मुझे तो संविधान के अनुसार कार्य करना ही होगा। गणपूर्ति नहीं है और गणपूर्ति की घण्टी बजाई जाये।

अब गणपूर्ति है। डा० हेनरी आस्टिन !

डा० हेनरी आस्टिन (एरनाकुलम) : वित्त मंत्री के शब्दों में यह बजट हमारे देश के मूलभूत सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये एक प्रमुख साधन है। उन्होंने एक ऐसा बजट पेश किया है जो इस कठिन समय में भी हमारी अर्थव्यवस्था को मुद्रा स्फीति से बचाने तथा आय में असमानता को दूर करने के कार्यों को अधिक निकट लायेगा। उन्होंने अपने वित्तीय उद्देश्यों को सामाजिक न्याय तथा आत्म निर्भरता की परिधि में रहकर तीव्र-कृत आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य कहा है। इस बजट में उनकी ये अच्छी भावनायें स्पष्ट लक्षित होती हैं। यह बजट वस्तुतः चौथी योजना के अंतिम तथा पांचवीं योजना के प्रथम चरण का द्योतक है। इसमें वर्ष 1972-73 के 550 करोड़ रुपय के घाटे को पूरा करने के लिये संसाधनों का सृजन किया है तथा इसमें पांचवीं योजना पर अग्रिम कार्यवाही के लिये भी 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

बजट प्रस्तावों का उद्देश्य मूल्य वृद्धि को रोकना, बचतों को प्रोत्साहित करना, उत्तम व्यापार सन्तुलन अधिक रोजगार अवसर तथा देश के निर्धन समुदाय को बेहतर सुविधायें प्रदान करने का है। मुझे विश्वास है कि इन सभी क्षेत्रों में इस बजट का उल्लेखनीय प्रभाव पड़ेगा।

सरकार मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा और एक ऐसे आर्थिक ढांचे जो कि आवश्यक रूप से आर्थिक कार्यों के लक्ष्य के रूप में गैर-सरकारी लाभ पर निर्भर है, के लिये वचनबद्ध है परन्तु केवल वितीय नीतियों से ही गरीब व्यक्ति के जीवन स्तर को काफी ऊंचा उठाने सहित विकास की गति को तेज करने के मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते। इसके लिये निम्नलिखित विभिन्न दिशाओं में कार्यवाही करने की आवश्यकता पड़ेगी :

(क) काले धन पर और अधिक कड़े प्रतिबन्ध,

(ख) करों की और अधिक कुशलता से वसूली,

(ग) सभी आवश्यक पदार्थों के मूल्यों को उचित स्तर पर स्थिर रखना,

(घ) गैर-विकासीय खर्चों में बचत के लिये अधिक कड़े कदम,

(ङ) अधिक कल्पनाशील श्रम-नीति, तथा

(च) सबसे ऊपर एक ऐसे औद्योगिक वातावरण का सृजन जिसमें श्रमिक तथा नियोक्ताओं के राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में सांझीदारों जैसे हों।

परन्तु लगता है कि देश के धनी वर्ग से अधिक धन-स्त्रोत निकालने तथा प्रत्यक्ष और नियमित करों की वसूली को सशक्त बनाने में कुछ संकोच रहा है।

बजट में गैर सरकारी क्षेत्र को विस्तृत तथा समृद्ध होने का अवसर दिया गया है जिससे सरकार व्यापारी पूंजी को औद्योगिक पूंजी बना देना समझती है। पिछड़े क्षेत्रों में उन्हें तरह तरह की रियायतें देकर सरकार यह विश्वास प्रकट कर रही है। यह क्षेत्र पिछड़े क्षेत्रों के पिछड़ेपन को दूर करने में बड़ा

सहायक होगा। परन्तु अनुभव बताता है कि भारतीय गैर-सरकारी क्षेत्र इन रियायतों पर अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं दिखायेगा, फिर भी इस नीति में यह जरूर लाभ होगा कि अतिरिक्त प्रशासनिक तथा अन्य उपायों के फलस्वरूप छोटे तथा मध्यम वर्ग के उद्यमियों को अवश्य प्रोत्साहन मिलेगा।

श्री चव्हाण ने ऐश्वर्य की बहुत सारी वस्तुओं पर भारी शुल्क लगाया है जिस पर शायद किसी को आपत्ति नहीं होगी परन्तु वह व्यय-कर लगाने में संकोच कर गये हैं। जिससे लोगों के अन्दर यह सन्देह पैदा हो सकता है कि सरकार उपभोग-स्तर को कम नहीं करना चाहती है जो कि पांचवीं योजना का प्रमुख भावार्थ है। फलतः इसका सारा भार मध्यम क्षेणी के लोगों पर ही पड़ेगा।

मुझे विश्वास है कि सरकार हमारी अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचाने वाले तत्वों से अनभिज्ञ नहीं है तथा निम्न तथा मध्यम आय के लोगों की तकलीफ़ों को कम करने के लिये सरकार हर संभव उपाय करेगी।

ऐसा एक उपाय खाद्यान्नों के थोक व्यापार का अधिग्रहण करना भी है। मुझे आश्चर्य है कि श्री जयप्रकाश नारायण जैसे व्यक्ति ने प्रधान मंत्री से अनुरोध किया है कि वह इस निर्णय को वापस ले लें। मुझे विश्वास है कि सरकार अपने निर्णय पर दृढ़ रहेगी तथा उक्त अधिग्रहण के लिये ऐसा उपयुक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी ताकि बजट के दुष्प्रभाव कम होकर समाज के कमजोर वर्ग के लिये सीधे लाभकारी हो।

हमें देश के राजनैतिक वर्ग को देश में निर्धनता से नीचे के स्तर का जीवन व्यतीत करने वाले लोगों की दशा की ओर दिलाना है। मेरे अपने राज्य में नगरीय क्षेत्रों में 40 प्रतिशत से अधिक लोग यह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उड़ीसा के ग्राम्य क्षेत्रों में भी ऐसे लोगों की संख्या 40 प्रतिशत है। हमें इस चुनौती का मुकाबला करने के लिये रचनात्मक उपाय करने हैं। यह एक राष्ट्रीय समस्या है।

मेरे विचार से विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण ही हमारी योजनाओं से अपेक्षित लाभ नहीं हो रहे हैं। मेरा सुझाव है कि प्रत्येक पंचातय को एक सर्वदलीय समिति बनाकर आंकड़े जुटाने का कार्य सौंपा जाये जोकि हमारे आयोजन के लिये बड़ा जरूरी है।

इसी प्रकार कर अपवंचन देश की बहुत बड़ी समस्या है। बड़े पैमाने पर कर अपबंचन हो रहा है। इस समस्या के हल के लिये भी ऐसी सर्वदलीय लोकप्रिय पंचायत समितियां गठित की जायें जिन तक प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच हो और लोगों की सुनवाई हो। इससे काफी राजस्व की वसूली हो सकेगी।

नियंत्रित सामान का भी बहुत काला बाजार हो रहा है। मेरा सुझाव है कि जिन व्यापारियों को ऐसी नियंत्रित वस्तुयें सप्लाई की जाती हैं उनकी सूची सभी संसद सदस्यों, विधायकों, नगरपालिका के सदस्यों तथा पंचायतों के बोर्डों के सदस्यों को बांट दी जाये तथा उन्हें इन व्यापारियों के यहां आकास्मिक जांच करने के अधिकार दिये जायें ताकि लोगों के दिलों में भ्रम न रहे।

खाद्य पदार्थों की किल्लत को दूर करने के लिये एक मिलिटरी उत्पादन ब्रिगेड गठित किया जाये, जिसे सुरक्षा की दूसरी पंक्ति के समान महत्व दिया जाये हमारे सैनिक व्यक्ति अल्पायु में ही सेवानिवृत्ति पा लेते हैं। अतः उन्हें हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में समुचित सुविधायें देकर काश्तकारी के काम पर लगाया जाये। वे लोग काफी मात्रा में खाद्यान्नों का उत्पादन कर सकेंगे जो कम से कम सैनिक आवश्यकताओं के लिये तो पर्याप्त रहेगा। कुछ देशों में यह प्रयास बड़ा सफल रहा है। इससे सीमाओं की सुरक्षा के साथ खाद्यान्न उत्पादन भी बढ़ेगा।

मेरा अगला सुझाव व्यापक ग्रामीण नवीकरण योजना है। सभी जानते हैं कि शहरों में आवास की बड़ी कमी है जबकि हमारे देश में गृह-निर्माण सामग्री की कमी नहीं है। अतः हम एक ग्रामीण सेना क्यों न संगठित करें जोकि विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्र में राजगीरों, बढ़ईयों तथा अन्य दस्तकारों को प्रशिक्षण दें। इससे आवास की समस्या हल होगी तथा रोजगार समता भी पैदा होगी। और अधिक भूमि को काश्त के योग्य बनाने के लिये प्रत्येक जिले में नलकूपों तथा पम्प सैटों की फैक्टरियां लगायी जानी चाहियें।

व्यापक शिक्षित बेरोजगारी की समस्या के हल के लिये स्कूलों तथा कालेजों में शिफ्ट-पद्धति लागू की जाये। इससे अधिक अध्यापकों को काम दिया जा सकेगा।

केरल की महिलाओं को कसीदेकारी तथा सिलाई के कार्य की बड़ी जानकारी है अतः वहां प्रत्येक जिले में 'रेडी-मेड' कपड़ों के कारखानों की स्थापना की जाये। उसके लिये निर्यात बाजार भी उपलब्ध है। इसी प्रकार केरल की टिम्बर सप्लाई का उपयोग करने के लिये रेलवे वहां कोच फैक्ट्री तथा रक्षा मंत्रालय वहां बड़े बड़े संस्थान भी स्थापित कर सकती है क्योंकि केरल युद्ध क्षेत्र से तो बहुत दूर है।

देश में उपलब्ध 72 प्रतिशत विद्युत सक्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है। केरल में अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध है। इसका उपयोग वहां रेल परिवहन का विद्युतीकरण करके किया जा सकता है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को एक सर्वेक्षण के अनुसार, हम अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में भी तट-दूर छिद्रण-कार्य कर सकते हैं तथा इस देश में तेल का बाहुल्य हो सकता है और देश एकाधिकारियों तथा पूंजीपतियों से मुक्ति पा सकता है।

Shri Sat Pal Kapoor (Patiala): The hon. Members belonging to Swatanra, Jan Sangh, CP(M), etc. have been creating confusions by raising non-real issue. In fact our real issues are unemployment, production of foodgrains etc.

Yesterday Shri Piloo Mody urged for the auction of import licences and food grain licences. Such a demand is intended to have free enterprises to loot the people of the country. Some day he may seek the auction of the entire nation even. He said that there would be a crisis in the country if the foodgrains trade is taken over we condemn such a suggestion. Earlier where F.C.I. had not been constituted. The traders from various states used to go to Punjab to buy foodgrains and then stock them to sell later, when the prices would go high up. They would purchase at the time of crops and sell the same after causing scarcity around. We could get rid of them only when the Government entered into this trade and fixed the economic prices of the foodgrains. This benefited both the farmers and the purchasers. If we leave it all to these traders, I tell you the foodgrains would sell at Rs. 200 a quintal. Therefore, the taking over of foodgrains trade is a very right and effective step and I congratulate the Government on it. Besides this, I urge the Government to take over the Sugar trade also fully.

You should ensure that the money earmarked for the creation of 5 lakhs posts is utilized. As we want to bring about socialism so the place of monopoly may be determined.

States like, Punjab, Haryana, Eastern U.P., where the yield can be increased, should be given additional resources. This zone can supply you extra 2 million tons foodgrains. In the same way due consideration should be given to tourism. This department can yield sufficient foreign exchange.

श्रीमती शीला कौल : (लखनऊ) : वित्त मंत्री महोदय सिख समुदाय के प्रति उदार रहे हैं क्योंकि शेविंग क्रीम, स्टेनलेस स्टील जैसी मदों पर कर लगाने से दाढ़ी बनाने वाले व्यक्ति प्रभावित होंगे। इस बार जो कर लगाये गये हैं उसमें निर्धन व्यक्तियों को बख्शा गया है और साथ ही अमीर व्यक्तियों ने राहत की सांस ली है। परन्तु मध्यम वर्ग के लोग भी करों से प्रभावित हुए हैं।

यह बजट इस बात का सूचक है कि हम अभी भी मानसून के दास हैं। अकाल का सामना करने हेतु संसाधन जुटाने के लिए कर लगाया जाता है और यह दोषपूर्ण चक्र चलता रहता है। बांध बनाने तथा नलकूप खोदने से काम नहीं चलेगा। हमारे देश में वनों को काटा गया है जिससे प्रकृति का सूक्ष्म संतुलन बिगड़ गया है, हमें वनारोपण के लिए धनराशि नियत करनी चाहिए।

शिक्षा, परिवार नियोजन जैसी सामाजिक सेवाओं के लिये नियत की गई राशि पुलिस के लिये नियत धनराशि की तुलना में बहुत कम है। यह सबसे बड़ी त्रुटि है। इस बार पुलिस के लिए बजट में 131 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। हमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस के विकास पर अधिक धन लगाना चाहिए न कि पुलिस की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए।

कोरी फिल्म पर 15 से 50 पैंसे प्रतिमीटर कर लगाया गया है। यदि यह कर रंगीन कोरी फिल्म पर लगाया जाता तो इससे ब्लैक एण्ड व्हाइट फिल्म से अच्छी फिल्म बनाने वालों को प्रोत्साहन मिलता है। इसका बुरा प्रभाव उन फिल्म निर्माताओं पर पड़ेगा जो फिल्म वित्त निगम की सहायता से अच्छी फिल्म बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि कोरी फिल्म जैसी सामग्रियों पर कर बढ़ता है तो इससे तस्करी को प्रोत्साहन मिलेगा।

लांग प्लेइंग ग्रामोफोन रिकार्ड पर कर लगाया गया है। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि 8 या 9 वर्ष पूर्व तत्कालीन वित्त मंत्री ने ग्रामोफोन रिकार्ड पर कर लगाया था परन्तु उसे वापिस लेना पड़ा क्योंकि इससे राजकोष को अधिक आय नहीं हो रही थी। यदि शास्त्रीय संगीत के रिकार्डों पर कर लगाया तो यह निश्चय ही प्रतिगामी कदम होगा।

हमारे बैंकों को गरीबी हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। वे बड़े लोगों को धन देते हैं परन्तु छोटे लोगों को ऋण देने में हिचकिचाते हैं। इस समय बैंकों में लगभग 3000 रुपये अप्रयुक्त पड़े हैं। मुझे आशा है कि खेल-कूद को मिलने वाले दान पर कर नहीं लगेगा। यदि ऐसा होगा तो उससे खेल प्रेमियों में आशा का संचार होगा।

***श्री एम० एम० जोजफ (पीरमाडे)** : यह बजट ऊपर से देखने में आकर्षक लगता है परन्तु यदि हम इसकी गहराई में जायेंगे तो यह पता चलेगा कि 85 करोड़ रुपये का घाटा बढ़कर 200 करोड़ रुपये हो जायेगा और इसके साथ करों में भी वृद्धि हो जायेगी। वेतन आयोग के प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर यह घाटा निश्चय ही 200 करोड़ रुपये तक पहुंच जायेगा।

*मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।
Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Malayalam.

(श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए)

(Shri K. N. Tiwary in the Chair)

तम्बाकू, पेट्रोल और रुई पर कर लगने से आम जनता अधिक प्रभावित होगी देश में पहले से ही आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं। सरकार महंगाई को रोकने में बुरी तरह से असफल रही है।

सरकार ने इस बजट के द्वारा कृषि तथा उद्योग के विकास के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिय है। सरकार ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वर्ष 1973-74 में गेहूं का उत्पादन बढ़ेगा परन्तु यह मानसून के होने पर निर्भर करता है। सरकार ने सिंचाई संबंधी सुविधाओं के लिए कुछ नहीं किया है, इस वर्ष मानसून नहीं आया जिसके कारण देश को अकाल का सामना करना पड़ा। सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था करने से हम अधिक खाद्यान्न का उत्पादन कर सकते हैं।

केरल बड़ी मात्रा में बिजली पैदा करता है परन्तु सरकार ने इसका उपयोग करने के लिए अभी तक कुछ नहीं किया है, वहां श्रमशक्ति तथा प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में विद्यमान है परन्तु न वहां उद्योग स्थापित किए गए हैं और न उनका उपयोग किया गया है।

सरकार केरल से झूठे वायदे करती है जो कि कभी पूरे नहीं किये जाते हैं, वहां पेट्रोलियम-रसायन उद्योग समूह तथा प्रीसीजन कारखाना और कोट्टयम जिले में अखबारी कागज का कारखाना लगाने की बात कहीं गई थीं जिसे अभी तक कार्यरूप नहीं दिया गया है।

केरल देश को सबसे अधिक विदेशी मुद्रा देता है इसलिए केन्द्र को उसका अधिक ध्यान रखना चाहिए, केरल की जनता स्वाभिमानी होने के नाते केन्द्र के पास भिक्षा मांगने नहीं जा सकती है। केन्द्र को स्वयं उसकी सहायता करनी चाहिये।

Shri Hari Singh (Khurja) : The budget for the year 1973-74 is auspicious in many respects for the Country. In this budget sufficient amounts have been allotted to different heads. For agriculture a good amount has been earmarked. Provision of import of 20 lakhs tons of foodgrains has been made in this budget. Had the amount, earmarked for the import, directed to the development of agriculture in this country then much food-grains problem would have been solved.

The Government have levied tax on agricultural income to prevent the growth of black money. But I want to say that the Indian agriculturist has to Pass through many natural calamities and his net income is about Rs. 500. If you tax his income then he will be put in unecessarily troubles. It is my suggestion that instead of this, he should be given facilities to increase his production. The Government should take revolutionary step to eliminate economic disparities. In the same way the huge disparity in the pay of Government servants should also be removed. Talks of upliftment of poor and backward people take place but the amount sanctioned by the Government does not reach them. Our bureaucracy is a big hurdle in implementing the Schemes. The farmers of Uttar Pradesh are groaning under the hevy burden of taxes.

The people of Western region of Uttar Pradesh have to go to Allahabad High Court for their cases. It is troublesome for them. It is my earnest demand that a branch of High Court should be opened in Meerut.

With these words I support the budget.

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : मैं इस बजट का समर्थन करता हूं जो कि संतुलित और व्यापक स्वरुप वाला है। इसका उद्देश्य समाजवाद को लाना है। यह बजट अपने पूर्ववर्ती बजटों से इस अर्थ में भिन्न होगा कि इससे भुखमरी, बेरोजगारी, रोग, अशिक्षा प्रादेशिक असंतुलन आदि चुनौतियों का सामना किया जायेगा। इसके अतिरिक्त यह राष्ट्रीय चरित्र के उत्थान में भी सहायक होगा।

यदि हम गरीबी हटाना चाहते हैं तो हमें देश के पिछड़े क्षेत्रों की ओर ध्यान देना होगा। बिना इनके सुनियोजित विकास के गरीबी हटाओ का नारा अर्थहीन रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि उनका क्षेत्र कृषि में बहुत पिछड़ा हुआ है तथा कुछ लोग अपने क्षेत्र को औद्योगिक रुप से पिछड़ा मानते हैं। केन्द्रीय सरकार को यह देखना चाहिए कि कौन सा क्षेत्र किस रुप में पिछड़ा हुआ है तथा वहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। किसी क्षेत्र के पिछड़ेपन की कसौटी प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्र विकास निगम स्थापित है। जिसके फलस्वरुप अध्यक्ष श्री पन्थुली थे और जिन्हें निकाल दिया गया है, इसी तरह बिहार में संथाल परगना स्वशासी विकास निकाय है जिसका उपाध्यक्ष मैं हूं तथा मुख्य मंत्री अध्यक्ष हैं, वहां स्थिति इस प्रकार बनाई जा रही है कि काम करना कठिन हो गया है। उनके पास सभी अधिकार है परन्तु दायित्व नहीं है मेरे पास दायित्व हैं परन्तु अधिकार नहीं है। अधिकार और दायित्व साथ-साथ चलने चाहिये। इसका परिणाम यह हुआ कि इस निकाय की बैठक कई महीनों तक नहीं बुलायी जाती है। मैं चाहता हूं कि केन्द्र ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करे। छोटा नागपुर और संथाल परगना में वहां के स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार नहीं दिया जाता है तथा इसके लिए बाहर से लोगों को बुलाया जाता है। सरकार का कर्तव्य है कि वह इन व्यक्तियों को इस प्रकार के शोषण से बचाए। मेरा अनुरोध है कि सरकार पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए एक अधिनियम संसद् में लाये। प्रत्येक राज्य में विकास प्राधिकरण को इसी आधार पर कार्य करना चाहिए। पिछड़े क्षेत्रों के लिए एक केन्द्रीय बोर्ड बनाया जाना चाहिए जिसका अध्यक्ष प्रधान मंत्री को होना चाहिए। तभी हम 'गरीबी हटाओ' समस्या का समाधान कर सकते हैं।

आज राष्ट्र को राष्ट्रीय चरित्र के उत्थान की आवश्यकता है। बजट में इसकी व्यवस्था नहीं की गई है। देश में हर व्यक्ति को, चाहे वह मंत्री हो, या अधिकारी या जन-प्रतिनिधि हो, ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे राष्ट्रीय चरित्र पर कोई धब्बा लगे।

Shri Chandulal Chandrakar (Durg) : I am deadly against levying taxes every year. Actually this practice has become out of date. There are four measures which can help the Government in raising revenues without resorting to taxation. Firstly, checking of smuggling secondly, collection of present taxes in more effective ways, thirdly, stoppage of extravagent expenditure and the last is to increase revenues from Public Institutions.

Take the case of smuggling. If the Government stops it then it can earn revenue to the tune of Rs. 100 crores. The custom officials say that most of the smuggling take place in Western Coast and the goods come from Middle East countries. The smugglers have fast speed boats which can easily surpass the custom's boats. So fast speed boats, hovercrafts etc. should be provided to customs to help them to frustrate the attempts of smugglers. Besides this watch should be kept on air lines employees to stop smuggling through airlines.

It is my suggestion that the little Andaman Island should be declared as a Free Port. This can yield handsome revenue to the Government. Hongkong is an example which provide source of revenue to China. The Government should develop Andaman Nicobar Islands and other islands to promote tourism and this can yield good revenue to Government.

Regarding stoppage of extravagent expenditure I would suggest that purchasing of foreign cars for high ups should be discontinued. Its maintenance etc. cost a lot to the Government. A good amount is spent on the decoration of officers of Public undertakings which should be stopped. In the same way the practice of giving travelling allowance in Public Undertakings should be abolished.

It seems that the Government have not taken any lesson from the famine otherwise next five years plan would have radical changes. It has not set any targets regarding irriga tion, roads, etc. We do not find any job oriented and production oriented planning. Madhya Pradesh is pagging behind in the field of irrigation, rails and roads. Economic exploitation is going on there. The Government should take all these things into considera· tion.

Shri Paripoorannand Painuli (Tehri Garhwal) : I support the budget because of its pragmatic approach. Some opposition members have shed crocodile tears for the poor. But I want to say that the owners of electric appliances or who smoke costly cigarettes or who owns car does not come under the definition of common man. So the taxes will be levied on rich people. There is no doubt that the common man will have to pay more fare due to taxing the petrol. But the question is how it affects our national policy. The Finance Minister has stated that opportunities of employment will be created and sav ing will get due importance. By adopting this measure we can increase the production and decrease the inflationary pressure.

Some members, particularly belonging to Jan Sangh and Swtantara party, have opposed the taking over of the wholesale of foodgrains. There is no doubt that hoarders, profiters etc. are on their back who do not want the policy of the Government to succeed. I congratualte the hon. Finance Minister for mentioning integrated development of back-ward areas in the budget.

I want to ask from the Government what they have done for the development of hilly areas of Uttar Pradesh ? The Central Government and the State Government have made big assurance to develop that area but in practice nothing has been done. There are no industries and the raw materials are sent outside. The Government should give due consideration to that area.

We talk of production of foodgrains but in the absence of irrigation facilities this does not take place. So provision of carrying out incomplete projects must be taken immediately. The Government should give utmost importance to develop backward areas.

Shri Shri Chandra Shailani (Hatharas) : As per the present times and situation, it is a befitting Budget from a progressive Government. It will benefit all and sundry. Despite the prevailing difficult circumstances the Government have not levied very much taxes. We have been financially over burdened because of draught and Bangla Desh Refugees' influx. But still the proposed taxes are not going to create any special inconveni-ence to the middle or poor class people. However, I would like to point out that this too could have been avoided had the realisation of previous taxes been executed effectively and fruitfully.

Levying Taxes always cause price spiral, whereas the people of our country are already passing hard times of abnormal scaircity in even the essential commondities and it is the first and foremost responsibility of the Government to provide the basic necessities for all and every citizen of the country.

Regarding realization of income tax; evasion of which is going on a large scale particularly by the big industrialists, business men and other affluent people who are always found in big arrears of taxes and who delay and sabotage the recovery thereof by indulging in court proceedings, I would suggest that no assessee should be permitted to approach the court until he pays at least fifty per cent of the tax amount assessed against him.

Money allotted for the development of the backward areas is quite insufficient. The Budget also does not provide enough for the facilities to poor farmers, workers and other exploited people..........

Mr. Chairman : Nothing would be recorded from his speech hereinafter.

Shri E.V. Vikha Patil (Kopargaon): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Budget proposals, because the present Budget shows the least deficit among all the Budget presented in the previous years. In the present circumstances, this is the best possible Budget.

Secondly, the proposed taxation is not going to affect the common man's consumption and the prices of the common man's consumer goods would not possibly rise as the industrial items only have been taxed and those too through indirect taxation.

The most beautiful part of the Budget is that Rs. 100 crores have been allocated for drought hit areas but no ceiling of expenditure should be put in regard to providing employments to drought affected people. I request that neither the irrigation schemes pressed into for giving relief to them, should be done away with after the draught conditions are over. Those schemes should continue as a normal routine.

The Central Government should conduct a survey for having agro-based industries and prepare projects reports therefor. Such industries should be in cooperative scector with people's participation therein. It would prove a very good measure for collecting funds and providing employment in the rural areas.

A fruit canning factory is being established in Delhi for canning fruits from Himachal Pradesh. It should have been set up in Himachal Pradesh itself or at the place where the fruits are grown. Similarly spinning and weaving industries and dairy farms can be set up in the cooperative sector and in the rural and backward areas. This would help in the advancement of these areas and would also benefit the growers.

Maharashtra lacks very much as regards irrigation facilities and we have to depend on Monsoon only. The Government should therefore go for more and more irrigation schemes. For this purpose the dispute over Godavari, Krishna and Kaveri rivers should be solved as soon as possible so that the drought hit areas could get enough water.

श्रीमती माया राय (रायगंज) : इस बजट के प्रति मैं अपनी हार्दिक प्रशंसा व्यक्त करती हूं : वित्त मंत्री ने इकोनोमिक सर्वे द्वारा चालू वर्ष के दौरान आर्थिक स्थिति का स्पष्ट तथा वास्तविक विश्लेषण प्रस्तुत किया है तथा बजट में उक्त चुनौती का सामना करने का प्रयास किया गया है।

हालांकि जब हमारे देश की अखण्डता पर आंच आती है तो हम सब एक होकर उस शत्रु का सामना करने को डट जाते हैं, परन्तु खेद है कि हम अपने भीतरी शत्रु गरीबी के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए ऐसा प्रयास नहीं कर रहे हैं। संसार में हमारे देश से अन्य ऐसा कोई देश नहीं मिलेगा जिसने एक साथ पहले तो अपनी अखण्डता के लिये युद्ध किया हो तथा एक करोड़ अतिरिक्त लोगों को भोजन कपड़ा दिया हो, फिर अभूतपूर्व सूखे की स्थिति का सामना किया हो। परन्तु फिर भी अपनी अर्थ व्यवस्था को डगमगाने नहीं दिया हो। लोग प्रत्येक समस्या को लेकर चिल्लाना तो शुरू कर देते हैं परन्तु यह भूल जाते हैं कि कठिन परिश्रम को बिना कोई फल नहीं मिलता।

हमारे देश में मौसम के अनुसार कृषि उत्पादन में उतार-चढ़ाव आये हैं। हमें यह अनुभव कर लेना चाहिये कि हम जमीन के नीचे से तथा नदियों आदि के जल द्वारा अपनी उत्पादकता बढ़ा कर ही मौसम पर आश्रित रहने से बच सकते हैं। साथ ही कृषि क्षेत्र से संबंधित संस्थापन व्यवस्था प्रौद्योगिकी की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगी इस क्षेत्र में प्रौद्योगिक परिवर्तन नहीं आ सकेंगे । हमें ध्यान रखना चाहिये कि बड़ी जनसंख्या वाले विकासशील देश की कृषि संबंधी प्रगति वहां के छोटे किसान के काम पर निर्भर करती है।

अध्ययनों से पता चला है कि बड़े बड़े फार्मों में कृषि उत्पादों का अधिक उत्पादन होने की बात सही नहीं है। जापान में छोटी जोतों की कार्य कुशलता उदाहरण देने योग्य हैं। काश्तकार को उसकी जमीन का स्वामी बनाकर तथा उसे ऋण आदि की सुविधायें देकर कृषि उत्पादन में अधिक योगदान प्राप्त किया जा सकता है। कृषि क्षेत्र बेरोजगारी की समस्या को हल कर सकता है। हमारी अर्थव्यवस्था में औद्योगिक वृद्धि पर अधिक जोर दिये जाने के कारण बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है।

कुछ समय से यह धारणा बनती जा रही है कि विकास शील अर्थ-व्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र तथा सेवा-क्षेत्र रोजगार वृद्धि के साधन हैं तथा आपके कृषि क्षेत्र पर पड़े जनसंख्या के भार को औद्योगिक क्षेत्र की ओर स्थानान्तरण करना चाहते हैं। परन्तु हमारा अनुभव बताता है कि आधिक फसल लेने वाले क्षेत्रों में भारतीय कृषि क्षेत्र ही श्रम को खपाने की भारी क्षमता रखता है। साथ ही कृषि से संबंधित फार्मों में श्रम की खपत काफी हो सकती है। अतः ऐसे क्षेत्रों में कृषि तथा उससे सम्बन्ध कार्यों पर जोर देने से प्राकृतिक तथा माननीय संसाधनों का भरपूर उपयोग किया जा सकता है। क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी तथा बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है।

केन्द्र सरकार, राज्य सरकारें तथा देश भर के विचार शील व्यक्ति औद्योगिक वृद्धि में बढ़ोतरी की समस्याओं से चिंतिन्त हैं। जबकि विपक्षी सदस्यों को तो किसी बात की चिन्ता ही प्रतीत नहीं होती है। वे तो कहते हैं कि कारखाने बन्द कर दो तथा बन्धों को सफल बनाओ। वे रचनात्मक आलोचना में तो विश्वास ही नहीं रखते।

पांचवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में विभिन्न क्षेत्रों की प्राथमिकतायें निर्धारित की गई हैं। अब सरकार अपनी औद्योगिक नीति के अनुसार अपने प्रयासों को इन प्राथमिकताओं की ओर लगाये ऐसा मेरा सुझाव है। हमारे देश का सबसे बड़ा संसाधन जनशक्ति का उपलब्ध होना है। अतः हमें श्रम प्रधान उद्योगों की स्थापना करनी चाहिये तथा जनशक्ति का अधिकाधिक उपयोग करने की औद्योगिक नीति बनानी चाहिये। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने पूंजी प्रधान उद्योगों की बजाये श्रम प्रधान उद्योगों के विकास की

आवश्यकता पर तो जोर दिया है परन्तु दुर्भाग्य से सरकार श्रम के उपयोग की बजाय पूंजी के उपयोग पर आधारित नये उद्योगों को अधिक प्रोत्साहन दे रही है। इस वर्ष के बजट में केन्द्र सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित नयें उद्योगों की उद्योग सम्बन्धी लागत पूंजी पर सरकारी उपदान को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जा रहा है। इस से पूंजी पर आधारित उद्योगों को ही प्रोत्साहन मिला है। इस राज सहायता को तो काम पर लगाये गये श्रमिकों की संख्या पर आधारित करना चाहिये था ताकि श्रमिक प्रधान उद्योगों को बढ़ावा मिलता इस प्रकार विभिन्न राज्य सरकारों की भी ऐसी योजनायें हैं जिनके अन्तर्गत पिछड़े क्षेत्रों में नये उद्योग स्थापित करने पर बिक्री को वापसी हो सकती है तथा लम्बी अवधि के लिये ब्याज युक्त ऋण भी मिल जाता है फिर यह ऋण भी उक्त उद्योग में लगी पूंजी के आधार पर दिया जाता है। और रोजगार क्षमता के आधार पर नहीं। यदि हम अपने यहां बेरोजगारी की संख्या कम करना चाहते हैं तो हमें अपने औद्योगिक प्रोत्साहनों का लाभ पूंजी निवेश की बजाये रोजगार क्षमता पर आधारित उद्योगों को उपलब्ध करना चाहिये : साथ ही, पूंजी संसाधनों की कमी को देखते हुये हमें नये एकक स्थापित करने की बजाये वर्तमान एककों की क्षमता का पूरा उपयोग करना चाहिये तथा फिर उन्हीं की क्षमताओं को बढ़ाना चाहिये। हमसे पूंजीगत लागत कम होगी, कम समय लगेगा तथा उसका प्रबन्ध भी आसान रहेगा। हालांकि कुछ प्रमुख उद्योगों की लायसेंस क्षमता को दुना किया गया है परन्तु इसे और बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिये। इस प्रकार कम खर्च तथा बहुत जल्द, अधिकाधिक कुशलता के साथ अधिक औद्योगिक उत्पादन हो सकेगा।

कुछ लोगों को भय है कि इससे तो आर्थिक शक्ति का केन्द्रीय करण बढ़ जायेगा जोकि हमारे सामाजिक तथा राजनैतिक सिद्धान्तों के विरुद्ध है। यह बात तर्क पूर्ण हो सकती है परन्तु मेरे विचार से बिस्तार करने की अनुमति केवल तभी दी जाये जबकि उसमें या तो सरकार की साझेदारी हो या फिर वह उद्योग कर्मचारियों की सहकारिता के रूप में चलाया जाये। कर्मचारियों की सहकारिता पर तो विपक्षी मित्रों को भी कोई आपत्ति नहीं होगी।

सभापति महोदय : केवल तीन मिनट और।

श्रीमती माया राम : मध्यम क्षेत्र में 5 करोड़ रुपये तक निवेश-प्रस्तावों के लिये लायसेंस प्रक्रियाओं का विकेन्द्रीयकरण किया जाना चाहिये। प्रत्येक राज्य में वहां स्थिति एककों के लिये वहीं पर गठित विशेष सैलों द्वारा लायसेंस आवेदनों की जांच की जानी चाहिये जोकि निस्सन्देह केन्द्र द्वारा निर्धारित मार्ग दर्शी सिद्धान्तों पर आधारित हो। इन विशेष सैलों में केन्द्र सरकार के प्रतिनिधी इस प्रकार लायसेंस प्राप्त करने में कम समय लगेगा तथा औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। यही सैल विद्युत, जल, कच्चा माल आयात वित आदि को सुविधायें उपलब्ध करने में सहायता कर सकते हैं। अनेक बार देखा गया है कि उद्योग आरंभ करने के लिय अन्य आवश्यक्तायें पूरी नहो सकने के कारण प्राप्त किये गये लायसेंस बेकार पड़े रह जाते हैं अतः एक बार किसी परि-योजना की जांच तथा उसे स्वीकृति दिये जाने के बाद उसके लिये हर प्रकार की सहायता दी जानी चाहिये अन्यथा वह लायसेंस क्षमता तो कागज पर ही लिखी रह जायेगी। लायसेंस प्रक्रिया को केवल दिल्ली में ही केन्द्रीयकृत कर देने से औद्योगिक लायसेंस प्रक्रिया तथा बाद की कार्यवाही के बीच यथेष्ट समन्वय नहीं हो सकेगा। इन शब्दों के साथ में बजट प्रस्तावों का समर्थन करती हूं।

श्री डी० डी० देसाई (कैरा): हमने गरीबी हटाने का लक्ष्य रखा है जिसका अर्थ नई सम्पदा का सृजन करना है। नई सम्पदा का सृजन विभिन्न प्रोत्साहनों द्वारा उत्पादन में वृद्धि करके किया जा सकता है।

बचतों में वृद्धि करना इस का सहायक अंग है। उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ सरकार बचतों में वृद्धि के लिये भी जनता को प्रोत्साहित करे। ये बचते देश के राष्ट्रीय विकास कार्यों में तथा रोजगार प्रधान उद्योगों की स्थापना में लगाई जा सकती हैं।

इस वर्ष निवेश के लिये राजस्व से 7000 करोड़ रुपये लिये जा रहे हैं परन्तु उसके फलस्वरूप हमारी उपलब्धि क्या है ? इस अन्तर को माल की लागत या राष्ट्रीय सम्पदा की बचतों का उपयोग माना जाना चाहिये ।

व्यापार गृहों तथा एकाधिकार गृहों की आलोचना की गई है। परन्तु वर्तमान अधिनियम के बनवाने के फलस्वरूप मैनेजिंग एजेन्सी के समाप्त होने के बाद इस बात का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिये किस एकाधिकार गृह के पास पूंजी है।

कुछ सदस्यों ने विचार व्यक्त किया है कि बचतों तथा औद्योगिक विकास से कुछ ही हाथ में धन के केन्द्रित हो जाने का भय है। मैं भी यही चाहता हूं कि धन का अधिकाधिक विकेन्द्रीकरण किया जाये। इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री महोदय के प्रयास प्रशंसनीय हैं।

मुद्रास्फीति और घाटे की बजट व्यवस्था का मुकाबला खाद्यान्न मोर्चे पर किया जा रहा है । मेरे राज्य गुजरात में इस वर्ष भयंकर सूखा पड़ा है तथा हमें केन्द्र सरकार से अन्न प्राप्त नहीं हो रहे हैं । अतः इस सभा तथा सरकार से मेरा अनुरोध है कि वहां खाद्य सामग्री की पर्याप्त सप्लाई की जाये । वहां बड़ी संख्या में पशु भूख से मरते जा रहे हैं तथा शीघ्र ही लोगों का भी यही परिणाम होने जा रहा है। इसका एक मात्र कारण यह है कि हमें सिंचाई और पीने के लिये वर्षा से केवल 10 प्रतिशत जल ही उपलब्ध हो पाता है शेष 90 प्रतिशत जल समुद्र में व्यर्थ चला जाता है।

सिंचाई के लिये उपलब्ध हो सकने वाला नर्मदा नदी का सारा जल समुद्र में व्यर्थ बह जाता है परन्तु अनेक बार अनुरोध किये जाने पर भी सरकार ने आज तक इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया है और हम खाद्यान्नों का उत्पादन नहीं बढ़ा पा रहे। चीन की भांति ही गुजरात में भी तथा बिहार, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में भी सिंचाई परियोजनाओं तथा बांधों आदि के निर्माण में विलम्ब कभी नही किया जाना चाहिये । सिंचाई व विद्युत् मंत्री इस ओर ध्यान दें।

विद्युत का हमारे यहां गंभीर संकट है। विद्युत् उत्पादन कार्यों पर पूंजी लगाने से बहुमुखी लाभ होता है। यदि हम विद्युत् प्रजनन उपकरणों का नर्माण नहीं कर सकते तो हमें उनका आयात करना चाहिये। संचार, वितरण आदि के बारे में तो हम आत्मनिर्भर हैं ही।

100 करोड़ रुपये, रोजगार के अवसर पैदा करने की व्यवस्था के लिये निर्धारित किये गये हैं। मेरा सुझाव है कि यह राशि प्रशिक्षण देने पर खर्च की जाये। नकद देने का तो कोई अर्थ नहीं है।

निगमों के ऊपर सम्पत्ति कर के बारे में कुछ लोगों को भ्रम है। ये स्टॉक होल्डिंग कंपनियां होतीं हैं तथा स्टॉक-होल्डर स्वयं सम्पत्ति-कर देते हैं । इस प्रकार तो एक ही सम्पत्ति पर दोहरा कर लगाना होगा। वित्त मत्री के बजट प्रस्तावों से स्टॉक एक्सचेंज की शंकायें भी दूर हो गई हैं ।

हमेशा हिन्दुओं को ही दण्ड का पात्र बनाया जाता है, किसी अन्य को तो हम छूते तक नहीं । इस कराधान से बहुत से संयुक्त हिन्दू परिवारों पर कर लगा है। वित्त मंत्री इस ओर ध्यान दें।

बैंक ऋणों के वितरण की प्रणाली लाभकारी नहीं है । हम अधिक धन जमा कराते हैं परन्तु ऋण कम मिलता है । यह वितरण किसी सीमा तक समानता के आधार पर होना चाहिये । जमा कर्ताओं को ऋण प्राप्ति का लाभ तो मिलना ही चाहिये।

हम सरकारी क्षेत्र तो चाहते हैं परन्तु उसे लाभकारी तो बनायें। आज तो ऐसा लगता है कि सरकारी उपक्रमों में हो रहे घाटे को पूरा करने के लिये जनता को भारी कर देने पड़ेंगे । अत: सरकारी क्षेत्र को बृहत्तर करने के साथ-साथ उसे लाभकारी बनाने का सुनिश्चय भी किया जाना चाहिये।

प्रारम्भिक डै प्रिसियेशन की दर 20 प्रतिशत रखी गई है जबकि गत दस वर्षों में उपकरणों के बदलने की लागत 185 प्रतिशत तक बढ़ गई है। वित्तमंत्री महोदय प्रबन्धों की इस कठिनाई के बारे में विचार करें ।

Shrimati Sahodra Bai Rai (Sagaur) : I rise to support the budget proposals made by the Finance Minister. It is a well knit and well balanced budget.

However, I request that special efforts should be made to improve the miserable condition of the Harijans and poor people, particularly the women who are down-trodden because of the crushing domestic burden of households on them, in Maharashtra, Gujarat and Rajasthan where people and cattle both are facing death because of sever drought conditions. The Government should arrange for fodder and foodgrains.

The villages in my area have been totally backward since independence. Although there has been quite a lot of improvement of the Harijans and adivasis in the other areas of the country but still there are certain areas when the poor folk could not progres s because of the pressure of Brahmins, Thakurs and other people of high castes. I, therefore, urge upon for providing them with road, power and other facilities, there is alround paucity of means there. The poor adivasis and Harijans are not getting loans from banks until they grease the palm of the bankmen and also unless they get harassed quite a number of times.

Steps shold also be taken to provide housing facilities to the poor Adivasis and Harijans. Let the hon. Minister visit the areas and see the things himself. My area is inhibited by martial folk and is also dacoit infested. Therefore enough security arrangements should also be made there.

Then the allowances of the policemen who perform their duties in the dangerous dacoit infested areas, are very less unlike those of police officers. Also the prizes and rewards are taken away by the higher officer for the brave deeds done by their juniors.

Finally, I would appeal to the opposition to extend their cooperation in establishing a stable and effective administration instead of making efforts to cause uncertainty and instability which always proves harmful for the nation's future.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये

Mr. Deputy Speaker in the Chair

With these words I support the budget proposals and wish for equal social justice to all and sundry. It should also be ensured that the employees in different establishments work honestly and with utmost integrity.

श्री सोमनाथ चैटर्जी (बर्दवान) : वित्त मंत्री ने बजट को आयोजन का एक सुत्र बताया है और मैं समझता हूं कि यह आत्मनिर्भरता की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करने तथा उसका विस्तार करने में सहायता देगा। परन्तु आज हमारी अर्थव्यवस्था की क्या दशा है। देश में मूल्य अत्याधिक बढ़ चुके हैं और उनको रोकने के लियें बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। गरीबों को राहत देने के लिय बजट में क्या व्यवस्था की गई है ?

योजना के संदर्भ में, बजट में कुछ ऐसे प्रस्ताव किये गये है जिससे कि लोगों के दिलों में यह भावना पैदा हो कि सरकार वास्तव में ही देश के सामान्य लोगों का ख्याल रखना चाहती है और उनकी आवश्यकतायें पूरा करना चाहती है।

बच्चों के लिये पोषाहार, ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम, औद्योगिक श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार आदि सहित सामाजिक न्याय कार्यक्रम के लिये केवल 125 करोड़ रुपये रखे गये हैं। गत वर्ष भी यही राशि रखो गई थी। रुपये के मूल्य में गिरावट आने के कारण यह राशि सर्वथा अपर्याप्त है।

दूसरा प्रस्ताव एक वर्ष में 5 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का है। लेकिन बजट भाषण में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया कि रोजगार के अवसर किस क्षेत्र में पैदा किये जायेंगे। अशिक्षित बेरोजगारों को यह भाषण देने का कोई लाभ नहीं कि वे कठिन परिश्रम करें। प्रमुख बात तो उन्हें रोजगार देने की है। पांचवीं योजना में व्यय की नई मदों पर 150 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है। लेकिन इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि यह राशि किस प्रकार उपयोग में लाई जायेगी। चौथी योजना के अपूर्ण कार्यों को पूरा करने के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है। इस समय सभी क्षेत्रों का समेकित विकास होना चाहिये और क्षेत्रीय असमानतायें दूर की जानी चाहिये।

वर्ष 1971-72 में औद्योगिक वित्त निगम ने पश्चिम बंगाल के उद्योगों के लिये अपने संसाधनों का केवल 1.4 प्रतिशत भाग दिया जबकि उड़ीसा के लिये 7.9 प्रतिशत और महाराष्ट्र के लिये 21.83 प्रतिशत दिया। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल को केवल 54 लायसेंस दिये गये हैं जबकि महाराष्ट्र को 138 लाइसेंस दिये गये हैं। पश्चिम बंगाल में कोयले, लौह अयस्क और पटसन के भाड़े की दरें एक जैसी हैं परन्तु रुई के भाड़े की दरें अधिक हैं। मेरा निवेदन है कि ये दरें भी अन्य दरों के समान कर देनी चाहिये।

Shri Nageshwar Dwivedi (Mechhlishahr) : There was an apprehension in the minds of the people that they will have to shoulder more burden of taxation because of heavy floods, Indo Pak war and countrywide drought situation. The hon. Minister by presenting a balanced budget has dispelled all those apprehensions. During the last two years a number of people were benefited by the crash programme. Relief measurers were also undertaken in the drought striken areas.

Government should be careful while implementing the schemes. There is no change in the administrative set up which continued even during the British Rule. Policy of red-tapism should also be abandoned.

Pattern of Education is needed to be changed. More emphasis should be laid on the promotion of primary education. Police officials are also not honest to their duties. So many illegal distilleries are operating with the connivance of the police. Government should pay attention towards this.

In view of the disruptive tendencies prevailing in Andhra Pradesh, Government should be very cautious in taking a decision regarding its bifurcation because this may result in bifurcations of other States like Maharashtra, Uttar Pradesh and Bihar.

***श्री मालन्ना** (मधुगिरि) : सरकार राजस्व संसधनों को बढ़ाने के लिये बचनबद्ध है ताकि उत्पादन में वृद्धि करने तथा विकास और कल्याणकारी योजनायें बनाने के लिये अधिक धन विनियोजित किया जा सके। बहुत प्रसन्नता की बात है कि मंत्री महोदय ने लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान मन में रखते हुये यह बजट बनाया है। उन्होंने विलासिता की वस्तुओं पर कर लगाया है। इसके परिणामस्वरूप सरकार परियोजनाओं पर अधिक धन विनियोजित कर सकेगी।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Kannada.

*कन्नड़ में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

5 लाख शिक्षित बेरोजगारों के लिये रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु 100 करोड़ रुपये को व्यवस्था को गई है। मेरे विचार में यह धनराशि पर्याप्त नहीं है। अतः इसमें वृद्धि की जानी चाहिये।

मैसूर की विजयनगरम इस्पात परियोजना के लिये केवल 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस परियोजना के प्रारम्भ होने पर रोजगार के काफी अवसर पैदा होने की संभावना है। अतः प्रस्तावित धनराशि में वृद्धि की जानी चाहिये।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : जिन माननीय सदस्यों ने इस वाद विवाद में भाग लिया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। बजट की आलोचना करने वाले माननीय सदस्यों के तर्क निराधार हैं। सदन के बाहर और भीतर इस बजट को शुद्ध पूंजीवादी बजट, प्रयोगवादी बजट, आदि नाम दिया गया। वस्तुतः यह बजट यथार्थवादी बजट है। बजट भाषण के अन्तिम वाक्य में मैंने स्पष्ट किया था कि यह बजट सामाजिक न्याय पर आधारित आत्म निर्भरता अर्थव्यवस्था के विस्तार का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा। माननीय सदस्यों की कटु आलोचना सुनने के बाद भी मैं अपनी धारणा पर अटल हूं। कुछ सदस्यों ने कहा कि बजट आदर्श प्रधान न होकर परिणाम प्रधान होना चाहिये। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं लेकिन परिणाम भी तो आदर्श प्रधान होने चाहिये।

मेरी धारणा है कि बजट के वांछित परिणाम निकलने चाहिये। श्री पीलू मोदी के इस कथन से मैं सहमत हूं कि बजट व्यावहारिक होना चाहिय। मैं यह सिद्ध करने का प्रयत्न करूंगा कि यह बजट व्यावहारिक है।

बजट का अध्ययन करने के बाद कई सदस्यों ने यह आशंका प्रगट की कि हम प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे हैं अथवा अवनति की ओर। मेरे विचार में हम प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कुछ लोग यह अनुमान लगा रहे हैं कि बजट का मंडियों पर क्या प्रभाव पड़ा है। शेयर बाजार के कुछ सट्टेबाजों ने शेयरों पर सट्टे लगाने शुरू कर दिये हैं। कुछ अखबारों ने शेयरभाव के लचीलेपन और तेजी के समाचार भी छापे हैं। शेयर-भावों में मन्दी या तेजी आने से हमें कोई सरोकार नहीं है। हमारा काम तो यह देखना है कि इससे वस्तुओं की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो हमें सोच विचार करना पड़गा।

मैंने बजट में जो पांच कसौटियां रखी हैं उनसे बजट का निर्धारण किया जा सकता है।

ये कसौटियां हैं : मुद्रा-स्फीति पर नियंत्रण, बचत और निवेश में बढ़ोतरी, अधिकाधिक आत्म निर्भरता, रोजगार के अवसरों में तेजी से वृद्धि और जीवन की कुछ मूलभूत सुविधाओं के उपबन्धों द्वारा अधिकाधिक सामाजिक न्याय।

जहां तक मुद्रा-स्फीति का सम्बन्ध है, बजट में निश्चय ही मुद्रा-स्फीति के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया गया है। मान लीजिये मैंने ऐसा प्रयास न किया होता तो चाहे कृत्रिम या वास्तविक कैसा भी हो, घाटे की अर्थ-व्यवस्था का आकार क्या बना होता? लगभग 400 करोड़ रुपये या 335 करोड़ रुपये से 338 करोड़ रुपये तक मुद्रा स्फीति की जाती। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते कि घाटा भी हो और कर भी न लगाया जाये। घाटे की अर्थव्यवस्था को पूरा करने के लिये थोड़ा कर लगाना जरूरी हो जाता है।

इस देश में ऐसी स्थिति है कि जिसमें मुद्रा स्फीति के लिये किसी न किसी प्रकार की प्रवृति है। हमें मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण करनेा का प्रयास करना है। मैं यह दावा नहीं करता हूं कि मुद्रा स्फीति

उचित है यदि विकासशील अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में मूल्य वृद्धि दो या तीन प्रतिशत के बीच होती है तो सामान्यतया उसे मूल्य वृद्धि मान लिया जाता है परन्तु दुर्भाग्यवश यह वृद्धि उससे अधिक ही हो रही है।

जब हम सूखा की स्थिति के बारे में उल्लेख करते है तो क्या हम लोगों को यह बताने जा रहे हैं कि गरीबी या भुखमरी से कौन कौन लोग पीड़ित हैं? क्या हम उन्हें यह कह दें कि घाटे की अर्थ-व्यवस्था और मुद्रा-स्फीति होने वाली है इसलिये हम उनकी सहायता नहीं कर सकते हैं । ये स्थितियां, राजनैतिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन की कुछ अनिवार्यतायें हैं। ये कुछ प्राकृतिक स्थितियां हैं जिनका हमें सामना करना ही पड़ता है।

कुछ माननीय सदस्यों ने संदेह व्यक्त किया है कि घाटे की अर्थव्यवस्था क्या है ? मेरे अनुसार घाटे की अर्थव्यवस्था राज्य और केन्द्र के बजट सम्बन्धी उपबन्धों में शुद्ध घाटा और भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार से ऋण लेना है। कुछ सदस्यों ने घाटे में उन राशियों को भी सम्मिलित करने का प्रयत्न किया है जो वाणिज्यिक बैंक, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। मेरे विचार से परिभाषा के अनुसार यह घाटे की अर्थव्यवस्था नहीं है? यह जनता के विकास सम्बन्धी क्रियाकलापों के लिये बचत बढ़ाना है। यह सार्वजनिक ऋण है। यह कृत्रिम धन से उत्पन्न नहीं होती है अतः यह घाटे की अर्थव्यवस्था नहीं है। कुछ सदस्यों ने कहा है कि 1973–74 के लिये 85 करोड़ रुपये का घाटा नहीं है। मैंने भी यही कहा है कि यह घाटा 85 करोड़ रुपयें से कहीं अधिक ही होगा क्योंकि वतन आयोग का प्रतिवेदन अभी सरकार को मिलना है।

कुछ लोग कहते हैं कि घाटे की अर्थव्यवस्था की सुरक्षित सीमा कौन सी है जिसे देश सहन कर सकता है। यदि कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में आर्थिक विकास की सामान्य शक्तियां जारी रहीं तो यह देश 200 से 250 करोड़ रुपये तक की घाटे की अर्थव्यवस्था के भार को सहन कर सकता है।

हमने बचत और निवेश के लिये कुछ कदम उठाये हैं। इस देश के बहुत से अर्थशास्त्रियों ने यह स्वीकार कर लिया है कि इस बजट में बहुत से ऐसे उपबन्ध हैं जिनसे निवेश और अर्थव्यवस्था के विकास को निश्चय ही सफलता मिलेगी। इस बजट में निश्चय ही विकास-प्रधान पहलू हैं।

हमने 1970 से लेकर पिछले तीन चार वर्षों में लगातार रोजगार के अवसर पैदा करने के लिये उपबन्ध किये हैं। यह केवल रोजगार सम्बन्धी योजनायें ही नहीं है अपितु हम जो विभिन्न प्रकार के निवेश कर रहे हैं उनसे अन्ततोगत्वा रोजगार की स्थिति में सहायता मिलेगी। सभी समाज प्रधान योजनायें और समाज कल्याण योजनायें, जिनमें हमने पिछले वर्ष 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है और इस वर्ष भी उसे जारी रख रहे हैं और साथ ही रोजगार संभावना के लिये इस वर्ष लगभग 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर रहे हैं जिससे निश्चय ही सफलता मिलेगी।

जहां तक माननीय सदस्य की इस बात का सम्बन्ध हैं कि राज्यों के मामले में हम गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कम दे रहे हैं। गत वर्ष मैंने योजना उपबन्धों हेतु 500 करोड़ रुपये की अधिक राशि जोड़ दी थी। गत वर्ष की तुलना में यह राशि निस्संदेह कम लगती है। गतवर्ष जानबूझ कर अधिक उपबन्ध किये गये थे क्योंकि वह चौथी योजना का चौथा वर्ष था अतः अधिकतम उपबन्ध करना पड़ा ताकि हमें योजना के अंतिम वर्ष में कमी का सामना न करना पड़े।

सिंचाई और बिजली जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमने अधिक उपबन्ध किये हैं। इसके अतिरिक्त हमने अग्रिम कार्यवाही के लिय 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। कुछ सदस्यों ने इस उपबन्ध

का मजाक बनाने का प्रयत्न किया है। इस वर्ष अर्थात् योजना के अंतिम वर्ष में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि हम सिंचाई और बिजली उत्पादन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अग्रिम कार्यवाही कर सकें और हमें निवेश के परिणाम यथाशीघ्र प्राप्त हो सके।

यदि हम कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण हमें यह करना होगा कि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली बनायें। इस देश की कृषि अर्थव्यवस्था की सफलता अद्युनातन औद्योगिक विकास के साथ काफी कुछ जुड़ी हुई है।

यह सुनिश्चित करने के लिये जिससे मुद्रा स्फीति का जनता पर प्रभाव न हो, हमने इस वर्ष गेहूं के थोक व्यापार का सरकारीकरण करने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है जिसके बाद चावल के थोक व्यापार का भी सरकारीकरण किया जायेगा।

यह कहा गया है कि थोक व्यापार में कार्य करने वाले बहुत से लोग अपनी नौकरियां खो बैठेंगे। ऐसा नहीं होगा और साथ ही वे काला-बाजारी करने वालों के शोषण से भी बच जायेंगे। जब हम थोक व्यापार का सरकारीकरण करेंगे तो हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि न केवल रोजगार की वास्तविक गुंजाइश ही बनी रहे अपितु उनमें वृद्धि हो और उसका समुचित प्रयोग हो। अत्यावश्यक वस्तुओं के समुचित वितरण को ध्यान में रखते हुये थोक व्यापार का सरकारीकरण न केवल प्रगतिशील कदम ही होगा अपितु उन लोगों के हित में भी होगा जो यह व्यापार कर रहे हैं।

श्री पीलू मोदी ने कहा है कि घाटे की अर्थव्यवस्था पर विचार करते समय हमने उन वचनों पर ध्यान नहीं दिया जिनकी थोक व्यापार में आवश्यकता पड़ेगी। थोक व्यापार के सरकारीकरण से घाटे की अर्थव्यवस्था में वृद्धि नहीं होगी। भारतीय खाद्य निगम सामन्यतया बैंकिंग प्रणाली से अपनी चालू पूंजी प्राप्त करता है। बजट में जो कुछ बताया गया है वह क्रय–मूल्य और निर्गम मूल्य के बीच अन्तर है और हमें चालू पूंजी के लिये जो ब्याज देना पड़ता है वह हमें बैंकिंग प्रणाली से लेते हैं। यही बजट सम्बन्धी हमारे उत्तरदायित्व है।

इस वर्ष हमारा बफर स्टाक कम होगा। इसके लिये हमें कुछ सहायता देनी होगी। जिसके लिये मैंने पहले ही बजट में 130 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमने प्रत्यक्ष करों की वसूली के लिये अधिक प्रभावी कदम नहीं उठाये हैं। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि करापवंचन के लिये उत्तरदायी त्रुटियों को दूर किया जाये जो काले धन का कारण हैं। काले धन को बनने से रोकने के लिये अनेक कदम उठाये गये हैं। उदाहरणार्थ, हमने संयुक्त हिन्दू परिवारों, धन कर और अन्य करों के बारे में कदम उठाये हैं।

एक अन्य कदम जो हमने इस दिशा में उठाया है, वह गैर–कृषि आय के साथ कृषि आय के कुछ भाग को जोड़ने के सम्बन्ध में है। करापवंचन के बारे में त्रुटियों को दूर करने के लिये वह एक मुख्य कदम है।

द्रमुक के एक नेता ने कहा है कि जब हमने इस प्रतिवेदन को राज्य सरकारों को भेज रखा है तो हमने इसके प्रति राज्य सरकारों के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा क्यों नहीं की। इस प्रतिवेदन में अनेक सिफारिशें शामिल हैं जिनमें से एक यह भी है। इस सिफारिश के सम्बन्ध में इस समिति की, जिसका समर्थन विधि आयोग ने भी किया है, यह सिफारिश है कि इस विषय पर केवल केन्द्रीय सरकार ही कार्यवाही कर सकती है। जब हमने यह कहा है कि इस प्रतिवेदन को भेजा गया है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि उन सिफारिशों पर जो विशेष रूप से केन्द्रीय सरकार के लिये की गई हैं, कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये। जिन सिफारिशों का सम्बन्ध राज्यों से है उन पर राज्यों को ही विचार करना है।

कर लगाने की शक्ति को संविधान द्वारा केन्द्र और राज्यों के बीच बांट दिया गया है। जहां राज्य विधान मंडलों को कृषि आय कर लगाने की शक्ति दी गई है वहां संसद को कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय कर भी कर लगाने की शक्ति दी गई है। इन परिस्थितियों में संसद केवल गैर-कृषि आय पर कर लगा सकती है। वित्त विधेयक के द्वारा केवल गैर-कृषि आय को सम्बन्ध में कर लगाने का प्रयास किया गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): विदेशी मुद्रा विनियमन विधेयक का क्या हुआ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण: इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे परन्तु मैं समझता हूं कि आप आय को जोड़ने के विरुद्ध नहीं हैं।

मैं समझता हूं कि इन कदमों से एकदम ही सारी चीजें प्राप्त नहीं की जा सकती। हमने आगे बढ़ने की दिशा में प्रयास किया है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1973-74 की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई:

The following demands for Grants for the Year 1973-74 were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
	कृषि मंत्रालय		
		राजस्व	पूंजी
		रुपये	रुपये
1.	कृषि विभाग .	1,21,88,000	..
2.	कृषि . .	70,79,90,000	239,06,33,000
3.	मीन क्षेत्र . .	2,63,34,000	75,25,000
4.	पशु पालन और डेरी विकास .	2,78,30,000	12,12,86,000
5.	वन	4,84,43,000	7,17,000
6.	भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद को अदायगी	28,45,94,000	..
7.	खाद्य निगम .	134,27,94,000	7,44,27,000
8.	सामुदायिक विकास विभाग	46,91,18,000	..
9.	सहकारिता विभाग .	2,79,00,000	30,50,47,000
	वाणिज्य मंत्रालय		
10.	विदेश व्यापार विभाग	4,13,66,000	..
11.	विदेश व्यापार .	116,54,98,000	35,00,00,000
12.	निर्यात प्रधान उद्योग	7,26,20,000	6,78,03,000
13.	आन्तरिक व्यापार विभाग . .	13,58,09,000	7,04,33,000
	संचार मंत्रालय		
14.	संचार मंत्रालय .	63,40,000	1,60,83,000
15.	समुद्रपारीय संचार सेवा .	4,97,12,000	1,55,67,000
16.	डाक व तार (कार्यचालन व्यय) . .	2,66,08,63,000	..

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	4
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
17.	डाक और तार विभाग द्वारा सामान्य राजस्व में दिया जाने वाला लाभांश और प्रारक्षित निधियों में विनियोग तथा सामान्य राजस्व से दिये जाने वाले ऋणों की वापसी . . .	57,48,84,000	..
18.	डाक और तार पर पूंजी परिव्यय (राजस्व से नहीं)		88,89,16,000
	रक्षा मंत्रालय		
19.	रक्षा मन्त्रालय .	1,06,73,000	20,01,94,000
20.	रक्षा सेवायें---थल सेना	8,57,64,17,000	
21.	रक्षा सेवायें---जल सेना	72,84,17,000	
22.	रक्षा सेवायें---वायु सेना	2,75,71,67,000	..
23.	रक्षा सेवायें---पेंशन आदि	50,33,33,000	..
24.	रक्षा सम्बन्धी पूंजी परिव्यय .		1,63,38,33,000
	शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय		
25.	शिक्षा विभाग	2,21,48,000	..
26.	शिक्षा . .	97,98,94,000	88,49,000
27.	समाज कल्याण विभाग . .	22,09,52,000	4,17,000
	विदेश मंत्रालय		
28.	विदेश मन्त्रालय	68,57,77,000	1,50,00,000
	वित्त मंत्रालय		
29.	वित्त मंत्रालय	17,47,63,000	..
30.	सीमा-शुल्क	10,92,39,000	..
31.	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	19,57,54,000	..
32.	आय आदि पर कर	19,90,92,000	..
33.	स्टाम्प .	4,65,17,000	65,63,000
34.	लेखा-परीक्षा .	37,16,66,000	..
35.	मुद्रा सिक्का और टकसाल	17,41,87,000	21,59,90,000
36.	पेंशन	10,65,07,000	5,93,48,000
37.	अफीम कारखाने और एल्को-लायड के कारखाने .	2,85,35,000	47,65,000
38.	राज्य सरकारों और संघीय राज्यक्षेत्रों की सरकारों को अन्तरण .	2,90,85,94,000	..
39.	वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय .	2,39,14,78,000	54,78,12,000
40.	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण . .	..	21,89,04,000

1	2	3	4
	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय		
		रुपये	रुपये
41.	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय .	1,22,21,000	..
42.	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य .	39,52,15,000	19,61,65,000
43.	परिवार नियोजन . .	45,36,87,000	3,98,67,000
	भारी उद्योग मंत्रालय		
44.	भारी उद्योग मंत्रालय .	10,50,000	..
45.	भारी उद्योग . .	4,52,22,000	43,08,88,000
	गृह मंत्रालय		
46.	गृह मंत्रालय . .	1,44,69,000	
47.	मंत्रिमंडल . . .	83,51,000	
48.	कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग	4,14,18,000	..
49.	पुलिस . .	1,02,32,47,000	2,10,42,000
50.	जनगणना .	2,89,83,000	
51.	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	56,07,43,000	10,82,61,000
52.	दिल्ली .	65,21,00,000	28,99,91,000
53.	चण्डीगढ़ . . .	8,00,91,000	3,18,24,000
54.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	11,52,91,000	4,20,32,000
55.	अरुणाचल प्रदेश . . .	14,50,66,000	5,39,68,000
56.	दादर और नागर हवेली . . .	62,97,000	33,87,000
57.	लक्षीव, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीपसमूह . .	1,88,91,000	38,97,000
	औद्योगिक विकास मंत्रालय		
58.	औद्योगिक विकास मंत्रालय .	1,61,82,000	..
59.	उद्योग . . .	12,61,34,000	24,17,93,000
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय		
60.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय . .	32,53,000	..
61.	सूचना और प्रचार . . .	8,68,63,000	88,75,000
	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय		
62.	प्रसारण . . .	15,02,33,000	12,21,17,000
63.	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय .	8,29,34,000	..
64.	सिंचाई और बाढ़-नियंत्रण योजनायें	12,94,81,000	7,01,33,000
65.	विद्युत योजनायें . . .	4,91,12,000	56,32,07,000
	श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय		
66.	श्रम और नियोजन विभाग	1,12,72,000	..
67.	श्रम और नियोजन . .	24,12,77,000	1,49,59,000
68.	पुनर्वास विभाग	9,72,10,000	7,83,41,000

1	2	3	4
	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय		
		रुपये	रुपये
69.	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय	6,42,37,000	
70.	न्याय प्रशासन	2,17,000	
	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय		
71.	पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय . .	52,01,000	1,09,87,89,000
	आयोजना मंत्रालय		
72.	योजना मंत्रालय	5,07,000	
73.	सांख्यिकी	4,70,80,000	
74.	योजना आयोग .	1,69,03,000	
	नौवहन और परिवहन मंत्रालय		
75.	नौवहन और परिवहन मंत्रालय	1,39,27,000	..
76.	सड़कें . . .	54,58,32,000	87,47,13,000
77.	बन्दरगाह, प्रकाशस्तम्भ और नौवहन	13,21,46,000	1,02,79,75,000
78.	सड़क और अन्तर्देशीय जल परिवहन .	32,27,000	2,14,86,000
	इस्पात और खान मंत्रालय		
79.	इस्पात विभाग	10,60,08,000	1,45,98,96,000
80.	खान विभाग	16,66,38,000	86,20,97,000
81.	भूगर्भ सर्वेक्षण	11,96,75,000	
	पर्यटन और नगर विमानन मंत्रालय		
82.	पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय	25,33,000	..
83.	मौसम विज्ञान	5,67,21,000	45,97,000
84.	विमानन .	12,49,34,000	16,85,42,000
85.	पर्यटन	2,53,13,000	5,04,17,000
	निर्माण और आवास मंत्रालय		
86.	निर्माण और आवास मंत्रालय .	36,14,95,000	2,11,96,000
87.	सरकारी निर्माण कार्य	44,66,11,000	16,65,45,000
88.	लेखन सामग्री और मुद्रण .	14,92,35,000	
	परमाणु ऊर्जा विभाग		
89.	परमाणु ऊर्जा विभाग	27,91,000	..
90.	परमाणु ऊर्जा अनुसन्धान और विकास	25,36,52,000	21,75,50,000
91.	नाभिकीय विद्युत योजनायें . . .	20,24,80,000	24,16,58,000

1	2	3	4
	संस्कृति विभाग		
		रुपये	रुपये
92.	संस्कृति विभाग	5,59,34,000	
93.	पुरातत्व .	2,18,08,000	
	इलैक्ट्रानिक्स विभाग		
94.	इलैक्ट्रानिक्स विभाग	4,84,77,000	54,08,000
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग		
95.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग . .	3,19,35,000	17,07,000
96.	भारतीय सर्वेक्षण	8,04,68,000	
97.	वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसन्धान परिषद को अनुदान . .	20,19,58,000	..
	अंतरिक्ष विभाग		
98.	अन्तरिक्ष विभाग	10,04,02,000	2,53,67,000
	पूर्ति विभाग		
99.	पूर्ति विभाग .	2,41,68,000	
100.	पूर्ति और निपटान .	4,05,79,000	..
	संसद्		
101.	लोक सभा	2,49,29,000	..
102.	राज्य सभा	98,81,000	..
	संसदीय कार्य विभाग		
103.	संसद कार्य विभाग . . .	12,20,000	
	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय		
104.	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय . . .	3,25,000	..

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1973
APPRAPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 1973

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विनियोग (लेखानुदान) विधेयक को लेते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं विरोध करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा ने मांगों को स्वीकृत कर दिया है। संविधान के अनुच्छेद 114 के अन्तर्गत इसकी व्यवस्था है। मंत्री महोदय का इसे पुरः स्थापित करने का कर्तव्य है।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत राव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1973-74 के एक भाग को सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि वित्तीय वर्ष 1973-74 के एक भाग की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने आपको एक स्पष्टीकरण करने वाला टिप्पण (नोट) दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया थोड़ा धैर्य्य रखिये।

(अन्तर्बाधाएं)

पहली बात तो यह है कि यह लेखानुदान है। तीन दिन तक चर्चा हो चुकी है।

(अन्तर्बाधाएं)

इस सम्बन्ध में मैं आपको पूर्वोदाहरण दूंगा। 1958 में ऐसा ही एक प्रश्न उठा था। उस समय थोड़ी चर्चा के बाद अध्यक्षपीठ ने यह विनिर्णय दिया था कि यह औपचारिक कार्य है अतः इस पर चर्चा नहीं हो सकती।

श्री ज्योतिर्मय बसु : तब नियम 72 का क्या उपयोग है?

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभा का निर्णय है।

सभा ने पहले ऐसा निर्णय किया था कि बजट पर पूरी चर्चा होने के बाद यह औपचारिक कार्य रह जाता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : तब फिर प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों से यह व्यवस्था हटा दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब और चर्चा की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि वित्तीय वर्ष 1973-74 के एक भाग की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि वित्तीय वर्ष 1973–74 के एक भाग को सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधयक पर विचार किया जाये।

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ :

The Lok Sabha divided :

पक्ष में 133　　　　　विपक्ष में 31

Ayes 133　　　　　Noes 31

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 2, 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2, 3, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, 15 मार्च, 1973/24 फाल्गुन 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Thursday, March, 15, 1973/ Phalguna 24, 1894 (Saka).

MGIPRRND—Sec. II—4 LSS—4-8-73—490.

PARLIAMENT LIBRARY
No. B. 72(2)
DATE 18.8.73

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi].

3 LSS/73—1